। माला, खंड 35, अंक 8

बुधवार, 30 जुलाई, 2003
8 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D-53
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 30 जुलाई, 2003/8 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160	11–41
अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 से 1488	41–283
सभा पटल पर रखे गए पत्र	283–296
राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	296, 304–305
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	296–297
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
खरीफ फसल 2003-2004 के लिए मूल्य नीति	314–315
श्री राजनाथ सिंह	
नियम 377 के अधीन मामले	319–327
(एक) पाकिस्तानी जेलों में कैद गुजरात के मछुआरों सहित भारतीय नागरिकों को छोड़े जाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ मामला उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.जे. जावीया	319
(दो) गुजरात के बलसाड़ जिले में और अधिक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी	319–320
(तीन) सेना में 'अहीर रेजीमेन्ट' स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	320
(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में संदल, उदंती और तेल बैराज परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	321
(पांच) हरियाणा के यमुनानगर जिले में ताप विद्युत केन्द्र का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन लाल कटारिया	321

विषय	कालम
(छह) नागपुर में नाग नदी और पीली नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	321–322
(सात) प्रवर्तन के तटीय विनियमन जोन क्षेत्र को तट रेखा से 200 मीटर तक सीमित करते हुए कर्नाटक की तट रेखा को तटीय विनियमन जोन-श्रेणी 2 के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री विनय कुमार सोराके	322
(आठ) सीमा विकास योजना के अंतर्गत पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एस. बराड़	322–323
(नौ) केरल में रेल उपरिपुलों के निर्माण के लिए केरल सड़क और पुल विकास निगम को आवश्यक मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	323
(दस) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
डा. डी.वी.जी. शंकर राव	323–324
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	324
(बारह) तमिल को भारत संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. कुप्पुसामी	–324–325
(तेरह) उड़ीसा में पारादीप तेल रिफाइनरी परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री त्रिलोचन कानूनगो	325–326
(चौदह) राजापलयम और तेनकासी के बीच बड़ी रेल लाइन का विस्तार तमिलनाडु में सेनगोत्ता तक किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. मुरुगेसन	326
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण सियालदह खंड में केनिंग रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्र सहित यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	326–327
निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक	330–387
विचार करने के लिए प्रस्ताव	330
श्री अरुण जेटली	330–333, 379–387

विषय	कालम
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	333–338
श्री अनादि साहू	338–341
श्री वरकला राधाकृष्णन	341–346
कुमारी ममता बनर्जी	346–352
श्री के. मलयसामी	352–355
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	355–356
श्री चन्द्र भूषण सिंह	357–358
श्री पवन कुमार बंसल	358–364
श्री आदि शंकर	364–366
श्री अरुण कुमार	366–369
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	369–373
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	373–377
श्री अजय चक्रवर्ती	377–379
खंड 2 से 10 और 1	386
पारित करने के लिए प्रस्ताव	387
बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक	387–400
विचार करने के लिए प्रस्ताव	387
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	387–388
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	388–390
श्री वरकला राधाकृष्णन	390–392
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	392–393
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	393–395
श्री पी.एच. पांडियन	395–400

लोक सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 2003/8 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): मुम्बई में अभी जो बम विस्फोट हुआ, उसके बारे में सरकार का बयान आना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उसे लेकर आज मुम्बई बंद है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न काल शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए छह सूचनाएं और प्रश्न काल स्थगित किये जाने के लिए पांच सूचनाएं प्राप्त की हैं। इन सभी पर 'शून्य काल' के दौरान विचार किया जा सकता है। यह मेरा सुझाव है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): बेरोजगारी की समस्या अत्यंत खतरनाक समस्या है। इस सवाल पर यह सरकार देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप यह मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान उठाते हैं, तो आपके पास अधिक समय होगा अन्यथा यह होगा कि हमें प्रश्न काल की अवधि को कम करना पड़ेगा। इसी तरह यदि हम रोज ही प्रश्न काल को 20 मिनट तक कम करते रहे तो फिर हमें उसके समय को 1200 बजे से आगे बढ़ाना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान, मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, कल से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सर आपने मुझे पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि मैंने आपसे इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान उठाने के लिए कहा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मुझे आपकी सूचना भी मिली है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप प्रश्न काल को 'शून्य काल' में बदलते हैं तो यह आपके ऊपर है, परन्तु प्रश्न काल के लिए कुछ मर्यादा होनी चाहिए। पिछले दस दिनों से हम इन प्रश्नों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महाराष्ट्र में ला एंड आर्डर विषय पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, आज हजारों नौजवान देश की युवा लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले बेरोजगारी के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने आश्सवासन दिया था कि हम हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। इस कारण देश में कोई रोजगार नहीं है। पूरे देश के लोग परेशान हैं। बेरोजगारी की समस्या को मिटाने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है। हमने सदन में प्रश्न काल स्थगित करने और कार्य स्थगन का भी नोटिस दिया है। सब लोग इससे सहमत हैं। बेरोजगारी की समस्या पर आप हाउस में हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराएं और सरकार बताए कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: हमने भी बेरोजगारी के सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: बेरोजगारी से संबंधित विषय पर ही श्री रामजीलाल सुमन ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, हम कल से ही सूचना दे रहे हैं। मैं सोचता हूं, हम विपक्ष के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कल सूचना दी थी और मैंने आज भी इसे दुहराया है। मैंने कल माननीय अध्यक्ष से बात की थी। यह मामला दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर प्रश्न काल को बाधित करने के लिए नहीं आए हैं और न ही सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हैं बल्कि आपका ध्यान, सदन के नेता हमारे प्रधान मंत्री का ध्यान, इस ओर दिलाना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अथक प्रयासों से पूर्वोत्तर की सभी सामाजिक शक्तियों को मुख्यधारा में शामिल किया और हमें भारत के इन राज्यों पर गर्व है ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, यह क्या हो रहा है? माननीय अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है और कहा है कि प्रश्न काल बाधित नहीं होना चाहिए, परन्तु वे प्रश्न काल को बाधित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे पूरे पूर्वोत्तर में संसदीय प्रणाली को अस्थिर करना चाह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने 2 अगस्त को विधान सभा की बैठक बुलाई, जबकि मुख्यमंत्री ने 12 सितम्बर तक का समय मांगा। ...*(व्यवधान)* यह बंदूक की नोक पर किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर इसी समय वक्तव्य दे। ...*(व्यवधान)* बंदूक की नोक पर देश की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता दांव पर है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष जी, यह सवाल किसी एक राज्य का नहीं है। यह व्यवस्था का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न काल के स्थगन के लिए सूचनाएं दी हैं। मैं नहीं समझता कि प्रश्न काल इस मुद्दे पर स्थगित किया जा सकता है। आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे 'प्रश्न काल' चलाने दें। कृपया मुझे प्रश्न काल चलाने दें। मैं आपको इस मुद्दे को शून्य काल के दौरान उठाने का अवसर दूंगा। कृपया मुझे प्रश्न काल चलाने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: बेरोजगारी के सवाल पर हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सर, एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के प्रधान मंत्री जी के आश्वासन का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: वे इन मुद्दों को 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यही सुझाव मैं उन्हें दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न काल स्थगित किए जाने के लिए सूचना दी है। मैं आपको इसे 'शून्य काल' के दौरान उठाने का मौका दूंगा। आपको शून्य काल के दौरान अधिक समय मिल पाएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया मुझे प्रश्न काल शुरू करने दें। अब, हम लोग प्रश्न सं. 141 पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा को स्वीकार कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, बेरोजगारी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं 'शून्य काल' के दौरान आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो-आवर में अनुमति दूंगा, आप इसे जीरो-आवर में उठाइए। अभी उठाएंगे तो मेरे पास चार एडजर्नमेंट मोशन और आए हैं उन्हें भी चांस देना पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: आप सबको चांस दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने बेरोजगारी के सवाल पर पासवान जी को चांस दिया है। आप सबको भी जीरो आवर में चांस मिलेगा। आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप हमें बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने कहा कि हम प्रश्न काल में बाधा नहीं डालना चाहते। तो सत्ता पक्ष हमारे भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। जब देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता दांव पर लगी हो, तो क्या ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा सभा में नहीं उठाया जा सकता है? यदि संसद इस पर चर्चा नहीं कर सकती, तो संसद के होने का क्या महत्व रह जाता है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी थी और आप इसका उल्लेख भी कर चुके हैं। अब मुझे प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने दें। मैंने आपको पहले ही बोलने का मौका दिया है। आप पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। 'शून्य काल' के दौरान आप सबको बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के इस कदम से देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। *...(व्यवधान)* यह कोई साधारण मामला नहीं है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, हाउस को ये लोग कब तक ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: केन्द्र सरकार एक ओर तो यह घोषणा करती है कि वह देश में एकता स्थापित कर रही है और दूसरी ओर एक नागा समूह पूर्वोत्तर राज्य में संसदीय प्रणाली को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग संसद में बैठे हुए हैं और क्या हमें इस बारे में चुप्पी साधे रहनी चाहिए? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप इसे अभी न उठाकर 'शून्य काल' के दौरान उठायें, तो संबंधित माननीय मंत्री जी अथवा सरकार इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। यह 'शून्य काल' नहीं है। अभी हमें 'प्रश्न काल' की कार्यवाही चलाने दें। आप यह मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हर बार यही हो रहा है *...(व्यवधान)* आप हमें दो मिनट बोलने का अवसर दें *...(व्यवधान)* हर बार हम अपनी बात कहते हैं, वे बाधा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्पष्ट रूप से, उन्होंने आपत्ति नहीं की थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तर्क सीमित था। हम संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ही इस संसद में बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* कुछ दिन पहले, मणिपुर के मुख्य मंत्री की हत्या करने का प्रयास किया गया था। प्रधानमंत्री जी यह जानते हैं ...*(व्यवधान)* अरुणाचल प्रदेश सरकार को शान्ति वार्ता के नाम पर बन्दूक की नोक पर एन एस सी एम (आई एम) द्वारा विवश कर दिया गया था ...*(व्यवधान)* हम संसद में क्यों बैठे हुए हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभा में कोई भी मामला उठा सकते हैं किन्तु वह नियमाधीन होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं .... वह सभा के नेता हैं और देश के नेता हैं ...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* हम सब शान्ति स्थापित करने के लिए पहल कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* किन्तु तथाकथित शान्ति के पक्षधर अपनी बन्दूकों का प्रयोग कर रहे हैं और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लक्ष्य बना रहे हैं, जिसने समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए पण्डित जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में भरसक प्रयत्न किया ...*(व्यवधान)* अब एनएससीएन (आईएम) समूह राज्य को अस्थिर करने के लिए अपनी बन्दूकों का प्रयोग कर रहा है ...*(व्यवधान)* क्या हमें चुप्पी साधे रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यहां दिल्ली में बैठे लोग राज्य में राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने के लिए एनएससीएन (आईएफ) की सहायता ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, आप क्वैश्चन आवर शुरू करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह दल-बदल का मामला नहीं है। यह एनएससीएन की गतिविधि है ...*(व्यवधान)* सरकार बंदूकों से खेल रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैंने आपको जो कुछ भी आप कहना चाहें, उसकी अनुमति दी है। अब प्रश्न काल चलाने दें। प्रश्न संख्या 141—श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले (उस्मानाबाद): प्रश्न संख्या 141 ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि सरकार बन्दूकों के साथ खेलना जारी रखती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा ...*(व्यवधान)* इससे सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न होगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैंने आपको प्रश्नकाल के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। मैंने अन्य सदस्यों से 'शून्य काल' के दौरान अपने मुद्दे उठाने को कहा है, न कि अभी। मैं आपको यह मुद्दा 'शून्य काल' के दौरान उठाने का समय दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, कृपया सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्य, जिसका जीवन बन्दूक की नोक पर दांव पर लगा हुआ है, को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सलाह दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। अब प्रश्न काल की कार्यवाही चलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप संसदीय कार्य मंत्री से कहें। गृह मंत्री जी इस संबंध में अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे हल्के ढंग से लिया जा सके। हम इस मामले में समझौता नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैं उन्हें अभी जवाब देने को नहीं कह सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह राष्ट्र की सम्प्रभुता का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141—श्री काम्बले

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: प्रश्न संख्या 141 ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट): महोदय, यह एक खतरनाक मुद्दा है ...*(व्यवधान)* शान्ति प्रस्तावों के छद्मावरण के तहत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर कर रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष जी, क्या आप हमें नहीं सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें दो मिनट सुन लें। बेरोजगारी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री जी ने हर साल एक करोड़ रोजगार देने का वायदा किया है। ...*(व्यवधान)* ये आंकड़े गलत हैं। दो करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश की अरबों-खरबों की पूंजी इन्होंने बेच दी। देश को उम्मीद थी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन देश को इन्होंने बेच दिया। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.14 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, वह भी बताएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा, किन्तु पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। 'शून्य काल' के दौरान आप अपना मामला उठा सकते हैं। किन्तु अभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप 'शून्य काल' के दौरान अपना मामला उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा, मैं आपको आपका मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में बोलने का चांस दूंगा और सरकार को रिसपौंस करने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

अब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और मुझे प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम प्रश्न काल की कार्यवाही जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में बोलने का चांस दूंगा और सरकार को रिसपौंस करने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

अब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्राइवेट मेडिकल कालेजों में फीस

***141. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:**
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में देश में प्राइवेट मेडिकल कालेजों की फीस में बढ़ोत्तरी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या फीस ढांचे की अधिकतम सीमा निर्धारण के मामले में राज्य सरकारें संशोधित मार्गनिर्देशों का पालन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बढ़ी हुई फीस का गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि निजी प्रबन्धन भारी-भरकम फीस वसूल नहीं कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सहायता न पाने वाले प्राइवेट मेडिकल कालेजों में "नि:शुल्क" और "भुगतान" श्रेणी की सीटों में छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णनन के मामले में तय की गई स्कीम के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के ग्यारह जजों की एक संविधान पीठ ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में 31 अक्तूबर, 2002 को दिए गए निर्णय में कहा कि जहां तक दाखिला देने और फीस तय करने संबंधी स्कीम का संबंध है, उसके द्वारा उनीकृष्णनन मामले में दिया गया निर्णय सही नहीं था और उस सीमा तक उक्त निर्णय और इसके परिणामस्वरूप विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश रद्द हो जाएंगे। 31.10.2002 के इस निर्णय के अनुसार सहायता न पाने वाली प्राइवेट संस्थाओं को एक उपयुक्त शुल्क मापदण्ड अपनाना चाहिए और वे केपीटेशन फीस लेने अथवा लाभ कमाने के पात्र नहीं होंगी। तथापि, शैक्षणिक संस्था द्वारा संस्थान के शैक्षणिक विकास तथा विस्तार के उद्देश्य से उपयुक्त राजस्व सरप्लस हो सकता है।

दिनांक 31.10.2002 के निर्णय में सरकार द्वारा विनियम तैयार किये जाने की भी व्यवस्था है जिससे शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित हो सके और संस्था द्वारा केपीटेशन फीस और लाभ अर्जित करने की मनाही हो सके। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के 31.10.2002 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सहायता न पाने वाले प्राइवेट मेडिकल और डेंटल संस्थाओं द्वारा दाखिले देने और शुल्क लेने के संबंध में 14.5.2003 को राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को व्यापक नीति-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक संस्था द्वारा लिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क की उपयुक्तता निर्धारित करने तथा उसका अनुमोदन करने के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन करने की भी व्यवस्था है जिससे कि अधिक फीस लेने और लाभ कमाने पर रोक लग सके। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी संस्था के संबंध में उपयुक्त रूप में निर्धारित की गई फीस की ऊपरी सीमा कम से कम तीन वर्ष तक के लिए वैध होगी और फीस में कोई भी भावी संशोधन भविष्य में नया दाखिला लेने वालों पर ही लागू होगा।

निर्धन और समाज के कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में, स्थानीय स्थितियों तथा विभिन्न अन्य कारणों को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा सीटों की निर्धारित की गई कतिपय प्रतिशतता के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट संस्था में कुछ सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित निर्धन और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों, जो राज्य नियम/नीति के अनुसार दाखिले में आरक्षण के लिए पात्र हैं, द्वारा भरने की भी व्यवस्था है। यदि राज्य द्वारा स्वयं रियायत नहीं दी गई है, तो भी राज्य ऐसे छात्रों को प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा मुफ्त अथवा छात्रवृत्ति मंजूर कराकर फीस में छूट प्रदान कर दाखिला करा सकता है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ राज्य सरकारों ने संविधान पीठ के 31.10.2002 के निर्णय को ध्यान में रखकर प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा नियत फीस को विनियमित/अनुमोदित करने के लिए समितियां गठित कर ली हैं ताकि संस्थाओं द्वारा अधिक फीस लेने तथा केपीटेशन फीस लेने पर रोक लग सके।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 14.5.2003 को जारी किये गये दिशानिर्देशों की वैधता को तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के 31.10.2002 के निर्णय पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये विनियमों को अनेक प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा चुनौती दी गई है। ऐसे सभी मामलों को एक साथ कर दिया गया है और इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। इसलिए इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या

*142. **श्री भानसिंह भौरा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रयोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ग) क्या मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण बुनियादी (लैण्डलाइन) टेलीफोन की मांग में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है;

(ङ) क्या सरकार इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने की दृष्टि से देश को 4 मेट्रो शहर सेवा क्षेत्रों और 19 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों (कुल 23 सेवा क्षेत्रों) में विभाजित किया गया है। सीएमटीएस का उपभोक्ता संपूर्ण सेवा क्षेत्र से संबंध रखता है न कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किसी विशेष शहर/कस्बे/गांव से। अत: सेवा क्षेत्र को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। 30.6.03 की स्थिति के अनुसार देश में सीएमटीएस उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1,51,48,796 है।

(ख) सीएमटीएस लाइसेंसधारियों के लिए सीएमटीएस कनेक्शन प्रदान करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान अपने स्वयं के लिए 30 लाख सेल्युलर कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। गत कुछ वर्षों के दौरान देश में सीएमटीएस के उपभोक्ताओं की वृद्धि दर को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 90-100% की वृद्धि प्रत्याशित है।

(ग) और (घ) दुनिया भर में नए बेतार (वायरलेस) फोन प्रयोक्ताओं की संख्या में हो रही वृद्धि नए तारयुक्त (वायरलाइन) फोन प्रयोक्ताओं की संख्या से अधिक है। हमारे देश में भी यही रुझान दृष्टिगोचर हो रहा है। चूंकि ये सेवाएं अभी विकासशील अवस्था में हैं, अत: तारयुक्त फोनों के उपभोक्ताओं की संख्या में किसी कमी के प्रतिशत का आकलन करना संभव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कम करने पर विचार नहीं कर रहा है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की खरीद

*143. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.जी.एच.एस. द्वारा विभिन्न एजेंसियों से दवाओं की खरीद में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों को आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं से वर्ष-वार, पृथक-पृथक कितने मूल्य की दवाएं खरीदी गई; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थानीय बाजार से खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय (थोक में) दवाइयां सीधे नहीं खरीदते हैं। जहां तक दिल्ली के अलावा अन्य शहरों का संबंध है, दवाइयां

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन (एम एस ओ) के माध्यम से खरीदी जाती हैं। दिल्ली में दवाइयां हास्पिटल सर्विसेज कनसल्टेंसी कारपोरेशन (भारत) लिमिटेड के माध्यम से खरीदी जाती हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है। जहां तक जनेरिक दवाइयों का संबंध है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की फार्मूलरी और दर संविधान को अपनाया गया है। इसी प्रकार विभिन्न विशेषज्ञताओं में विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 205 दवाइयों की सूची तैयार की गई है और विधिवत रूप से गठित समितियों द्वारा दरों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद हास्पिटल सर्विसेज कनसल्टेंसी कारपोरेशन/चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के माध्यम से खरीद की जा रही है।

ऐसी दवाइयां जिनकी चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन/हास्पिटल सर्विसेज कनसल्टेंसी कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा जो दवाइयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगी के व्यक्तिगत नुस्खे पर इंडेंट करके खरीदा जाता है। आकस्मिक स्थिति में लाभार्थी को बिना कोई भुगतान किये प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे ही दवाइयां प्राप्त करने के लिए प्राधिकार पर्चियां जारी की जाती हैं। तथापि, यदि कोई औषध, प्राधिकृत स्थानीय औषध-विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं होती है तो लाभार्थी उसे बाजार से खरीद सकते हैं और धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राधिकृत स्थानीय औषध-विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि, आपूर्ति की गई औषधों की गुणवत्ता के विषय में कोई अध्ययन नहीं किया गया है तथापि एम एस ओ/एच एस सी सी द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को आपूर्ति की जाने वाली औषधों की पहलें से जांच की गई होती हैं और वे स्तरीय गुणवत्ता वाली होती हैं, परन्तु केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन स्वयं भी औषधों का यादृच्छिक (रैंडम) परीक्षण करता है।

(घ) सूचना विवरण में संलग्न है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों/सरकारी विशेषज्ञों द्वारा रोगियों को लिखी गई औषधों जो कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती, उन्हें प्राधिकृत स्थानीय औषध विक्रेताओं को मांग पत्र देकर फुटकर आधार पर खरीदा जाता है। चूंकि प्राधिकृत स्थानीय औषध विक्रेता, राज्य औषध प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा बेची जा रही औषधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका नियमित निरीक्षण किया जाता है। अतः औषधों की पहले से जांच नहीं की जाती है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान निर्माताओं तथा खुदरा विक्रेताओं से औषधियों की खरीद पर व्यय

(कीमत रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्माता (एम एस ओ, एच एस सी सी, वितरकों के माध्यम से)	खुदरा विक्रेता (स्थानीय कैमिस्ट)
1.	2000-2001	13,52,01,000	1,01,55,27,000
2.	2001-2002	23,08,30,816	1,35,67,10,754
3.	2002-2003	31,15,49,696	1,52,27,66,725

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनाओं का मूल्यांकन

***144. श्री अरुण कुमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजनावधि के दौरान 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के आवधिक मूल्यांकन की निगरानी करने हेतु कोई विशेष तंत्र बनाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस तरह से यह सुनिश्चित करने का है कि प्रत्येक चरण का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) दसवीं योजना अवधि में 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए योजना स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति एवं निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक त्रि-स्तरीय मानीटरिंग तंत्र बनाया गया है:

(1) सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की नियमित मानीटरिंग।

(2) योजना आयोग द्वारा योजना स्कीमों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग के लिए 'तिमाही निष्पादन-समीक्षा' (क्यूपीआर)।

(3) प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवों की समिति द्वारा कार्रवाई हेतु 'प्राथमिकता कार्यसूची' की आवधिक मानीटरिंग।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'टेलीमेडिसिन' सुविधाओं का प्रसार

***145. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में टेलीमेडिसिन क्योस्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश के विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं का प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) इस समय सरकार के पास देश भर में टेलिमेडिसिन कियोस्क खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) टेलीमेडिसिन सुविधाओं की उपयुक्तता और उपयोगिता प्रदर्शित करने के वास्ते अन्तरिक्ष विभाग ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत 27 स्थानों (लोकेशन्स) को जोड़ा (केनेक्टीविटि) गया है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित राज्यों/संघ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन परियोजनाएं शुरू की हैं:

1. चण्डीगढ़
2. केरल
3. नागालैंड
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
5. उड़ीसा
6. उत्तर प्रदेश
7. पश्चिम बंगाल।

वैज्ञानिक अनुसंधान

***146. श्री के. येरननायडू:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक समुदाय है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-2001 के दौरान देश में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में चीन की तुलना में भारत का स्थान कौन सा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों के स्टॉक की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की परिसीमाएं हैं जैसे कि प्रत्येक देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को अपनी स्वयं की परिभाषाएं और क्षेत्र विस्तार को अपनाया। ये परिसीमाएं अंतराष्ट्रीय तुलना को अवास्तविक बना देती हैं।

(ख) 1997-2001 की अवधि के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां/पहलें इस प्रकार हैं: (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में कई प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं/उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना; (2) प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधुनातन भूकंप-विज्ञान एवं भू-भौतिकीय यंत्रों का अधिष्ठापन; (3) शर्करा, उन्नत कम्पोजिट्स, उड़न राख निपटान एवं उपयोग तथा बांस अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन मोड परियोजना की शुरुआत; (4) उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के कार्य को मान्यता देने तथा अधिक नम्नीयता के साथ परियोजना मोड में सहायता प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति की शुरुआत; (5) शैक्षिक तथा संबंधित संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु निधियों का सृजन; (6) औषध एवं भेषज के अंतर्गत सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में कई उद्योगों को सहायता तथा 4 राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना; (7) उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों का विकास तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुप्रयोग; (8) रक्षा के क्षेत्र में मिसाइलों (पृथ्वी, अग्नि-2 आदि), टैंक (अर्जुन), पायलट रहित लक्षित एयरक्राफ्ट (लक्ष्य) आदि का विकास; (9) परमाणु रिएक्टर तथा इससे जुड़े समग्र ईंधन चक्र के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता; (10) स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, खाद्य संरक्षण, उद्योग एवं अनुसंधान

के क्षेत्रों में रेडिएशन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से बीजों की 22 संशोधित किस्में जारी हो सकी हैं; (11) खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता; (12) संक्रामक रोगों के लिए टीकों तथा निदानसूचक के विकास के लिए संभाव्य अणुओं की पहचान; (13) एच आई वी, हैपेटाइटिस, डेंगू के लिए नैदानिक किटों का विकास, प्रजनन हार्मोनों, जापानी एन्सेफेलाइटिस का मूल्यांकन, कुष्ठ रोग के लिए टीके, सेप्टिक आघात के लिए औषधि निर्माण, पादपटिशू कल्चर प्रोटोकॉल्स, जैवउर्वरकों का निर्माण, अमारन्थस से उच्च प्रोटीन जीन तथा खान से निकाले गए कचरे एवं कच्चे तेल के फैलाव के लिए बायोरिमेडिएशन प्रौद्योगिकी का विकास; (14) चावल जिनोम मैपिंग; (15) अदरक प्रसंस्करण; (16) नई पीढ़ी के टीकों का विकास, हर्बल उत्पाद विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी, कॉफी में सुधार तथा जिनोमिक्स के लिए शीशों वाले स्थलों की स्थापना के क्षेत्रों में 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगकी मिशनों की शुरुआत; (17) ध्रुवीय विज्ञान को बढ़ावा देना और संधि के एक दायित्व के रूप में वार्षिक आधार पर अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया; (18) कैम्बे में 7000 से 8000 वर्ष ई.पू. की वस्तुओं के मिलने से पुरातत्व संबंधी खोज (19) समुद्र से औषधि कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह-रोधी, दस्तरोधी, एंटी-हाइपरलिपिडेमिक लक्षणों वाले छह जीवों की पहचान की गई तथा रुचिकर जैविक गतिविधि तथा विलक्षण रासायनिक संरचनाओं वाले 84 यौगिकों को पृथक किया गया; (20) 9-14 सीटों वाले हल्के यातायात एयरक्राफ्ट का अभिकल्पन, निर्माण एवं हवा में रहने का परीक्षण, तथा 2 सीटों वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा-3 का प्रमाणन; (21) पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक कार; (22) औषध एवं भेषज, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण उत्पादों, निर्माण-सामग्री तथा जैव-चिकित्सीय डिवाइसों आदि के क्षेत्रों में कई प्रौद्योगिकियों का विकास एवं वाणिज्यीकरण किया गया; (23) एक नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई।

(ग) समग्र रूप से सभी इनपुट तथा आउटपुट मानदण्डों पर आधारित अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय तुलना उपलब्ध नहीं है। तथापि नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) पर व्यय चीन से अधिक है। क्रमशः वर्ष 1998 तथा 1997 के लिए चीन द्वारा 0.66 प्रतिशत की तुलना में भारत ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.81 प्रतिशत खर्च किया। साइंस साइटेशन इन्डेक्स (एस सी आई) आधार सामग्री के अंतर्गत शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान-पत्रों को देखते हुए, वर्ष 2002 में भारत और चीन का क्रमशः 14वां और 8वां स्थान है। इस तुलना की सीमाएं हैं क्योंकि विभिन्न देशों के लिए शामिल पत्रिकाओं की संख्या में एकरूपता नहीं है।

बीमारियों का उन्मूलन

***147. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः**
डा. एन. वेंकटस्वामीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र के कतिपय जिलों और देश के अन्य भागों में 'वायरल फीवर'/एनसिफलाइटिस' (जापानी बुखार) और मलेरिया से मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली और विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे के दलों ने प्रभावित प्रदेशों से नमूने लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनसे क्या निष्कर्ष सामने आए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विषाणु से होने वाली बीमारियों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों के चिकित्सकों और विशेषज्ञों का एक दल आंध्र प्रदेश भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार को इन बीमारियों से निपटने के लिए वित्तीय या चिकित्सीय सहायता हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ज) आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र के कतिपय जिलों तथा देश के अन्य भागों में वायरल एनसेफेलाइटिस तथा डेंगू ज्वर के कारण कई मौतें हुई हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा यथासूचित वायरल इनसेफेलाइटिस और डेंगू ज्वर के कारण हुई जिलावार मौतें संलग्न विवरण में दी गई है। देश के विभिन्न भागों से वर्ष 2003 में मेलिया के कारण कुल 211 मौतों की भी सूचना दी गई है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.), नई दिल्ली के तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एन.आई.वी.), पुणे के दलों ने प्रकोप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान से प्राप्त प्रयोगशाला

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में हुए प्रकोप वायरल एनसेफेलाइटिस हैं तथा केरल में हुआ प्रकोप डेंगू ज्वर है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश का दौरा करने के लिए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा कलावती सरण बाल अस्पताल, दिल्ली से 10 बाल रोग विशेषज्ञों के एक दल को भी भेजा था। उनके निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि नैदानिक तस्वीर वायरल एनसेफेलाइटिस के अनुरूप थी।

यद्यपि प्रकोप का नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, तथापि भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञ दलों को भेजकर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। प्रकोपों के निदान हेतु प्रयोगशाला संबंधी पुष्टि के लिए भी सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही उपलब्ध कराए गए कीटनाशकों तथा लार्वानाशकों के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और केरल के प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग करने हेतु धूमन (फागिंग) तथा लार्वानाश के लिए मेलाथियान (तकनीकी) की अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए व्यवस्था की गई है। सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से केरल को 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

राज्य मलेरिया नियंत्रण सोसायटी, आंध्र प्रदेश को इस वर्ष के दौरान विश्व बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत 83.60 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

विवरण

वायरल एनसेफेलाइटिस, डेंगू तथा मलेरिया के कारण हुई जिलावार मौतें

क्र.सं.	जिला	2003*		
		वायरल एनसेफेलाइटिस के कारण हुई मौतें	डेंगू के कारण हुई मौतें	मलेरिया के कारण हुई मौतें
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आदिलाबाद	6	–	–
2.	अनन्तपुर	1	–	–
3.	हैदराबाद	–	1	1
4.	करीमनगर	48	–	–
5.	खम्माम	2	–	–
6.	कृष्णा	3	–	–
7.	महबूबनगर	14	–	–
8.	मेडक	6	–	–
9.	नालगोंडा	8	–	–
10.	नैल्लोर	5	–	–
11.	निजामाबाद	10	–	–
12.	रंगारेड्डी	2	–	–
13.	वारंगल	44	–	1
	योग	149	1	1

1	2	3	4	5
असम				
1.	सोनितपुर	–	–	9
2.	नगांव	–	–	9
3.	लखीमपुर	–	–	3
4.	करबी-अंगलोंग	–	–	4
5.	हइलाकंडी	–	–	4
6.	गोलाघाट	–	–	2
7.	धेमाजी	–	–	4
8.	दारंग	–	–	1
9.	कचार	–	–	1
10.	धुब्री	1	–	–
11.	डिब्रूगढ़	11	–	–
12.	सिबसागर	5	–	–
	योग	17	–	37
महाराष्ट्र				
1.	अमरावती	3	–	–
2.	भंडारा	14	–	1
3.	चन्द्रपुर	16	–	–
4.	गढ़चिरोली	7	–	–
5.	गोंडिया	1	–	1
6.	ग्रेटर मुम्बई	–	–	2
7.	हिंगोली	5	–	–
8.	नागपुर	20	–	–
9.	नान्देड़	9	–	–
10.	परभनी	1	–	–
11.	रत्नागिरी	–	–	1
12.	थाणे	–	–	1

1	2	3	4	5
13.	वर्धा	7	–	–
14.	वशीम	–	2	–
15.	यवतमाल	4	–	–
	योग	87	2	6
केरल				
1.	अलापुजा	–	3	–
2.	एर्नाकुलम	–	2	1
3.	कन्नूर	–	4	–
4.	कोल्लम	–	7	–
5.	कोट्टायम	–	4	–
6.	कांजीकोड	–	4	–
7.	मलापुरम	–	6	–
8.	पलाक्कड	–	4	–
9.	पथनमथिट्टा	–	2	–
10.	तिरूवनन्तपुरम	–	14	–
	योग	–	50	1
राजस्थान				
1.	जयपुर	–	1	–
कर्नाटक				
	बंगलौर (आर)	–	1	–
	अन्य राज्य	–	–	166
	महा योग	253	55	211

*24.7.2003 तक दी गई सूचना के अनुसार।

[हिन्दी]

मिशनों को जोड़ना

***148. श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित अपने मिशनों को नवीनतम संचार तकनीकों के माध्यम से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी और इसके लिए आवश्यक उपकरण भी खरीदे थे;

(ख) यदि हां, तो इन पर कुल कितना व्यय हुआ और खरीदे गए उपकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अब यह योजना बंद कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) आकस्मिकताओं के दौरान विदेश स्थित चयनित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों के साथ विश्वसनीय तथा स्वतंत्र स्थानापन्न संचार प्रबंध मुहैया करने और स्थानीय दूरसंचार नेटवर्क को बन्द करने के उद्देश्य से उच्च तीव्रता रेडियो संचार परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। 1991 में इस परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपए की संस्वीकृति जारी की गई थी (1992 में बाद में 31.59 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की एक संशोधित संस्वीकृति जारी की गई) इस परियोजना के समक्ष कार्यान्वयन के पश्चात अत्यधिक आवृत्ति अनुरक्षण लागत सहित तकनीकी और प्रचालनात्मक समस्याएं आईं।

2. 1997 में लोक लेखा समिति ने कहा कि इस परियोजना का विशेषज्ञ दल द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जाए; इस बात को स्वीकार करते हुए कि वायरलेस ही संचार का एक विश्वसनीय साधन है जिसके लिए प्रचालन एवं तकीकी समस्याओं के चलते रहने के बावजूद तथा और अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित विकल्पों की उपलब्धता के कारण स्थानीय नेटवर्क की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, विशेषज्ञ दल ने जनवरी, 2000 में यह सिफारिश की कि उच्च तीव्रता रेडियो संचार नेटवर्क को समाप्त कर दिया जाए।

3. विशेषज्ञ दल के निदेशों के अनुसार उच्च तीव्रता रेडियो संचार नेटवर्क को 2001 के मध्य में बन्द कर दिया गया। सरकार के बेहतर लाभ के लिए उपकरण को बेचा जा रहा है।

[अनुवाद]

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

***149. श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सरकार ने राजधानी के कतिपय सरकारी अस्पतालों के हालत की जांच के लिए गत वर्ष अक्तूबर में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) राजधानी में कतिपय सरकारी अस्पतालों की दशा की जांच करने के लिए सरकार द्वारा पिछले वर्ष अक्तूबर में किसी भी उच्च अधिकारिता प्राप्त समिति का गठन नहीं किया गया। तथापि, सिविल रिट याचिका संख्या 2187/1996 पर कार्यवाही के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.10.2002 के आदेश के तहत चारों अस्पतालों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बर्न वार्डों की दशा की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे:

1. श्री मुकुल रोहतगी, एडीशनल सालिसिटर जनरल
2. श्री एस.के. नायक, स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार (संयोजक)
3. महानिदेशक, सशस्त्र सेना, चिकित्सा कोर, सेना मुख्यालय (ए.एच.क्यू.), साउथ ब्लाक
4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय
5. डा. जे.एल. गुप्ता, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, बर्न वार्ड, सफदरजंग अस्पताल
6. श्री एस.पी. अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7. श्रीमती मीरा भाटिया, एडवोकेट
8. श्री अशोक अग्रवाल, एडवोकेट।

माननीय न्यायालय ने इस समिति को वर्तमान व्यवस्था में मौजूदा कमियों को विनिर्दिष्ट करते हुए बर्न वार्डों को सुधारने के तरीकों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट 31.10.2002 तक अथवा उससे पहले प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

इस समिति ने 31.10.2002 को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उपकरणों आदि में कुछ कमियों को बताते हुए, आगे सुधार के लिए कुछ सिफारिशें/सुझाव दिए। उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों में से कुछ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 30.4.2003 के फैसले द्वारा इस याचिका का निपटारा करते हुए भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अगस्त, 2003 के अंत तक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करने और अनुपालन रिपोर्ट याचिकाकर्त्ता के वकील को भेजने का निर्देश दिया।

उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए सभी संबंधितों को नियत समय-सीमा के भीतर न्यायालय के आदेश का अनुपालन अवश्य ही करने का निर्देश दिया गया है।

विवरण

सामान्य नीतिगत मामलों के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की कुछेक मुख्य संस्तुतियां/सुझाव

1. जहां तक सामान्य रख-रखाव का संबंध है, अस्पतालों में विद्युत तथा निर्माण कार्यों के बेहतर रख-रखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अस्पताल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। सभी अस्पतालों में स्वच्छता में सुधार की भी गुंजाइश है, खासकर रोगियों तथा आगन्तुकों की भारी भीड़ होने के कारण।

2. जहां तक अस्पतालों में जले रोगियों के वार्ड (बर्नस वार्ड) का संबंध है, गहन परिचर्या एककों तथा ड्रेसिंग कक्षों (स्टेशनों) के प्रवेश द्वारों पर एयर कर्टेन तथा डस्ट कैचिंग डोरमेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। मानक वायु परिचालन (सर्कुलेशन) तथा तापमान का अनुवीक्षण (मानिटरिंग) नियमित रूप से किया जाना चाहिए तथा इसके रिकार्ड रखे जाने चाहिए। सभी अस्पतालों में लीनेन खासकर कंबल तथा चादरों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

3. बर्न्स तथा प्लास्टिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता को देखते हुए आम सर्जनों को लघु गहन प्रशिक्षण दिया जा सकता है जो सर्जरी विभाग के अंतर्गत बारी-बारी से जले रोगियों को परिचर्या दे सकते हैं। डी.एन.बी. और एम.सी.एच. के छात्रों का, परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यथासंभव एक निश्चित अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल और लोक नायक अस्पताल में नर्सों तथा पराचिकित्सीय स्टाफ के लिए जले रोगियों के परिचर्या कार्य में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जले हुए रोगियों की देखभाल कर रहे कनिष्ठ और वरिष्ठ डाक्टरों के संबंध में ड्यूटी रोस्टर एक सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

4. चूंकि जलना निवार्य होता है इसलिए सुसंगठित सूचना, एकत्रीकरण और संचार कार्यकलापों के जरिए जलने के निवारण पर जोर देने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिएं।

5. इन चार अस्पतालों के बीच अस्पतालों के इन विभागों में आई.एस.डी.एन. सम्पर्क/एल.ए.एन. के जरिए सम्पर्क स्थापित रहना चाहिए। जले रोगियों के परिचर्या एककों के रोगियों, जिन्हें बर्न्स विभागों में विशिष्टता वाले उपचार की आवश्यकता है, को निरपवाद रूप से प्रथमोपचार/आपात उपचार अवश्य दिया जाना चाहिए तथा उसके पश्चात् ही एम्बुलेंस से भेजा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की सेल्युलर सेवाएं

***150. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की सेल्युलर सेवाएं स्तरीय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की आवृत्तियां (फ्रीक्वेंसी) काफी निम्न हैं तथा इन कम्पनियों की ''रोमिंग'' प्रणाली बार-बार खराब हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तिमाही आधार पर भारत संचार निगम लि. सहित सभी सेल्यूलर प्रचालकों की सेवा-निष्पादन गुणवत्ता, की निगरानी करता है। इन निगरानी रिपोर्टों से यह देखा गया है कि भारत संचार निगम लि. की सेल्यूलर सेवा सामान्यत: ठीक है, किन्तु प्रति माह प्रति सौ उपभोक्ताओं की दर से दोषों की संख्या, काल सफलता दर, आदि जैसे कुछेक सेवा गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों में थोड़ी-बहुत कमी पाई गई है।

(ख) बताया गया है कि इन पैरामीटरों में कमियां इन कारणों से आई हैं—कुछ मामलों में सडकें चौड़ी बनाने के कारण आप्टिकल फाइबर केबल का क्षतिग्रस्त होना, विद्युत आपूर्ति में दीर्घकालिक व्यवधान और कुछ ट्रांसमीटर-रिसीवर की खराबियां।

(ग) भारत संचार निगम लि. की सेल्यूलर सेवाओं की फ्रीक्वेंसी (बैण्डविड्थ) पर्याप्त है और रोमिंग प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत संचार निगम लि. ने नेटवर्क की निगरानी-व्यवस्था सुदृढ़ बनाई है। नेटवर्क फेल होने पर सेवा की यथासंभव शीघ्र बहाली और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

नीम हकीमों की बढ़ती संख्या

***151. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:**
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, नीम हकीमों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों में इन नीम हकीमों के विरुद्ध कुछ ठोस कार्रवाई करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कानून कब तक बनाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वे दिल्ली में नीम हकीमों की बढ़ती संख्या से अवगत हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वे दिल्ली में नीम हकीम विरोधी कानून बनाने जा रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में पहले से ही अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपबंध है। तथापि, निवारक उपबंध बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने मॉडल विधायी प्रस्ताव बनाने हेतु कदम उठाए हैं, परन्तु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश

***152. श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से किये जाने वाले वृद्धिमान निवेश को अनुमति देकर दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की हर दृष्टि से, विशेषकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं; और

(च) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी संस्थागत

निवेशकों (एफआईआई) के माध्यम से निवेश की अनुमति निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर पहले ही दी जा चुकी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को इस सेवा क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक निवेश की अनुमति देने पर अभी केवल विचार-विमर्श किया जा रहा है जिसमें सुरक्षा संबंधी पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

(च) विदेशी निवेश की सहायता से देश में दूरसंचार क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों को लोकप्रिय बनाना

***153. श्री अनंत गुढ़े:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक बाजार में भारतीय जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों की लोकप्रियता का आंकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय उद्योगों के सहयोग से वैश्विक बाजार में भारतीय जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जड़ी-बूटीय उत्पादों हेतु एक बाजार सर्वेक्षण का वित्त पोषण किया। सरकार ने बाजार सर्वेक्षण कराने के लिए, उद्योग को सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम भी कार्यान्वित की है। वाणिज्य विभाग भी विपणन विकास सहायता (एम डी ए) कार्यक्रम के तहत बाजार सर्वेक्षण का वित्त पोषण कर रहा है। तथापि, सरकार अनेक देशों में भारतीय जड़ी-बूटीय औषधियों की लोकप्रियता से अवगत है।

(घ) वैश्विक बाजार में भारतीय जड़ी बूटीय औषधियों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है।

(2) सरकार ने भा.चि.प. एवं हो. औषधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं जिनमें व्यापार प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

(3) सरकार उद्योग को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता भी प्रदान कर रही है।

(4) निर्यात की सुविधा के लिए लेबल लगाने के प्रावधानों में छूट दी गई है।

(5) परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

(6) अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जी.एम.पी.) को अधिसूचित कर दिया गया है।

(7) इस विभाग की अनुसंधान परिषदें भा.चि.प. एवं हो. औषधियों पर अनुसंधान कर रही हैं।

(8) जैव तकनीकी विभाग ने देश में प्रयोग हो रहे औषधीय और सुगंधित पादपों पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को भी सहायता दी है।

(9) निर्यात बढ़ाने के लिए अनुशंसा हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

***154. डा. वी. सरोजा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 के अंत तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में बुनियादी टेलीफोनों की कुल संख्या, अलग-अलग, कितनी है;

(ख) देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेलुलर उपभोक्ताओं की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से टेलीफोनों का घनत्व कितना है;

(घ) वर्ष 2005 और 2010 के लिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के टेलीफोन घनत्व के विषय में लक्ष्य कितना है; और

(ङ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनायी गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्ष 2002-03 के अंत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान किये गये कुल लैंड लाइन कनेक्शन (डब्ल्यूएलएल सहित) निम्नलिखित हैं:

शहरी	—	419.29 लाख लाइनें
ग्रामीण	—	114.06 लाख लाइनें

(ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए, देश को चार महानगर सेवा क्षेत्रों और 19 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों (कुल 23 सेवा क्षेत्रों) में बांटा गया है। सीएमटीएस का उपभोक्ता संपूर्ण सेवा क्षेत्र से संबंध रखता है, न कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किसी नगर/कस्बे/गांव विशेष से। अतः सेवा क्षेत्र को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार देश में सेल्यूलर उपभोक्ताओं की कुल संख्या 126.9 लाख है।

(ग) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संयुक्त टेली-घनत्व नीचे दिया गया है:

ग्रामीण	—	1.49
शहरी	—	14.32

(घ) वर्ष 2005 के लिए निर्धारित टेलीघनत्व का लक्ष्य प्रति सैकड़ा 7 है और 2010 के लिए 15 है। नयी दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार, 2005 के लिए निर्धारित समग्र टेलीघनत्व 7 है और 2010 के लिए 15 है। नयी दूरसंचार नीति 1999 के आधार पर ग्रामीण टेलीघनत्व 2007 तक 3 प्रतिशत और 2010 तक 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ङ) सरकार ने वर्तमान में उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनायी है:

(1) बुनियादी सेवाएं प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दी गई हैं।

(2) प्रत्येक सर्किल में सेल्यूलर आपरेटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है।

(3) शहरी/अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली शुरू की गयी है।

(4) त्वरित रॉल आउट के लिए डब्ल्यूएलएल (सीडीएमए, कोर डेक्ट) तथा जीएसएम जैसी नयी प्रौद्योगिकियां शुरू की गयी हैं।

बंगलादेश के साथ कतिपय क्षेत्रों का आदान-प्रदान

***155. श्री प्रबोध पण्डा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बंगलादेश के साथ कतिपय क्षेत्रों के आदान-प्रदान की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इनका कब तक आदान-प्रदान हो जाएगा;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 की शर्तों के अनुसार सरकार बंगलादेश के साथ क्षेत्रों की शीघ्र अदला-बदली के लिए वचनबद्ध है। भारत और बंगलादेश की सरकारों ने 2001 में क्षेत्रों की अदला-बदली सहित 1974 के भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बकाया मसलों को हल करने के लिए दो संयुक्त सीमा कार्य दलों का गठन किया था। इन दलों की बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने संयुक्त सीमा कार्य दलों के तंत्र के जरिए इस विषय पर द्विपक्षीय चर्चाएं जारी रखने का निर्णय लिया। क्षेत्रों की अदला-बदली करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस संबंध में बंगलादेश की सरकार के साथ चर्चाएं चल रही हैं।

[हिन्दी]

भारी जल रिएक्टर परियोजना

***156. श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने भारी जल रिएक्टर परियोजना का अभिकल्प (डिजाइन) विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना से क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने 300 मेगावाट क्षमता के एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर)

का डिजायन विकसित किया है। यह रिएक्टर अपने लगभग दो तिहाई विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय ईंधन के रूप में मुख्यत: थोरियम का इस्तेमाल करेगा। इस रिएक्टर के लिए डिजायन, सुरक्षा और अन्य संबद्ध पहलुओं की मुख्य बातों को समाविष्ट करते हुए एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और इसकी पीयर समीक्षा की जा रही है।

(ग) 300 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर), जब एक प्रौद्योगिकी प्रदर्श परियोजना के रूप में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो इससे विद्युत उत्पादन के लिए देश के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग शुरू कर देना सुविधाजनक हो जाएगा।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उद्योग में मंदी

***157. श्री ए. नरेन्द्र: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उद्योग में मंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका और अन्य देशों के सॉफ्टवेयर उद्योगों में कार्यरत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों (प्रोफशनल) की छंटनी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार का विचार कम्प्यूटर पेशेवरों (प्रोफेशनल) के अंतर्वाह से किस प्रकार से निपटने की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) वैश्विक सॉफ्टवेयर उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से मंदी चल रही है।

(ख) वर्तमान मंदी के कारण पूरे विश्व की सॉफ्टवेयर कम्पनियां लागत कम कर रही हैं और इस प्रक्रिया में कुछ कर्मचारियों को अन्यत्र जाने के लिए कहा जा रहा है।

(ग) इन कारणों से छंटनी किए गए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) देश में रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास की सुविधा प्रदान करने तथा विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें नए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना, मीडिया लैब एशिया की स्थापना तथा इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के प्रसार का संवर्धन शामिल है।

इसके साथ ही साथ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा आगामी वर्षों में सामना की जाने वाली संभावित समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से नए बाजारों (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) जैसे कि यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका तथा एशिया का संवर्धन करने, अपतटीय विकास कार्यों/सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाने तथा विदेशों के ग्राहकों में विश्वास के स्तर में वृद्धि करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

साइबर अपराध

***158. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) क्या एस.एम.एस., ई-मेल तथा साइबर संबंधी अपराधों को रोकने के लिए कोई कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशों में किए गए, परन्तु भारत को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(च) क्या साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर-कैफे और एस.एम.एस. संदेशों को वर्तमान कानूनों के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां। साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर आधार पर एक समन्वित बहु-अभिकरण प्रयास के रूप में समुचित कदम उठाए गए हैं।

(ख) और (ग) साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए आवश्यकतानुसार समुचित प्रौद्योगिकी साधनों का विकास किया गया है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में विदेशों का आवश्यकता पर आधारित सहयोग लिया जाता है।

(च) और (छ) साइबर अपराध की उभरती प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में समुचित परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट

***159. श्री श्रीप्रकाश जयसवाल:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने मानव विकास सूचकांक संबंधी अपनी वर्ष 2003 की रिपोर्ट में विश्व के 175 देशों में भारत को 127वें स्थान पर रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002 में भारत 124वें स्थान पर था;

(ग) यदि हां, तो भारत के स्थान में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम रिपोर्ट में प्रकाशित विशिष्ट कारकों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) सरकार इस रिपोर्ट से किस हद तक सहमत है; और

(छ) रिपोर्ट के अनुसार देश में किन-किन राज्यों ने मानव सूचकांक विकास में अच्छा कार्य किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2003 के अनुसार, विगत वर्षों में भारत के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मूल्य में लगातार सुधार हुआ है। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य वर्ष 1975 में 0.416 से बढ़कर वर्ष 1980 में 0.443, वर्ष 1990 में 0.519, वर्ष 1995 में 0.553 और वर्ष 2001 में 0.590 हो गया है। तथापि, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मूल्य के आधार पर सापेक्ष रेटिंग के अनुसार, भारत का स्थान वर्ष 2002 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) में 124वें की तुलना में वर्ष 2003 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) में 127वां हो गया है। इसका कारण वर्ष की रिपोर्ट की रैंकिंग में दो नये देशों को शामिल किया जाना तथा भारत की तुलना में बोत्सवाना के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मूल्य में वृद्धि है। ये दो नये देश बोसनिया एवं हर्जेगोविना तथा अधिकृत फिलिस्तीनी भू-भाग हैं जिनकी भारत की तुलना में क्रमश: 66 और 98 की बेहतर रैंकिंग हैं। हालांकि, भारत के स्वास्थ्य संकेत का मूल्य बोत्सवाना की तुलना में बेहतर है, किन्तु कहा जाता है कि भारत की तुलना में बोत्सवाना के शिक्षा मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक बेहतर हैं।

(घ) से (च) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वर्ष 2003 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) में भारत की देश में आर्थिक विकास करने और गरीबी दूर करने के गंभीर प्रयासों की सराहना की गई है जिसका वर्ष 2015 तक दुनिया में अत्यंत गरीबी में गुजर-बसर करने वाले लोगों के अनुपात को आधा कम करने के प्रथम 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य' को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा इसकी विभिन्न रिपोर्टों में अपनाए गए मानव विकास ढाचें और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के उद्देश्य से देशों की रैंकिंग को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। फिर भी, भारतीय संदर्भ में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर मानव विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने तथा प्राप्ति स्तर में अंतर क्षेत्रीय असमानता को कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनीति को दसवीं योजना में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

(छ) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) में भारत के विभिन्न राज्यों की रैंकिंग नहीं की जाती है। यह मानव विकास सूचकांक के अनुसार केवल दुनिया के विभिन्न देशों की रैंकिंग करता है।

विनिवेश नीति

***160. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इक्विटी शेयरों की महत्वपूर्ण बिक्री के पुराने तरीके के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए आरम्भिक सार्वजनिक ऑफर (आई.पी.ओ.) जारी करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मारुति की पेशकश के बाद जारी किये जाने वाले प्रस्तावित आई.पी.ओ. का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार अनुकूल बिक्री और सार्वजनिक पेशकश दोनों को मिलाकर प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए या तो स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से विनिवेश नीति का उपयुक्त तरीके से अनुमोदन करती है। सरकार ने एडीआर के माध्यम से 25.2 प्रतिशत और घरेलू बाजार में 10 प्रतिशत इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) के विनिवेश का अनुमोदन किया है। भारत निकर्षण निगम लि. की 20 प्रतिशत इक्विटी का सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन कर दिया गया है। सरकार ने उन पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीएमसी लि., विदेश संचार निगम लि., आईबीपी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. और भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि.) में बिक्री की पेशकश के माध्यम से अपनी अवशिष्ट शेयरधारिता को बेचने का भी निर्णय लिया है जिनमें पहले अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश किया गया था।

भेषज कंपनियों को बंद किया जाना

1278. डा. रामचन्द्र डोम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने वाली अनेक भेषज कंपनियां उन छोटी फैक्ट्रियों के माध्यम से लोन लाइसेंस पर दवाओं का उत्पादन कर रही हैं जहां औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास का कोई प्रबंध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार के पास फार्मेस्युटिकल कम्पनियों द्वारा अपनी फैक्टरियों को बन्द करने तथा ऋण लाइसेंस पर औषधियां उत्पादित करने से संबंधित कोई विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत अन्य लाइसेंसशुदा निर्माण एककों से ऋण लाइसेंस के अंतर्गत औषधों का निर्माण करने का प्रावधान है। यह अनुसंधान एवं विकास से संबंधित नहीं है।

(ख) भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रणाली को सुचारू बनाया जाना

1279. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रणाली को सुचारू बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं और वे इन निर्देशों को क्रियान्वित करने में किस सीमा तक सफल रहे हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत रामनगर, मुरादाबाद राजमार्ग के सुधार के लिए किए गए प्रबंध का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) विद्यमान सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रणाली का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इसलिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ग) विभिन्न मोटरयान विनियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है जिन्हें आवश्यकतानुसार उपयुक्त परामर्श दिया जाता है।

(घ) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में रामनगर-मुरादाबाद राजमार्ग के सुधार का संबंध है, यह राज्यीय राजमार्ग संख्या 41 (टिहरी-रामनगर-मुरादाबाद) का हिस्सा है और उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचा विकास योजना

1280. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचा विकास के लिए व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) बुनियादी ढांचा विकास हेतु प्रस्ताव में (1) उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, (2) पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार, और (3) बिहार में राज्य राजमार्गों का विकास, शामिल है।

(ग) इन स्कीमों की अनुमानित लागत इस प्रकार से है:

(1)	उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	:	365 करोड़ रुपये
(2)	पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार	:	294 करोड़ रुपये
(3)	बिहार में राज्य राजमार्गों का विकास	:	846 करोड़ रुपये, (प्रथम चरण में पांच जिलों में 163 करोड़ रुपये से काम आरम्भ किया जाएगा)

(घ) इन सभी स्कीमों को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से शुरू किया जायेगा तथा बिहार की वार्षिक योजना 2003-04 में 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

[हिन्दी]

आई.पी.के.ए. प्रयोगशाला द्वारा ऋण लाइसेंस

1281. श्री महेश्वर सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित आई.पी.के.ए. प्रयोगशाला द्वारा वर्षवार कुल कितने ऋण लाइसेंस प्राप्त किए गए; और

(ख) ऋण लाइसेंस के आधार पर दवाओं के उत्पादन में लगे औषधि-विनिर्माताओं की कुल संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) औषध नियंत्रण प्रशासन, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स आई.पी.सी.ए. लैब, रतलाम (मध्य प्रदेश) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्राप्त ऋण लाइसेंसों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) औषध नियंत्रण प्रशासन, मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में औषधियों के निर्माण के लिए अब तक 153 ऋण लाइसेंस मंजूर किये गये हैं।

विवरण

मेसर्स आईपीसीए लैब, रतलाम, मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त ऋण लाइसेंस की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	वर्ष	मंजूरी की तारीख	ऋणलाइसेंस प्राप्त करने वाले का नाम
1.	2000	18.10.2000	मेसर्स प्योर फार्मा, लि. इंदौर, मध्य प्रदेश
2.	2000	18.10.2000	मेसर्स प्योर फार्मा, लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश
3.	2001	2.2.2001	मेसर्स फ्रैंड्स लेबोरेटरीज प्रा.लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश
4.	2001	2.2.2001	मेसर्स फ्रैंड्स लेबोरेटरीज प्रा.लि., इंदौर, मध्य प्रदेश
5.	2002	11.7.2001	मेसर्स सिंकोम फॉरमुलेशन्स (भा.) लि., पीतमपुरा, धार, मध्य प्रदेश
6.	2003	शून्य	शून्य

निर्धन और असहाय विधवाओं के लिए पुनर्वास पैकेज

1282. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर भारत के धार्मिक शहरों में निर्धन और असहाय विधवाओं के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैकेज का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक पैकेज की उपलब्धि क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ग) सरकार ने 'स्वाधार' नामक एक स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं, जिनमें धार्मिक स्थलों के आस-पास रहने वाली अपेक्षित विधवाएं भी शामिल हैं, का आश्रय-आधारित समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के आधार पर पुनर्वास किया जाता है। इस स्कीम के घटकों में आश्रय, भोजन, परामर्श, चिकित्सा और कानूनी सहायता, महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण तथा हेल्प लाइन सुविधाएं शामिल हैं। स्वाधार स्कीम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत 22 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं विशेष रूप से वृन्दावन में रहने वाली उपेक्षित विधवाओं के लिए स्वीकृत की गई हैं।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए सेक्यूरिटी जमा राशि

1283. श्री रामानन्द सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले के अनेक गांवों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए विभाग के पास कई वर्षों से सेक्यूरिटी राशि जमा कराई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों के नाम क्या हैं और इन गावों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लंबित मांग पूर्ति डब्ल्यूएलएल प्रणाली से की जाएगी। वर्ष 2003-04 के दौरान लगभग 30% गांवों को दूरसंचार सुविधा दी जाएगी और शेष 70% गांवों को यह सुविधा वर्ष 2004-05 में प्रदान की जाएगी, बशर्ते डब्ल्यूएलएल उपस्कर उपलब्ध हो।

विवरण

सतना गौण स्विचन क्षेत्र के गांवों के नाम और पंजीकृत मांग

क्र.सं.	गांव का नाम	पंजीकृत मांग
1	2	3
नागोड उपमण्डल		
1.	चुन्हा	10
2.	विलौंधा	20
3.	धोराहती	12
4.	मौहारी	10
5.	दुरेहा	19
6.	उसरार	12
7.	कुंची	5
8.	ओडखी	8
9.	रौंड	25
10.	बरहा	6
11.	बचबाई	3
12.	जिग्नाहाट	10
13.	दाधिया	7
14.	लागरगावना	15
15.	गुर्डा	3
16.	अखराहा	5
17.	करसारा	29
18.	सोमारिया	6
19.	कोरमहाई	6
20.	बरेथिया	5
21.	हिलौंधा	9
22.	कुलार	4
23.	बिकरा	2

1	2	3
24.	गंगवारिया	3
25.	गोबरौंकाला	4
26.	अमा	13
27.	देऔरी	2
28.	भाजीखेरा	10
29.	चौबास्ता	10
30.	पालनपुर	5
31.	शिवपुर	4
मल्हार उप-मंडल		
32.	न्यू देवराज नगर	43
33.	तेऔंधारी	44
34.	भरौली	51
35.	भेरमा	8
36.	रिग्रा	4
सतना उप मंडल		
37.	कारहीकोथार	17
38.	सोहास	21
39.	नया गांव	16
40.	माझगांव (चूंद)	11
41.	कुबरी (चूंद)	6
42.	बाबूपुर	15
43.	घुंगचीहई	18
44.	चंदई	26
45.	वरौंधा	34
46.	सुकवाह	27
47.	कारीगोही	18
48.	नकाइला	16
49.	छिबौरा	40
50.	चोरहाता	20
51.	बाबूपुर गौरिया	14
52.	गौरिया	35
53.	करमाऊ	23
54.	बारती	25
55.	कुरीगावन	36
56.	बाकिया	91
57.	जगडिहा	2
58.	झारी	6
59.	बधौरा	23
	कुल	972

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में लापता भारतीय

1284. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में गए भारतीय लापता हैं और उनका कोई अता-पता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) खाड़ी देशों में लापता बताए गए भारतीय कर्मी वे हैं जो अपने परिवारों से सम्पर्क करने में असफल रहे हैं अथवा जो गुप्त रूप से एक रोजगारदाता से दूसरे के पास चले गए हैं।

(ख) एक विवरण, ब्यौरों सहित, संलग्न है।

(ग) खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशन, इन लापता भारतीयों को उनके परिवारों अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों के प्राप्त होने पर, तलाश करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

विवरण

खाड़ी देशों में लापता भारतीय

क्र.सं.	देश	लापता बताए गए भारतीयों के मामले		
		2000	2001	2002
1.	बहरीन	-	-	-
2.	कुवैत	0	0	0
3.	ओमान	11	37	26
4.	कतर	0	0	1
5.	सऊदी अरब	101	105	115
6.	संयुक्त अरब अमीरात	18	22	16
	कुल	130	164	158

उड़ीसा में टेलीफोन सुविधा

1285. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे कितने गांव हैं जहां स्थान-वार उक्त सुविधा वर्ष 2003-04 के दौरान प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 40435 गांवों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) भारत संचार निगम लि. का वर्ष 2003-04 के दौरान, उड़ीसा के दूर-दराज के गांवों में 5217 उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते सरकार द्वारा संसाधन और निधियां उपलब्ध कराई जाएं। कवर किये जाने वाले जिला-वार गांवों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

टेलीफोन सुविधा युक्त जिला-वार गांवों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अंगुल	1446
2.	बालासोर	2499
3.	बारगढ़	1191
4.	भद्रक	1170
5.	बोलनगीर	1667
6.	बोउध	755
7.	कटक	1792
8.	देवगढ़	505
9.	धेनकनाल	1052
10.	गजपति	500
11.	गंजम	2884
12.	जगतसिंहपुर	1333
13.	जाजपुर	1606
14.	झाड़सुगुडा	346
15.	कालाहाण्डी	1734
16.	कंढ़ामल	1077
17.	केद्रपारा	1373
18.	क्योंझर	1863
19.	खुर्द	1325
20.	कोरापुट	1594
21.	मालकानगिरि	501
22.	मयूरभंज	3450
23.	नयागढ़	1113
24.	नयापाड़ा	637

1	2	3
25.	नौरंगपुर	793
26.	पुरी	1585
27.	रायगदा	1332
28.	संबलपुर	1208
29.	सोनेपुर	729
30.	सुन्दरगढ़	1375
	जोड़	40435

विवरण II

उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों से कवर किये जाने वाले योजनागत जिला-वार गांवों की संख्या

जिला	गांवों की संख्या
1	2
अंगुल	80
बालासोर	4
बारगढ़	5
बोलनगीर	94
बोउध	285
कटक	13
देवगढ़	96
धेनकनाल	20
गजपति	554
गंजम	34
जाजपुर	16
झाड़सुगुडा	14
कालाहाण्डी	198
कंढामल	1115
क्योंझार	104
खुर्द	2
कोरापुट	433
मालकानगिरि	189
मयूरभंज	95
नबारंगपुर	85
नयागढ़	416
नौपाड़ा	2
रायगदा	1000
सम्बलपुर	20
सोनेपुर	30
सुन्दरगढ़	313
जोड़	5217

परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल योजनायें

1286. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य के गैर-सरकारी संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से परिवार कल्याण और ग्रामीण परिचर्या योजनाओं के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में 5 शहरों अर्थात्

अकोला, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर के वास्ते शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की कुल परियोजना लागत 14.19 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्तशासी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना

1287. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में स्वायत्तशासी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड में स्पीड-पोस्ट सेवाएं

1288. श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में किन-किन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) राज्य के उन सभी जिला मुख्यालयों को इस नेटवर्क के अंतर्गत कब तक लाए जाने की संभावना है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) स्पीड पोस्ट सेवा झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

केरल में डब्ल्यूएलएल आधारित पी.सी.ओ.

1289. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल आधारित पी.सी.ओ. स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) केरल में 11 दूरसंचार जिलों में से 10 में डब्ल्यूएलएल आधारित सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पीसीओ) ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित हैं और वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

1290. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह क, ख, ग और घ श्रेणी में समूह-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) कुल कर्मचारियों की संख्या में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों की अलग-अलग समूह-वार संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चिकित्सा भुगतान

1291. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय ने रेफरल सिस्टम अनुमति मामलों और कार्येत्तर स्वीकृति इत्यादि से संबंधित सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दिनांक 1.9.1999 को कार्यालय ज्ञापन संख्या एस-12020/4/97-सी.जी.एच.एस.(पी) जारी किया था जिसके द्वारा मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के अध्यक्ष को 2 लाख रुपये तक सेवारत कर्मचारियों के संबंध में संस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनकी वजह से सीजी.एच.एस. में इस निर्धारित सीमा से कम कृत्रिम अंगों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से कुछ मामले संबंधित अधिकारी जिससे आवेदक संबंधित था, को लौटाने की बजाय सी.जी.एच.एस. द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1.9.1999 का कार्यालय ज्ञापन सामान्य समायोजन प्रत्यायोजन से संबंधित है जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिनांक 25.6.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस. 11011/5/95-के.स.स्वा.यो. (पी) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किये जा सकने वाले कृत्रिम उपकरणों के वास्ते यह निर्धारित किया गया है कि यदि सरकारी पुनर्वासन विशेषज्ञ/अस्थि शल्य चिकित्सा (परामर्शदाता के स्तर से कम का नहीं) किसी ऐसी मद का परामर्श देता है जो अनुमोदित उपकरणों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, कृत्रिम उपकरणों (कृत्रिम अंग सहित) की स्थिति में, ऐसे मामलों में अनुमति इस प्रकार प्रदान की जाती है:

(1) 2000 रुपये से कम लागत वाली मदों के वास्ते-उनको किसी कोटेशन के बिना खरीदा जा सकता है;

(2) 2000 रुपये से अधिक लागत वाली मदों के वास्ते—संबंधित के.स.स्वा. योजना शहर के अपर निदेशक से पूर्वानुमति ली जाएगी।

(3) सरकार द्वारा मामले दर मामले के आधार पर नई और महंगी मदों के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

विशेषज्ञ समिति ने एक मामले में हाइड्रोलिक पोलिक्लीनिक टीटानियम-डायनमिक प्लस फुट सहित नी ज्वाइंट को खरीदने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार किया है लेकिन उसे एलिम्को (ए.एल.आई.एम.सी.ओ.) द्वारा जयपुर फुट प्रोसथीसिस माड्यूलर प्रोस्थीसिस जैसे वैकल्पिक प्रोस्थीसिस के रूप में नामंजूर कर दिया गया जो लगभग समान क्रियात्मक पुन:स्थापन (सिमिलर फंक्शनल रेस्टोरेशन) की सुविधा प्रदान करती है, भारतीय बाजार में काफी कम लागत पर उपलब्ध हैं और रख-रखाव लागत से मुक्त हैं।

भारतीय पत्तनों और जहाजी बेड़े की सुरक्षा

1292. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अधिक खतरे वाले उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां देश के पत्तनों और इन पत्तनों तक माल ढोने वाले जहाजी बेड़े पर दुश्मनों द्वारा आक्रमण किये जाने की संभावना बनी रहती है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय तेल क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में और उसके आस-पास कई विदेशी पोतों को नहीं तैनात किये जाने पर ध्यान दिया है क्योंकि विपरीत समय में बाधाओं की संभावना पढ़ जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कतिपय मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) सभी महापत्तनों को युद्ध के दौरान उच्च जोखिम वाले जोनों के रूप में तथा आतंकवादी हमलों के लिए भी असुरक्षित माना जाता है।

(ख) से (घ) पत्तनों में विदेशी जलयानों को तैनाती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तनों को पत्तनों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए कठोर उपाय करने की सलाह दी है। नियमित सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

- आन्तरिक बन्दरगाह जल की चौकसी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रात्रिकालीन गस्त बढ़ा दी गई है। उन मछुवारों, जो देशी नौकाओं से आंतरिक बन्दरगाह जल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है।

- विभिन्न असुरक्षित स्थलों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करके पत्तनों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

- पत्तनों में प्रवेश सीमित कर दिया गया है तथा पहचान पत्र की कड़ाई से जांच की जाती है।

- समुद्री सीमा की चौकसी बढ़ा दी गई है।
- नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण (सिविल डिफेंस अथॉरिटी) से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
- महत्वपूर्ण स्थापना पर औचक जांच को बढ़ा दिया गया है।

प्लास्टिक का जैविक अपघटन

1293. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले प्लास्टिक बैगों, कपों आदि की बड़ी मात्रा के जैविक अपघटन हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के सफल परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि शर्करा का प्रयोग कुछ ही महीनों में प्लास्टिक का भंजन कर देता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का सामना करने वाली इस विधि को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला एनसीएल के वैज्ञानिकों ने अन्वेषणात्मक अध्ययन किए हैं, इनके द्वारा परम्परागत अ-जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक को पॉलिस्टाइरीन में शर्करा अधांश को रासायनिक ढंग से जोड़कर जैवनिम्नीकरणीय बनाया जा सकता है। पॉलिस्टाइरीन की तुलना में शर्करा आशोधित पॉलिस्टाइरीन में जैवनिम्नीकरण बेहतर तरीके से सम्पन्न हुआ। ये अध्ययन पूर्ण नहीं हैं। औद्योगिकीय अनुप्रयोगों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता अभी निर्धारित की जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नैनो-जैवप्रौद्योगिकी

1294. श्री सईदुज्जमा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नैनो-जैवप्रौद्योगिकी और मानव स्वास्थ्य पर इसके खतरे की जानकारी है; जिसका उल्लेख पैट मुनी ने "दि बिग डाउन" शीर्षक से प्रकाशित अपनी पुस्तक में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव मामलों की जांच हेतु उच्च स्तरीय वैज्ञानिक कार्य दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) सरकार ई टी सी ग्रुप, कनाडा के कर्मकारी निदेशक पैट मुनी द्वारा लिखित "द बिग डाउन" प्रकाशन से अवगत है।

(ख) इस प्रकाशन में जीनोम से लेकर परमाणु तक के संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें इसके ऐतिहासिक, ई टी सी मूल्यांकन, उत्पादन जोखिम, प्रौद्योगिकी की कार्यप्रणाली, किस पर और कहां इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका ध्यान रखने वालों आदि का ब्यौरा दिया गया है जिसमें वैज्ञानिक संस्थान, आज का समाज, संगठन, सरकारी निकाय भी शामिल है। इस रिपोर्ट में परमाणु प्रौद्योगिकी (एटम टेक्नोलॉजी) के नाम से बहुत से उपकरणों और तकनीकों की जानकारी दी गई है, जिसमें नैनो पार्टिकल्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो फैब्रिकेशन और आण्विक विनिर्माण को सम्मिलित किया गया है। इसमें एकीकृत बल के रूप में नैनो स्केल में पदार्थ के परिचालन के साथ जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञानात्मक विज्ञान के भावी संयोजन के बारे में भी वर्णन किया गया है। औषध निर्माण विज्ञान और स्वास्थ्य देख-रेख के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी और नैनो जैवप्रौद्योगिकी के कई अनुप्रयोगों का उल्लेख किया गया है। हर प्रकार के कार्य और उद्यम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें अनगिनत अवसरों के साथ-साथ सामाजिक तथा पर्यावरणीय जोखिम भी है। नैनो स्केल पर प्रौद्योगिकियों के संयोजन के प्रभाव के बारे में या तो कोई जानकारी नहीं है या उनका पूरा आकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) बायोटेक्नोलॉजी विभाग में "आधुनिक जीव विज्ञान में आधारभूत अनुसंधान" संबंधी कार्यदल ने वित्तीय सहायता हेतु नैनो बायोटेक्नोलॉजी पर विभिन्न अनुसंधान तथा विकास प्रस्तावों की जांच की है। इसमें शामिल किए गए क्षेत्र हैं: नैनो पार्टिकल्स का जैवसंश्लेषण, नैदानिक/चिकित्सीय प्रयोग के लिए नैनोपार्टिकल्स तथा बायोनैनो कंपोजिट्स। नई सामग्रियों के सृजन तथा उन्हें समझने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

चिकित्सीय प्रतिपूर्ति बिल

1295. डा. रमेश चन्द्र तोमर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति बिल काफी समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे चूककर्ता सी.जी.एच.एस. औषधालयों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत के तट पर अधो-सागरीय खनन हेतु वैज्ञानिक अभियान

1296. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भारत के तटों पर अधो-सागरीय खनन की संभावना का अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान चलाए गए ऐसे अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की अधो-सागरीय खनिज सम्पदा के वाणिज्यिक दोहन की संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी, हां। सरकार भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में क्रमिक समुद्र संस्तर सर्वेक्षण कर रही है। समुद्र संस्तर मानचित्रण और निर्जीव संसाधनों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1983 से ये सर्वेक्षण अनुसंधान जलयान 'समुद्र मंथन' और दो तटीय अनुसंधान नौकाओं 'समुद्र कौस्तुभ' और 'समुद्र शौधिकामा' से किये जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

(1) उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र तटों के पास इल्मिनाइट, सिलिमेनाइट, गारनेट, मोनाजाइट, जिरकॉन और रुटाइल जैसे प्लेसर खनिज पाए गए। इन खनिजों का निकट भविष्य में रंगलेप, मिश्र धातु, उच्चतापसह धातुओं और महत्वपूर्ण परमाणु खनिजों से संबंधित उद्योगों के लिए दोहन किया जा सकेगा।

(2) आंध्र प्रदेश तथा गुजरात तट के पास उच्च कैल्शियम ऑक्साइड तत्व युक्त चूना तक पाया गया।

(3) पूर्वी तट और पश्चिमी तट के सागरों में काफी मात्रा में बालू पाई गई।

सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और संसाधनों का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु धनराशि

1297. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विकास, कम्प्यूटर प्रोग्रामन और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शोध परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता

1298. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुछ शोध परियोजनाओं को जापान वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान ने उदर व्याधियों पर शोध हेतु 'एम्स' का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जापान ने इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर/जारी की है; और

(घ) इन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। भारत में जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के साथ मिलकर 'राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्रीय विकार संस्थान में अतिसार संबंधी विकारों की रोकथाम' जैसी अनुसंधान परियोजनाओं को जापान सरकार वित्तीय सहायता दे रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन

1299. **श्रीमती रमा पायलट:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार कल्याण विभाग के लिए विनिर्मित कॉपर टी-380ए के अवैध भंडारण और गोवा स्थित भवन पर मारे गए छापे में जब्ती के बाबत एक आपूर्तिकर्ता पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17 और 18 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने वर्तमान निविदा पर विचार करने से पूर्व औषध विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों का अभिनिश्चय किया था; और

(ग) यदि हां, तो विभाग ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) खाद्य एवं औषध प्रशासन निदेशालय, पणजी, गोवा ने सूचित किया है कि उनके निदेशालय के निरीक्षण अधिकारी ने कॉपर-टी 380ए के आपूर्तिकर्त्ता, मेसर्स फेमी केयर के विनिर्माण परिसर की जांच की और उन्होंने यह पाया कि इस फर्म ने कॉपर-टी 380ए की जो पैकिंग की थी उसके लेबल पर उनकी दमण इकाई का पता लिखा हुआ था। निरीक्षण अधिकारी ने इस पैकिंग को जब्त कर लिया था। माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, वास्को डी गामा की अदालत के आदेश से उस उत्पाद के लेबल इन्सर्ट को परिवर्तित कर फर्म को औषध (स्टाक) जारी किया गया। इस फर्म ने निदेशालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया है और गलत लेबलिंग के कारणों का स्पष्टीकरण दिया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 में कॉपर-टी 380ए की आपूर्ति से संबंधित निविदा में भाग लेने के वास्ते पात्रता शर्तों में से एक शर्त यह है कि फर्म को औषध प्राधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। उक्त फर्म ने गोवा और दमण के औषध प्रशासन द्वारा दोषी न करार दिए जाने संबंधी जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर ही उनकी निविदा पर विचार किया गया है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की कम्प्यूटर प्रणाली में सेंध

1300. **श्री राम विलास पासवान:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र/नाभिकीय विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त अन्य अति संवेदनशील डाटा कार्यालयों की कम्प्यूटर प्रणालियों में पाकिस्तान के सेंधमार समूहों द्वारा लगातार सेंध लगाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन की नवीनतम सफल एकीकृत समादेश नियंत्रण संचार और कम्प्यूटर आसूचना निगरानी भी विभिन्न सेवाओं के लिए खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार साइबर जोखिमों से निपटने हेतु किन उपायों पर विचार कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। सरकार को परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई जी सी ए आर), आदि की कम्प्यूटर प्रणालियों से सूचना लेने का प्रयास करने की जानकारी है। तथापि, ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) महत्वपूर्ण किस्म की प्रणालियों को इंटरनेट से न जोड़कर अलग रखना।

(2) विशेष सुरक्षा।

(3) सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा।

[हिन्दी]

भारत-चीन सीमा विवाद

1301. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भारत-चीन सीमा विवाद का मुख्य मुद्दा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा से पहले अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के बारे में गहन अध्ययन के पश्चात एक दस्तावेज तैयार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर में भारतीय प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किमी पर अवैध दावा कर रहा है। चीन भारतीय राज्य के जम्मू और कश्मीर के लगभग 38,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अवैध कब्जा भी बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के तहत, पाकिस्तान ने चीन के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारतीय प्रदेश का 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र अवैध रूप से दे दिया है।

(ख) और (ग) जून 2003 में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा से पूर्व समुचित तैयारियां की गई थी।

[अनुवाद]

प्रवेश में अनियमितताएं

1302. श्री चिंतामन वनगा:
श्री भान सिंह भौरा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 4 जुलाई, 2003 के 'दि इंडियन एक्सप्रैस' में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार विभिन्न इंजीनियरी विद्यालयों में प्रवेश संबंधी अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनियंत्रित कारोबार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि निजी महाविद्यालयों ने इस व्यवहार हेतु गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को सरकारी शुल्क से नियंत्रण मुक्त करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर, 2002 के निर्णय के गलत निर्वचन का आश्रय लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार महाविद्यालय शुल्क का नियमन करने हेतु समुचित विधान पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (छ) जी, हां। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 31 अक्तूबर, 2002 के निर्णय के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधन द्वारा एक युक्तिसंगत शिक्षा शुल्क ढांचा अपनाया जाना चाहिए जिसमें केपीटेशन फीस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई केपीटेशन फीस न ली जाए तथा कोई मुनाफाखोरी न हो, राज्य अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए हालांकि संस्थाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उचित अधिशेष एकत्र करने की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 20 मार्च, 2003 को एक अंतरिम नीति विनियम अधिसूचित किया गया था जिसके अनुसार शैक्षिक वर्ष 2003-04 के लिए संबंधित राज्य में स्थित संस्थाओं हेतु शिक्षा शुल्क ढांचे का निर्णय राज्य सरकारों को करना है। फिलहाल यह मामला निर्णयाधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मानक

1303. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु सुनिश्चित मानक हैं;

(ख) कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों में कौन से राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित राज्य राजमार्गों की लंबाई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को किन आधारों पर धनराशि आबंटित की जाती है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए विद्यमान दिशा-निर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कर्नाटक में बीजापुर और हुबली के बीच 176 कि.मी. लंबे राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-218 घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संलग्न दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाती है न कि किसी राज्य विशेष के भौगोलिक क्षेत्र अथवा जनसंख्या के आधार पर।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार कार्यों के लिए राज्यों को धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, कार्यों की प्रगति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आबंटित की जाती है। नेमी और आवधिक अनुरक्षण के लिए राज्यों को अनुरक्षण राशि यथानुपात आधार पर आबंटित की जाती है। विशेष मरम्मत और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए धनराशि कार्य स्थल की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाती है।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए विद्यमान दिशा-निर्देश:

1. देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी के राज्यों की राजधानियों से जोड़ने वाली सड़कें तथा राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, विशाल औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।
6. ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी से काफी कमी होती हो तथा जिनसे पर्याप्त आर्थिक विकास होता हो।
7. ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के विशाल भूभागों को खोलने में मदद मिलती हो।
8. ऐसी सड़कें जिनसे 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होती हो।
9. ऐसी सड़कें तकनीकी अपेक्षाओं तथा भूमि अपेक्षाओं दोनों के संदर्भ में राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित स्तर की हों।
10. ऐसी सड़क और मार्गाधिकार किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हो तथा राज्य सरकार की संपत्ति हो।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयत: 45 मी., न्यूनतम 30 मी.) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो, अतिक्रमण मुक्त हो तथा राज्य सरकार 6 महीने में अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी करेगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण

1304. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिलों में अ.जा. और अ.जा. जाति के प्रवेशार्थियों के लिए क्रमश: 15% और 7.5% स्थान आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रॉ के कर्मचारियों के लिए सैकड़ों स्थान आरक्षित होने के साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर सैकड़ों स्थान आबंटित किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन दाखिलों में भी आरक्षण कोटा लागू होता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रॉ में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण नियमानुसार दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए क्या उपाय किए हैं?

मानव संसधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान हैं:

आबंटित सीटें:

1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारी	—	100
2.	विदेश मंत्रालय के कर्मचारी	—	75
3.	रॉ के कर्मचारी	—	15
4.	माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की सिफारिशें (सभी राज्यों के लिए)	—	1000

(ग) से (ङ) इन कोटों के लिए प्रवेश कक्षा क्षमता के अतिरिक्त होता है। व्यावहारिक रूप से इन प्रवेशों में आरक्षण संभव नहीं है। अत: इसमें कोई भी आरक्षण लागू नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य

1305. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री सुनील खां:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एन.सी.डब्ल्यू. को सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महिला आयोग को और प्रभावी बनाने के लिए उसे सांविधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) में दिए गए हैं, जिसका उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों पर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) का उद्धरण

10. आयोग के कृत्य-(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-संमय पर पुनर्विलोकन करा और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:

(1) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(2) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(3) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदाई कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना अथवा करवाना, और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलायें कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

[हिन्दी]

थोरियम से विद्युत उत्पादन

1306. **श्री ब्रह्मानंद मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास थोरियम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) थोरियम से उत्पादित विद्युत और यूरेनियम उत्पादित विद्युत की उत्पादन लागत में कितना अन्तर है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, थोरियम से परमाणु विद्युत का उत्पादन करने के लिए एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) तैयार किया जा रहा है। यह रिएक्टर अपने लगभग दो-तिहाई बिजली के उत्पादन के लिए मुख्यत: थोरियम का उपयोग करेगा। इसमें अंतर्निहित प्रमुख उप-प्रणालियों के डिजायन और विकास के संबंध में अब तक किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों के आधार पर, इस रिएक्टर के डिजायन, सुरक्षा और अन्य सम्बद्ध पहलुओं की मुख्य विशिष्टताओं को समाविष्ट करते हुए एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। चूंकि यह विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है, इसलिए विशेषज्ञ दलों द्वारा इसके डिजायन की ब्यौरेवार पीयर समीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रगति भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) का अभी भी विकास किया जा रहा है। तथापि, इसके डिजायन में अन्तर्निहित विशिष्टताओं और भारत में पाए जाने वाले थोरियम के समृद्ध भंडारों के मद्देनजर, थोरियम का उपयोग करके परमाणु विद्युत की उत्पादन लागत के आगे चलकर कम होने की आशा है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल का उत्पादन

1307. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक कचरे से प्रतिदिन 25 लाख लीटर पेट्रोल का उत्पादन के नागपुर रायसोनी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग के उस दावे का दोहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अल्का जडगांवकर ने प्लास्टिक के कचरों को तरल ईंधन जैसे मिट्ट का तेल, डीजल और पेट्रोल मं बदलने की प्रौद्योगिकी की खोज करने का दावा किया है। इस ईंधन की संभाव्यता की जांच करने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल ने अपना मत व्यक्त किया है कि परिणामी उत्पाद को ईंधन के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व इसमें और परिशोधन की आवश्यकता है। प्रो. अल्का जडगांवकर द्वारा भारतीय तेल निगम (आई ओ सी), फरीदाबाद के आर एण्ड डी केन्द्र में इसका प्रदर्शन भी किया गया। आई ओ सी ने सूचित किया है कि ईंधन के रूप में स्वीकार किये जाने से पूर्व इसमें संशोधन/परिशोधन की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के इष्टतमीकरण के लिए प्रो. जडगांवकर तथा भारतीय रेल निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस दिशा में कार्य प्रगति पर है।

केन्द्रीय परियोजनाओं को मंजूर किए जाने की मांग

1308. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली सभी केन्द्रीय परियोजनाओं को क्रियान्वयन से पहले कैबिनेट या आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट कमेटी से मंजूर कराना होगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से नए मानदंड हैं जिन्हें बड़ी सामाजिक और आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए शुरू किया जाना है;

(ग) क्या केन्द्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मानदंडों को सख्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक और आधारभूत संरचना संबंधी नई बड़ी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3) पी एफ-2/2001, दिनांक 18.2.2002 द्वारा यथा अधिसूचित मानदंड निम्न प्रकार हैं:

परियोजना/योजना परिव्यय	अनुमोदन प्राधिकारी
50 करोड़ रु. से कम	प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
50 करोड़ रु. और उससे अधिक लेकिन 100 करोड़ रु. से कम	प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के मंत्री
100 करोड़ रु. तथा उससे अधिक	मंत्रिमंडल/सीसीईए (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति)
परिव्यय के अलावा नए स्वायत्त संगठनों के लिए प्रस्ताव	मंत्रिमंडल/सीसीईए (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति)

(ग) जी, हां।

(घ) व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1 (2)-पीएफ-2/03, दिनांक 7 मई 2003 द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के मूल्यांकन की समय सीमा को 24 सप्ताह से घटाकर 6 सप्ताह कर दिया गया है।

प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए ए आई सी टी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देश

1309. श्री शिबु सोरेन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) ने विदेशों में पंजीकृत प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए कतिपय दिशा-निर्देशों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले दशक में इन विदेशी संस्थानों को भारत में शॉप खोलने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है, और उन्हें भारत से संचालन की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) विनियमन में निहित दण्डात्मक खंडों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) देश में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संचालन को सुचारू बनाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश तथा उनके संचालन के निमित्त विनियम अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, तकनीकी शिक्षा में डिग्री तथा डिप्लोमा प्रदान करने वाला कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सुविचारित अनुमति/अनुमोदन के बिना भारत में अपने शैक्षिक क्रियाकलाप नहीं चलाएगा। यदि कोई विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदत्त पंजीकरण को वापस लेने पर विचार कर सकती है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी संबंधित एजेंसियों को भी इन निर्णयों के बारे में सूचित करते हुए यह सलाह दी जाएगी कि वे ऐसे विदेशी संस्थानों के कर्मचारियों/शिक्षकों को वीसा देने से इंकार कर दें/वापिस ले लें, भारत से विदेशों में निधियों का हस्तांतरण न करें, ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बारे में प्रिंट अथवा दृश्य मीडिया में विज्ञापन न दें आदि।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा का विकास और विस्तार

1310. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर तकनीकी शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इससे कितने युवक लाभान्वित हुए और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तकनीकी शिक्षा में लगभग 30 प्रतिशत की विकास दर से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि इन संस्थाओं द्वारा प्रादन की जाने वाली तकनीकी शिक्षा एक अच्छे स्तर की और कोटिपरक हो ताकि इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को उपयुक्त रोजगार मिल सके। देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी कार्यक्रमों का प्रत्यायन, शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में सहायता तथा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, संस्थाओं और संकाय के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली सहित विभिन्न पहलें शुरू की हैं। तकनीकी व्यावसायियों के रोजगार से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु धन प्रदान करना अपेक्षित होता है। तथापि, यह मंत्रालय कभी-कभी राज्यों में स्थित डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के वेतनमानों को लागू करने जैसे विशिष्ट प्रयोजनों हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाना, अनुसंधान और विकास, तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाएं चलाती है जिनके अंतर्गत राज्य में तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

अवैध दूरभाष केन्द्र

1311. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में अवैध दूरभाष केन्द्र चलते पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्य करने के तौर-तरीके क्या हैं;

(घ) इन दूरभाष केन्द्रों के स्थापना के समय से राजकोष को लगभग कितना नुकसान पहुंचा है;

(ङ) दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। मामलों की वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) ऐसे अवैध एक्सचेंजों के प्रचालन की कार्यप्रणाली का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) दूरसंचार विभाग/वीएसएनएल, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालकों तथा महानगर टेलीफोन निगम को हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) अवैध एक्सचेंजों के परिसरों में पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापा मारा गया और उनके उपस्कर जब्त किए गए। इस संबंध में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई और दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में मामले दायर किए गए।

विवरण I

पिछले चार वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

1998-99	—	4 एक्सचेंज
1999-2000	—	3 एक्सचेंज
2000-2001	—	12 तथा 5 ई पी ए बी एक्सएक्सचेंज
2001-2002	—	11 एक्सचेंज
2002-2003	—	6 एक्सचेंज

विवरण II

निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करके कॉलें की जा रही थीं:

(1) सैटेलाइट डिश एन्टिना

(2) इन्टरनल लीज्ड लाइनें

(3) इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट।

(4) इन्टिग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) लाइनें

(5) एमटीएनएल जंक्शनों तथा लाइसेंसों के बिना ईपीएबीएक्स का संस्थापना और प्रचालन।

विदेशों में उपभोक्ता निजी कम्पनियों से "प्री-पेड" कार्ड खरीदते हैं और "टॉल-फ्री" नम्बर डायल करने के बाद सैटेलाइट डिश एन्टिना, इन्टरनल लीज्ड लाइन, इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट, आई एस डी एन लाइन जैसे अवैध मीडिया उपस्कर का प्रयोग करते हैं जिनमें देश का कोड ऑब्जर्ब हो जाता है और भारत में अपने लोगों (काउंटरपार्ट्स) को केवल स्थानीय नंबर भेजे जाते हैं जिन पर पीएसटीएन लाइनें अवैध रूप से टर्मिनेट होती हैं।

विवरण III

दूरसंचार विभाग/वीएसएनएल, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालकों तथा एमटीएनएल को हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1)	दूरसंचार विभाग/वीएसएनएल को हुई हानि	-	लगभग 112 करोड़ रुपए
(2)	अन्य लाइसेंसशुदा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालकों को हुई हानि	-	लगभग 1 करोड़ रुपये
(3)	ईपीएबीएक्स के माध्यम से एमटीएनएल, दिल्ली को हुई हानि	-	लगभग 1 करोड़ रुपए

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास

1312. श्री के. करुणाकरन:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री वी.एस. शिवकुमार:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्लम से कोवलम और कोट्टापुरम से कसारगोडे राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के विस्तार से

संबंधित घोषणा प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए अंत: मंत्रालयीय विचार-विमर्श प्रारंभ किया गया है।

(ख) फिलहाल इस परियोजना के लिए कोई वित्तीय परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का औचक निरीक्षण

1313. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल ही में राजधानी के कुछ सी.जी.एच.एस. औषधालयों का औचक निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उन औषधालयों के कार्यकलाप में निरीक्षण करने वाली टीम के ध्यान में आई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभार्थियों की टिप्पणियां भी मांगी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लाभार्थियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सी.जी.एच.एस. के अन्य औषधालयों में भी औचक निरीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। माननीया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2003 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, इन्द्रपुरी और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/पोलीक्लीनिक, जनकपुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है।

(ख) इन्द्रपुरी औषधालय का कार्यकरण संतोषजनक पाया गया था परन्तु आई ए आर आई द्वारा प्रदान इमारत को रोगियों के लिए अपर्याप्त, गैर-हवादार और अनुपयुक्त पाया गया था। जनकपुरी औषधालय/पोलीक्लीनिक का कार्यकरण संतोषजनक पाया गया था परन्तु वहां पंजीकृत अत्यधिक लाभार्थियों के कारण बहुत भीड़ पाई गई थी।

(ग) और (घ) जी हां, माननीया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लाभार्थियों द्वारा बताए गए निम्नलिखित मुख्य विषयों के संबंध में उनसे बातचीत की:

(1) स्थानीय खरीद की औषधों की आपूर्ति में विलम्ब।

(2) स्थानीय खरीद काउंटर पर लम्बी प्रतीक्षा अवधि और छोटी-छोटी पर्चियों और पंजीकरण के लिए दोहरी पंक्ति प्रणाली।

(3) जनकपुरी पोलीक्लीनिक में प्रयोगशाला, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का उन्नयन।

(4) जनकपुरी औषधालय/पोलीक्लीनिक की इमारत में ही विकासपुरी के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारियों के लिए एक अलग औषधालय।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का आकस्मिक निरीक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और लाभार्थियों से बातचीत करना सदैव निरीक्षण का एक भाग है।

परिवार कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन

1314. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत परिवार कल्याण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि वे कोई परिवार कल्याण योजना नहीं चलाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इराक में अस्पताल का खोला जाना

1315. डा. अशोक पटेल:
श्री पदम सेन चौधरी:
श्री जी. गंगा रेड्डी:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना का विचार इराक में एक अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ इराक में कितने लोगों को भेजे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त अस्पताल को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) अनुमानतः कितने बिस्तरों वाला अस्पताल होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) ईराक के लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीय अपील के प्रत्युत्तर में 20 मिलियन अमरीकी डालर की नकद तथा सामग्रीगत सहायता की हमारी वचनबद्धता के रूप में, और ईराकी स्वास्थ्य मंत्रालय के "अस्पताल बनाने" के कार्यक्रम के उत्तर में भारत ईराक स्थित नजफ में एक अस्पताल बनवा रहा है। इस उद्यम के लिए भारत जोर्डन की सरकार के साथ मिल कर कार्य करेगा। इस परियोजना में ईराकी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इस समय एक 250 बिस्तरों वाले प्रसूती और शिशु कल्याण अस्पताल को व्यापक एवं उन्नत बनाना है। अनुमान है कि लगभग 75 भारतीय डाक्टर तथा सहयोगी कार्मिक शीघ्र इस उद्देश्य के लिए ईराक में नियुक्त किए जाएंगे जो आवश्यक उपस्करों और सुविधाओं के साथ अस्पताल का नवीकरण करेंगे और ईराकी स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने तक इसे चलाएंगे।

[अनुवाद]

गम्भीर रूप से बीमार रोगियों के लिए एअरो एम्बुलेंस

1316. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमेरिका, जर्मनी आदि जैसे अन्य देशों में उपलब्ध सेवा की तर्ज पर गम्भीर रूप से बीमार रोगियों को विमान से ले जाने के लिए एयरो एम्बूलेंस सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) इस समय देश में एयरो एम्बूलेंस सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च आता है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन

1317. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा देश में कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू बजट में इन योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं नामतः ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी; विशेष घटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की नीतिगत आवश्यकताओं हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी; जनजाति उप-योजना के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण; ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम तथा महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम। इन योजनाओं का मुख्य रूप से उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी का अनुसंधान, अभिकल्पन, विकास, अनुकूलन प्रचार करना है ताकि उन्हें बेहतर आय, बेगारी कम करने तथा सामान्य रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार का लाभ मिल सके इन कार्यक्रमों के माध्यम से सफल प्रौद्योगिकी पैकेजों के विकास के अलावा, इन योजनाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठनों, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच एक सफल मिलन-बिन्दु का भी प्रदर्शन किया है। इससे प्रौद्योगिकी सृजन की प्रभावी प्रणालियों का विकास करने तथा समाज के कमजोर वर्गों की टिकाऊ आजीविका के लिए हस्तांतरण में सहायता मिलेगी।

इनके अतिरिक्त, विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण तथा प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन पद्धति के लिए अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। क्षेत्र स्तर की गतिविधियों में विज्ञान आधारित स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण सहभागी हैं।

(ग) 2003-2004 में इन योजनाओं के लिए किये गये बजटीय प्रावधान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (2003-04)
1.	विज्ञान और समाज कार्यक्रम	550 लाख रुपये
2.	महिला घटक योजना	250 लाख रुपये
3.	विशेष घटक योजना	250 लाख रुपये
4.	जनजाति उप-योजना	250 लाख रुपये
5.	विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण	400 लाख रुपये
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	200 लाख रुपये
7.	महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	300 लाख रुपये
8.	प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन पद्धति	200 लाख रुपये

[अनुवाद]

अभिघात केन्द्र

1318. श्री रामजी मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए कितने अभिघात केन्द्र पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से अनेक सेंटरों पर न्यूरो सर्जन नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों में अनेक पीड़ित लोग वहां न्यूरो सर्जन न होने के कारण मौत के शिकार हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन अभिघात केन्द्रों पर न्यूनो सर्जन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवांछित टेलीफोन कॉल

1319. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीमार्केटिंग एजेंसियों और मार्किट रिसर्च कम्पनियों से अवांछित टेलीफोन कॉल की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की गोपनीयता भंग होती है और अतिक्रमण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता संरक्षण उपाय के रूप में सरकार का विचार निजी टेलीफोनों को ऐसे कॉलरों की पहुंच से दूर रखने के लिए कोई तंत्र तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

1320. श्री भास्करराव पाटील:
श्री कमलनाथ:
डा. चरणदास महंत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अन्तराल का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एड्स नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक नई त्रिस्तरीय रणनीति की घोषणा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीएसआईआर द्वारा धन की बर्बादी

1321. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुपयुक्त और बेकार प्रौद्योगिकी पर सीएसआईआर द्वारा की गई करोड़ों रुपये की बर्बादी के मामले में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी नहीं। सीएसआईआर में निधियों का कोई अपव्यय नहीं होता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सगर्भावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण औषधियों का अभाव

1322. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कुछ अस्पतालों में महत्वपूर्ण औषधियों विशेषकर गर्भवती महिलाओं के उपयोगार्थ औषधियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जहां तक राजधानी के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है महत्वपूर्ण औषधियों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के उपचार से संबंधित औषधियों की कोई कमी नहीं है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए सहायता

1323. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सहायतार्थ कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के प्रस्तावों को प्रक्रिया में रख लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2002-2003 तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 200 प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं।

(ख) जी हां। मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 145 प्रस्तावों पर कार्रवाई की है और उन्हें स्वीकृति दे दी है।

(ग) मंत्रालय में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किया जाना/उन पर कार्रवाई किया जाना एक नियमित कार्य है।

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली

1324. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सेना और रेल अस्पतालों में कोई भारतीय चिकित्सा प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों में इस प्रणाली को अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) कर्मचारी लाभ निधि स्कीम के अंतर्गत भारतीय रेलवे व्यवस्था में 129 होम्योपैथिक और 39 आयुर्वेदिक अंशकालिक औषधालय कार्य कर रहे हैं। सशस्त्र बलों ने सशस्त्र बलों के विभिन्न स्टेशनों यथा सशस्त्र बल स्टेशन, नई दिल्ली, मेरठ और सिकन्दराबाद में स्टेशन मुख्यालयों के तत्वावधान में औषधालय स्थापित करके देशी चिकित्सा पद्धति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का विदेश दौरा

1325. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस वर्ष मई में विभिन्न देशों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इन दौरों का ब्यौरा क्या है और इस मिशन का क्या उद्देश्य है और इसमें कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 5 से 12 मई, 2003 तक अमरीका, यू.के. और फ्रांस का दौरा किया। 6 मई को अमरीका जाते समय मार्ग में लंदन में पड़ाव के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमरीकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज से मुलाकात की। वाशिंगटन में (8-9 मई को) उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति बुश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा. कोडोलीजा राइस, विदेश मंत्री कॉलिन पावेल और उप रक्षा मंत्री पॉल वोल्फॉविज सहित अनेक व्यक्तियों के साथ बैठकें की।

अपनी वापिसी यात्रा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 10 मई को लंदन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ब्लेयर के प्रधान विदेश नीति सलाहकार सर डेविड मेनिंग से मिले। 11 मई को पेरिस में वे फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार श्री मॉरिस गोरडाल्ट मोटेंग से मिले।

भारत ने सुरक्षा और सामरिक मसलों पर अमरीका, यू.के. और फ्रांस सहित अनेक देशों से नियमित वार्ता की है। दौरे से आपसी हित के मामलों पर इन देशों के साथ आपसी समझबूझ बढ़ी है।

श्रीलंका में शान्ति प्रक्रिया बहाल किया जाना

1326. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार श्रीलंका में शांति प्रक्रिया पुन: बहाल करने के लिए पहल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शान्ति प्रक्रिया को श्रीलंका की सरकार और लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ऐलम (लिट्टे) के बीच नार्वे द्वारा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हालांकि, भारत सरकार शान्ति प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का समर्थन करती है, भारत सरकार स्वयं इसमें शामिल नहीं है। लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है और भारत सरकार श्रीलंका से प्रभाकरण का प्रत्यर्पण चाहती है।

डाक क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

1327. श्रीमती कान्ति सिंह:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संचार क्रांति लाने के लिए 1.54 लाख डाकघरों के भारतीय डाक नेटवर्क के उपयोग को सर्वाधिक संचार क्रांति कुशल वाहक पेश करते हुए गैर-सरकारी कंपनियों के साथ कोई समझौता/करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में डाक सेवाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) जी नहीं, देश में संचार क्रांति लाने के लिए डाक नेटवर्क के प्रयोग के संबंध में सरकार ने निजी कंपनियों से कोई समझौता नहीं किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए विश्व बैंक की सहायता

1328. श्री नरेश पुगलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों आदि राज्य के संबद्ध अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए विश्व बैंक की सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी हां। विश्व बैंक की सहायता से 550 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से मेडिकल कालेजों और अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। भारत सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

उपकरणों की खरीद

1329. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों के लिए उपकरणों की खरीद हेतु एक नयी निविदा प्रक्रिया ईजाद की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। तथापि, भारत संचार निगम लि./महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा प्रापण मैन्युअल संबंधी वर्गीकरण (कोडीफिकेशन) कर लिया गया है।

(ख) निविदा प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उपस्करों की प्रापण संबंधी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना।

(2) प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ताकि सभी विक्रेताओं (वेंडरों) को निष्पक्ष एवं समान अवसर प्रदान किया जा सके।

निविदा प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(1) प्रापण संबंधी कैलेण्डर, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वेबसाइट पर मुहैया कराया जाएगा जिसमें बोलीदाताओं की जानकारी के लिए खरीदे जाने वाले संभावित उपस्करों/मदों, उनकी अंतरिम यात्रा, विनिर्देशन आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(2) प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन-प्रतिभूति की राशि, खरीद आदेश के मूल्य के 5% के बराबर होनी चाहिए।

(3) चूक के कारण संविदा समाप्त करने संबंधी नोटिस की अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

(4) समग्र संवितरण अवधि तथा मासिक संवितरण कार्यक्रम को, खरीदे जा रहे उपस्कर/मद की किस्म पर निर्भर करते हुए बोली दस्तावेज/अग्रिम खरीद आदेश (एपीओ) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

एमटीएनएल के लाभ में कमी

1330. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान एम.टी.एन.एल. के लाभ में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष एम.टी.एन.एल. ने कुल कितना लाभ अर्जित किया है और यह गत वर्ष की तुलना में कितना कम है;

(ग) एम.टी.एन.एल. के लाभ में कमी के क्या कारण हैं और क्या एम.टी.एन.एल. बाजार में अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एम.टी.एन.एल. के लाभ में वृद्धि करने के लिए की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के लेखा-परीक्षा रहित प्रकाशित परिणामों के अनुसार, एमटीएनएल का कर कटौती के पश्चात निवल लाभ 897.4 करोड़ रु. है जो पिछले वर्ष के निवल लाभ से 31 प्रतिशत कम है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग एमटीएनएल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। लाभों में यह कमी मुख्यत: टैरिफ में निरंतर कमी होने के कारण हुई है, जिससे राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। एमटीएनएल दिल्ली और मुम्बई में एक प्रमुख स्थिर लाइन सेवा प्रदाता बना हुआ है और जीएसएम तथा सीडीएमए नेटवर्कों में भी इसने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। एमटीएनएल नई सुविधाएं शुरू करके उपभोक्ताओं के लिए अपनी सेवाओं और नेटवर्क में लगातार सुधार कर रहा है। अत: यह प्रतिस्पर्धा से पीछे नहीं है।

महाविद्यालयों/दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश

1331. डा. जसवंत सिंह यादव:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अच्छी प्रतिशतता के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) यद्यपि सरकार को कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में प्रवेश के मामले में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया गया है, तथापि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि इस संबंध में लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा हिन्दी माध्यम वाले किसी भी विद्यार्थी को केवल इसी आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए सहायता

1332. श्री जी.जे. जावीया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बाढ़ और वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) बाढ़ से क्षतिग्रस्त रा.रा.-55 की मरम्मत के लिए धनराशि जारी करने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) रा.रा.-55 की आपात मरम्मत के लिए 1.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

गुजरात होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या

1333. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों से कितने जिलों का भला होता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात राज्य के शेष जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) गुजरात राज्य से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों से 21 जिलों का भला होता है।

(ग) फिलहाल, धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कृतिक बल

1334. डा. चरणदास महंत:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कृतिक बल गठित करने का एक निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृतक बल कब तक गठित कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) जी, हां। ''राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण नीति'' का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) इस संबंध में कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

इंटरनेट एक्सचेंज

1335. श्री मोहन रावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के पहले इंटरनेट एक्सचेंज ने काम करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक कोई इंटरनेट सेवा प्रदाता सेवा आरम्भ करने के लिए इसमें आकृष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का तीन और प्रस्तावित एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इंटरनेट एक्सचेंज 'ज्वाइन' करने के लिए इंटरनेट प्रदाताओं को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, नहीं। कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) ने नोएडा में इंटरनेट एक्सचेंज बिन्दु (आईएक्सपी) में शामिल होने की सहमति दी है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इन आईएक्सपी को मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के परिसर में ही स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरम्भ किए गए संवर्धनात्मक प्रयासों में प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करना तथा आईएसपी द्वारा प्रचालन के प्रथम छह सप्ताह के दौरान दिये जाने वाले शुल्क से छूट शामिल हैं।

नाल्को का विनिवेश

1336. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.पी.ओ. और अमरीकी जमा रसीदों के माध्यम से नाल्को के शेयरों के 30 प्रतिशत भाग का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के संघ नाल्को के इस तरह के विनिवेश के विरोध में हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां। सरकार ने 27 सितम्बर, 2001 को एडीआर/जीडीआर की मिलीजुली सार्वजनिक पेशकश और घरेलू निर्गम के माध्यम से नाल्को का विनिवेश करने का निर्णय लिया था जिसके बाद दूसरे चरण में नाल्को के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत तक इक्विटी आरक्षित रखने के बाद तथा अवशिष्ट इक्विटी के रूप में सरकार द्वारा धारित की जाने वाली 26 प्रतिशत इक्विटी को छोड़ते हुए किसी अनुकूल साझीदार को इक्विटी की बिक्री की जानी थी। तत्पश्चात, सरकार ने 11 जुलाई, 2002 को यह निर्णय लिया था कि विनिवेश के सभी तीनों चरणों (घरेलू निर्गम, एडीआर और अनुकूल बिक्री) का काम साथ-साथ आरम्भ किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार ने विनिवेश करने का निर्णय, सरकारी शेयरधारिता को मामला-दर-मामला आधार पर 26 प्रतिशत अथवा इसके निचले स्तर तक कम करने के माध्यम से गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की रणनीति के एक भाग के रूप में लिया था, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम लाभ अर्जित कर रहा हो अथवा घाटे में चल रहा हो।

(ग) नाल्को के विनिवेश का विरोध होता रहा है।

(घ) स्थानीय गतिरोध से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण, जिसने विधिवत अध्यवसाय को बाधित किया है, नाल्को के विनिवेश को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

(ङ) कर्मचारियों को हित-संरक्षण प्रदान करना विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग होता है। यह संबंधित अनुकूल साझादीर के साथ सरकार द्वारा संपन्न शेयर धारक करार में उपयुक्त उपबन्धों की व्यवस्था करके सुनिश्चित किया जाता है। कर्मचारियों के हित-संरक्षण से संबंधित विशिष्ट उपबन्ध संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सौदा करार में सम्मिलित कर्मचारियों के हित से संबंधित विशेष उपबन्ध इस प्रकार हैं

विधिक अंश का विवरण

* इस बारे में स्थाई खण्ड-वाक्य के अध्यधीन, पार्टियां इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

* अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धांतों का अनुसरण करती है। अनुकूल साझादीर ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छंटनी अन्त में हो।

स्थायी खण्ड-वाक्य

* इस अनुच्छेद में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार अपने ही विवेक पर किसी भी समय, कंपनी के कर्मचारियों को इस करार की तारीख को मौजूदा कंपनी की शेयर पूंजी के—प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए, कंपनी में अपनी शेयरधारिता में से शेयरों ("कर्मचारी बिक्री अंश") को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों को बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किये जायेंगे। शेयरधारक इस बात से सहमत हैं कि हस्तांतरण पूरा हो जाने पर इस उप-खण्ड वाक्य के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे मत-व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम अस्वीकृति के अधिकार से।

* अनुकूल साझीदार सरकार के साथ विधिवत यह करार करता है कि:

(क) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अंतिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के किन्हीं कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा।

(ख) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परंतु उपरोक्त उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परन्तु उपरोक्त उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह से विनिवेश से पूर्व लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कम अनुकूल न हो।

सी.बी.एस.ई. द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1337. **श्री सुनील खां:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निजी ठेकेदारों से करवाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ संबंधी किसी अनियमितता की बात आई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार सामने आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से संबद्ध विद्यालय में संबंधित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों अथवा सरकार द्वारा स्थापित राज्य/राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संगठनों में कार्यरत व्यक्ति द्वारा अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय से सेवा-निवृत्त शिक्षक द्वारा किया जाता है जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उसी विषय को पढ़ाता था और जो मूल्यांकन के वर्ष में 1 अप्रैल को 65 वर्ष की आयु से कम हो।

(ग) और (घ) हाल ही में चंडीगढ़ क्षेत्र के 25 अभ्यर्थियों की 31 उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ करने संबंधी घटना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जानकारी में आयी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी कोई अन्य मामला जानकारी में नहीं लाया गया है।

[हिन्दी]

दूतावासों में हिंदी का प्रयोग

1338. **श्री राम शकल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूतावास न तो अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं और न ही हिंदी में काम करने की उनके पास कोई सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय दूतावास भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदी में संवाद नहीं करते हैं और न ही राजभाषा समिति के प्रकाशनों के संबंध में कोई सहायता करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दूतावासों में हिंदी में प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। विदेश स्थित भारतीय राजदूतावास यथाअपेक्षित अपने सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग करते हैं और उन्हें इस संबंध में अपेक्षित सुविधाएं भी दी जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भा[illegible] राजदूतावास भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदी में पत्र-व्यवहार करते हैं तथा राजभाषा समिति प्रकाशनों सहित हिन्दी से संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में सभी सहायता देते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विदेश मंत्रालय के माध्यम से राजदूतावासों में हिंदी के प्रयोग सहित विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की सरकार की एक व्यापक योजना है। कतिपय राजदूतावासों में हिंदी अधिकारी और हिंदी सचिवालयीय कर्मचारी भी हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन के लिए सभी मिशनों को भेजा जाता है। 97 मिशनों को हिंदी कम्प्यूटर सोफ्टवेयर की आपूर्ति की गई

है तथा इसे शेष मिशनों को भेजा जा रहा है। मुख्यालय के निदेशों के अंतर्गत हमारे मिशनों में हिंदी को उचित स्थान दिया जाता है एवं सभी नामपट्ट, साइनबोर्ड, लेटरहेड, लेखन-सामग्री भी हिन्दी में मुद्रित की जाती है। हिंदी पुस्तकों की नियमित खरीद की जाती है और उन्हें हमारे राजदूतावासों को उनके पुस्तकालयों के लिए भेजा जाता है।

विनिवेश के पश्चात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आर्थिक व्यवहार्यता

1339. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत पांच वर्षों के दौरान जिन सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया गया, उनके नाम क्या हैं;

(ख) विनिवेश के पश्चात उक्त सरकारी उपक्रमों की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिवेश के पूर्व और पश्चात उक्त सरकारी उपक्रमों में कामगारों के वेतनमानों का ब्यौरा क्या है और उनके वेतनमानों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) देश में अर्थव्यवस्था पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने बाजार में पांच सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में अल्पांश शेयरों की बिक्री की है और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ किसी अनुकूल साझीदार को अनुकूल बिक्री के माध्यम से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत पर्यटन विकास निगम की 19 होटल सम्पत्तियों और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तीन होटल सम्पत्तियों का विनिवेश किया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (घ) विनिवेश के उपरान्त अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। कुछ विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, विनिवेश से पूर्व घाटे में चलने वाली कम्पनियां थीं। विनिवेश के बाद इन कम्पनियों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है और घाटे के स्तर में भारी कमी हुई है। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक लाभ अर्जित करने वाली कमपनी थी, जो जून, 2002 में विनवेशित की गई थी। जैसा कि कम्पनी द्वारा बताया गया है, वर्ष 2002-2003 के दौरान सकल कारोबार में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और निवल लाभ में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 90.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाल्को में, विभिन्न संचालनात्मक और आदान की लागत में कमी आई है, गर्म धातु का उत्पादन बढ़ा है और नया प्रबंधन क्षमता में भारी वृद्धि करने पर विचार कर रहा है। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कार्य-कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए लाभकारी है।

(ग) कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कुछ विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई है। विवरण ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

(क) अल्पांश शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश

1. विदेश संचार निगम लिमिटेड
2. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. तेल और प्राकृतिक गैस निगम
4. भारतीय तेल निगम लि.
5. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.

(ख) अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश

1. मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि.
2. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि.
3. सीएमसी लि.
4. एचटीएल लि.
5. लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.
6. आईबीपी कंपनी लि.
7. विदेश संचार निगम लि.
8. पारादीप फॉस्फेट्स लि.
9. हिन्दुस्तान जिंक लि.
10. मारुति उद्योग लि.
11. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि.

निम्न स्थानों पर अवस्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

12. आगरा
13. बोधगया
14. हसन
15. मामल्लापुरम
16. मदुरै
17. कुतुब, नई दिल्ली
18. लोधी, नई दिल्ली
19. उदयपुर
20. मनाली
21. कोवलम
22. औरंगाबाद
23. एयरपोर्ट, कोलकाता
24. खजुराहो
25. वाराणसी
26. इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली
27. चण्डीगढ़ परियोजना
28. रणजीत, नई दिल्ली
29. कनिष्क, नई दिल्ली
30. बंगलौर अशोक (एयरपोर्ट रेस्टोरेंट बंगलौर सहित)

निम्न स्थानों पर अवस्थित होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के होटल

31. जुहू, मुम्बई
32. राजगीर
33. एयरपोर्ट, मुम्बई

विवरण II

विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री/लाभ के आंकड़े

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अवधि	बिक्री (करोड़ रुपए में)	निवल लाभ (करोड़ रुपए में)
1.	एमएफआईएल*	जनवरी से दिसम्बर, 01	232	-12
2.	बाल्को	2001-02	714.65	18.76
3.	सीएमसी	2002-03	614.73	37.05
4.	एचटीएल	2002-03	250.59	-17.21
5.	वीएसएनएल	दिसम्बर, 02 को समाप्त होने वाले 9 महीने	3780	589
6.	आईबीपी	2002-03	8926	87
7.	पीपीएल	2002-03	603.45	-68.71
8.	एच जैड एल	2002-03	1649.51	145.15
9.	आईपीसीएल	2002-03	5029	204
10.	एमयूएल	2002-03	9064	146.40

विवरण III

1. पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल)

ग्रेड	पुराना वेतनमान (रुपए)	नया वेतनमान	प्रतिशत वृद्धि*
एन 1	2150-35-2675	4250-70-5650	32.07
एन 2	2250-45-2475-55-3025	4480-80-6080	28.86
एन 3	2320-60-2680-70-3380	4610-100-5110-110-6760	28.42
एन 4	2438-80-2918-90-3818	5075-145-5800-155-8125	35.84
एन 5	2510-95-3080-105-4235	5500-160-6300-165-8775	36.24
एन 6	2672-115-3247-130-3897-140-5017	6000-170-6850-185-9255	34.02

*वृद्धि की प्रतिशतता, की गणना वेतनमान के मूल तथा महंगाई भत्ते के माध्यम के सन्दर्भ में की गई है।

2. मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

ग्रेड	पुराना वेतनमान (रुपए)	नया वेतनमान
1.	1200-20-1300-25-1675	3195-40-3395-50-4145
2.	1250-25-1375-30-1525-35-1875	3250-50-3500-60-3800-70-4500
3.	1310-30-1460-35-1635-40-2035	3320-60-3620-70-3970-80-4770
4.	1390-40-1590-50-1840-60-2440	3420-80-3820-100-4320-120-5520

टिप्पणी: कम्पनी ने सूचित किया है कि विनिवेश के समय वेतन के 6200 रुपए प्रतिमाह के औसत स्तर की तुलना मे इस समय वेतन का औसत स्तर 8000 रुपए प्रति माह है।

3. भारत पर्यटन विकास निगम का होटल-कनिष्क, नई दिल्ली

ग्रेड	1.9.2002 की स्थिति के अनुसार औसत कुल वेतन (रुपए)	1.9.2003 की स्थिति के अनुसार औसत कुल वेतन (रुपए)	प्रतिशत वृद्धि
एफ 1	4516	4878	8
एफ 2	4333	4753	9.7
एफ 3	3700	4000	8.8

4. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इण्डो होके होटल्स लिमिटेड—राजगीर

पदनाम	विनिवेश से पूर्व वेतन	विनिवेश के उपरान्त वेतन	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
गृह व्यवस्था परिचारक	3580	3910	1.12
तकनीशियन ग्रेड 1 और भंडार सहायक	3840	3910	1.82

1	2	3	4
वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड एवं वरिष्ठ खाद्य प्रबंधक	4420	4510	2.04
वरिष्ठ तकनीशियन-सह-वाहन चालक	4710	4820	2.34
बागवान	4080	4150	1.72
अन्य	4410	4650	4.49

5. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को): पांच वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक वेतन करार 7.10.2001 को सम्पन्न हुआ था जिसके अंतर्गत कामगारों को मूल वेतन में 20 प्रतिशत का गारण्टीशुदा लाभ और भत्तों में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

मुंबई में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या

1340. श्री किरीट सोमैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र-मुम्बई में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इन दुर्घटनाओं में कितने लोग घायल हुए एवं मारे गए; और

(ख) सरकार ने महाराष्ट्र-मुंबई में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर और मुंबई की सड़कों पर दुर्घटनाओं, मृतकों और घायल व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	घायल व्यक्ति	मृत व्यक्ति
महाराष्ट्र	1999	15343	12624	3181
	2000	16150	12266	3445
	2001	14269 (अनंतिम)	12283 (अनंतिम)	3318 (अनंतिम)
मुंबई	1999	25945	6932	428
	2000	26450	7122	449
	2001	26329	6894	543

(ख) भारत सरकार, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए अनेक इंजीनियरी और शैक्षिक उपाय करती रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं।

(2) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(3) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(8) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना और सुधारना आदि।

इंटरनेट कियॉस्क की स्थापना

1341. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नागार्जुन समूह के नगर आधारित 'किसात' डॉट कॉम के साथ मिलकर कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत नौ राज्यों में 100 इंटरनेट कियॉस्क स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के 18 महीनों में लागू किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा के कपास उगाने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कियॉस्क स्थापित किये जाने का निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें अनुमानतः कुल कितना व्यय शामिल है; और

(ङ) कपास उगाने वाले राज्यों के लिए इनका कितना लाभदायक होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के विकास और क्रियान्वयन का कार्य नौ महीनों में किया जाना है जिसके बाद, किसानों के उपयोग के लिए कियॉस्कों पर कार्मिकों को तैनात करके, और उनका परिचालन करके 12 महीनों तक खेतों में सहायता दी जानी है।

(ग) जी, हां।

(घ) रु. 1,96,28,000 (एक करोड़ छियानवे लाख अठाईस हजार रुपये केवल)।

(ङ) कपास के खेती के बारे में पूरी सूचना (निरन्तर अद्यतन की गई है) कियॉस्को में भरी जाएगी। यह सूचना किसानों को उनकी स्थानीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों जैसेकि टच-स्क्रीन्स, इंटरनेट, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आदि में लाए जाएंगे।

सार्क देशों के विदेश सचिवों की बैठक

1342. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में काठमांडू में आयोजित सार्क देशों के विदेश सचिवों की बैठक की कार्यसूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बैठक के दौरान सार्क देशों के बीच कुछ समझौते हुए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समझौतों से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विदेश सचिवों की सार्क स्थायी समिति का चौथा विशेष सत्र 9-10 जुलाई, 2003 को काठमान्डू में हुआ था। इसकी कार्यसूची में सार्क प्रक्रिया से सम्बद्ध गतिविधियों पर चर्चा, सार्क संस्थानों की रिपोर्टों तथा सिफारिशों पर विचार तथा सार्क सचिवालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन शामिल है। आर्थिक सहयोग तथा गरीबी उन्मूलन से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मसलों पर भी चर्चा हुई।

(ख) और (ग) जी हां। सभी शिष्टमंडलों के बीच यह व्यापक सहमति थी कि विभिन्न आर्थिक उपायों पर सहयोग को सघन करने की आवश्यकता है। समिति ने अगले शिखर सम्मेलन से पहले साफ्टा (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र) के गठन से सम्बद्ध प्रारूप संधि को शीघ्र अंतिम रूप देने पर बल दिया। इसने "साप्ता" (दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार प्रबंध) से संबद्ध प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को वरीयता के आधार पर पूरा करने के लिए कहा और वर्ष 2004 में व्यापार समझौतों के पांचवें दौर को शीघ्र प्रारम्भ करने की सिफारिश की, जो सभी गैर-सीमा शुल्क अवरोधों को समाप्त करने और चिन्हित करने के प्रयासों को सुविधाजनक बनाएंगे। सभी शिष्टमंडलों ने व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में प्रगति करने के महत्व पर बल दिया। समिति ने पाकिस्तान की सरकार के 12वें सार्क शिखर सम्मेलन को 4-6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की।

(घ) विचार-विमर्शों के दौरान, भारत ने सार्क सदस्यों के बीच सहयोग के रचनात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर बल दिया, जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाएंगे, विशेष रूप से आर्थिक कार्यकलाप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्यारहवें शिखर-सम्मेलन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सदस्य देशों के बीच व्यापारिक एवं वाणिज्यिक आदान-प्रदान को गहन करना होगा। यह प्रक्रिया सदस्य देशों के साथ भारत की व्यापार संभावनाओं को बढ़ाएगी।

[हिन्दी]

मांग पर टेलीफोन कनेक्शन

1343. श्री सुरेश चन्देल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कम संचालन लागत, न्यूनतम रख-रखाव और सस्ती तथा भरोसेमंद सेवा वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश भर में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और कब तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए, तारशुदा (वायर्ड) लाइन के मुकाबले कम प्रचालन लागत, न्यूनतम अनुरक्षण, और भरोसेमंद व सस्ती सेवा वाली डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) टेलीफोन की मांग एक गतिशील प्रक्रिया है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने संचार नेटवर्क में वृद्धि करने हेतु वर्ष-वार योजना बनाई है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार 18.07 लाख लाइनों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए, वर्ष 2003-04 के दौरान देश में 14 लाख तारशुदा (वायर्ड) लाइनों और 16.61 लाख डब्ल्यूएलएल लाइनों की वृद्धि करके नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई गई है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य कुछेक स्थानों को छोड़कर, लगभग सभी क्षेत्रों को पहले ही 'मांग पर टेलीफोन'' वाला क्षेत्र बना चुका है।

[अनुवाद]

एकीकृत लाइसेंस प्रणाली

1344. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र में एकीकृत लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली के लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या यह प्रस्ताव ट्राई के पास भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रयोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि के बावजूद सेल्यूलर ऑपरेटरों को घाटा हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) में इस बात का उल्लेख है कि बाजार और प्रौद्योगिकियों दोनों का अभिसरण एक ऐसी वास्तविकता है जो उद्योग को पुनर्गठन (रि-एलाइनमेंट) के लिए बाध्य कर रहा है। इसमें आगे यह बताया गया है कि अभिसरण से अब प्रचालकों को अन्य प्रचालकों के लिए कुछ आरक्षित सेवाएं प्रदान करने संबंधी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। मौजूदा नीति के ढांचे पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो गया है और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर ऐसे अधिनियम बनाने की आवश्यकता है जो सर्वहित में हो। तदनुसार, अगस्त, 2001 में संचार अभिसारिता बिल, 2001 को लोक सभा में पेश किया गया।

(घ) और (ङ) सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक परामर्शदायी दस्तावेज जारी किया है।

(च) एक मुक्त बाजार तथा अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रचालकों का लाभ व हानि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें प्रभारित किये जाने वाले टैरिफ से संबंधित उनके द्वारा अपनाई गई नीति, उपभोक्ता को दी जाने वाली विविध प्रकार की रियायतें समय-सीमा और परियोजना-निष्पादन की पद्धति शामिल है। तथापि, सेल्यूलर प्रचालकों ने यह दावा किया है कि प्रचुर मात्रा में विकास के बावजूद उन्हें हानि उठानी पड़ रही है।

(छ) सरकार इस विषय पर ट्राई की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी, और तत्पश्चात् उन पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

सरकारी अस्पतालों में सायंकालीन ओ.पी.डी.

1345. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 27.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1532 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सायंकालीन ओ.पी.डी. शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने और लागू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसन, सर्जरी, नेत्र, ई.एन.टी, मनश्चिकित्सा, बाल चिकित्सा, स्त्री और प्रसूति रोग में 9.1.2003 से सायंकालीन ओ पी डी सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

एम्स का आधुनिकीकरण

1346. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वर्तमान परिसर को आधुनिक रूप देने के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) जनता को आधुनिक तरीके से कब तक सेवायें प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी जहां सुविधाओं को उन्नत करने की योजना बना रहा है और एक विस्तृत मास्टर प्लान दिल्ली शहरी कला आयोग को प्रस्तुत किया गया है। मास्टर प्लान में आवास सुविधाओं का विस्तार करना, हास्टल-सुविधा का विस्तार करना, पे वार्ड जैसे नए संस्थागत भवन, ओ पी डी डायजेस्टन सेंटर, रिनाल सेंटर, डेंटल कालेज, केप्टिव पावर प्लान आदि का विस्तार करना, पार्किंग की अधिक व्यवस्था, नए ट्यूबवेल खोदना, नाले को बंद करना आदि शामिल हैं। इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होने की आशा है और इसे चरणवार ढंग से विजन-2025 के भाग के रूप में कार्यान्वित किये जाने की योजना है। इस परियोजना पर सरकार द्वारा अभी विचार नहीं किया गया है। इसका कार्यान्वयन यथोचित स्वीकृति तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

शिक्षण शुल्क

1347. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही निजी चिकित्सा कालेजों द्वारा शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है और अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को इसकी अदायगी की जा रही है;

(ख) क्या यह राशि छात्रवृत्ति के रूप में पूरी तरह दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) टी.एम.ए. पाइ फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उनके दिनांक 31.10.2002 के निर्णय

में पारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और मेडिकल फैकल्टी वाले विश्वविद्यालयों को प्राईवेट मेडिकल एवं दन्त कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले और शिक्षण शुल्क लेने से संबंधित मामलों पर 14 मई, 2003 को व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों सहित गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की स्थानीय दशा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाने वाली कुछ प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था है। कुछ राज्य सरकारों ने विनियम भी बनाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आरक्षण के पात्र अन्य विद्यार्थियों को फीस में छूट/छात्रवृत्ति और आरक्षण देने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों और कुछेक राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विनियमों को चुनौती दी गई है और वे इस समय भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

डाक विभाग के पेंशनधारकों को इलाज की सुविधा

1348. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के पेंशनधारकों को किसी योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस संबध में सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) डाक विभाग के वे पेंशनभोगी जो सेवानिवृत्ति के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थी थे, सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस में नामांकित कर दिए जाते हैं।

वे पेंशनभोगी जो उन स्थानों से सेवानिवृत्त होते हैं जहां डाक व तार औषधालय मौजूद हैं, उन्हें उन्हीं औषधालयों के माध्यम से ओ.पी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अन्य पेंशनभोगी जो किसी भी औषधालय द्वारा कवर नहीं होते उन्हें रोजमर्रा के इलाज का खर्च वहन करने के लिए 100 रुपये प्रतिमाह का नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां, मंत्रालय को इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों से ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। यह सीजीएचएस द्वारा कवर न किये जाने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों से संबंधित नीतिगत मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो नोडल मंत्रालय है, ने यह मत प्रकट किया है कि मौजूदा बुनियादी सुविधाओं और वर्तमान कर्मचारी संख्या के मद्देनजर इस मामले पर विचार किया गया और यह पाया गया कि सेवानिवृत्ति के समय सीजीएचएस सुविधा का लाभ न उठाने वाले डाक व तार पेंशनभोगियों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बाल्को का विनिवेश

1349. श्री रामदास आठवले: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को कंपनी को स्टरलाइट कंपनी को बेचे जाने के समय इसकी परिसम्पत्तियां और सावधि जमा भी स्टरलाइट कंपनी को सौंप दी गई;

(ख) यदि हां, तो बाल्को कंपनी के कोरबा एल्युमिनियम संयंत्र में कच्ची सामग्री, कोयला एवं ईंधन के भंडार, प्रसंस्करण किये जाने वाली सामग्री के भंडार, निर्मित उत्पाद, अतिरिक्त कलपुर्जे, स्क्रैप धातु के भंडार और इसकी सावधि बचतों का अलग-अलग मूल्य कितना है; और

(ग) स्टरलाइट कंपनी द्वारा कितने कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दिया गया और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) अनुकूल बिक्री की प्रक्रिया के माध्यम से बाल्को का विनिवेश मैसर्स स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को किया गया था। किसी भी अनुकूल बिक्री में, अनुकूल साझीदार, सरकार द्वारा बेची जा रही शेयरधारिता के साथ कम्पनी का प्रबंधन नियंत्रण हासिल कर लेता है। अनुकूल साझीदार कम्पनी का अधिग्रहण एक चल रही कम्पनी के आधार पर करता है और इसलिए वह अपनी शेयरधारिता के अनुपात में परिसम्पत्तियों तथा देयताओं दोनों का अधिग्रहण कर लेता है।

(ख) लोक उद्यम विभाग के 1999-2000 के सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति सूची (कच्चा माल, ईंधन भण्डार, प्रक्रियाधीन सामग्री, विनिर्मित उत्पाद, कल-पुर्जे, कतरन धातु भण्डार आदि) का मूल्य 177.10 करोड़ रुपए और नकदी तथा बैंक अधिशेष का मूल्य 310.23 करोड़ रुपए था।

(ग) कम्पनी से उपलब्ध जानकारी के अनुसार बाल्को के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। तथापि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 1099 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को औषधियों की आपूर्ति

1350. **डा. बलिराम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा केंगे कि:

(क) क्या एलोपैथिक औषधालय, नार्थ एवेन्यू और सी.जी.एच.एस., औषधालय-76 नई दिल्ली के सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को समय पर औषधि नहीं मिलती और संबंधित औषधालयों के फार्मासिस्ट आमतौर पर निर्धारित सीमा से कम मात्रा में औषधि देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को औषधालय प्रभारी, फार्मासिस्टों और स्थानीय अधिकृत दवा विक्रेताओं के बीच सांठ-गांठ की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. का विनिवेश

1351. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में बी.एस.एन.एल. की बिक्री को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.एस.एन.एल. के विनिवेश हेतु क्या आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उसके शेयरों का किस तरीके से मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) क्या विनिवेश मंत्रालय ने बी.एस.एन.एल. के विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णय के ठीक पहले प्रमुख निवेशकों द्वारा बी.एस.एन.एल. के शेयरों में रुचि न लिये जाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 10 हजार से अधिक शेयर रखने वाले बी.एस.एन.एल. के शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली: (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की शत-प्रतिशत इक्विटी भारत सरकार के पास है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पास लंबित देय राशि

1352. **श्री खगेन दास:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत को शांति बनाये रखने हेतु भारी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार कुल कितनी धनराशि लंबित है;

(ग) यह बकाया धनराशि कब से लंबित है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, 11 जुलाई 2003 की स्थिति के अनुसार 21.52 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि लम्बित है इसमें 11 जनवरी 2003 तक व्यय राशि शामिल नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को चालू मिशनों के लिए व्यय कार्रवाई करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है।

(ग) से (ङ) बकायों का निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। इस मामले पर भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत की विभिन्न शांति अभियानों में भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र से 199344601.95 अमरीकी डालर का भुगतान प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 को चार लेन का बनाना

1353. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी विदेशी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के एक घटक के रूप में चेरतला से कन्याकुमारी और बाइपासों को जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 को चार लेन का बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम

1354. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु इन राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में गलगण्ड को नियंत्रित करने में सफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय गॉयटर नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है। इसे सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 79.94 लाख, 82.48 लाख तथा 153.45 लाख रु. है।

(ग) और (घ) जी, हां। गॉयटर तथा अन्य आयोडीन अल्पता विकारों की समस्या को नियंत्रित करने के वास्ते 24 राज्यों तथा सभी 7 संघ राज्य क्षेत्रों में उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। 10 राज्यों व 2 संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में दोबारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस कार्यक्रम में किए गए विभिन्न नियंत्रण उपायों के परिणामस्वरूप आयोडीन की कमी वाले मामलों में काफी कमी आई है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि

1355. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार और महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 हेतु इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को अपने कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सीधे कोई अनुदान आवंटित नहीं करता है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के तहत उन संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने की पात्र होती हैं। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इन संस्थाओं को दिए अनुदानों के बारे में राज्यवार और विश्वविद्यालय/कालेजवार सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 2003-2004 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 25.00 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। वर्ष 2004-2005 के लिए अब तक कोई आबंटन अनुमोदित नहीं किया गया है।

डीएनए/फिंगर प्रिंट्स प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला

1356. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, पुलिस, न्यायिक अधिकारियों और अपराध वैज्ञानिकों के लाभ हेतु डी एन ए और फिंगर प्रिंट्स प्रौद्योगिकी कार्यशालाएं आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों के पाठ्यक्रम में डी एन ए और फिंगर प्रिंट्स प्रौद्योगिकी को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केन्द्र (सी डी एफ डी), हैदराबाद तथा केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), कोलकाता, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अपराध वैज्ञानिकों के लिए डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग प्रौद्योगिकी तथा डीएनए जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में कार्यशालाओं, व्याख्यानों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(ख) सीडीएफडी, हैदराबाद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेन्सिक साईंस (एन आई सी एफ एस), नई दिल्ली के सहयोग से जून, 2002 तथा जुलाई, 2002 में क्रमश: चेन्नई तथा बंगलौर में पहले ही 2 दो-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सीएसएफएल, कोलकाता 20 सितम्बर, 2003 तथा 17 जनवरी, 2004 के दौरान आईपीएस अधिकारियों के लिए तथा 18 अक्तूबर, 2003 और 14 फरवरी, 2004 के दौरान न्यायिक अधिकारियों के लिए अपराध विज्ञान में बढ़ोत्तरी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके अतिरिक्त, सितम्बर तथा नवम्बर 2003 के बीच यह प्रयोगशाला भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के ईटानगर, कोहिमा, गंगटोक, ऐजॉल, शिलांग, इम्फाल तथा पोर्ट ब्लेयर के पुलिस मुख्यालयों में 14 गहन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। यह प्रयोगशाला डीजीपी, पश्चिम बंगाल द्वारा राज्य के अपराध जांच अधिकारियों के लिए आयोजित किये जाने वाले अपराध जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण भी दे रही है।

(ग) कांस्टेबल/सब इंस्पेक्टर/डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मूलभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है। तथापि, बी पी आर एंड डी द्वारा एक मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तथा उसे अपनाने के लिए विभिन्न राज्यों को परिचालित किया जाता है। पिछला ऐसा पाठ्यक्रम वर्ष 2002 में परिचालित किया गया था। फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इस पाठ्यक्रम में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाता है तथा "अपराध के स्थान से ब्लडस्टेन, टिशू, बोन्स सलाईवा आदि के संरक्षण" के संबंध में प्रशिक्षण सत्र के दौरान डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता प्रदान की जाती है। ये उच्चतम विशिष्ट कार्य हैं तथा चयनित स्थानों पर उन्नत प्रयोगशालाओं में इस कार्य को किया जाता है। दूसरी तरफ फिंगरप्रिंटिंग प्रौद्योगिकी काफी पुरानी है तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।

मुंबई में डाकघरों का आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण

1357. श्री किरीट सोमैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंबई, महाराष्ट्र में कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है;

(घ) वर्तमान में मुंबई, मुंबई उपनगर में कितने डाकघर कम्प्यूटरीकृत और गैर-कम्प्यूटरीकृत हैं;

(ङ) इन डाकघरों के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(च) क्या कुर्ला-मानखुर्द और कुर्ला-मुलुंड क्षेत्र के डाकघरों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मुंबई शहर में, उपनगरों सहित (परन्तु नवीं मुम्बई और ठाणे को छोड़कर) 259 विभागीय डाकघर हैं। इनमें से 11 प्रधान डाकघर हैं और बाकी 248 उप डाकघर हैं। मुंबई, मुंबई उपनगर में कम्प्यूटरीकृत और गैर-कम्प्यूटरीकृत डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार (4) प्रधान डाकघरों को कम्प्यूटरीकरण के लिए शामिल किया गया है बशर्ते कि आवश्यक मंजूरी और धन उपलब्ध रहें।

(ङ) डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए कम्प्यूटरीकरण पर अब तक हुआ कुल व्यय लगभग 1.49 करोड़ रुपये है।

(च) जी हां। इस क्षेत्र के 60 डाकघरों में से 14 डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं।

(छ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण I

मुंबई, मुंबई उपनगर में कम्प्यूटरीकृत और गैर-कम्प्यूटरीकृत डाकघरों का विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या	गैर-कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या
1.	सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण (पूर्ण कम्प्यूटरीकरण)	7 प्रधान डाकघर	252
2.	एमपीसीएम (बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें) संस्थापित करके जन काउंटरों का कम्प्यूटरीकरण	56	203
3.	स्पीड पोस्ट वितरण का कम्प्यूटरीकरण (स्पीडनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्पीड पोस्ट वस्तुओं को ट्रैक एंड ट्रेस करना)	75	13 (मुंबई शहर में कुल 88 वितरण डाकघर ऐसे हैं, जहां स्पीडनेट की आवश्यकता है)

विवरण II

कुर्ला-मानखुर्द और कुर्ला-मुलुंड क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत किये गये 14 डाकघरों का विवरण

क्र.सं.	डाकघर का नाम	कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का उद्देश्य
1	2	3
1.	चेंबूर प्रधान डाकघर	पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण
2.	भांडूप (पश्चिम)	बहुउद्देशीय काउंटर मशीन (एमपीसीएम), स्पीडनेट
3.	एफसीआई	(एमपीसीएम), स्पीडनेट
4.	कुर्ला	(एमपीसीएम), स्पीडनेट
5.	मुलुंड (पश्चिम)	(एमपीसीएम), स्पीडनेट
6.	मुलुंड (पूर्व)	(एमपीसीएम), स्पीडनेट
7.	राजावाड़ी	(एमपीसीएम), स्पीडनेट
8.	घाटकोपर (पश्चिम)	एमपीसीएम
9.	तिलक नगर	स्पीडनेट

1	2	3
10.	विखोली	स्पीडनेट
11.	टैगोर नगर	स्पीडनेट
12.	भांडूप (पूर्व)	स्पीडनेट
13.	टीएफ देवनार	स्पीडनेट
14.	नेहरू रोड	एमपीसीएम

आंगनवाड़ी अध्यापक

1358. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशनल स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन के अंतर्गत खाना बनाने और छात्रों को पका हुआ भोजन बांटने में लगे रहने के कारण आंगनवाड़ी अध्यापक शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जाएंगे जिससे आंगनवाड़ी अध्यापक शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर सकें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में अध्यापक नहीं होते हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं एक सहायिका द्वारा चलाया जाता है, जो स्कीम के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ 3-6 वर्ष के बच्चों को शाला-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य-उत्तरदायित्व में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत खाना पकाना और विद्यार्थियों को उसका वितरण करना शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों का भुगतान

1359. श्री महेश्वर सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों तथा ग्रामीण डाकघरों को टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजनार्थ कितने ग्रामीण डाकघरों तथा बैंकों को प्राधिकृत किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 1.10.2000 से टेलीफोन सेवाएं मुहैया कराना बंद कर दिया है। ये सेवाएं अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा निजी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं। टेलीफोन बिलों की वसूली का दायित्व बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित अलग-अलग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का है।

(ग) सरकार (दूरसंचार विभाग) ने इस उद्देश्य के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस को प्राधिकृत नहीं किया है, क्योंकि अब इस संबंध में निर्णय संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा लिया जाता है।

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

1360. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई बजट आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। जिला-वार ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) किसी भी प्रकार का पृथक बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान, टेलेक्स और तार संबंधी कार्यों के लिए आवंटित विकासात्मक निधियों से इन कार्यक्रमों की मांगों की पूर्ति की जाती है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यकता/व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

बिहार

जिला मुख्यालय का नाम	एसएफएमएसएस पोर्ट्स	स्टेशन	ईटीपी
1	2	3	4
औरंगाबाद	1	1	2
अररिया	0	2	2
बंका	0	1	2
बेगूसराय	1	2	4
भागलपुर	1	1	5
भोजपुर (अरराह)	1	1	3
बक्सर	1	1	4
भाबुआ	0	1	2
छपरा	1	1	2
दरभंगा	2	1	2
पूर्वी चंपारन (मोतीहारी)	2	2	4
गया	1	1	5
गोपालगंज	1	1	2
जमुई	0	1	2
जहानाबाद	1	1	4
कटिहार	1	1	5
खगरिया	1	1	2
किशनगंज	0	1	2
लखीसराय	0	1	0
माधोपुरा	0	1	1
मधुबनी	1	2	2
मुंगेर	1	1	4
मुजफ्फरपुर	1	1	5
नालंदा (बिहार शरीफ)	1	2	2
नवादाह	1	1	3
पटना	9	6	13
पुर्निया	0	1	2
सासाराम	1	1	3
सहरसा	1	1	2
समस्तिपुर	1	1	2
शेखपुरा	0	1	0
शिवहर	0	0	0
सीतामढ़ी	1	1	2
सिवान	1	1	2
सुपौल	0	1	2
वैशाली	1	1	2
पश्चिमी चंपारन (बेतिहा)	1	1	2

नोट: एक एसएफएमएस 64 लाइन सिस्टम सीटीओ पटना में उपलब्ध है।

संक्षिप्त:

एसएफएमएसएस: स्टोर एण्ड फोरवार्ड मैसेजिज स्विचिंग सिस्टम

बी/फैक्स: ब्यूरो फैक्स

ईटीपी: इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर

[अनुवाद]

सुलभता संबंधी घाटा प्रभार की अदायगी

1361. श्रीमती प्रभा राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेल्यूलर तथा डब्ल्यू.एल.एल. ऑपरेटरों से बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों को लम्बी दूरी की कॉलों से होने वाले सुलभता संबंधी (ऐक्सेस) घाटा प्रभार की अदायगी करने को कहा है ताकि वे उपभोक्ताओं द्वारा प्रदत्त कम मासिक किराए से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकें;

(ख) यदि हां, तो सेल्यूलर और डब्ल्यू.एल.एल. ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों को अदा की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित अदायगी से बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों को कम मासिक किराए से होने वाले नुकसान को कितना कम किया जा सकेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 24.01.03 (01.05.2003 से प्रभावी) के टेलीकम्यूनिकेशन इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जिज (आईयूसी) विनियमन में विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) कॉलों के संबंध में एक्सेस डैफिसिट चार्ज (एडीसी) बुनियादी सेवा प्रचालकों को दिया जाना है। बुनियादी सेवा प्रचालकों के लिए एडीसी भुगतान के आधार का विशेष रूप से उल्लेख आईयूसी विनियमन, 2003 की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-4 में किया गया है, जो क्रमश: एनएलडी और आईएलडी कॉलों के लिए अनुबन्ध के रूप में संलग्न कीं गई हैं। ये अनुसूचियां क्रमश: विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) आईयूसी प्रभारों को, सभी कॉलों के लिए प्रति मिनट आधार पर वितरित किया जाता है। भुगतान परस्पर नेटवर्कों के परियात (आरंभ और समाप्त होने वाली) की मात्रा पर निर्भर होते हैं।

विवरण I

अनुसूची-1

लंबी दूरी की कॉलों, अर्थात् एक या एकाधिक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों के माध्यम से रूट की गई इंटर एसडीसीसी कॉलों के लिए प्रति मिनट आरंभन तथा समाप्ति प्रभार

प्रति मिनट देय राशि, रुपयों में	प्रति मिनट लागत रुपयों में	50 किमी तक अंतरा सर्किल और अंत:सर्किल	अंतरा सर्किल (50 कि.मी. से अधिक और 200 किमी तक)	अंतरा सर्किल (200 कि.मी. से अधिक)	अंत:सर्किल (50 से अधिक और 100 कि.मी. तक)	अंत:सर्किल (100 से अधिक और 200 कि.मी. तक)	अंत:सर्किल (200 से अधिक और 500 कि.मी. तक)	अंत:सर्किल (500 कि.मी. से अधिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आरंभिक अभिगम्यता प्रदाता								
(क) फिक्स्ड	आरंभन	अंत:सर्किल के लिए 0.15 और अंतरा-सर्किल के लिए 0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	विभेदक एडीसी	शून्य	0.50	1.25	0.50	0.50	1.25	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	एकसमान एडीसी	शून्य	0.50			1.50	-	-
	विभेदक एडीसी सहित आरंभिक छोर पर जोड़	अंत:सर्किल के लिए 0.15 और अंतरा:सर्किल के लिए 0.25	1.00	1.75	1.00	1.00	1.75	2.50
	एकसमान एडीसी सहित आरंभिक छोर पर जोड़	अंत:सर्किल के लिए 0.15 तथा अंतर सर्किल के लिए 0.25	1.00			2.00		
(ख) डब्ल्यू.एल.एल.(एम.)	आरंभन	परिहार						
(ग) सेल्यूलर	आरंभन	परिहार						
समाप्ति अभिगम्यता प्रदाता								
(क) फिक्सड लाइन	समाप्ति	अंत:सर्किल के लिए 0.15 और अंतरा-सर्किल के लिए 0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	विभेदक एडीसी	शून्य	0.50	1.25	0.50	0.50	1.25	2.00
	समान एडीसी	शून्य	0.50	-	-	1.50	-	-
	विभेदक एडीसी सहित समाप्त छोर पर जोड़	अंत:सर्किल के लिए 0.15 और अंतरा:सर्किल के लिए 0.25	1.00	1.75	1.00	1.00	1.75	2.50
	एकसमान एडीसी सहित समाप्त छोर पर जोड़	अंत:सर्किल के लिए 0.15 तथा अंतरा:सर्किल के लिए 0.25	1.00	-	-	2.00	-	-
(ख) डब्ल्यू.एल.एल.(एम)	समाप्ति	0.50						
(ग) सेल्यूलर	समाप्ति समाप्ति अभगम्यता प्रदाता	बुनियादी सेवा से मैट्रो में कॉल 0.30 रु. प्रति मिनट और सर्किलों में 0.40 रु. प्रति मिनट और इनकमिंग एयर टाइम शून्य						

विवरण II

अनुसूची-6

अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कालों के लिए अनुसूची

अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की कॉलों से इनकमिंग तथा आउट गोइंग कॉलों के लिए एक्सेस डैफिसिट प्रभार 5.00 रुपये प्रति मिनट होगा। इसके अलावा रु. 0.50/0.50 प्रति मिनट के आरंभ/समाप्ति प्रभार बुनियादी सेवा प्रचालक (बीएसओ) को देय होंगे। अनुसूची 2 के अनुसार एनएलडीओ के लिए कैरेज प्रभार भी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, आईएलडीओ से यह अपेक्षित है कि वे भारत और दूरवर्ती देशों से दूरवर्ती अंतर्राष्ट्रीय कैरियरों के बीच आउट गोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक के लिए सैटलमेंट दरों का भुगतान करें। रिटेल टैरिफ तथा होलसेल टैरिफ के बीच के अन्तर, अर्थात राष्ट्रीय नेटवर्क पर कौलों के आरंभन/समाप्ति तथा कैरेज के लिए अदा किए गए आईयूसी और विदेशी प्रचालकों को प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय सैटलमेंट दरों को परस्पर बातचीत के माध्यम से बांटा जा सकता है।

केरल में एक्सप्रेस हाइवे

1362. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य से राज्य में एक्सप्रेस हाइवे स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी

1363. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ख) कुल कर्मचारियों में से अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की समूहवार अलग-अलग संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): (क) विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी
'क'	11
'ख'	44
'ग'	44
'घ'	26

(ख) विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

समूह	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
'क'	शून्य	1	2
'ख'	3	4	9
'ग'	4	8	10
'घ'	3	2	6

बिहार में डाकघर

1364. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार में जिलावार कितने डाकघर और शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और प्राप्त किए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में डाक सेवाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) बिहार सर्किल को हाल ही में चालू वर्ष के दौरान 15 शाखा डाकघर और एक विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनके स्थानों

का चयन इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने के आधार पर किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित 16 डाकघरों को खोलने के लिए आवंटित निधि 70,000 रुपये है।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	लक्ष्य	उपलब्धि
(1) शाखा डाकघर	15	15
(2) विभागीय उप डाकघर	शून्य	शून्य

(ङ) बिहार सहित देश में डाक सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक योजना के अंतर्गत डाक सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर नेटवर्क का विस्तार, ग्राहकों को अधिक कुशल और मूल्यवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाक व मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करके उनकी क्षमता में उन्नयन, विशेष प्रीमियम और वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और ग्राहक सेवा में सुधार जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। नियमित निरीक्षणों और दौरों के साथ-साथ डाक पारेषण की कुशलता के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्डों की प्रणाली के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता की मानीटरिंग के उपाय भी मौजूद हैं।

[अनुवाद]

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश

1365. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** 7 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6501 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नये जहाजों की खरीद करने हेतु और निवेश करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नये जहाजों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी हां।

(ख) से (ग) भारतीय नौवहन निगम ने हाल ही में हुण्डई शिपयार्ड, दक्षिण कोरिया में दो बहुत बड़े क्रूड ऑयल कैरियर्स के निर्माण का आदेश दिया है तथा कोचीन शिपयार्ड में एक अफ्रामैक्स क्रूड ऑयल टैंकर के निर्माण के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों ही अधिग्रहण प्रस्ताव भा.नौ.नि. में विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व आरंभ किये गये थे तथा भा.नौ.नि. की कारोबारी योजना के अनुसार है।

भा.नौ.नि. द्वारा नये जहाजों की खरीद का प्रभाव सकारात्मक होगा जो कंपनी की लाभप्रदता को भी बढ़ायेगा। प्रचालित कम नई निर्माण कीमत पर जहाज के अधिग्रहण के लिए आर्डर देना भावी लाभप्रदता तथा इसके मूल्यांकन के हक में होगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भा.नौ.नि. के आरक्षित/आंतरिक संसाधनों को अच्छी प्रकार से उपयोग में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार अधिप्राप्ति के लिए कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करायेगी तथा इसका वित्त पोषण कंपनी द्वारा आंतरिक संसाधनों तथा वाणिज्य बाजार से उधार लेकर किया जाएगा।

(घ) विनिवेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया विनिवेश कार्यक्रम के अनुसार भा.नौ.नि. का विनिवेश अक्तूबर, 2003 तक हो जाने की संभावना है।

टेक्नोलोजी इंक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना

1366. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने तिरुअनंतपुरम में टेक्नोलोजी इंक्यूबेशन सेन्टर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

1367. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इन कैंसर केन्द्रों को मानद विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने कैंसर के उपचार और अनुसंधान कार्यकलापों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है। इन आर.सी.सी. की सूची उपाबंध में दी गई है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल, हॉस्पीटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	रीजनल कैंसर सेंटर तिरूवनन्तपुरम
चितरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कोलकाता, प. बंगाल	गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद, गुजरात
किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आंकोलोजी, बंगलौर, कर्नाटक	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकोलोजी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आई ए) अद्यार, चेन्नई, तमिलनाडु	पांडिचेरी रीजनल कैंसर सोसायटी, जिपमेर, पांडिचेरी
आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, कटक, उड़ीसा	डा. बी.बी. कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम
रीजनल कैंसर कंट्रोल सोसायटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुम्बई, महाराष्ट्र
कैंसर हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, बिहार
इंडियन कोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट, (एआईआईएमएस), नई दिल्ली	आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरसीसी), बीकानेर, राजस्थान
आर.एस.टी. हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र	रीजनल कैंसर सेंटर, पंडित बी.डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक, हरियाणा
पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	सिविल हॉस्पीटल, आइजॉल, मिजोरम

एस ई आर सी, चेन्नई

1368. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई स्थित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेन्टर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो एस ई आर सी की विशेषता क्या है;

(ग) क्या पूरे देश में इसकी शाखाएं स्थित हैं;

(घ) उद्योग और संस्थानों हेतु किए गए कार्य के लिए एस ई आर सी द्वारा कितना परामर्श शुल्क और रायल्टी अर्जित की गई है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु इसकी विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) एसईआरसी की विभिन्न भवन सामग्रियों यथा कंक्रीट कम्पोजिट्स एवं सामग्रियों, प्रवलित कंक्रीट संरचनाओं एवं प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट की विशेषताओं के साथ-साथ संरचनात्मक इंजीनियरी के विभिन्न पहलुओं यथा संरचनात्मक गतिकी; प्रायोगिक मेकेनिक्स एवं कंकाल संरचनाओं में विशिष्टता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए परामर्शी, छुटपुट कार्य, परीक्षण और तकनीकी सेवाओं से प्राप्त आय 224.46 लाख रुपए थी।

(ङ) वर्ष 2002-2003 में विभिन्न स्रोतों से आय का ब्यौरा निम्नवत है:

(रुपये लाखों में)

प्रकृति/स्रोत	संविदागत अनुसंधान	परामर्शी/तकनीकी सेवाएं	जोड़
सरकारी/पीएसयू	1769.12	74.48	1843.60
निजी	-	124.46	124.46
अंतर्राष्ट्रीय	-	25.52	25.52
जोड़	1769.12	224.46	1993.58

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र

1369. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से ज्यादा सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र पिछले दो वर्षों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1370. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम ने आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आंध्र प्रदेश में कोई उपयुक्त स्थान पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की स्थल चयन समिति (एस एस सी) ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु

विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थलों का अन्वेषण तथा मूल्यांकन किया है।

(ग) दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में, स्थल चयन समिति द्वारा जिन स्थलों की जांच और मूल्यांकन किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कोवाडा नामक स्थल भी एक है।

(घ) भावी परमाणु विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में, दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के बाद के भाग में शुरू किया जा सकेगा, के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्थलों के बारे में निर्णय लिया जाना, बिजली की मांग, उस क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा के विकल्पों, परमाणु विद्युत कार्यक्रम, धनराशि की उपलब्धता, और स्थल की विशेषताओं के आधार पर स्थलों की उपयुक्तता के क्रम, आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्थल पर किसी परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने से पहले, सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से और पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) से स्थल संबंधी अनुमति लेना आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

जाली स्टाम्प

1371. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2003 तक देश में जब्त किए गए जाली स्टाम्पों का मूल्य कितना है;

(ख) इन जाली स्टाम्पों के मुद्रण में संलिप्त कितने लोगों को पकड़ा गया है और उनको क्या दंड दिया गया है; और

(ग) जाली स्टाम्प के कारोबार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति/उपाय क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) इस मंत्रालय का संबंध केवल डाक-टिकटों से है। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से प्राप्त दिनांक 20.12.2002 की रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा 1,27,30,910 रु. मूल्य के जाली डाक-टिकट जब्त किए गए हैं।

(ख) कर्नाटक पुलिस की रिपोर्ट में पकड़े गए व्यक्तियों की सही संख्या का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल इतना है कि कतिपय मामलों में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनको दी गई सजा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सुरक्षा उपाय के बतौर डाक-टिकटें केवल प्रतिभूति मुद्रणालयों में ही छपवाई जाती हैं।

[अनुवाद]

पंजाब में दूरभाष केन्द्र

1372. श्री भान सिंह भौरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब में नए दूरभाष केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य जिलावार कितना है;

(ख) अभी तक उनमें से जिलावार कितनों ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड की पंजाब दूरसंचार सर्किल में चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 21 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित जिले-वार ब्यौरे के अनुसार, तीन नए टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना शुरू कर दिया है:

जिला	खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज
लुधियाना	2
रोपड़	1
कुल	3

(ग) निर्धारित कुल रकम लगभग 41.02 करोड़ रुपए है। अब तक रिलीज की गई कुल रकम लगभग 2.54 करोड़ रुपए है।

विवरण

पंजाब दूरसंचार सर्किल में, वर्ष 2003-04 के दौरान खोले जाने वाले योजनागत नए टेलीफोन एक्सचेंज

जिला	नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अमृतसर	1
फरीदकोट	1

1	2
फिरोजपुर	1
गुरदास	3
लुधियाना	4
पटियाला	1
रोपड़	4
पंचकुला	3
चण्डीगढ़	3
कुल	21

[हिन्दी]

महिलाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा

1373. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यवसाय प्रबंधन के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, संचार और इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में महिलाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई संस्थानों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना

1374. **श्री अरुण कुमार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और देश में इंटरनेट सेवाओं के तीव्र विकास हेतु राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै में कृतक बल गठित करने का भी सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में इंटरनेट की वृद्धि में तेजी लाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल की एक सिफारिश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बराबरी करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज बिन्दु (आईएक्सपी) स्थापित करने से संबंधित है। इसके फ़लस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ की लागत में बचत होगी, सेवाओं की क्वालिटी तथा तीव्र अभिगम में सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप इंटरनेट का प्रयोग अधिक होगा और भी स्तरों पर इसका प्रसार बढ़ेगा। आईएक्सपी की स्थापना आरम्भत: चार महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नै तथा कोलकाता में की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के सहयोग से नोएडा, मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता में आईएक्सपी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। नोएडा स्थित पहला आईएक्सपी कार्यशील होने के लिए तैयार है।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

1375. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वांछित आतंकवादियों/आतताइयों की सूची सौंपी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विगत में, भारत ने अनेक अवसरों पर भारतीय विधि के तहत भगोड़ों की वापसी और पाकिस्तान से प्रचालित आतंकवादियों की मांग की थी। तथापि, पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने सहयोग नहीं दिया था।

संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को आतंकी हमले के पश्चात्, 31 दिसम्बर, 2001 को सरकार ने भारतीय विधि की दृष्टि से 20 भगोड़ों की एक समेकित सूची पाकिस्तान को, जिनके पाकिस्तान में रहने की जानकारी है, इस अनुरोध के साथ सौंपी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और भारत को सौंपा जाए। पाकिस्तान के लिए यह निर्दिष्ट किया था कि अपराधियों की सूची में से 15 के विरुद्ध पहले ही इन्टरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी हुए थे जो पाकिस्तान के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार भी प्रदान करता है। इस सूची में 1993 में मुंबई बम्ब विस्फोट, कंधार के लिए आई सी 814 का अपहरण तथा 13 दिसम्बर 2001 को भारत की संसद पर हमले जैसे घृणित अपराधों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति शामिल हैं।

पाकिस्तान ने इस अनुरोध का सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। 12 जनवरी, 2002 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए किसी पाकिस्तान राष्ट्रिक को पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा सौंपे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। गैर-पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की उपस्थित के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे किसी व्यक्ति को शरण नहीं दी थी।

मनोचिकित्सकों का पलायन

1376. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्कर राव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:
डा. चरण दास महंत:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशे से जुड़े लोग (मनोचिकित्सक) विदेशों में आकर्षक रोजगार प्राप्त करने हेतु सरकारी अस्पतालों को छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मनोचिकित्सकों के पलायन को रोकने हेतु और उन्हें प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा इनकी विद्यमान सेवा शर्तों की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

घटिया स्तर की औषधियां

1377. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजी मांझी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री राम विलास पासवान:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री सुबोध राय:
श्री राधा मोहन सिंह:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्रीमती दीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा घटिया स्तर की औषधियों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नकली औषधियों के ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत मानक गुणवत्ता वाली औषधों की आपूर्ति की जाए, हर प्रयास कर रही है। यदि आपूर्ति की जा रही घटिया औषधों की कोई विशिष्ट घटना ध्यान में लाई जाती है तो आपूर्तियों को प्रतिस्थापित करने और आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु तत्काल उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन से उपलब्ध सूचना (फीडबैक) के अनुसार, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 की अवधि के दौरान पकड़ी गई नकली दवाइयों की संख्या को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत औषधों के विनिर्माण और बिक्री को विनियमिति करने तथा उनकी गुणवत्ता की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अंतर्राज्यीय व्यापार में मिलावटी/नकली औषधों के चलन का पता लगाने और उजागर करने के साथ-साथ, राज्यों को विनियामक ढांचा प्रदान करने एवं उसे सुदृढ़ करने, औषध नमूनों का तेजी से विश्लेषण सुनिश्चित करने; अपनी राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने, जिनके लिए राज्यों को उनकी प्रयोगशालाओं में आधारभूत ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ करने और बढ़ाने हेतु सहायता दी जाती है, के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर उनके प्रवर्तन तंत्र को तेज करने की सलाह दी जाती है। राज्य सरकारों को, सन्देहास्पद डीलरों पर कड़ी निगरानी रखने; राष्ट्रीय औषध गुणवत्ता मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण नमूने एकत्र करने; राज्य औषध परामर्श समिति, जिसमें विभिन्न व्यापार और उद्योग संघ तथा उपभोक्ता संघ अपने अभयावेदन पेश कर सकते हैं, के गठन/उन्हें पुनः सक्रिय बनाने; अलग आसूचना-सह-कानून कक्ष स्थापित करने; सक्षम संचार सुविधाएं विकसित करने की प्रक्रिया रिकाल करने, मिलावटी औषधों के मामलों आदि से निपटने हेतु अनुभवी वकील नियुक्त करने की भी सलाह दी गई है।

मिलावटी औषधों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) मिलावटी औषधों के विनिर्माण एवं बिक्री पर ध्यान केन्द्रित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु नकली औषधों के चलन पर प्रभाव निगरानी के लिए आवश्यक कार्यनीतियां अपनाने के संबंध में राज्यों को 17 नवम्बर, 1999 को विस्तृत मार्गनिर्देश दिए गए थे।

(2) नकली औषधों की कथित बिक्री से संबंधित विषयों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 12-13 जुलाई, 2001 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् के सातवें सम्मेलन में उठाया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने संकल्प पारित किया कि मिलावटी औषधों/घटिया औषधों की बढ़ी हुई रिपोर्टों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए संबंधित औषध संगठन में एक अलग आसूचना-सह-कानूनी कक्ष बनाकर और फार्मा उद्योग, व्यापार तथा पुलिस का सहयोग लेने के लिए ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों की निगरानी और उन्हें उजागर करने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) मिलावटी औषधों की समस्या से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई, 2001 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विस्तृत समिति का गठन किया समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को 16 सितम्बर, 2002 को सभी राज्य औषध नियंत्रकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य में मिलावटी औषधों के जोखिम की किसी भी संभावना के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यनीतियों को कठोरता से लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाए इसके लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मिलावटी औषधों के विषय पर सभी मुख्यमंत्रियों को 8 अक्तूबर, 2002 को विशेष रूप से पत्र लिखा था ताकि सामूहिक रूप से इसका पूरी तरह से उन्मूलन सुनिश्चित हो सके।

(5) देश में मिलावटी औषध के व्यापार की किसी भी संभावना को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और इस जोखिम से निपटने हेतु सभी लाभग्राहियों (स्टेक होल्डरों) को शामिल करने के वास्ते केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने 13 प्रमुख राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 12.11.2002 को एक बैठक की थी। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श से उत्पन्न सुझावों/मतों को दिनांक 8 जनवरी, 2003 को सभी राज्य सरकारों को उनकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उत्पन्न सिफारिशों में से एक सिफारिश उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ निरोधक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा ''गुजरात समाज विरोधी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1985 (पासा) कानून बनाने की थी।

(6) देश में परीक्षण किये जा रहे औषध नमूनों की संख्या बढ़ाने और वर्तमान में कई प्रयोगशालाओं द्वारा लिये जा रहे सूचना समय को 3 स 6 माह से घटाकर एक माह से कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक व्यापक योजना हाथ में ली गई है।

(7) तीव्र सूचना आदान-प्रदान और सभी राज्यों और केन्द्रीय औषध नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक कम्प्यूटरीकरण परियोजना चलाई गई है।

(8) मिलावटी औषधों के संभावित व्यापार पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी सभी राज्य सरकारों के औषध नियंत्रण अधिकारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसका आयोजन एफ.डी.ए., महाराष्ट्र के सहयोग से 25 जून, 2003 को मुम्बई में किया गया।

(9) मिलावटी और घटिया औषधों की समस्या सहित इस समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए निवारणीय उपाय संस्तुत करने सहित देश में औषध विनियामक प्रणाली की व्यापक समीक्षा हेतु भारत सरकार ने डा. आर.ए. मशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 27 जनवरी, 2003 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने उनके विचाराधीन विषयों के दो विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके जांच करने के लिए 26.2.2003 और 17.7.2003 को दो बैठकें की हैं। कई विख्यात व्यक्तियों एवं लाभग्राहियों से भी परामर्श लिया गया है। इस समिति द्वारा ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों में से एक मुद्दा, औषध अपराधियों के लिए अत्यधिक कठोर एवं निवारक दण्ड शुरू करना है।

विवरण

2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 की अवधि के दौरान राज्य औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा पता लगाई गई नकली दवाइयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27	4	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	1	शून्य
4.	बिहार	3	3	3
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2	2	5

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	15	42	13
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	1
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	1	1
10.	कर्नाटक	शून्य	4	1
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1	2	शून्य
13.	महाराष्ट्र	3	3	21
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	1
19.	पंजाब	17	4	16
20.	राजस्थान	13	20	7
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	4	शून्य	8
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	19	3	30
25.	पश्चिम बंगाल	1	2	6
26.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अ. और नि. द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	7	5	10
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमण व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	112	96	129

विदेश में नए सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

1378. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल संख्या कितनी है और इनकी स्थापना किन देशों में की जाएगी; और

(ग) इन केन्द्रों को कब से कार्यशील बनाया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीन, फिजी, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में नए सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाने हैं।

लोक जुम्बिश परियोजना

1379. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'लोक जुम्बिश परियोजना' का नया चरण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धि दर्ज की गई है; और

(घ) आज तक परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है और कितना व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) लोक जुम्बिश परियोजना का तीसरा चरण 1 जुलाई, 1999 से शुरू किया गया है जो 30 जून, 2004 तक की अवधि का है। इसके लिए 400.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की हिस्सेदारी अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के., भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 3:2:1 के अनुपात में होगी।

(ग) फरवरी, 2003 तक 7500 सहज शिक्षा केन्द्रों के लक्ष्य के मुकाबले, 9958 केन्द्रों की स्थापना की गई है; 69 के लक्ष्य के मुकाबले 139 बालिका शिक्षण शिविर आयोजित किये गये थे, 104 के लक्ष्य के मुकाबले 104 मुक्तांगन खोले गए थे, 10,000 के लक्ष्य के मुकाबले 13,710 गांवों को पर्यावरण निर्माण के तहत शामिल किया गया था और 6,750 के लक्ष्य के मुकाबले महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 11963 गांवों को शामिल किया गया था। 2003-04 अवधि के लिए 325 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन करने और 1900 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) कुल 258.32 करोड़ रुपये की संस्वीकृति के मुकाबले 236.48 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

दवाओं और औषधियों को अद्यतन बनाना

1380. श्री अनंत गुढ़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में खरीदे और संवितरित की जाने वाली दवाओं और औषधियों की सूची को समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो पिछली बार इसे कब अद्यतन बनाया गया था और पिछले वर्षों में किन नई दवाओं को सम्मिलित किया गया था?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/एम.एस.ओ. की संयुक्त फार्मूलरी दिनांक 14.2.2002 को परिचालित की गई थी। तथापि, उसे आस्थगित रखा गया है। बाद में, जेनेरिक औषधियों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की फार्मूलरी और उनके द्वारा निर्णीत दर संविदा का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। स्वामित्व वाली औषधियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/एम.एस.ओ. द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वामित्व वाली मदों के लिए एक फार्मूलरी तैयार करने के लिए दिनांक 13.5.2003 को एक समिति का गठन किया गया है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1381. डा. वी. सरोजा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए राज्यों के स्वामित्व वाले संसाधनों और केन्द्रीय सहायता का अनुपात क्या है;

(ख) क्या सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले राज्यों को कम वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को कम केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता का अनुपात दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों को वार्षिक योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)और विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) शामिल है। सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) का आबंटन दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले पर आधारित है जबकि विदेशी सहायता परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का आबंटन प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है। अतः राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता केवल उसकी वित्तीय स्थिति पर ही आधारित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना (दर्शाया गया) के दौरान राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता का अनुपात

	योजना/अवधि/मद	आंध्र प्रदेश	बिहार	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
	1	2	3	4	5	6
आठवीं योजना	राज्यों के अपने संसाधन	5991.17	8323.70	8421.78	4568.75	10116.66
(1992-1997)	केन्द्रीय सहायता	4508.85	4676.30	2678.22	5631.25	10883.34
	राज्यों के अपने संसाधन: केन्द्रीय सहायता	1.33	1.78	3.14	0.81	0.93
नौवीं योजना	राज्यों के अपने संसाधन	12371.90	6512.65	11682.88	15012.09	24681.76
(1997-02)	केन्द्रीय सहायता	12778.10	10167.35	8392.12	9987.91	21658.24
	राज्यों के अपने संसाधन: केन्द्रीय सहायता	0.97	0.64	1.39	1.50	1.14
दसवीं योजना	राज्यों के अपने संसाधन	24372.11	9278.59	14474.34	24993.87	24297.88
(2002-07)	केन्द्रीय सहायता	22241.89	11721.41	10168.31	15006.13	35410.12
	राज्यों के अपने संसाधन: केन्द्रीय सहायता	1.10	0.79	1.42	1.67	0.69

अनिवासी भारतीयों द्वारा विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना

1382. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से देश के विभिन्न भागों में निजी विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्घटनाओं के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

1383. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है जिसमें यातायात प्रणाली में खामियों के कारण होने वाली भयावह मौतों का जिक्र किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर देश में यातायात प्रणाली सुधारने हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी योजना तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। यह रिपोर्ट दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में दुर्घटनाओं के संबंध में नीति बनाने और उस पर कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं के बारे में है। इसमें अन्य कारणों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा भी शामिल है।

(ख) और (ग) भारत सरकार, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए अनेक इंजीनियरी और शैक्षिक उपाय करती रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलंस प्रदान की जाती हैं।

(2) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(3) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(8) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना और सुधारना आदि।

विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों का दौरा

1384. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों में और आज तक किन-किन विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया है;

(ख) इन गण्यमान्य व्यक्तियों में से प्रत्येक के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) देशवार सूचना निम्नानुसार है:

बंगलादेश

बंगलादेश के वित्त मंत्री श्री सैफुर रहमान, ने मई 19-22, 2003 के बीच भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश का संवर्द्धन चर्चा का मख्य विषय रहा। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों में तस्करी, विलम्ब और वस्तुओं के खराब हो जाने में कमी और निर्बाध व्यापार हेतु संरचनात्मक ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

म्यामां

म्यामां के विदेश मंत्री श्री यू.विन औंग ने अध्यक्ष, एम.पी.डी.सी. के विशेष दूत के तौर पर और म्यामां के प्रधानमंत्री वरिष्ठ जनरल थानश्वे इने ने 10 जुलाई, 2003 को भारत की यात्रा की। उन्होंने अध्यक्ष एस.डी.पी.सी. की ओर से प्रधान मंत्री को एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दिया जिनमें औंग सन सू की को प्रतिरक्षात्मक अभिरक्षा में लिया गया। इस यात्रा के दौरान किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

श्रीलंका

एण्टरप्राइज विकास औद्योगक नीति एवं निवेश प्रोन्नति एवं विधिक कार्य मंत्री प्रो. जी.एल. पेरिस ने 13 जून, 2003 को नई दिल्ली की यात्रा की। प्रो. जी.एल. पेरिस ने भारत सरकार को शांति प्रक्रिया में विकास संबंधी अद्यतन जानकारी दी जिसमें श्रीलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच वार्ता और शांति प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने के लिए नए प्रस्ताव लाने के श्रीलंका सरकार के निर्णय शामिल थे। इस यात्रा के दौरान किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

विएतनाम

विएतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री नाग डुक मन्ह ने 29 अप्रैल से 2 मई 2003 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की। द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने और उनका विस्तार करने पर चर्चा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

विएतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री नाग डुकम मन्ह की यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा समेकित सहयोग के स्वरूप पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इस संयुक्त घोषणा में अगले 15 वर्षों के लिए समेकित सहयोग की परिकल्पना की गई है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है: नियमित और उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन; संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग; अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरे के हितों के संरक्षण में सहयोग; संयुक्त आयोग को बनाए रखने और उसकी कुशलता में सुधार लाने के प्रयास उनके आर्थिक सहयोग और व्यापार में संवर्द्धन; एस. एवं टी. के विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास सहयोग में संवर्द्धन; सुरक्षा और रक्षा, एण्टी पाइरेसी उपायों के सहयोग के विस्तार हेतु धीरे-धीरे कदम उठाना और एक दूसरे के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को रोकना; मानव संसाधन विकास में सहयोग का विस्तार और विविधिकरण; और संस्कृति एवं सूचना, वास्तुशिल्प, पर्यटन, इत्यादि में सहयोग के आदान-प्रदान का संवर्द्धन।

लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य

लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री सोमसावत लेंगसवाद ने 4 से 7 मई 2003 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की। चर्चा में द्विपक्षीय संबंधी जून 2003 में लाओ प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान, विशेषकर जुलाई 2003 से आरम्भ तीन वर्ष की अवधि के दौरान आसियान भारत और सहयोग के संबंध में जिसमें लाओस भारत के लिए समन्वयकर्ता देश होगा, जैसे मुद्दे शामिल थे। लाओ जनतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री बोडनहांग वोराचिट ने 15-22 जून 2003 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की। चर्चा में व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के संवर्द्धन की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ और दोनों पक्ष आतंकवाद और उसके सहयोगी तंत्र के विरुद्ध युद्ध में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सहमत थे। जुलाई 2003 से आसियान में भारत के लिए समन्वयकर्ता देश के तौर पर उत्तरदायित्व लेने के लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य के संदर्भ में दोनों पक्ष लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य सहित चार नए आसियान दस्य देशों के लाभ हेतु अभिकल्पित आसियान एकीकरण के लिए पहल के तहत भी और भारत आसियान के बीच संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु सहमत थे। दोनों देशों मिकांग गंगा सहयोग के स्वरूप के भीतर विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग और भागीदारी के लिए सहमत थे।

लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री बोडनहांग वोराचिट की यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दीर्घावधि सहयोग का संवर्द्धन करना है। इसमें संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों, उद्यमों और संस्थानों के बीच सहयोग के संवर्द्धन और उसे आसानी से उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है। इसमें यात्राओं और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में

विचारगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्मिकों का प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना और दस्तावेजों इत्यादि का आदान-प्रदान शामिल है।

लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्र सभा के राष्ट्रपति श्री समाने विग्नाकेथ ने 21 से 25 जुलाई 2003 के बीच भारत में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष एवं विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के साथ बैठक की।

ईरान

उप-विदेश मंत्री श्री मोहसिन अमीनजादा ने 21-22 जुलाई 2003 के बीच भारत की यात्रा की। ईरान के उप विदेश मंत्री की यात्रा विदेश सचिव/उप विदेश मंत्री के स्तर पर आयोजित भारत-ईरान रणनीतिक वार्ता के तीसरे चरण के लिए थी। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा ईराक और अफगानिस्तान की परिस्थिति सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। किसी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

अफगानिस्तान

आज तक पिछले तीन महीनों में अफगानिस्तान से निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की:

(1) परिवहन मंत्री सय्याद अली जावेद ने 20-30 अप्रैल, 2003 के बीच भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और अफगानिस्तान को भारत की पुनर्निमाण सहायता, विशेषकर, सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

(2) नागरिक उड्डयन मंत्री श्री मीरवाई सादिक ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के आमंत्रण पर 7-10 मई, 2003 के बीच भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत द्वारा अफगानिस्तान को उपहार में दिए गए तीन विमानों की अनुरक्षण सहायता और भारत में एरियाना एअरलाइंस कार्मिकों के प्रशिक्षण पर चर्चा हुई।

(3) आदिवासी मामलों पर मंत्री-सलाहकार और अफगान क्रिकेटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री शाहजादा मसूद ने भारत की यात्रा की ने और श्री राजीव शुक्ला, संसद सदस्य और सदस्य बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट (बीसीसीआई) भारत से 17 जून 2003 को मुलाकात की। अफगानिस्तान में क्रिकेट के संवर्द्धन हेतु बी.सी.सी.आई. के सहयोग पर चर्चा हुई। किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

बोस्नया एवं हर्जगोविना

बोस्निया एवं हर्जगोविना के विदेश मंत्री डा. म्लादेन ईवानिक ने 6-8 मई, 2003 के बीच भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान बोस्निया और हर्जगोविना के विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से मुलाकात की, इसके साथ साथ विदेश मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा आयोजित की। यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

रूसी परिसंघ

रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री श्री इगोर इवानोव 15 से 17 जून, 2003 तक भारत की यात्रा पर आए। उनकी इस यात्रा के दौरान रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री और रक्षामंत्री के साथ बैठकें की। इन मुलाकातों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित के मसलों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया जिसमें उनके बीच सामरिक भागीदारी उल्लेखनीय है। इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं हुआ।

अमरीका

अमरीकी विदेश उपमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज 9 और 10 मई, 2003 को भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को तेज करने; इराक में अमरीका के नेतृत्व में युद्ध सहित आपसी हित चिंता के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान प्रदान करने; तथा पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री की शांति पहल के साथ-साथ सीमा पार से आतंकवाद में नवीनतम प्रवृत्ति के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर मिला। किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

जिबूती

चार केन्द्रीय मंत्रियों (शिक्षा मंत्री, श्री अब्राहिम ओबसी, उपकरण और परिवहन मंत्री श्री एल्मी ओबसी वाइस, विदेश मंत्री श्री अली आबदी फराह, रक्षा मंत्री श्री ओयूगोयूरेह किफलेह अहमद) सहित जिबूती के राष्ट्रपति श्री इस्माल ओमार गुलेह 18 से 23 मई, 2003 तक भारत की यात्रा पर आया। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से मुलाकात की। इन मुलाकतों के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा हुई।

इस यात्रा के दौरान तीन करार/आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए। वे हैं:

(1) द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा संवर्धन करार

(2) वायु सेवा करार

(3) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

सऊदी अरब

सऊदी अरब राज्य के औद्योगिक मामलों के उपमंत्री महामान्य डा. सालेह-ई-अल हुसैनी 25 से 30 अप्रैल, 2003 तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ 14 सदस्यीय अधिकारियों तथा 14 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल पर आया। उन्होंने विदेश मंत्रालय में सचिव (ए एन ए) और सचिव (एस एस आई एवं ए आर आई) से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग विशेष कर बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उपयोगी चर्चाएं की। सऊदी शिष्टमंडल ने मुम्बई तथा बंगलौर की भी यात्रा की तथा सहयोग के नए क्षेत्र तय किए। सऊदी अरब के मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सऊदी अरब को सलाह देने के लिए भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में बहुत रुचि दिखाई।

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख महामान्य शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात का एक शिष्टमंडल जिसमें सूचना तथा संस्कृति मंत्री महामान्य शेख अब्दुल, आर्थिक विभाग, आबूधाबी के प्रमुख महामान्य शेख हमद और अधिकारी शामिल थे, 30 जून से 1 जुलाई, 2003 तक भारत की यात्रा पर आया। शेख मोहम्मद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की तथा दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। बातचीत में पहली बैठक में दोनों देशों के बीच सामरिक वार्ता हुई जिसमें आर्थिक सहयोग, रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित के मसले शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान रक्षा आयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुआ। इस बात पर भी सहमति हुई कि नियमित अन्तराल के बाद सामरिक वार्ता को संस्थागत बनाया जाएगा।

बहरीन

बहरीन के प्रधानमंत्री के कार्यालय में श्री अब्दुल नबी अब्दुल्ला अल-शो-आला (बिना विभाग) "सभ्यताओं के बीच वार्ता" से सम्बद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए जो 9 से 10 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। उनकी इस यात्रा के दौरान उन्होंने हमारे उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री (वी के) से मुलाकात की। बहरीन के मंत्री ने बहरीन राज्य के प्रधानमंत्री का एक पत्र हमारे प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया। उन्होंने विदेश मंत्री को सम्बोधित पत्र की प्रति यूनेस्को के बोर्ड के अगले सत्र (अक्तूबर-नवम्बर, 2003) दी।

चिली

महामान्या सुश्री मारिया सोलेडेड अलबीयर, चिली गणराज्य की विदेश संबंध मंत्री 24-27 अप्रैल, 2003 तक भारत दौरे पर आई। परामर्श में इराक की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र का प्रजातांत्रिकरण और सुधार, गरीबी उन्मूलन, विकास के लिए वित्त पोषण, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मसले, आतंकवाद और निरस्त्रीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे सार्वभौम मसलों का समाधान करने में नाम की भूमिका सहित परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों से संबंधित व्यापक मसले शामिल हैं। चर्चाओं में चिली और भारत के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के दोहन को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक, व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर भी ध्यान दिया गया।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार संपन्न हुए थे:

(1) पशु स्वास्थ्य पर करार।

(2) राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार।

(3) वर्ष 2003-05 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

उजबेकिस्तान

कर्नल रूस्तम एस नियाजोव, उप रक्षा मंत्री उजबेकिस्तान 26 अप्रैल से 2 मई, 2003 तक भारत की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय रक्षा से संबंधित मसलों पर चर्चा हुई। वर्ष 2003 के लिए उजबेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और भारत के गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच सैन्य सहयोग के विकास से संबद्ध एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए थे।

अंगोला

भारत-एसएडीसी फोरम को अंतिम रूप देने के लिए 17-19 अप्रैल, 2003 तक अंगोला के योजना मंत्री भारत आए। कोई करार संपन्न नहीं हुआ था।

बोत्स्वाना

विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव 7-11 अप्रैल, 2003 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने विदेश कार्यालय परामर्श के दो दौर संपन्न किए थे। कोई करार संपन्न नहीं हुआ था।

मौजाम्बिक

श्रम मंत्री 18-23 अप्रैल, 2003 तक भारत आए। उन्होंने हमारे श्रम मंत्रालय और मौजाम्बिक के श्रम मंत्रालय के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की है। कोई करार संपन्न नहीं हुआ था।

मौजाम्बिक के राष्ट्रपति 11-15 मई, 2003 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने संबंधी मसलों के संबंध में चर्चा की है। निम्नलिखित करार संपन्न हुए थे:

(1) कृषि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन;

(2) द्विपक्षीय अन्तर-सरकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार।

जाम्बिया

जाम्बिया के राष्ट्रपति 20-25 अप्रैल, 2003 तक भारत यात्रा पर आए। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने संबंधी मसलों पर चर्चा की। निम्नलिखित करार संपन्न हुए थे:

(1) व्यापार में सहयोग से संबद्ध करार,

(2) कृषि में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

एरीट्रिया

एरीट्रिया के विदेश मंत्री एक आठ सदस्य शिष्टमंडल (शिक्षा और कृषि मंत्रियों सहित) अपने साथ लेकर 7-12, 2003 तक भारत आए। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर यथा एक संयुक्त आयोग के गठन के लिए भी एक आम करार संपन्न हुआ।

सेनेगल

श्री अब्दो फाल, सेनेगल के संस्कृति और संचार मंत्री 9-12 जुलाई, 2003 तक भारत आए। उन्होंने नई दिल्ली में संपन्न 'डायलोग अमोंग सिविलाईजेशन्स क्वेस्ट फार न्यू पार्स्पेटिव्ज' पर सम्मेलन में भाग लिया। कोई करार संपन्न नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

क्रूज टर्मिनल

1385. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के सभी समुद्र पत्तनों पर क्रूज टर्मिनलों की स्थापना करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) सरकार का यह प्रयास है कि कुछ ऐसे महापत्तनों पर मुख्यत: निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (बी ओ टी)/संयुक्त उद्यम (जे वी) आधार पर क्रूज टर्मिनलों की स्थापना/आधुनिकीकरण किया जाए बशर्ते कि वहां साध्यता, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन क्रूज पर्यटन की संभावना हो और निजी क्षेत्र इच्छुक हो।

(ग) चूंकि, बीओटी तथा जेवी जैसे विभिन्न वित्त-पोषण प्रतिरूपों का पता लगाया जा रहा है अत: सरकार द्वारा वित्त-पोषण की अगर कोई आवश्यकता है तो मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

देश में उपलब्ध प्रतिबंधित औषधियां

1386. डा. मन्दा जगन्नाथ:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेरिनार्म और रेगभान ब्रांड नाम से बेची जाने वाली विश्व भर में प्रतिबंधित औषधि मेटोक्लोरामिड के दुष्प्रभावों की जानकारी है जैसाकि 2 जून, 2003 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैरासेटेमोल और डिस्प्रिन भी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में इन दवाइयों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) मेटोक्लोप्रेमाइड औषधि वैश्विक रूप से एक प्रतिबंधित औषधि नहीं है। यह औषधि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटिड किंगडम के सरकारी औषध कोशों में सम्मिलित है और इसे इन दो देशों के अलावा कई देशों में बेचे जाने की अनुमति प्राप्त है।

(ग) पैरसिटामोल और डिस्प्रिन में वेदनाहर (एनाल्जेसिक) और शोथ रोधी (एण्टीइन्फ्लेमेटरी) गुण हैं और अन्य किसी भी औषधि की तरह इनके भी कुछ ज्ञात अनुषंगी प्रभाव होते हैं जो अधिकांशतः प्रतिवर्ती (रिर्वसीवल) होते हैं।

(घ) और (ङ) इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये औषधियां पूरे विश्व में दर्द, ज्वर और जलन के उपचार के लिए प्रयोग की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान की स्थापना

1387. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में एड्स ग्रस्त कितने मरीज हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण हेतु अन्य देशों द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा पहले ही राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में एड्स रोगियों की संचित सूचित की गई संख्या 11,638 थी।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विदेशों द्वारा महाराष्ट्र को सीधे कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक पूर्णतया केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए लाख में)

एजेंसी	2000-2001	2001-02	2002-03
विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II			
(1) महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी को	852.00	550.00	1025.00
(2) मुम्बई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी को	431.65	588.65	603.00
महाराष्ट्र में यू.एस. एड्स सहायता प्राप्त ए.वी.ई.आर.टी. परियोजना	25.00	463.00	665.00

पत्तन भूमि की नीलामी से अर्जित राजस्व

1388. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कितनी भूमि की नीलामी की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को इससे कितनी आय प्राप्त हुई; और

(ग) इन भू-भागों की बोली में किन-किन एजेंसियों ने भाग लिया?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) किसी भी महापत्तन द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान किसी भी भूमि की नीलामी नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों हेतु स्वास्थ्य योजना

1389. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों हेतु इस योजना को किस तरह से कार्यान्वित करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) नामक एक चिकित्सीय योजना शुरू की है। ई.सी.एच.एस. उन सभी भूतपूर्व सैनिकों जो पेंशन (अशक्तता पेंशन तथा परिवार पेंशन सहित) प्राप्त करते हैं तथा उनके आश्रितों, जिनमें पत्नी/पति, वैध बच्चे तथा पूर्णतया आश्रित माता-पिता शामिल हैं, के लिए है। ई.सी.एच.एस. में दूरस्थ क्षेत्रों सहित देशभर के 123 गैर-सैन्य केन्द्रों में नए सशस्त्र बल पॉलीक्लीनिकों की स्थापना करने तथा 104 सैन्य केन्द्रों में सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिकों का संवर्धन करने की परिकल्पना की गई है। ई.सी.एच.एस. पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।

इन्टरनेट सेवाएं

1390. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक ऐसी नई प्रणाली आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं को कम्प्यूटर पर इन्टरनेट सेवाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली और इसकी संचालन विधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या देश में एम.टी.एन.एल. के उपभोक्ताओं और अन्य बुनियादी फोन उपभोक्ताओं को भी इसी प्रकार की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में कोलकाता, बंगलौर, पुणे तथा गोवा के अपने उपभोक्ताओं के लिए अवधि आधारित डायल-अप इन्टरनेट सेवा (कॉलिंग लाइन आइडेंटीफिकेशन आधारित) शुरू की है। इसे बाद में अन्य राज्य की राजधानियों में उत्तरोत्तर रूप से शुरू किया जाएगा।

(ख) यह एक अद्वितीय प्रणाली है जो इन्टरनेट सेवा प्रदान करती है जिसमें उपभोक्ता डायल-अप के जरिए किसी भी टेलीफोन से इन्टरनेट अभिगम्यता प्राप्त कर सकता है। इस प्रणाली में फास्ट लॉग-इन पर स्वत: पंजीकरण हो जाता है। इसका अधिप्रमाणन टेलीफोन के कॉलिंग लाइन आइडेंटीफिकेशन (सीएलआई) के आधार पर किया जाएगा। प्रभारण पूर्ण रूप से उपयोग के आधार पर किया जाता है तथा यह सेवा सामान्य पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) जैसी पोस्ट-पेड सेवा है। इसका बिल उपयोग की अवधि के आधार पर अलग से तैयार किया जाएगा तथा टेलीफोन बिल (सीएलआई आधारित) में 10 पैसे प्रति मिनट की दर से बतौर इन्टरनेट एक्सेस प्रभार वसूल किया जाएगा।

(ग) इस सेवा के सहज अभिगम्य, सुविधाजनक और आसान होने के कारण इससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचने की संभावना है।

(घ) और (ङ) यह इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा आईएसपी तथा बुनियादी सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्पारिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी जा सकती है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) इन्टरनेट सेवा प्रदाता के साथ-साथ बुनियादी सेवा प्रदाता भी है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने एक्सप्रेस इन्टरनेट सेवा के नाम से यह सेवा पहले ही शुरू कर दी है जो सीएलआई आधारित सेवा है और उपभोक्ता को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नियमित इन्टरनेट कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया टेलीफोन सेवा

1391. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में गिरावट आई है और टेलीफोन कई दिन तक खराब पड़े रहते हैं तथा संबंधित अधिकारियों को बार-बार शिकायत किये जाने के बावजूद टेलीफोन ठीक नहीं किये जाते हैं;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में एम.टी.एन.एल. द्वारा शिकायत दर्ज न करने की घटिया सेवा की भी शिकायतें मिली हैं जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिकायत दर्ज करने के लिए एम.टी.एन.एल. का कम्प्यूटरीकृत केन्द्र भी कई दिनों से खराब पड़ा है और शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को क्या निर्देश जारी किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) सामान्य तौर पर टेलीफोनों को 48 घंटों में बहाल किया जाता है। भूमिगत केबलों के क्षतिग्रस्त होने/उनमें दोष उत्पन्न होने की वजह से कुछ मामलों में विलम्ब हो जाता है।

(ख) हाल ही में कुछ समय पूर्व दिल्ली में महानगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड इत्यादि के अलावा, उपरिपुलों (ओवर ब्रिजों) के निर्माण में लगे अभिकरणों, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरशन, निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसे विभिन्न अभिकरणों ने बड़े पैमाने पर खुदाई-कार्य किये हैं। समूचे महानगर में बड़े पैमाने पर खुदाई होने के कारण भूमिगत केबलें क्षतिग्रस्त हो गयीं, जिसके परिणामस्वरूप मौसम की पहली बरसात में ही टेलीफोन खराब हो गये। एमटीएनएल ने युद्ध-स्तर पर इन्हें बहाल करने संबंधी कार्रवाई की है।

(ग) जी, नहीं। शिकायतें सभी एक्सचेंजों में एमटीएनएल की कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन बुकिंग सेवा के अंतर्गत, रात-दिन कभी भी दर्ज करायी जा सकती है।

(घ) दोष-दर कम करने तथा सेवाओं में सुधार लाने के लिए शुरू किये गये उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दोष-दर कम करने और सेवाओं में सुधार लाने के लिए शुरू किये गये उपाय

(क) कम्प्यूटरीकृत दोष सूचना प्रणाली शुरू की गयी है जिससे बुकिंग, परीक्षण और संबंधित लाइन स्टाफ को दोषों के संबंध में सूचना देने में मदद मिलती है।

(ख) दोषों के संबंध में सुगम संप्रेषण और दोषों को तेजी से ठीक करने के लिए टेस्टिंग स्टाफ के साथ समन्वय करने के लिए लाइन स्टाफ को पेजर दिये गये हैं।

(ग) अधिक रिमोट सब्स्क्राईबर यूनिटों (आरएसयू)/रिमोट लाइन यूनिटों (आरएलयू)/डिजिटल लूप कैरियरों (डीएसलसी) की योजना बनाकर, उपभोक्ता लूप की लम्बाई कम की जा रही है।

(घ) 5 पेयर केबल और वाल डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंट (डीपी) प्रणाली शुरू करके ओवरहेड तारों को कम-से-कम किया गया है।

(ङ) केबलों में लीडिंग के संबंध में पुनर्स्थापना कार्य तथा बहु-मंजिलें भवनो ंकी री-वायरिंग का कार्य किया जा रहा है।

(च) पेपर कोर भूमिगत केबलों को डिजिटल लूप कैरियरों (डीएलसी) सहित जेली फिल्ड केबलों/आप्टिकल फाइबर केबलों से बदला जा रहा है।

(छ) महानगर टेलीफोन निगम लि. के सभी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों और एनालॉग इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं।

(ज) जंक्शन नेटवर्क को पूर्णरूपेण आप्टिकल फाइबर केबल लिंकों में अन्तरित कर दिया गया है। रिंग वास्तुकारिता

पर जुड़ी सिंक्रोनस डिजिटल हाइरार्की (एसडीएच) प्रणालियां प्रदान करके एक और सुधार कार्य किया जा रहा है।

(झ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोषों की नियमित निगरानी की जाती है।

(ञ) पट्टाकृत (लीज्ड) सर्किटों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए मैनेज्ड लीज्ड डाटा नेटवर्क प्रणाली शुरू की गयी है।

(ट) महानगर टेलीफोन निगम लि. ने उपकरण बदलने की नीति को उदार बनाया है ताकि पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी टेलीफोन उपकरणों को बदला जा सके। इस नीति को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में आठ वर्ष से अधिक पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. की डब्ल्यू.एल.एल. सेवा

1392. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.टी.एन.एल. द्वारा गरुड़/डब्ल्यू.एल.एल. मोबाइल सेवा किस तिथि को आरम्भ की गई थी;

(ख) एम.टी.एन.एल. ने डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के टेलीफोन सेंटों को कितनी बार बदला है;

(ग) क्या डब्ल्यू.एल.एल. सेवा वर्तमान में नियंत्रित और कारगर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. सेवा को नियंत्रित और कारगर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) एमटीएनएल ने दिल्ली में डब्ल्यू.एल.एल. मोबाइल सेवा 17 मई, 1997 को शुरू की थी और इस सेवा का नाम 7.10.2001 को बदल कर "गरूड़" रखा गया। मुंबई में यह सेवा 25.01.2002 में शुरू की गई थी।

(ख) हैंड सेंटों को केवल तभी बदला जाता है जब वे खराब हों या उपभोक्ता हैंडसेट प्लान में कोई बदलाव चाहता हो।

(ग) और (घ) एमटीएनएल ने डब्ल्यू.एल.एल. सेवा में सुधार करने के लिए अतिरिक्त उपस्कर प्राप्त कर लिए हैं।

[अनुवाद]

शिकायत निवारण हेतु कॉल सेन्टर

1393. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों की शीघ्रतापूर्वक जांच करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल में शिकायतों के निवारण हेतु कॉल सेन्टरों को स्थापित किया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं; और

(च) उक्त कॉल सेन्टरों से उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का किस हद तक निवारण होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने काल केन्द्रों की स्थापना की है।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली ने काल केन्द्र सेवा शुरू कर दी है, जहां उपभोक्ता को नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने, टेलीफोनों का स्थानान्तरण करने, विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं प्रदान करने, बिल संबंधी शिकायतों इत्यादि सहित विभिन्न सेवाओं के बारे में टेलीफोन पर सेवा संबंधी सूचना प्रदान की जाती है। भारत संचार निगम लि. ने विभिन्न राज्यों में 39 कॉल केन्द्र स्थापित किये हैं-गुजरात में 17, पंजाब में 7, केरल में 3, तमिलनाडु में 3, महाराष्ट्र में 2, हरियाणा में 2, आंध्र प्रदेश,

मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और कोलकत्ता में एक-एक कॉल केन्द्र स्थापित हैं।

(ङ) शिकायत के स्वरूप पर निर्भर करते समय-सीमा निर्धारित की जाती है। टेलीफोन खराबियों को दूर करने के लिए 48 घंटे में और बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिन का लक्ष्य निर्धारित है।

(च) इन काल केन्द्रों से उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का काफी हद तक समाधान हो जाने की संभावना है।

क्वालिटी एजुकेशन इयर

1394. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2002-2003 को 'क्वालिटी एजुकेशन इयर' के रूप में मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैयार किये गए और कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वयं सिद्ध कार्यक्रम

1395. श्री रामशकल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को अधिकार देने हेतु 'स्वयं सिद्ध कार्यक्रम' आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम में कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और इससे महिला अधिकारिता संबंधी कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 में सरकार द्वारा चलाई गई स्वयंसिद्धा स्कीम को वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 तक 116.30 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 650 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाना है। स्वयंसिद्धा स्व-सहायता समूहों में महिलाओं के गठन पर आधारित महिला सशक्तिकरण हेतु एक समेकित स्कीम है, जिसका उद्देश्य लघु बचत, जागरूकता विकास, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण तथा विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण करना है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं:

* आत्म-निर्भर महिला स्व-सहायता समूहों की स्थापना;
* महिलाओं के दर्जे, स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, साफ-सफाई, कानूनी अधिकारों, आर्थिक उत्थान तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों के संबंध में स्व-सहायता समूहों की सदस्याओं के बीच विश्वास तथा जागरूकता पैदा करना;
* ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालने तथा आर्थिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण तथा संस्थानीकरण;
* लघु-ऋण तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करना; स्थानीय स्तर की आयोजना में महिलाओं की भागीदारी; और
* महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों की सेवाओं का संकेन्द्रण।

इस स्कीम के अंतर्गत 21000 से अधिक महिला स्व-सहायता समूह बनाये गये हैं, जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

हृदय रोग संस्थान की स्थापना

1396. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में हृदय रोग संस्थान खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संस्थान के लिए कौन सा स्थान चुना गया है; और

(घ) इस संस्थान की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) बिहार में एक हृदय रोग संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बायो विलेज योजनाएं

1397. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चलायी जा रही बायो विलेज योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव संपूर्ण देश में बायो विलेज परिकल्पना का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) इस योजना के अंतर्गत देश में पांच जैव-ग्राम तथा ग्राम-समूह प्रचलन में हैं; इनमें से चार को बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई है। ये परियोजनाएं गुजरात (मोचा गांव, जिला पोरबन्दर) में; मध्य प्रदेश (पांच जिलों के दस गांवों अर्थात जबलपुर, रायसेन, गुना, इन्दौर तथा भोपाल) में; महाराष्ट्र के (रायगढ़ जिले के दो गांवों नामत: कुरूर तथा वरसोली में) तथा उत्तर प्रदेश के (पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रों के दस जिलों के पचास गांवों) में चल रही हैं। एक जैवग्राम परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नई द्वारा पांडिचेरी में भी चल रही है।

(ख) से (घ) जी हां। नए जैवग्रामों की स्थापना के लिए स्थान-विशिष्ट जैवप्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप की पहचान करने के प्रयास किये गये हैं। इसमें जिन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, वे हैं: जैव उर्वरकों तथा जैवकीटनाशियों का अनुप्रयोग; वर्मीकम्पोस्टिंग, मशरूम की खेती; स्पिरूलीना तथा गन्ने की उच्च पैदावार वाली किस्में, मत्स्यपालन तथा झींगा पालन सहित जलकृषि तथा सेरीकल्चर। पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों, वनस्पति रंजकों तथा हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास को भी शामिल किया गया है। कई घटक जो अत्यंत क्षेत्र/स्थान विशिष्ट हैं, उन्हें स्थनीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जायेगा। लाभार्थियों/स्थानीय लक्ष्यित वर्गों की भी पहचान की गई है। प्रचलित बायोग्राम योजनाओं के प्रति लक्ष्यित जनसंख्या की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है।

डाकघरों में स्वचालित छंटाई मशीनें

1398. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाकघरों के कार्यकरण में कई परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय डाक व्यवस्था में होने वाले अधिक विलम्ब को स्वचालित छंटाई मशीनों द्वारा सरल बनाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय डाकघरों के कार्यकरण को और मितव्ययी तथा सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की एजेंसी इन्डो-फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च द्वारा फ्रांसीसी, संस्थान के साथ तीन वर्षीय परियोजना को वित्तपोषित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कदमों से डाकघरों के कार्यकरण में कितना सुधार होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) जी हां। बड़े डाकघरों में कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनों की शुरुआत की गई है और इन मशीनों की शुरुआत से डाक संचालन अधिक कुशल और किफायती हुआ है। डाक नेटवर्क के उपयोग को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मूल्यवर्द्धित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक श्रृंखला शुरू की गई है जिनमें स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा, म्यूचुअल फंडों और बांडों की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण सेवा और नकदी प्रबंधन सेवा शामिल हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर मनोर से सूरत तक चार लेन बनाना

1399. श्री चिंतामन वनगा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर मनोर से सूरत तक चार लेन निर्माण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस राजमार्ग पर यात्रियों से पथ कर एकत्र करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूरत और मनोर के बीच रा.रा. 8 के 167 कि.मी. लंबे खंड का उन्नयन करके चार लेन का बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन तीन पैकेजों में किया जा रहा है और इसे जून, 2004 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(घ) जी हां। प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाएगा।

(ङ) वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्ष 1997 के मूल्य स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरें इस प्रकार हैं: जीप, कार तथा वैन के लिए 0.40 रु. प्रति कि.मी., हल्के माल वाहनों (एल जी वी) के लिए 0.70 रु. प्रति कि.मी., ट्रक तथा बस के लिए 1.40 रु. प्रति कि.मी. और अर्थ मूविंग मशीनों व भारी उपस्करों के लिए 2.30 रु. प्रति कि.मी.। इन्हें थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है।

केबल तथा टेलीफोन लाइनों की क्षति

1400. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. को हाल ही में राजधानी में मेट्रो रेलवे द्वारा खुदाई के कारण केबल तथा टेलीफोन लाइनों की क्षति के कारण वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) द्वारा किये गये खुदाई कार्यों से कुछ केबल क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस कारण से कुल 2,87,017 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ था।

(ग) भविष्य में इस प्रकार की क्षति से बचने के लिए जहां कहीं अपेक्षित है, एमटीएनएल के भूमिगत केबलों का पुन: पता लगाने (री-लोकेट) के लिए दिल्ली मैट्रो रेल प्राधिकारियों के साथ कारगर समन्वय बनाए रखा जाता है।

बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन कनेक्शन

1401. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा मार्च, 2003 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के वायदे के बावजूद भी देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची दिन पर दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बी एस एन एल कब तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने लगेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रतिशत के रूप में प्रतीक्षा सूची मार्च, 2000 के 15.9% से घटकर मार्च, 2003 में 4.7% हो गई है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) अधिकांश शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन मांग पर उपलब्ध हैं। नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा समय घटाने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड भरसक प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

1402. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सीमा जिला कलस्टर योजना, समेकित जनसंख्या विकास कार्यक्रम, भारत जनसंख्या परियोजना-9 तथा क्षेत्रीय निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में परिवार नियोजन तथा विशेषतौर पर महिलाओं तथा बच्चों के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की व्यापक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में गठित अधिकार प्राप्त कार्य दल का राजस्थान भी एक सदस्य है।

(ख) परिवार कल्याण विभाग के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना का कुल आवंटन 27,125 करोड़ रुपये है। पंचवर्षीय योजनाओं में कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार अप्रैल, 1996 से राज्यों के लिए गर्भनिरोधक से संबंधित लक्ष्य नियत नहीं करती है। राजस्थान सरकार ने 2.1 की कुल प्रजनन दर हासिल करने के लिए 2011 को लक्ष्य वर्ष के रूप में प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेज) किया है। यह अन्तर-क्षेत्रीय समाभिरूपता (कनवर्जेंस), विकेन्द्रीकृत नियोजन, जन मंगल कपल्स के माध्यम से अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दो बच्चों के मानदण्ड को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन देकर जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले पर ध्यान देने का प्रयास करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 का रख-रखाव

1403. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के रख-रखाव पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जीर्ण-शीर्ण दशा को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इसे मजबूत बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के अनुरक्षण पर व्यय हुई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
2000-01	20.38
2001-02	21.76
2002-03	21.61

(ख) से (घ) मार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। सड़क का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के विकास के लिए मंत्रालय ने अनुरक्षण कार्य के अतिरिक्त 31.55 करोड़ रु. के 15 कार्य स्वीकृत किए थे। स्वीकृत राशि का उपयोग इन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाना है।

किरायेदारों को बेदखल करना

1404. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल, एमटीएनएल और डाक एवं तार विभाग ने दिल्ली में विभिन्न कालोनियों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवंटित आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले किरायेदारों का पता लगाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में तीन शाखाओं के अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किरायेदारों को बेदखल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिकारियों द्वारा औचक जांच की गई और उपकिराएदारी/अनधिकृत तौर पर आवास शेयर करने के 25 मामलों का पता लगाया गया।

(घ) ऊपर भाग (ग) में वर्णित ऐसे मामलों में आवंटन रद्द कर दिए गए।

सूडान में हवाई दुर्घटना

1405. श्री जी.जे. जावीया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2003 में सूडान में हवाई दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों में कुछ भारतीय भी थे;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विमान दुर्घटना में मारे गए अथवा घायल हुए भारतीयों के नाम और अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(घ) भारत, सूडान तथा एयरलाइंस द्वारा भारतीयों को कितनी नगद धनराशि तथा अन्य मुआवजा दिया गया अथवा दिया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले को सूडान तथा संबंधित एयरलाइंस के साथ उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तीन भारतीय राष्ट्रिक जो सूडान की वाणिज्यिक कंपनी के साथ अल्पावधिक ठेके पर थे, 8 जुलाई को सूडान वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान मर गए।

1. श्री पटेल प्रवीणभाई लालूभाई
2. श्री पटेल संजय कुमार लक्ष्मीभाई
3. श्री राना जयकुमार नन्दलाल

(घ) से (च) खारतूम स्थित भारत के राजदूतावास द्वारा शोकसंतप्त परिवारों और उनके नियोक्ता को अवगत करा दिया गया है। राजदूतावास ने सूडान सरकार और सूडान एअरवेज दोनों के साथ मुआवजा के लिए मामले को उठाया है तथा यह पता चला है कि सूडान एअरवेज इस मामले में कार्यवाही कर रही है। उनके नियोक्ता को भी इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

पड़ोसी देशों के कब्जे में भारतीय-भू-भाग

1406. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार किन पड़ौसी देशों ने भारत भू-भाग पर गैर-कानूनी कब्जा किया हुआ है और किस तिथि से भूमि इनके कब्जे में है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारतीय भू-भाग पर गैर-कानूनी कब्जा करने के पश्चात् उसे चीन को सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक पड़ोसी देशों से देश की कितनी भूमि को मुक्त कराया गया है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ अनसुलझे सीमा मसलों का समाधान किया जाना है। भारत और चीन के बीच सीमा मसले के संबंद्ध में मतभेद 1950 में उभरे थे। पाकिस्तान ने लगभग 78,000 वर्ग किमी पर अवैध तथा बलात् कब्जा कर रखा है। तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा करार 1963 के तहत पाकिस्तान ने भारतीय प्रदेश के 5180 वर्ग किमी क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को दे दिया है।

भारत और चीन सीमा मसले का शांतिपूर्ण परामर्श के जरिए एक निष्पक्ष, न्यायोचित तथा परस्पर रूप से स्वीकार्य हल चाहते हैं। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान 23 जून 2003 को जारी संबंधों के सिद्धांतों और व्यापक घोषणा में, भारत और चीन इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि दोनों समस्त द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिपेक्ष्य में सीमा समाधान की कोई रूपरेखा तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे।

भारत और पाकिस्तान शिमला समझौते के तहत तथा जैसा कि लाहौर घोषणा में दोहराया गया कि सभी अनसुलझे मसलों का सीधी द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

बलात्कार पीड़ितों को सहायता

1407. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) विभाग 'अल्पावास गृह' नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें बलात्कार की शिकार महिलाओं और लड़कियों सहित पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, यौन शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक सहायता से वंचित महिलाओं तथा लड़कियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा-देखभाल, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके उनके पुनर्वास किया जाता है। सरकार 'स्वाधार' नामक एक अन्य स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य यौन अपराधों की शिकार और अपने परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाओं तथा लड़कियों अथवा ऐसी परेशान महिलाओं तथा लड़कियों का सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पुनर्वास करना है, जो विभिन्न कारणों से अपने-अपने परिवारों में वापस नहीं जाना चाहती हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा

1408. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन उक्त प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से व्यापारियों के लिए वीजा मानदण्डों को सरल बनाने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने हेतु वीजा मानदंडों को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की के निमंत्रण पर पाकिस्तान वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया (7-8 जुलाई)।

(ख) और (ग) उनकी बैठक के पश्चात् की गयी संयुक्त अनुशंसाओं में भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दने के एक कारक के रूप में पहचान की गयी।

(घ) और (ङ) व्यापरियों सहित अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों, जो योग्य हैं और जिसे पूर्व सत्यापन के पश्चात् सामान्यत: जारी किया जाता है, को वीजा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

पश्चिमी तट पर तटवर्ती राजमार्ग

1409. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटवर्ती राज्यों को कवर करते हुए पश्चिमी तट पर एक नया तटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और इन राज्यों के लोगों में एकता की भावना बढ़ेगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ रेल सेवा सम्पर्क

1410. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेल सेवाएं बहाल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक बहाल होने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ने एक बार पुन: 18 अप्रैल, 2003 को पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तत्पश्चात्, भारत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक और अन्य संबंध सामान्य बनाने के लिए कदम दर कदम पहल की है। दोनों देशों ने उच्चायुक्त नियुक्त कर दिए गए है और 11 जुलाई से दिल्ली-लाहौर बस सेवा बहाल कर दी है। पाकिस्तान ने नागरिक उड्डयन की बहाली के लिए तकनीकी स्तरीय वार्ता आयोजित करने की तत्परता दिखाई है यद्यपि प्रस्ताव के लिए विशिष्ट तारीखें प्रतीक्षित हैं। दोनों पक्षों के कैदियों को रिहा किया है। व्यापार, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्कों के सदर्भ में महत्वपूर्ण आदान प्रदान भी हुए है।

24 जुलाई, 2003 को पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच रेल सेवा बहाल करने की रूपरेखा पर विचार करने के लिए औपचारिक रूप से रेल प्राधिकारियों के बीच बैठक करने का सुझाव दिया।

भारत, प्राप्त सफलताओं और अर्जित विश्वास पर कदम दर कदम आगे बढ़ेगा।

मेघदूत पोस्ट कार्डों की बिक्री

1411. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक विभाग ने देश में गरीबों के लिए बने ''मेघदूत पोस्ट कार्ड'' की बिक्री रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किन स्थानों पर डाकघरों में मेघदूत पोस्ट कार्ड उपलब्ध हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अपनी घोषणा का सम्मान करने और योजना को अक्षरश: लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) डाक विभाग द्वारा मेघदूत पोस्टकार्ड अगस्त 2002 में शुरू किया गया था। मेघदूत कार्ड की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके पतालेखी बाजू के बाई तरफ का हिस्सा 2/- रुपये प्रति पोस्टकार्ड के भुगतान पर पीएसयू, सरकारी विभागों और निजी कंपनियों आदि जैसे संगठनों की सेवाओं और उत्पादों के विज्ञापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चूंकि विभाग को विज्ञापन से अतिरिक्त आय मिलती है, अत: इन कार्डों को 25 पैसे की कम दर पर बेचा जाता है। विज्ञापनदाता (जिसे कम से कम एक लाख कार्डों का आर्डर देना पड़ता है। को मेघदूत पोस्टकार्ड के वितरण के क्षेत्र चुनने की अनुमति होती है और इसलिए इन कार्डों की उपलब्धता विज्ञापनदाता द्वारा चुने गए क्षेत्रों तक ही सीमित है। पिछले तीन महीनों के दौरान विभाग को मेघदूत पोस्टकार्डों की छपाई के आर्डर मिले हैं जिनका वितरण छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जिलों और महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर, सतारा और शोलापुर जिलों में किया जाना है।

डाक विभाग ने व्यापक विपणन के माध्यम से इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के काफी प्रयास किए हैं। इन विपणन प्रयासों के कारण विभाग को मेघदूत पोस्टकार्डों के मुद्रण तथा इनके वितरण के आर्डर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में मिले हैं। इनकी शुरुआत के परिणामस्वरूप मेघदूत पोस्टकार्ड के वितरण क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। भविष्य में, जैसे-जैसे इस स्कीम की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी मेघदूत पोस्टकार्डों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

[हिन्दी]

मंत्रालय में श्रेणी-वार कर्मचारी

1412. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की समूह-वार संख्या क्या है;

(ख) कुल कर्मचारियों में से समूह-वार अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की समूहवार संख्या कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यू मंगलौर पोर्ट के भीतरी भाग का विकास किया जाना

1413. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू मंगलौर पोर्ट का भीतरी भाग अत्यधिक अविकसित है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से न्यू मंगलौर पोर्ट के भीतरी भाग का विकास करने हेतु वित्तीय और अन्य सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस भीतरी भाग के अविलम्ब विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) मंत्रालय को नव मंगलूर पत्तन की पृष्ठ भूमि के विकास के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अधिकारियों का अधिकारिक दौरा

1414. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-03 के दौरान नाको के अधिकारियों को कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनमें हिस्सा लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के सम्मेलनों से नाको के अधिकारियों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त जानकारी का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) इन सम्मेलनों से भारत सरकार को एच.आई.वी./एड्स से संबंधित कार्यनीतियां अद्यतन करने में सहायता मिलती है, इनसे निवारण, परिचर्या और सहयोग के साथ-साथ वैक्सीन के विकास, सूक्ष्मजीवनाशी को बढ़ावा देने और निगरानी के लिए पद्धति तंत्रों आदि क्षेत्रों में विकासशील देशों में सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त, इन सम्मेलनों में भागीदारी से एच.आई.वी./एड्स के लिए निवारण तथा नियंत्रण संबंधी भारत की कार्यनीतियों को विश्व के अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान (शेयर) करने का अवसर मिला।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के आधिकारिक दौरों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	प्राधिकारी का नाम	पदनाम	दिनांक	स्थान	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मीनाक्षा दत्ता घोषणा	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक	7-12 जुलाई, 2002	बार्सीलोना, स्पेन	14वां अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन
			3-4 फरवरी, 2003	काठमांडू, नेपाल	दक्षिण एशिया में एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध लड़ने के लिए गति को बढ़ाना
2.	डा. पी.एल. जोशी	अपर परियोजना निदेशक	7.7.2002-12.7.2002	बार्सीलोना, स्पेन	बार्सीलोना में 14वें अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में शामिल हुए।

1	2	3	4	5	6
			3.2.2002 4.2.2002	काठमांडू, नेपाल	दक्षिण एशिया में एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध लड़ाई पर उच्च स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए।
3.	डा. साधना रावत	संयुक्त निदेशक (आई.ई.सी.)	जुलाई, 2002	बार्सीलोना, (स्पेन)	बार्सीलोना में 14वें अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में शामिल हुई।
4.	डा. पी.एल. सलिल	संयुक्त निदेशक (रक्त निरापदता)	7.7.02 12.7.02	बार्सीलोना, (स्पेन)	बार्सीलोना में 14वें अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में शामिल हुए।
5.	डा. ए.एस. राठौर	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	15.11.02 17.11.02	कैलीफोर्निया आकलैंड	एशियन और पैसिफिक महाद्वीपीय शिखर सम्मेलन।
6.	श्री प्रतीक कुमार	उप निदेशक (आई.ई.सी.)	जुलाई, 2002	बार्सीलोना, (स्पेन)	बार्सीलोना में 14वें अंतरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में शामिल हुए।

एनआईएसटीएडी का विलय

1415. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा यह कहां स्थित है;

(ख) क्या एन.आई.एस.टी.ए.डी. का सी.एस.आई.आर. के किसी अन्य संस्थान के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का घटक संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (निस्टेड्स) नई दिल्ली में स्थित है।

इस संस्थान को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

* विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना,
* अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्रायोजित अनुसंधान और सुपुर्द अध्ययन का काम हाथ में लेना।
* विज्ञान नीति के क्षेत्र तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिलेखागारों में सूचना आंकड़ा बैंक पर आधारित सेवाओं का निर्माण, अनुरक्षण एवं अभिपूर्ति करना,
* संस्थान के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में भारत एवं अन्य विकासशील देशों के विद्वानों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

निस्टेड्स का वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु बजटीय आवंटन 514.50 लाख रुपए था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् की बैठक

1416. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् की नई दिल्ली में अप्रैल-मई-जून, 2003 में कोई बैठक बुलायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों विशेषत: महाराष्ट्र में उक्त परिषद् द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के विषय में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सामान्य निकाय की दो बैठकें 2.5.2003 तथा 27.6.2003 को आयोजित की गई।

(ग) 2.5.2003 को आयोजित बैठक में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र छह माह की निर्धारित अवधि में जारी करने संबंधी मौजूद विनियमों में छूट प्रदान की गई।

दिनांक 27.6.2003 की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए शिक्षकों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर निर्णय लिया गया। समिति ने शिक्षक शिक्षा संस्थाओं, जिनमें प्रारंक्षिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल नहीं है, मैं शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् द्वारा मूल्यांकन/प्रत्यायन की आवश्यकता को भी अनुमोदित किया।

नर्सों के रिक्त पद

1417. श्री भानसिंह भौरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एम्स' सहित दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आरक्षित श्रेणियों में नर्सों की बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

1418. श्री अरुण कुमार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोत परिवहन में समूह 'घ' के कर्मचारियों को नियुक्ति-पूर्व तथा नियुक्ति-पश्चात् प्रशिक्षण देने वाले मान्यताप्राप्त संस्थानों के नाम क्या हैं और उनके पते क्या हैं;

(ख) कर्मियों की श्रेणियां क्या हैं और प्रत्येक संस्थान द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की अवधि कितनी है; और

(ग) उनसे कितना प्रशिक्षण शुल्क लिया गया?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) ऐसे कोई मान्यताप्राप्त संस्थान नहीं हैं जो नौवहन में कार्यरत श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को नियुक्ति से पूर्व तथा बाद में प्रशिक्षण दे रहे हों।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लाइसेंस शर्तों में संशोधन

1419. श्रीमती प्रभा राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान लाइसेंस शर्तों के अनुसार एक सर्किल में एक सेलुलर आपरेटर में 10 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी रखने वाली कंपनी उसी सर्किल में किसी अन्य सेलुलर आपरेटर में 10 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी नहीं ले सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सेलुलर आपरेटरों के लिए उन्हें उसी सर्किल में एक से अधिक लाइसेंस लेने की अनुमति देने के मद्देनजर वर्तमान लाइसेंस शर्तों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) इस संबंध में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीसी) के लिए लाइसेंस करार के संगत शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। ऐसा इसलिए कि सेल्यूलर सेवा लाइसेंस के मामले में लाइसेंसधारी को वायरलेस स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है जो एक दुर्लभ और सीमित प्राकृतिक संसाधन है। यदि किसी वैध व्यक्ति को एक ही सेवा के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एकाधिक लाइसेंस में पर्याप्त स्टेको की अनुमति दे दी जाए तो वायरलेस स्पेक्ट्रम की कम उपलब्धता के कारण किसी नए लाइसेंसधारी को नहीं ला सकने से प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाती है।

विवरण

लाइसेंस के अंतरण के लिए सीएमटीएस लाइसेंस करार की संगत शर्तें

1. लाइसेंस प्रदाता के लिखित पूर्व अनुमोदन से लाइसेंस के अंतरण की अनुमति दी जाती है जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन है जिनमें यह भी शामिल है कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा में कोई कमी न आए।

2. किसी भी एक कंपनी/वैध व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अपने सहयोगियों के माध्यम से एक ही सेवा के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारी कंपनी में पर्याप्त इक्विटी नहीं होगी। यहां "पर्याप्त इक्विटी" का अर्थ होगा "10% या अधिक की इक्विटी"। किसी प्रवर्तक कंपनी का एक ही सेवा क्षेत्र के एक से अधिक लाइसेंसधारी कंपनी में स्टेक नहीं हो सकता है।

औषध समपाक संबंधी समिति

1420. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएसओ और सीजीएचएस के लिए संयुक्त औषध व्यापक तैयार करने हेतु डा. जे.एन. पाण्डे की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) डा. जे.एन. पाण्डे द्वारा संस्तुत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/एम एस ओ की संयुक्त फार्मूलरी में 507 जेनेरिक औषधें और 655 स्वामित्व वाली औषधें अंतर्विष्ट हैं।

(ग) डा. पाण्डे समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/एम एस ओ की संयुक्त फार्मूलरी प्रारंभ में दिनांक 14.2.2002 को परिचालित की गई थी। संयुक्त फार्मूलरी में सम्मिलित जेनेरिक और स्वामित्व वाली औषधों की दरों को अंतिम रूप देने के लिए दर समिति दिनांक 5.3.02 को गठित की गई थी। बाद में फार्मूलरी को और दर समिति की सिफारिश को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

भारत पाक व्यापार संबंध

1421. **डा. वी. सरोजा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में भारत पाक संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सहित आर्थिक संबंध को सुधारने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारत पाकिस्तान के साथ मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का समर्थन करता है। पाकिस्तान भारत के साथ निरोधात्मक व्यापार नीति का अनुसरण करता रहा है और इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति को राजनैतिक कारणों से अवरुद्ध करता रहा है। इसने सार्क संरचना के अंतर्गत साप्ता और साफ्टा पर होने वाली प्रगति को भी रोका है।

(ख) भारत ने पाकिस्तान को एकपक्षीय तौर पर अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा दिया है। भारत पार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था साप्ता के अंतर्गत पाकिस्तान सहित सार्क के अन्य सदस्य देशों के साथ टैरिफ में छूट का आदान प्रदान करता रहा है।

2 मई, 2003 को संसद में दिये गये वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने ऐसा वातावरण बनाने में होने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया जिसमें दोनों देशों के बीच कठिन मसलों का समाधान किया जा सके। इसी संदर्भ में पाकिस्तान वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के एक शिष्टमंडल ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया।

9-10 जुलाई, 2003 को काठमांडू में हुई बातचीत के दौरन विदेश सचिवों की सार्क स्थायी समिति ने अगले शिखर सम्मेलन के पूर्व एक मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात साप्ता बनाये जाने से संबद्ध संरचना संधि के प्रारूप को अंतिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। यह भी निदेश दिया गया कि प्रस्तावित निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण, दोहरे करादान से परिहार, व्यापार पंचाट

परिषद, सीमा शुल्क सहयोग और मानकों तथा माप को सुसंगत बनाने से संबद्ध क्षेत्रीय करार सहित व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले अन्य मानान्तर उपाय पर शिखर सम्मेलन को दी गयी रिपोर्ट पर पर्याप्त प्रगति होनी चाहिए। ये सभी व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले उपाय हैं जिसका उद्देश्य साफ्टा को शुरु करना है। भारत ने सभी मसलों पर सार्क की स्थायी समिति पर हुई सर्वसम्मति पर प्रसन्नता व्यक्त की है और आशा की है कि अगले शिखर सम्मेलन तक इन सभी पैकेजों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा ताकि यह सार्थक हो सके।

एड्स हेतु विदेशी सहायता

1422. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने देश में एचआईवी/एड्स के नियंत्रण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता का एजेन्सीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके उपयोग के विषय में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार देश में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से उदार (साफ्ट) ऋण के रूप में और संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (यू एस ए आई डी), अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी), यूनाइटिड किंगडम सरकार तथा कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीआईडीए) से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त करती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त एजेंसियों ने निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की है:

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी	2001-02		2002-03	
	किया गया व्यय	प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति	किया गया व्यय	प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति
विश्व बैंक	187.72	155.44	201.46	137.07
यूएसएआईडी	11.46	11.46	14.90	14.90
डीएफआईडी	25.37	10.08	25.00	19.80
सीआईडीए	2.00	0	0.50	0

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना

1423. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन प्रमुख पत्तनों के नाम क्या हैं जिन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है;

(ख) इन पत्तनों ने कब से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भाग लिया है; और

(ग) इस संबंध में अन्य पत्तनों की योजना क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) किसी भी महापत्तन द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, वाणिज्य विभाग द्वारा कोचीन पत्तन न्यास के वलारपदम और पुथुव्यप्पन क्षेत्र में एक पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सिद्धान्तरूप में मंजूरी दी गई है।

(ग) इस मंत्रालय ने तूतीकोरिन पत्तन पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस समय मंत्रालय के पास किसी अन्य पत्तन के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1424. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या राजस्व संग्रहण में अत्यधिक जोखिम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में निजी क्षेत्र का निवेश बाधित होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक (कोचीन-सलेम खंड समेत) और सिल्चर से पोरबंदर तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के एक भाग के रूप में लगभग 7300 कि.मी. लंबाई में 4/6 लेन बनाने का कार्य।

(2) अगले चार पांच वर्षों में बीओटी आधार पर सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी से अतिरिक्त 10,000 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना।

(3) सड़क गुणवता सुधार और आवधिक नवीकरण जैसे अन्य नेमी उपाय तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर कार्य की गति

1425. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 की कब तक पूरी तरह से मरम्मत हो जाने की संभावना है;

(ख) इस राजमार्ग पर अहमदाबाद और राजस्थान में उदयपुर के बीच कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) इस राजमार्ग के मुंबई से सूरत के बीच के भाग की मरम्मत कब तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) रा.रा. 8 को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) अहमदाबाद और उदयपुर के बीच हिम्मतनगर-चिलोडा खंड को चार लेन का बनाने का कार्य मुकदमे के कारण रुका हुआ था जो अब शुरू हो चुका है। अहमदाबाद-उदयपुर खंड को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है किंतु हिम्मतनगर-चिलोडा खंड को अब सितंबर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) सूरत-मनोर खंड को चार लेन का बनाया जा रहा है। इस कार्य को जून, 2004 तक पूरा किया जाना है। मनोर-मुंबई खंड पहले से ही चार लेन का है और इसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाओं की कमी

1426. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीजीएचएस डिस्पेंसरी में दवाओं की भारी कमी है और इन्हें बाहर से खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बाहर से खरीदी गई दवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जहां से सीजीएचएस डिस्पेंसरियों के लिए दवाएं खरीदी जाती हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन की फार्मूलरी को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दवा की कमी का सामना कर रही थी। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की

सरकार की जेनरिक फार्मूलरी अपनाकर तथा स्वामित्व वाली मदों के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सूची द्वारा दवाओं का प्रापण करने हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं। एच.एस.सी.सी. (भारत सरकार का उपक्रम) तथा चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठनों को क्रमशः दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर दवाओं की आपूर्ति हेतु आर्डर दिए गए हैं।

जिन दवाओं की आपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन एच.एस.सी.सी. द्वारा नहीं की जाती है अथवा जो दवाएं औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें व्यक्तिगत नुस्खों पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से इंडेंट किया जाता है।

(ग) विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से खरीदी गई दवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(घ) दिल्ली में स्थित एजेंसियों, जहां से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए दवाओं का प्रापण किया जाता है, का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन भारत सरकार का उपक्रम
2. चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन
3. प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट

विवरण

उप-शीर्ष (वस्तु और आपूर्ति) (नान-प्लान) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में विगत तीन वर्षों अर्थात् 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 के दौरान बजट आवंटन और व्यय की अद्यतन स्थिति

(मूल्य रुपए में)

वित्तीय वर्ष	2000-2001	2001-2002	2002-2003
कुल बजट आबंटन	671407000.00 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय	916781000.00 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय	102,52,00,000 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय
एलोपैथिक (10 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत विमुक्ति स्थानीय खरीद पर	518964093.00	742163982.00	674440711
विदहोल्ड			3965058
चिकित्सीय दावों की प्रतिपूर्ति			45,65,03,834
एम एस ओ	76059353.00	77088369.00	शून्य
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	34787919.00	16959392.00	3,37,09,428
जीवन रक्षक और अन्य	41595635.00	40589558.00	7,00,68,210
एचएससीसी को भुगतान	शून्य	शून्य	14,77,00,000
सफदरजंग अस्पताल को किया गया भुगतान	शून्य	शून्य	13,79,655.00
केन्द्रीय भण्डार	-	-	17,47,904
कुल व्यय	671400000.00	916781000	102,52,00,000

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को अनुदान

1427. श्री के.पी. सिंह देव:
श्री परसुराम माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को स्वीकृत अनुदानों का विश्वविद्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या राज्य सरकार के प्रत्येक विश्वविद्यालय संबंधित वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदानों का उपयोग नहीं कर पाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) हालांकि 9वीं योजनावधि दिनांक 31.3.2002 को समाप्त हो गई थी लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों को 9वीं योजना के अंत में जारी किए गए योजनागत विकास अनुदान को निम्न प्रकार से उपयोग करने की अनुमति दी गई है:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे भवनों के लिए दो वर्षों अर्थात् 31.4.2002 से 31.3.2004 तक का समय प्रदान किया जाएगा जिनके निर्माण कार्यकलाप 31 मार्च, 2002 से पहले शुरू हो चुके थे।
2. ऐसे मामलों को 31 मार्च, 2003 तक पूरा करना होगा जिनके लिए निर्माण आयोजना एवं प्राक्कलन दिनांक 31.3.2002 से पूर्व प्राप्त हो चुके थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे।
3. अन्य के लिए (संकाय पदों को छोड़कर) दिनांक 31.3.2003 तक।
4. संकाय पदों के लिए कोई समय नहीं बढ़ाया गया।

तदनुसार राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए 9वीं योजनागत अनुदानों के लेखाओं को प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरण प्राप्त होने पर निपटाया जायेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना

1428. श्री महेश्वर सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक गांव में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है तथा वह इसके मद्देनजर देश में दूरसंचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च स्तर पर एक निर्णय लिया गया है जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु दूरसंचार केन्द्रों की स्थापना रोक दी गयी है अथवा इस संबंध में पाबंदियां लगा दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) सरकार देश के सभी बसे हुएं गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। बीएसएनएल ने 31.3.2003 तक अपने हिस्से के 504945 गांवों में पहले ही टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी है। बीएसएनएल ने चालू वर्ष के दौरान 29600 गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कारने का लक्ष्य रखा है जिनमें 18006 उपग्रह आधारित टेलीफोन शामिल हैं। इन गांवों में 2003-04 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा देने की योजना है बशर्ते कि उपकरण और उपग्रह आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए निधि समय से उपलब्ध हो।

(ग) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों को संस्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे उल्लिखित मानदंडों के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किये जाते हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पहले डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

2. यदि तकनीकी कारणों से डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यवहार्य न हो तो एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई जाएगी किन्तु इस नए एक्सचेंज के 2.5 किमी की त्रिज्या में पंजीकृत मांग कम से कम 75 होनी चाहिए।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नौकरियां प्रदान करना

1429. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री के उस आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस कर रही है और बाधाओं का भी सामना कर रही है जिसके तहत उन्होंने प्रति वर्ष एक करोड़ नौकरियां प्रदान करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार के सामने आ रही मुख्य बाधाएं क्या हैं तथा किन क्षेत्रों में कमी रही है;

(ग) क्या सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु भूमि और पनधारा मिशन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक उपलब्ध करायी गयी नौकरियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) नौकरियां प्रदान करने में सरकार द्वारा कितनी निधियां खर्च की गई हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002-07 की पांच वर्ष की अवधि में 50 मिलियन रोजगार के अवसर, अर्थात् औसतन प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कार्यनीति निर्दिष्ट की गई है। इसमें से लगभग 30 मिलियन विकास प्रक्रिया से प्राप्त होंगे तथा शेष 20 मिलियन कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में कार्यक्रम और नीतियों के द्वारा "कार्यक्रम सृजित" करके। दसवीं योजना में ऐसे क्षेत्रकों के लिए पहले से ही प्राथमिकताएं निर्दिष्ट कर दी गई है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान "कार्यक्रम के द्वारा सृजन" के परिणामस्वरूप रोजगार में जो वृद्धि होगी उसमें से "वर्षा सिंचित क्षेत्रों संबंधी राष्ट्रीय जलसंभरण विकास परियोजना" से 0.5 मिलियन रोजगार के अवसर और 'फार्म पर जल प्रबंध' से 1.25 मिलियन रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(ङ) रोजगार के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पांच वार्षिक सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। हाल के दो सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 में किये गये थे। वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के राज्यवार रोजगार के अवसर जिनका अनुमान 'वर्तमान दैनिक स्थिति' के आधार पर, लगाया गया संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) प्रत्येक आर्थिक गतिविधि से रोजगार का सृजन होता है, अत: दसवीं योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए नियत किये गये परिव्यय से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दसवीं योजना दस्तावेज की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

चुनिंदा राज्यों के लिए 'वर्तमान दैनिक स्थिति' (सीडीएस) के अनुसार अनुमानित रोजगार के अवसर

(मिलियन में)

	राज्य	1993-94	1999-2000
	1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29.98	30.61
2.	असम	6.79	7.65
3.	बिहार	27.61	30.35
4.	गुजरात	16.17	18.54
5.	हरियाणा	5.18	5.98
6.	हिमाचल प्रदेश	2.32	2.37
7.	कर्नाटक	18.67	20.33
8.	केरल	8.94	8.90
9.	मध्य प्रदेश	26.62	28.73
10.	महाराष्ट्र	32.46	34.98
11.	उड़ीसा	11.20	11.93

1	2	3
12. पंजाब	7.13	8.01
13. राजस्थान	19.08	19.93
14. तमिलनाडु	22.64	23.14
15. उत्तर प्रदेश	46.47	49.49
16. पश्चिम बंगाल	22.11	22.66
17. दिल्ली	3.59	4.38
अखिल भारत	315.84	336.75

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

[हिन्दी]

नए हैंड सेट जारी करना

1430. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल "गरुड़ सेवा" के तहत पुराने हैंड सेट के खोने पर नए हैंड सेटों को जारी करने के संबंध में ग्राहकों को निरुत्साहित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गरुड़ सेवा के तहत पुराने हैंड सेट के खोने पर नए हैंड सेट जारी करने में कितना समय लगता है; और

(घ) गरुड़ सेवा वाले सेट के खो जाने पर नए हैंड सेट शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। एमटीएनएल नया हैंड सेट जारी करने के संबंध में ग्राहकों को निरुत्साहित नहीं करता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्राहक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की प्रति के साथ अपना अनुरोध पत्र तथा अपेक्षित शुल्क जमा कराने के तत्काल बाद उसे गरुड़ हैंड सेट दे दिया जाता है।

(घ) उपुर्यक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1431. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुल कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के लिए इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित बजट परिव्यय जारी कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, विश्व बैंक सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई.एम.सी.पी.) सहित राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यों की आवश्यकताओं और उनके पास बकाया निधियों, यदि कोई हों, के उपयोग के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

विवरण

2000-2001 से 2002-2003 तक राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम और संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2523.24	954.65	548.86
अरुणाचल प्रदेश	293.79	365.67	377.08
असम	2657.86	2377.47	1934.39
बिहार	328.82	525.94	95.85
छत्तीसगढ़	271.65	876.3	3047.95

1	2	3	4
गोवा	0.98	6.17	7.97
गुजरात	1480.92	1353.89	767.99
हरियाणा	78.35	18.42	55.79
हिमाचल प्रदेश	89.06	36.78	11.89
जम्मू और कश्मीर	84.28	69.62	382.43
झारखण्ड	-	804.33	1267.52
कर्नाटक	233.36	369.55	227.36
केरल	755.92	42.78	6.16
मध्य प्रदेश	2154.36	2540.77	2408.15
महाराष्ट्र	1478.39	2289.2	94777.11
मणिपुर	235.72	275.28	144.86
मेघालय	303.58	290.37	301.7
मिजोरम	235.26	345.85	195.4
नागालैण्ड	278.91	368.08	367.24
उड़ीसा	1440.89	1745.01	3030.8
पंजाब	148.31	94.09	65.75
राजस्थान	468.09	924.93	925.9
सिक्किम	0.1	0.14	4.32
तमिलनाडु	133.9	85.782	125.2
त्रिपुरा	480.94	505.76	389.93
उत्तर प्रदेश	544.11	637.44	526.19
उत्तरांचल	-	39.19	1.96
पश्चिम बंगाल	454.44	701.72	347.04
दिल्ली	100.45	89.57	58.47
पांडिचेरी	13.56	8.3	13.18
अ. और नि. द्वीपसमूह	231.73	220.78	230.07
चंडीगढ़	44.81	35.51	38.29
दादरा और नगर हवेली	18.12	40.67	16.07
दमण और दीव	9.9	18.64	7.99
लक्षद्वीप	5.57	5.29	5.35
कुल	16899.39	19062.88	18882.21

पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज विरोध

1432. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में अधिकारियों ने अपनी मांग पर जोर देने हेतु 1 मई, 2003 शनिवार को एक दिन अतिरिक्त कार्य करके विरोध जताया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मागों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ द्वारा जारी हड़ताल की धमकी के भाग के रूप में इसके सदस्यों ने शनिवार 31 मई, 2003 को कार्य करके विरोध दिवस मनाया। अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अराजपत्रित कर्मचारियों का एक संघ है और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अधिकारी इसके सदस्य नहीं हैं।

2. अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ 1998 में मान्यता प्राप्त करने के बाद कई अवसरों पर हड़ताल पर चले गए। मई 2003 के आन्दोलन की शुरुवात अप्रैल, 2003 में जारी आदेशों के आधार पर इसके सदस्यों के स्थानान्तरण को अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ को अनुमति देने से इंकार करने से हुई बाद में अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने संवर्ग समीक्षा, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकें, विभागीय परिषद के गठन, विदेश तैनाती, समान क़ार्यालय क्रियाविधि, वर्दी, का प्रावधान स्थानान्तरण मसले, पासपोर्टों की लिखाई का काम, भर्ती नियमों का संशोधन तथा नैमित्तिक कामगारों को नियमित करने से संबंधित कई अन्य मांगें जोड़ दी। इन क्षेत्रों में कार्रवाई कर दी गई है अथवा कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे मसले भी हैं, जिन पर अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार करना अपेक्षित है। कई क्षेत्रों में अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ की ओर से कार्रवाई बकाया है।

3. कतिपय क्षेत्रों जैसे संवर्ग समीक्षा और समान कार्यालय क्रियाविधि के संबंध में अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ के

कार्यकारिणी के सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि इन दो मसलों पर तब तक प्रगति होना कठिन होगा जब तक पासपोर्ट कर्मचारी वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित कर्मचारी निरीक्षण एकक के उत्पादकता से सम्बद्ध मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने लगातार कर्मचारी निरीक्षण एकक के मानदण्डों को स्वीकार नहीं किया है। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्राय: सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट जारी करने के लिए पर्याप्त संख्या में बकाया मामले हैं और जिसके कारण पासपोर्ट चाहने वाली जनता में असंतोष है।

4. स्थानांतरण मामलों के संबंध में ए.आई.पी.ई.ए. केवल सीमित क्षेत्रों में स्थानांतरण पर जोर देती रही है जो कि अत्यधिक अव्यवहार्य है। इसके परिणामस्वरूप कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या अधिक हो गई है और कुछ अन्य में कम इसकी वजह से पासपोर्ट जारी करने के लंबित मामलों में वृद्धि हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद स्थिति क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के मामले में 134 की स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 42 कर्मचारी ही हैं। कर्मचारियों की इस अत्यधिक कमी और अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ द्वारा कार्यबल निरीक्षण एकक को स्वीकार न किये जाने के परिणामस्वरूप पासपोर्ट को जारी करने के लम्बित मामले अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 90 हजार से अधिक हैं।

5. विगत में अनेक अवसरों पर अखिल भारतीय पासपोर्ट संघ ने मंत्रालय को यह आश्वासन दिए हैं कि निर्धारित समयावधि में सभी लम्बित मामलों को निपटाया जायेगा और उनको शून्य स्तर पर बनाए रखा जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इसके विपरीत लम्बित मामलों में वृद्धि हो रही है। अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने लम्बित मामलों के निपटान का संबंध वित्तीय प्रोत्साहनों से जोड़ा है। यह भी उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने आचरण नियमों का मान नहीं रखा है और हड़ताल तथा धीमे कार्य करने और असंतोष व्यक्त करने के अन्य मार्गों को अपना चुका है। अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए इस अवैध कदम के साथ-साथ इनके द्वारा किए गए प्रदर्शनों से पासपोर्ट कार्यालयों का कार्य बुरी तरह बाधित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यक्षमता में गिरावट आई है। पासपोर्ट की अपेक्षा रखने वाली जनता में असंतोष व्याप्त हुआ है और आम जनता में पासपोर्ट कार्यालयों की छवि खराब हुई है। अखिल भारतीय पासपोर्ट संघ की गतिविधियां पासपोर्ट की अपेक्षा रखने वाली जनता के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई हैं, जबकि पासपोर्ट को हासिल करना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तथापि, सरकार ने अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ के साथ निपटने में सकारात्मक भूमिका अदा की है जिसके परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने 31 मई, 2003 को होने वाले अपने प्रदर्शन पर रोक लगा ली। सरकार ने अब अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ के साथ नियमित वार्ता की प्रणाली अपना ली है ताकि बकाया मुद्दों का समाधान शीघ्र हो सके।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जर्मन सहायता

1433. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी एक संशोधित वीजा प्रणाली के तहत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को वहां जाना सरल बनाने पर राजी हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जर्मनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों की किस हद तक मदद करने में समर्थ होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 2000 में जर्मन सरकार ने सभी देशों के सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए "ग्रीन कार्ड" कार्यक्रम लागू किया था। जर्मन सरकार ने इस योजना को दिसम्बर, 2004 तक आगे बढ़ाने का अनुमोदन किया है। इन कार्य परमिटों/ग्रीन कार्डों की संख्या को पहले 20,000 तक सीमित किया गया था। ग्रीन कार्ड योजना 31 जुलाई, 2003 को समाप्त होनी थी; इसे अब 31 दिसम्बर, 2004 तक आगे बढ़ाया गया है। 30 जून, 2003 तक जर्मनी द्वारा जारी किए गए कुल 14,566 ग्रीन कार्डों में से 3,741 ग्रीन कार्ड भारतीय नागरिकों को दिए गए।

(ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की विश्व बाजार, विशेष रूप से यूरोपीय देशों, में उनकी सेवाओं की गुणवत्ता तथा सस्ती लागत के कारण भारी मांग है। जर्मनी में काम करने के अनुभव से उनका व्यावसायिक स्तर और उन्नत होगा।

[हिन्दी]

बिहार में दूरसंचार केन्द्र

1434. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दूरसंचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों के अंतर्गत काफी संख्या में टेलीफोन समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन टेलीफोनों का समुचित प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बिहार में उन ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जहां अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 531 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1997-98	28*
1998-99	43*
1999-2000	100*
2000-01	251*
2001-02	109

*झारखंड दूरसंचार सर्किल के जिले शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टेलीफोनों का सही कार्य-करण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. टेलीफोन कनेक्शन ड्रॉप वायर पर दिए जा रहे हैं।
2. दोष-दर को न्यूनतम करने के लिए 5 पेयर केबल बिछाए जा रहे हैं।
3. सभी स्तरों पर प्रभावी निगरानी रखी जाती है।

(ङ) बिहार के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है वहाँ ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. बिहार के सभी राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराकर उन्हें टेलीफोन सुविधाएं दी गई हैं।
2. 183 ग्रामीण वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) और कुल 91500 लाइनों की क्षमता वाले बेस ट्रांसरिसीव स्टेशन (बीटीएस) चालू किए गए हैं।
3. ग्रामीण बेस स्टेशन कंट्रोलरों (बीएससी) और बेस ट्रांसरिसीव स्टेशनों की क्षमता 500 से बढ़ाकर 1000 लाइनें कर दी गई है जिससे मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए कुल लाइनों की संख्या 40500 हो गई है।

उद्देश्यपरक अवसंरचनात्मक नैदानिक परीक्षा प्रणाली

1435. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा के परम्परागत प्रकृति को बरकरार रखते हुए इसे उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने हेतु उद्देश्यपरक अवसंरचनात्मक नैदानिक परीक्षा (ओ.एस.सी.ई.) प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन रोगों के नाम क्या हैं जिनके विशेषज्ञों को डिग्रियां प्रदान करने हेतु चुना जाएगा; और

(ग) उपरोक्त प्रणाली के माध्यम से डाक्टरों के चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने पारंपरिक परीक्षा सहित स्नातकोत्तर के लिए डी.एन.बी. डिग्री के. इच्छुक छात्रों के लिए विषयपरक नैदानिक जांच की प्रणाली शुरू की है। यह छात्रों की नैदानिक दक्षताओं का मूल्यांकन करने की एक विषयपरक प्रणाली है जो छात्रों और शिक्षकों को और अधिक स्वीकार्य होने के साथ-साथ पारदर्शी है।

(ख) यह प्रणाली कान, नाक, गला और न्यायिक चिकित्सा शास्त्र विषय में शुरू की गई है। ऐसी प्रणाली नेत्र विज्ञान, बाल चिकित्सा विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, विकलांग विज्ञान आदि विषय में यथा समय आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस प्रणाली में एक समूह में छात्रों की परीक्षा ली जाती है। छात्रों की संख्या 22 से 30 तक हो सकती है और आवश्यकतानुसार कोई नैदानिक स्टेशन तैयार किये जाते हैं। प्रत्येक स्टेशन पूर्व निर्धारित प्रश्नों और अंकों सहित नैदानिक समस्या के एक पहलू के साथ डील करता है। छात्रों को सभी स्टेशनों में इसी

प्रकार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक-एक करके सभी स्टेशनों पर जाना पड़ता है।

किराये के भवनों में कार्यालय/केन्द्र और टावर्स

1436. श्री सईदुज्जमा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश विशेषकर, गाजियाबाद, आजमगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जिलों के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय, केन्द्र और टावर्स किराया के परिसरों में स्थित हैं;

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपरोक्त जिलों में अलग-अलग किराये की कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और इसके लिए कौन-से क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार/बी.एस.एन.एल. का विचार संचार सुविधाओं को बढ़ाने हेतु और अधिक भवनों को किराये पर लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हज तीर्थयात्रियों पर किया गया व्यय

1437. श्री रामदास आठवले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने हज तीर्थयात्रियों पर कितना वार्षिक व्यय किया है;

(ख) क्या इस धनराशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विगत तीन वर्ष के दौरान हज समिति, मुम्बई के जरिए जाने वाले हज तीर्थयात्रियों के लिए सरकार द्वारा रियायती वायुयान भाड़े पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	अनुमानित राशि (करोड़ रुपए)
2001	149.55
2002	163.80
2003	200.00

हज तीर्थ यात्रा के प्रबंधन के लिए विभिन्न इंतजामात करने के लिए अन्य व्यय संकलित किया जा रहा है तथा सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ) इस समय व्यय बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। चूंकि तीर्थयात्रियों के वायु यात्रा संबंधी अन्य घटक अपरिवर्तित हैं, इसलिए हज 2004 के दौरान राजसहायता प्राप्त वायुयान किराए पर व्यय बढ़ने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

1438. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2003-2004 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक कोई योजना नहीं है। तथापि, बजट भाषण 2003-04 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रधानमंत्री द्वारा 14 जुलाई, 2003 को देशव्यापी आधार पर एक 'व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की गई।

(ख) इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम लाभ प्राप्त अधिकांश नागरिकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना तथा उन्हें कुछ पसंद की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के चार सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा 100 लाख परिवारों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल फोन सेवाएं

1439. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के परभनी जिले के गंगखेर, जिंतूर और बासमत तालुकाओं में मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त सुविधाओं को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चार कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किये गए हैं:

1. मैसर्स बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लिमिटेड
2. मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड
3. मैसर्स भारती सेल्यूलर लिमिटेड
4. मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) हेतु लाइसेंस के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के किसी प्रचालक को सेवा क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर 10% जिला मुख्यालयों को और तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर करना अपेक्षित होता है। लाइसेंसधारी को जिला मुख्यालय के बदले में जिले में किसी अन्य शहर को कवर करने की अनुमति भी दी जाती है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों को चुनने और 50% जिला मुख्यालयों/शहरों से अधिक स्थानों पर सेवा का विस्तार करने का अधिकार लाइसेंसधारी का होगा जो उनके कारोबार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

उपर्युक्त लाइसेंसधारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय परभनी जिला मुख्यालय को सीएमटीएस द्वारा कवर कर लिया गया है। परभनी जिले के भीतर के उक्त तालुकों को कवर करना सीएमटीएस लाइसेंस करार के तहत अनिवार्य नहीं है तथा यह उक्त लाइसेंसधारियों के कारोबार/व्यवसाय के निर्णय पर निर्भर करता है।

कर्मचारियों की संख्या

1440. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के तहत कार्यरत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी "क", "ख", "ग" और "घ" के कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) कार्मिकों की कुल संख्या में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

समूह	कार्मिकों की कुल संख्या	कालम (2) में दर्शाई गई संख्या में से		
		अ.पि. वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
क	241	07	18	35
ख	272	05	07	30
ग	347	25	23	62
घ	317	26	15	136
कुल	1177	63	63	263

योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कोई उपक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अर्जित रायल्टी

1441. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अपने नाम से अनेक पेटेन्ट और खोजे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और वर्ष 2002-2003 के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी रायल्टी अर्जित की गई;

(ग) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ किए गए अनुसंधान कार्य का अधिक वाणिज्यिक मूल्य नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भविष्य में प्रासंगिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करे; और

(ङ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को आत्म-निर्भर और स्व-वित्तपोषित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी हां।

(ख) सीएसआईआर ने वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान रॉयल्टी एवं प्रीमिया के रूप में क्रमश: 287.28 लाख रुपये तथा 421.32 लाख रुपये अर्जित किए।

(ग) से (ङ) सीएसआईआर की अनुसंधान परियोजनाओं का लक्ष्य सदैव भारतीय उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना रहा है। अत: यह मूल विज्ञानों एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच उत्कृष्ट तालमेल रखने का प्रयास करता है। सीएसआईआर द्वारा आरम्भ अनुसंधान वाणिज्यिक रूप से उपयोगी है, जो इस तथ्य से साबित होता है कि आज सीएसआईआर के प्रक्रमों तथा उत्पादों पर आधारित औद्योगिक टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए से अधिक है। सोनालिका (ट्रेक्टर), एसमोन (दमा-रोधी औषधि), सहेली (सप्ताह में एक बार ली जाने वाली परिवार नियोजन गोली) ई-माल (मलेरिया-रोधी औषधि) आदि जैसे उत्पाद सीएसआईआर द्वारा हाल ही में अर्जित सफलता के नमूनों में से है। विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से नजदीकी औद्योगिक भागीदारियां, उन्नत विपणन, व्यापार योजनाओं का गठन तथा सफल औद्योगिक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन सृजन आदि ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें सीएसआईआर ने हाल ही के कुछ वर्षों में स्वयं को यथासंभव आत्मनिर्भर, स्ववित्तपोषित बनाने के लिए आरम्भ किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की बैठक

1442. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति (डब्ल्यू.आर.सी.), भोपाल की बैठक अप्रैल, मई और जून, 2003 में आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल को दिनांक 4.9.2001 के भारत के राजपत्र, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, में दिए गए विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के बारे में महाराष्ट्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बैठक में विचार-विमर्श के बाद इस बारे में क्या निर्णय लिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) अप्रैल से जून, 2003 तक पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल की निम्नलिखित बैठकें हुई:

(1) 26 और 27 अप्रैल, 2003 को 46वीं बैठक

(2) 24 और 25 मई, 2003 को 47वीं बैठक

(3) 20 से 22 जून, 2002 तक 48वीं बैठक

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्टाफ/संकाय की सूची प्रस्तुत करने पर 111 शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने, तथा 25 संस्थाओं में सीटों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (ङ) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा इन बैठकों में विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1443. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बालकों और महिलाओं के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन संगठनों को राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार को इन संगठनों में से कुछ संगठनों द्वारा अनुदानों के दुरुपयोग करने की जानकारी है;

(घ) यदि .हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुदानों का दुरुपयोग करने वाले संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का विवरण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिनकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) जब कभी भी अनियमितताओं के विशिष्ट मामले नोटिस में आते हैं, ऐसे संगठनों को काली-सूची में डालने की कार्रवाई प्रारम्भ करने के अतिरिक्त, संगठनों को स्वीकृत धनराशि को वसूल करने की कार्रवाई भी की जाती है। सरकार को देय धनराशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

विवरण I

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	482.56	841.58	805.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.43	34.43	100.94
3.	असम	160.17	123.06	199.07
4.	बिहार	280.60	152.41	212.42
5.	छत्तीसगढ़	0.00	6.21	22.65
6.	गोवा	3.56	62.65	5.86
7.	गुजरात	236.28	114.43	494.79
8.	हरियाणा	119.79	129.57	215.90

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	83.77	154.15	68.93
10.	जम्मू व कश्मीर	196.47	101.92	199.55
11.	झारखण्ड	0.00	1.51	0.00
12.	कर्नाटक	447.82	228.93	385.21
13.	केरल	246.72	183.96	218.09
14.	मध्य प्रदेश	353.30	328.01	514.38
15.	महाराष्ट्र	347.20	406.08	531.23
16.	मणिपुर	119.33	59.00	154.20
17.	मेघालय	21.06	48.24	28.17
18.	मिजोरम	37.21	58.09	28.96
19.	नागालैण्ड	85.26	109.72	106.31
20.	उड़ीसा	330.34	367.34	342.69
21.	पंजाब	249.28	189.87	204.97
22.	राजस्थान	157.33	133.73	182.34
23.	सिक्किम	21.41	18.50	23.89
24.	तमिलनाडु	320.71	231.54	284.23
25.	त्रिपुरा	111.18	56.54	101.84
26.	उत्तर प्रदेश	521.23	931.26	689.81
27.	उत्तरांचल	13.85	3.97	173.51
28.	पश्चिम बंगाल	332.34	243.96	597.42
29.	दिल्ली	235.35	148.20	109.90
30.	पाण्डिचेरी	33.81	53.94	14.81
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30.72	1.35	33.51
32.	चण्डीगढ़	17.64	9.25	7.39
33.	दादर व नगर हवेली	3.57	4.62	4.56
34.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	16.49	14.55	20.71
	कुल	5701.78	55533.57	7083.32

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान निधियों का दुरुपयोग करने वाले संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम व पता
1	2
1.	पेडा प्रजला सेवा समिति, गंगाधारा, नेल्लोर-517125 चित्तूर (आंध्र प्रदेश)
2.	महिला एवं बाल कल्याण समिति, नई बस्ती, अनन्तनाग, जम्मू व कश्मीर
3.	हिलाल इंस्टीट्यूशन जनरल बस स्टैण्ड, अनन्तनाग, जम्मू व कश्मीर
4.	नंदिनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम पार्वती, हरवंशपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश
5.	साकेत महिला मण्डल कल्याण समिति, नवाबगंज, गोंडा
6.	बाल विकास एवं महिला कल्याण परिषद, नवाबगंज, गोंडा
7.	रामा मॉण्टेसरी जूनियर बेसिक विद्यालय समिति, नवाबगंज, गोंडा
8.	इंदिरा महिला मण्डली, फ्लैट सं. 406, मलिक चेम्बर्स, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
9.	श्री कुंज लाल स्मारक समिति, 118-मखानिया महल, सदर बाजार, लखनऊ (उ.प्र.)
10.	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना, बिहार
11.	कोमी एज्युकेशनल सोसायटी, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
12.	सिंदूरा महिला मण्डली, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
13.	अरुणा महिला मण्डली, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
14.	हरिथा महिला मण्डली, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
15.	सुन्दरा सुब्बाराव मेमोरियल एज्युकेशन सोसायटी, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
16.	विमला महिला मण्डली सोसायटी, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
17.	कम्यूनिटी डवलपमेंट सोशल सर्विस सोसायटी, कॉन्डयापल्ली, कुड्ढापाह, आंध्र प्रदेश
18.	हरिथा महिला मण्डली सोसायटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
19.	खादी सिल्क ग्रामोद्योग, दोमारनदयाल, कुड्डापाह, आंध्र प्रदेश
20.	फॉल्क आर्ट्स एण्ड कल्चर रिसर्च सेंटर, तिरुवेल्लोर, तमिलनाडु
21.	राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
22.	भारतीय समाज कल्याण संगठन, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
23.	मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल, म.प्र.
24.	ग्राम शक्ति श्रम जीवनी संगठन, अहमदाबाद, गुजरात
25.	जयश्री महिला संगम, खम्माम, आंध्र प्रदेश
26.	बापूजी खादी रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, प्रोदूत्तूर, कुड्डापाह, आ.प्र.

[हिन्दी]

डाक सेवाएं

1444. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में ग्रामीण स्तर पर जिलावार कितने डाकघरों, स्पीड पोस्ट काउंटरों को खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) किन राज्यों में इस संबंध में वर्ष 2002-2003 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय के मानदण्डों के पूरा करने के माध्यम से आंकी गई आवश्यकताओं के आधार पर खोले जाते हैं तथा वार्षिक आधार पर अनुमोदित लक्ष्यों की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। स्पीड पोस्ट काउंटर भी

वाणिज्यिक क्षमता तथा कनेक्टिविटी के आकलन के आधार पर खोले जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान जरूरतमंद जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोले जाने के लिए विभिन्न सर्किलों हेतु आवंटित लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) शाखा डाकघर, पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए वार्षिक योजना में आवंटित निधि का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है। स्पीड पोस्ट काउंटर खोलने के लिए योजना के अंतर्गत अलग से निधि का आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 2002-03 में ग्रामीण डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों व उपलब्धि का सर्किलवार ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

(घ) देश में डाक सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक योजना के अंतर्गत डाक सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर नेटवर्क का विस्तार, ग्राहकों को अधिक कुशल और मूल्यवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डाक व मेल कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण करके उनकी क्षमता में उन्नयन, विशेष प्रीमियम और वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और ग्राहक सेवा में सुधार जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। नियमित निरीक्षणों और दोरों के साथ-साथ डाक पारेषण की कुशलता के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्डों की प्रणाली के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता की मानीटरिंग के उपाय भी मौजूद हैं।

विवरण I

वर्ष 2003-2004 के लिए अतिरिक्त विभागीय डाकघर (ईडीबीओ) खोलने के सर्किलवार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	ईडीबीओ
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	14
3.	बिहार	15
4.	छत्तीसगढ़	16
5.	दिल्ली	2
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू व कश्मीर	5
10.	झारखण्ड	6
11.	कर्नाटक	8
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	15
14.	महाराष्ट्र	25
15.	उत्तर पूर्व	10
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	5
18.	राजस्थान	15
19.	तमिलनाडु	6
20.	उत्तर प्रदेश	20
21.	उत्तरांचल	5
22.	पश्चिम बंगाल	5
23.	सिक्किम	2
	कुल	200

विवरण II

वर्ष 2003-2004 के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए सर्किलवार आवंटित निधि

क्र.सं.	सर्किल	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए (रुपए हजार में)	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए (रुपए लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8.0	4.19
2.	असम	56.0	14.88

1	2	3	4
3.	बिहार	60.0	30.04
4.	छत्तीसगढ़	64.0	15.81
5.	दिल्ली	8.0	शून्य
6.	गुजरात	40.0	7.92
7.	हरियाणा	8.0	8.37
8.	हिमाचल प्रदेश	8.0	8.74
9.	जम्मू व कश्मीर	20.0	1.86
10.	झारखण्ड	24.0	9.02
11.	कर्नाटक	32.0	1.02
12.	केरल	16.0	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	60.0	22.32
14.	महाराष्ट्र	100.00	23.25
15.	उत्तर पूर्व	40.0	9.86
16.	उड़ीसा	24.0	2.79
17.	पंजाब	20.0	6.51
18.	राजस्थान	60.0	11.35
19.	तमिलनाडु	24.0	10.70
20.	उत्तर प्रदेश	80.0	29.57
21.	उत्तरांचल	20.0	2.79
22.	पश्चिम बंगाल	20.0	0.38
23.	सिक्किम	8.0	0.19
	कुल	*800.0	**221.53

*200 ईडीबीओ के लिए
**900 पीएसएसके के लिए

विवरण III

वर्ष 2002-2003 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (ईडीबीओ) के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	सर्किल	ईडीबीओ	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	3	3
2.	असम	15	15
3.	बिहार	15	15
4.	छत्तीसगढ़	20	20
5.	दिल्ली	1	1
6.	गुजरात	15	15
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2
9.	जम्मू व कश्मीर	5	5
10.	झारखण्ड	10	8
11.	कर्नाटक	9	8
12.	केरल	2	2
13.	मध्य प्रदेश	14	16
14.	महाराष्ट्र	30	30
15.	उत्तर पूर्व	9	9
16.	उड़ीसा	10	10
17.	पंजाब	5	5
18.	राजस्थान	18	18
19.	तमिलनाडु	5	5
20.	उत्तर प्रदेश	18	18
21.	उत्तरांचल	4	4
22.	पश्चिमी बंगाल	39	32
23.	सिक्किम	1	शून्य
	कुल	250	241

बेसिक टेलीफोन सेवाएं

1445. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसिक टेलीफोन सेवा को निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा में सुधार करने के लिए कुछ और अधिक टावर स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में किन स्थानों पर ऐसे टावर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) अक्तूबर, 2000 में जब बीएसएनएल को निर्गमित किया गया तो इसे राहतोपायों का कुछ पैकेज प्रदान किया गया ताकि सरकार के अनुरोध पर बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त सेवाओं, जो आर्थिक रूप से अलाभकारी परंतु सामाजिक रूप से वांछनीय हैं, के कारण बीएसएनएल की क्षमता कमजोर न हो।

(ख) जी, हां। जिन शहरों में क्षमता का पूर्ण उपयोग हो चुका है, वहाँ क्षमता में वृद्धि करने के लिए बीएसएनएल द्वारा अपनी सेल्यूलर मोबाइल सेवा के विस्तार की योजना है।

(ग) और (घ) इस समय शिवाजी नगर में अतिरिक्त टावर संस्थापित किया जा रहा है और विस्तार के भाग के रूप में तीन और टावरों की योजना बनायी गयी है।

[अनुवाद]

रूस के साथ विचार-विमर्श

1446. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विचार-विमर्श आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन द्विपक्षीय विचार-विमर्श भारत-रूस सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारी दल के तत्वावधान में किया गया जिसकी बैठक 7.4.2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

उड़ीसा में मेडिकल कालेजों की स्थापना

1447. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पश्चिमी उड़ीसा में कुछ मेडिकल कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई प्रस्ताव निजी क्षेत्र से है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में स्थानवार कहां पर नए मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (च) केन्द्र सरकार की राज्य क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बने विनियमों के अंतर्गत नए मेडिकल कालेज की स्थापना करने की अनुमति दे रही है। जो विनियमों में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं, वे नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

1448. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मैसूर के विभिन्न भागों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ख) आवेदन प्राप्ति के बाद टेलीफोन लगाने के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा कितना समय लिया जाता है; और

(ग) शीघ्रता से कनेक्शन देने के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार मैसूर और दिल्ली के विभिन्न भागों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्रमशः 3850 और शून्य है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन संस्थापित किये जाने के लिए लिया जाने वाला समय निम्नानुसार है:

1. उन क्षेत्रों में, जहां टेलीफोन कनेक्शन "मांग पर" उपलब्ध हैं, नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा है।
2. फोन आन फोन सेवा योजना के तहत, अनुरोध प्राप्त होने के समय के 48 घंटों के भीतर कनेक्शन प्रदान किये जाने होते हैं।

एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड), दिल्ली में लगभग 95% कनेक्शन 15 दिनों के भीतर संस्थापित कर दिए जाते हैं और शेष 5% में उपभोक्ता के कारणों की वजह से देरी हो जाती है।

(ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा शीघ्रतापूर्वक कनेक्शन प्रदान करने के लिए किये जा रहे उपाय निम्नानुसार है:

1. ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की छिटपुट मांग को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) लगाने की योजना बनाई गई है।
2. और अधिक संख्या में टेलीफोन एक्सचेंज की संस्थापना।
3. बेतार प्रौद्योगिकी उपस्करों जैसे कोरडेक्ट (कोर-डिजिटल इन्हेन्सड प्रौद्योगिकी) और पीएएस (पर्सनल एक्सेस प्रणाली) का उपयोग और डीएलसी (डिजीटल लूप कैरियर) की संस्थापना।

रोगी परिचर्या भत्ता

1449. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को प्राप्त रोगी परिचर्या भत्ते की सुविधा को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस भत्ते की सुविधा को वापस लेने से पहले प्रभावित कर्मचारियों से चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की 2002 की संघ सरकार (सिविल) रिपोर्ट संख्या 2 के एक लेखा परीक्षा पैरा संख्या 10.1 में बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उन लिपिकीय कर्मचारियों, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कार्य नहीं कर रहे थे और रोगी परिचर्या भत्ते के हकदार नहीं थे, को रोगी परिचर्या भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। इस प्रकार, लेखा परीक्षा पैरा में बताया गया कि ऐसे कर्मचारियों को 29.12.98 से 28.2.2001 की अवधि के लिए 34.16 लाख रुपए के रोगी परिचर्या भत्ते का भुगतान करना गलत था।

इस मामले की सरकार द्वारा जांच की गई थी और गैर-हकदार कर्मचारियों को रोगी परिचर्या भत्ते का भुगतान बंद करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, गैर-हकदार कर्मचारियों को दिनांक 1.3.2003 से रोगी परिचर्या भत्ते का भुगतान बन्द करने के लिए दिनांक 24.3.2003 को आदेश जारी किए गए थे। तथापि, दिनांक 24.3.2003 के उक्त आदेशों को दिनांक 2.6.2003 के आदेश के तहत तीन महीने की अवधि के लिए आस्थगित किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस मामले पर दिनांक 24.3.2003 का आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावित कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया था क्योंकि यह आवश्यक नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

कार्मिकों की श्रेणी-वार संख्या

1450. श्री बालकृष्ण चौहान: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में कार्यरत कार्मिकों की समूह-वार संख्या कितनी है;

(ख) कार्मिकों की कुल संख्या में अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित कार्मिकों की अलग-अलग समूह-वार संख्या कितनी है; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित कार्मिकों की समूह-वार संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कोई भी विभाग और उपक्रम नहीं है। तथापि, मंत्रालय की स्थिति इस प्रकार है:

(दिनांक 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	195	24	8	15
ख	201	30	10	5
ग	315	55	10	7
घ	186	58	6	12
जोड़	897	167	34	39

[अनुवाद]

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

1451. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से राज्यवार कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का रख-रखाव किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के वित्त पोषण के माध्यम से चलाए जा रहे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, वीपीटी का अनुरक्षण सामान्यत: अनुरक्षण संबंधी निम्नलिखित नेमी कार्यों का पालन करके संतोषजनक ढंग से किया जाता है:

(1) खराब वीपीटी का पता लगाने के लिए प्रतिदिन एक्सचेंज से वीपीटी का परीक्षण किया जाता है और उसे ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

(2) प्रतिदिन बेस स्टेशन से एमएआरआर लाइनों का परीक्षण किया जाता है।

(3) हर पखवाड़े में मीटर रीडिंग की जांच की जाती है और कम रीडिंग को प्रणाली के ठीक से कार्य न करने का संकेत माना जाता है और इसकी जांच विशेष रूप से की जाती है।

(घ) किसी क्षेत्र में वीपीटी प्रदान करने वाले संबंधित बुनियादी सेवा प्रचालक अपने क्षेत्रों में वीपीटी के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार होते हैं।

विवरण

वीपीटी (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त पोषित) की संख्या का राज्यवार समेकन

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	क्यू ई 31.3.2003
1	2	3
1.	अंडमान तथा निकोबार	201
2.	आंध्र प्रदेश	24346
3.	असम	18040
4.	झारखंड सहित बिहार	64772
5.	गुजरात	14652
6.	हिमाचल प्रदेश	16565
7.	हरियाणा	6853
8.	जम्मू व कश्मीर	4098

1	2	3
9.	कर्नाटक	28452
10.	मुंबई और गोवा सहित महाराष्ट्र	33507
11.	छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश	51880
12.	पूर्वोत्तर	3725
13.	उड़ीसा	40811
14.	पंजाब	12470
15.	राजस्थान	22628
16.	तमिलनाडु	19256
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	75208
18.	उत्तरांल सहित उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	33133
19.	कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	36568
	कुल जोड़	507165

[हिन्दी]

हेपेटाइटिस टीका कार्यक्रम

1452. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय प्रतिरक्षण योजना में हेपेटाइटिस टीका आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किन राज्यों में उक्त टीके का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(घ) सरकार ने किन देशों से हेपेटाइटिस-बी (ट्रीपल लास) टीका खरीदा है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त टीका खरीदने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(च) क्या उक्त टीकाकरण कार्यक्रम में आटोडिस्पोजेबल सिरिंजेज का प्रयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण योजना में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन चरणबद्ध ढंग से शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो प्रायोगिक परियोजनाओं, जो अब चलाई जा रही हैं, में प्राप्त किए गए अनुभव एवं उपलब्ध संसाधनों पर भी निर्भर करता है।

(ख) सरकार प्रायोगिक परियोजना के रूप में 15 शहरों एवं 32 जिलों में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू कर रही है। प्रायोगिक परियोजना के बाद हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण देश के अन्य जिलों में चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा। यह परियोजना ग्लोबल एलाएन्स फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन (जी.ए.वी.आई.) द्वारा वित्तपोषित की जा रही है।

(ग) शहरों एवं जिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी.ए.वी.आई. वित्तपोषण के अन्तर्गत यूनिसेफ, परियोजना के लिए वस्तुगत सहायता के रूप में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन का प्रापण कर रहा है।

(च) और (छ) जी, हां, जिन शहरों तथा जिलों में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है वहाँ व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पहली बार आटो डिसेबल और न कि आटो डिस्पोजेबल सिरिंजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए है।

विवरण

वर्ष 2002-2004 तक हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण के अन्तर्गत शामिल किए गए शहर एवं जिले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर 2002-03	जिले 2003-04
1	2	3
तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरई
		नीलगिरी
		विरुद्धनगर
		रामानाथपुरम
केरल		अल्हापुज्जा

1	2	3
		एर्नाकुलम
		पथनामथिट्टा
कर्नाटक	बंगलौर	कोडागू
		शिमोगा
		मैसूर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	चित्तूर
		विजयानगरम
गोवा		गोवा
महाराष्ट्र	मुम्बई	रत्नागिरी
	पुणे	चन्द्रापुर
		सतारा
मध्य प्रदेश	भोपाल एवं इंदौर	बालाघाट
उड़ीसा		सुन्दरगढ़
पंजाब		रूपनगर
		होशियारपुर
हरियाणा		पंचकुला
		अम्बाला
हिमाचल प्रदेश		हमीरपुर
		सोलन
उत्तरांचल		नैनिताल
पांडिचेरी		पांडिचेरी
लक्षद्वीप		लक्षद्वीप
असम		जोरहाट
		शिवसागर
जम्मू और कश्मीर		राजौरी
		उधमपुर
गुजरात	अहमदाबाद और वड़ोदरा	सूरत
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		अंडमान और निकोबार जिला
दिल्ली	दिल्ली	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	
राजस्थान	जयपुर	
उत्तर प्रदेश	लखनऊ और कानपुर	
बिहार	पटना	

[अनुवाद]

रोजगार सृजन

1453. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान पांच करोड़ रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रुटि रहित तंत्र की स्थापना को दृष्टि में रखकर जून के महीने में केन्द्र सरकार के अनेक विभागों के सचिवों तथा राज्य योजना सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों का क्या सुझाव दिए गए हैं और उन सुझावों को दोनों सरकारों द्वारा किस हद तक स्वीकार किया गया है;

(घ) क्या योजना आयोग द्वारा कार्य योजना की प्रगति की निगरानी करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। दिनांक 2.6.2003 को योजना आयोग में राज्य सरकारों के योजना सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए राज्य सरकारों के दृष्टिकोण, बाधाएं जिन्हें दूर किया

जाना है तथा राज्य स्तर पर रोजगार सृजन के लिए एक मानीटरिंग तंत्र विकसित करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

(ख) से (ङ) सम्मेलन में विचार-विमर्श करने के पश्चात् राज्य स्तर पर रोजगार कार्यनीति बनाने, राज्य स्तर पर रोजगार सृजन की मानीटरिंग करने तथा राज्य सरकारों द्वारा दसवीं योजना में रोजगार संबंधी कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक कार्यबल गठित किया गया।

कार्यबल गठित करने के संबंध में आदेश की एक प्रति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके कार्यक्षेत्र का उल्लेख है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सं. पी-12049/14/03/एलईएम/ईआरएस

भारत सरकार

योजना आयोग

(श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग)

योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 2003

आदेश

विषय : राज्य स्तर पर रोजगार कार्यनीतियों और रोजगार मॉनीटरिंग संबंधी कार्यबल

यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर पर रोजगार कार्यनीति बनाने, रोजगार सृजन की मानीटरिंग और राज्य सरकारों द्वारा दसवीं योजना में रोजगार संबंधी कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यबल गठित किया जाए।

2. विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

2.1 50 मिलियन रोजगार अवसरों के पांच वर्षीय लक्ष्य के राज्य-वार विवरण का सांकेतिक निर्धारण; (1) राज्य से प्राप्त सूचना के आधार पर, और (2) राज्यों की रोजगार कार्यनीति के विश्लेषण का उपयोग करके।

2.2.1 राज्य स्तर पर (क) स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली; और (ख) भाड़े पर श्रमिक लेने और जनशक्ति भर्ती संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन संबंधी सुझाव देना जिससे (1) राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं और श्रम की मांग के बीच विसंगति को कम किया जा सके; और (2) कक्षा 8 की स्कूली शिक्षा पास करने वाले 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को, जब भी वे श्रम बल में शामिल हों, और अधिक संख्या में लाभप्रद रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

2.2.2 राज्य और जिला स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की कड़ी को और अधिक मजबूत करने के लिए रीति सुझाना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के लिए।

2.3.1 राज्य स्तर पर रोजगार नीति तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश सुझाना।

2.3.2 सर्वसहमति आधार पर राज्यों में रोजगार सृजन मानीटरिंग की प्रक्रिया विकसित करना ताकि दसवीं योजना की रोजगार कार्यनीति के अनुरूप एकीकृत समग्र तस्वीर उभर कर सामने आए।

2.3.3 राज्य प्रशासन में नोडल विभाग के गठन का सुझाव देना जो रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है।

2.4 पारिवारिक और/अथवा आर्थिक स्थापनाओं के स्तर पर सृजित रोजगार अवसरों के अनुमान और/अथवा गणना के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर सांख्यिकीय प्रणाली(यों) को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

2.5 राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करना ताकि:

2.5.1 रोजगार अवसरों के सृजन का आवर्धन हो सके;

2.5.2 उत्पादकता और श्रमिक आय में सुधार हो विशेषकर बहुत छोटे-छोटे और मध्यम संस्थापनाओं में;

2.5.3 परियोजना मूल्यनिर्धारण प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिवर्ती लक्ष्य के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रक परियोजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हो सके; और

2.5.4 आर्थिक नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में रोजगार आयाम की पहचान हो;

2.6 उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित अथवा प्रासंगिक किसी अन्य मामले पर विचार करना।

3. कार्यबल की संरचना इस प्रकार होगी:

	डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति), योजना आयोग	अध्यक्ष
I.	**राज्य सरकारें**	
	मुख्यमंत्री, गोवा सरकार	सदस्य
	पूर्वी क्षेत्र	
1.	योजना सचिव (पश्चिम बंगाल)	सदस्य
2.	योजना सचिव (उड़ीसा)	सदस्य
	उत्तरी क्षेत्र	
3.	योजना सचिव (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
4.	योजना सचिव (पंजाब)	सदस्य
	पश्चिमी क्षेत्र	
5.	योजना सचिव (गुजरात)	सदस्य
6.	योजना सचिव (महाराष्ट्र)	सदस्य
	दक्षिणी क्षेत्र	
7.	योजना सचिव (आंध्र प्रदेश)	सदस्य
8.	योजना सचिव (तमिलनाडु)	सदस्य
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
9.	योजना सचिव (असम)	सदस्य
II.	**केन्द्रीय सरकारी विभाग**	
10.	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
11.	सचिव, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता	सदस्य
12.	सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा	सदस्य
13.	सचिव (सांख्यिकी)	सदस्य
14.	सचिव (श्रम)	सदस्य
15.	सचिव (कृषि एवं सहकारिता)	सदस्य
16.	सचिव (ग्रामीण विकास)	सदस्य
17.	सचिव (शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन)	सदस्य
18.	सचिव (लघु उद्योग ए एवं आर आई)	सदस्य
19.	सचिव (वस्त्र)	सदस्य

20.	प्रधान सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) योजना आयोग	सदस्य
III. उद्योग एवं नियोक्ता		
21-24.	चैम्बर ऑफ कामर्स, उद्योग, लघु उद्योग एवं व्यापार के चार प्रतिनिधि	सदस्य
IV. संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ		
25.	अध्यक्ष (खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन)	सदस्य
26.	डा. वी. कुरियन अथवा वैकल्पिक सदस्य के रूप में प्रतिनिधि	सदस्य
27.	एसईडब्ल्यूए के प्रतिनिधि	सदस्य
28.	श्री नानाजी देशमुख अथवा वैकल्पिक सदस्य के रूप में प्रतिनिधि	सदस्य
29.	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेषज्ञ	सदस्य
30.	प्रो. अमिताभ कुंडु, जेएनयू (रोजगार विशेषज्ञ)	सदस्य
31.	प्रो. (रिटा.) रूदार दत्त (श्रम विशेषज्ञ)	सदस्य
32.	निदेशक (जनसाधन अनुसंधान संस्थान)	सदस्य
33.	सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति), योजना आयोग	सदस्य सचिव

4. कार्यबल किसी अन्य विशेषज्ञ(ज्ञों) को कार्यबल के सदस्य(यों) के रूप में सहयोजित कर सकता है।

5. कार्यबल के अध्यक्ष कार्यबल की बैठक(कों) में विशेषज्ञ(ज्ञों) को आमंत्रित कर सकते हैं।

6. कार्यबल अपनी रिपोर्ट मार्च, 2004 तक प्रस्तुत करेगा। एक अंतरिम रिपोर्ट दिसम्बर, 2003 में प्रस्तुत की जाएगी।

7. योजना आयोग में श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति प्रभाग कार्यबल के लिए सचिवालय की तरह कार्य करेगा। योजना आयोग में, कार्यबल के लिए नोडल अधिकारी श्रीमती पद्मजा मेहता, निदेशक (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति), (कमरा नं. 561, योजना भवन, नई दिल्ली टेलीफोन नं. 23096541) होंगी।

8. सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यय उन सरकारी विभागों/संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। गैर-सरकारी सदस्यों और आमंत्रितों के टीए/डीए का भुगतान, योजना आयोग द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा जैसाकि केन्द्र सरकार के ग्रेड I अधिकारी को स्वीकार्य है।

ह.
(टी.आर. मीणा)
निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यबल के अध्यक्ष, सभी सदस्य और सदस्य-सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित

1. उपाध्यक्ष, योजना आयोग के निजी सचिव
2. योजना राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. कार्यबल के अध्यक्ष एवं सदस्य (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) (डा. एस.पी. गुप्ता) के निजी सचिव

4. सदस्य (डीएनटी)/(केवी)/(एसपी)/(के.ए.)/(एन.के.एस.), योजना आयोग के निजी सचिवों को

5. सचिव, योजना आयोग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

6. प्रधान सलाहकार/सलाहकार योजना आयोग

7. कार्यबल के सदस्य-सचिव

8. एकीकृत वित्त प्रकोष्ठ, योजना आयोग

9. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, योजना आयोग

10. निदेशक (प्रशासन), योजना आयोग

11. सूचना अधिकारी, योजना आयोग

रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्र

1454. श्री परसुराम मांझी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाल्को और एम.एफ.आई.एल. के निजीकरण

1455. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को और एम.एफ.आई.एल. के निजीकरण की जांच के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को मिलाकर बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बाल्को (स्टरलाइट) के प्रबंधन द्वारा बाल्को के कर्मचारियों को बाध्यकारी/अनिवार्य वी.आर.एस. दिये जाने और कर्मचारियों को वी.आर.एस. के आंशिक/प्रतिबंधित भुगतान की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा दो वर्ष से कुछ ही अधिक समय से मार्डन फूड ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती कर इसे 1650 से घटाकर 850 करने और दिल्ली फैक्ट्री से मशीनरी हटाकर जयपुर ले जाये जाने की भी जानकारी है;

(च) क्या हिन्दुस्तान लीवर ने एम.एफ.आई.एल. की फरीदाबाद स्थित इकाई की भूमि बेचने के लिए उसे बंदे कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रश्न के भाग (ङ) और (च) पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ज) माननीय प्रधानमंत्री के साथ 18 अक्तूबर, 2002 को आयोजित केन्द्रीय श्रमिक संघ की बैठक के दौरान श्रमिक संघ के कुछ नेताओं ने शिकायत की थी कि भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के कामगारों को न्यायोचित व्यवहार किए बिना हटाया गया है/छंटनी की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया था कि श्रमिक संघों, नियोक्ताओं तथा सरकार के प्रतिनिधियों से युक्त एक छोटे से दल का गठन इन उद्योगों का दौरा करने तथा इस मसले

की जांच-पड़ताल करने के लिए किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री हासुभाई धावे, भारत नियोक्ता परिसंघ के महासचिव शरद एस. पाटिल, विनिवेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री संजीव एस. अहलुवालिया और श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के. चन्द्रामॉली से युक्त एक दल का गठन किया गया है।

इस दल ने अभी तक 13-14 फरवरी, 2003 को बाल्को के मुख्यालय/कोरबा स्थित फैक्टरी और 29 अप्रैल, 2003 को एमएफआईएल की मुम्बई में स्थित एक इकाई का दौरा किया है।

निजी सेवा आपरेटरों के टेलीफोन संबंधी दायित्व

1456. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सेवा आपरेटरों के अपने लाइसेंसों के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन संबंधी कुछ दायित्व हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निजी सेवा आपरेटरों द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यवार कितने गांव कवर किए जाएंगे;

(घ) क्या उन आपरेटरों का अपनी वचनबद्ध सेवाओं को चालू न करने के लिए सरकार को दंड के रूप में धन देना पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनसे अपने वादे पूरे करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निजी बुनियादी सेवा आपरेटरों द्वारा प्रदान किए जाने के लिए प्रतिबद्ध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न कम्पनियों को जुलाई, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक प्रदान किए गए लाइसेंसों में रॉल आउट दायित्व वीपीटी की कवरेज के अनुसार नहीं है बल्कि शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) विशेष रूप से तहसील की प्रत्येक श्रेणी में समान अनुपात में प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स की स्थापना के अनुसार है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निजी बुनियादी सेवा आपरेटरों से वसूल किए गए परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार (एलडी) निम्नानुसार है:

आपरेटर का नाम	सेवा क्षेत्र	सेवा चालू नहीं करने और वीपीटी ओर डीईएल प्रदान करने संबंधी विलम्ब के लिए प्रभारित कुल परिनिर्धारित नुकसानी (करोड़ रुपये में)	वीपीटी और डीईएल प्रदान करने में विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी (करोड़ रुपये में)	सेवा चालू नहीं करने के लिए प्रभारित परिनिर्धारित नुकसानी (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
भारती टेलीनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	4.00	4.00	शून्य
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	13.00	6.50	6.50
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	महाराष्ट्र	7.75	6.50	1.25

1	2	3	4	5
रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	गुजरात	13.00	6.50	6.50
श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	8.00	4.00	4.00
एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड	पंजाब	8.00	4.00	4.00
	कुल	53.75	31.50	22.25

(च) निजी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों को कवर नहीं किए गए शेष गांवों में उत्तरोत्तर रूप से दिसम्बर 2003 तक वीपीटी प्रदान कर अपना रॉल आउट दायित्व पूरा करने के लिए कहा गया है जिसके पूरा न होने पर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी भुनाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में यह निर्धारित किया गया है कि आबादी रहित गांवों, 100 से कम आबादी वाले गांवों, नक्सली और उग्रवादी समस्याओं से प्रभावित गांवों और उपग्रह माध्यम से कवर किये जाने वाले राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान नहीं किए जाएं। इसके अतिरिक्त, चार आपरेटरों ने बुनियादी सेवाओं के लिए नए लाइसेंस पर हस्ताक्षर करते समय 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बैंक गारंटियां प्रस्तुत की हैं।

विवरण

निजी बुनियादी सेवा आपरेटरों द्वारा प्रदान किए जाने के लिए प्रतिबद्ध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या का ब्यौरा

आपरेटर का नाम	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस की प्रभावी तिथि	लाइसेंस की प्रभावी तिथि के प्रथम तीन वर्षों में प्रतिबद्ध वीपीटी की संख्या
भारती टेलीनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश	30.9.1997	16500
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	30.9.1997	9635
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	महाराष्ट्र	30.9.1997	25760
रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	गुजरात	30.9.1997	8635
श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	4.3.1998	36727
एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड	पंजाब	30.9.1997	5442
		कुल	97806

इन प्रतिबद्धताओं को आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब के मामले में 30.9.1998 तक और महाराष्ट्र के मामले में 30.9.1999 तक पूरा किया जाना था। इसके अलावा, उक्त तीन वर्षों की अवधि पूरा होने पर कवर न हो पाए शेष गांवों के मामले में लाइसेंस द्वारा लाइसेंसधारी पर यह दायित्व डाला गया कि वे सभी गांवों में वीपीटी लगाये जाने तक प्रतिबद्ध दर को कायम रखे या उससे अधिक दर प्राप्त करें।

दूरसंचार शुल्क का निर्धारण

1457. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सेल्यूलर कंपनियां अनुचित प्रतिस्पर्धा विशेषकर सेवाओं पर एकाधिकार करने के लिए शुल्क तथा प्रवृत्ति निर्धारित करने में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्र अभियान हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकी

1458. श्री जे.एस. बराड़:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्द्र अभियान कार्यक्रम हेतु अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पूर्णत: स्वदेशी होगी;

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्तावित सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभियान से प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उक्त अभियान से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ मुख्य रूप में हमारी वैज्ञानिक जानकारी के क्षितिज को बढ़ाने से संबंधित हैं। ऐसे गहन अन्तरिक्ष अभियान को पूरा करने के लिए हम अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमता का उन्नयन करेंगे, जोकि दीर्घकाल में एक अन्य लाभ होगा। यह अभियान देश की बढ़ती युवा पीढ़ी की कल्पना-शक्ति और दूरदर्शिता के सामने एक चुनौती भी प्रस्तुत करेगा, जिसे आगे पोषित करने पर अन्तत: दीर्घावधि में समाज को असीम लाभ प्राप्त होंगे।

विदेश में भारतीय दृष्टिकोण का रखा जाना

1459. डा. डी.वी.जी. शंकरराव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों विशेषकर अमरीका में भारत के नकारात्मक दृष्टिकोण को रखे जाने की बात सरकार के ध्यान में आई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा दृष्टिकोण रखने से बचने और विदेश में देश की सही तस्वीर पेश करने हेतु भारतीय मिशनों द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के नियमित अनुवीक्षण के माध्यम से भारत सरकार इस बात से अवगत है कि अन्य सकारात्मक एवं संतुलित रिपोर्टिंग के साथ-साथ विदेशों में हमारे देश के बारे में कभी कभी कुछ नकारात्मक प्रचार भी देखने को मिलता है।

(ख) किसी भी नकारात्मक प्रस्तुतीकरण का मुकाबला करने के लिए और सही परिप्रेक्ष्य के निरूपण के लिए सरकार लगातार कदम उठाती है। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा नियमित प्रैस ब्रीफिंग, फिल्में एवं अन्य श्रव्य दृव्य सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना, विदेशी भाषाओं में प्रसारण, समाचार माध्यमों की प्रमुख हस्तियों की भारत यात्रा, महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलन आयोजित करना, हमारे प्रचार प्रयासों में अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल करना, समाचार पत्रों के संपादक मण्डलों और मुख्य टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों के साथ वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों द्वारा सतत संपर्क रखा जाना तथा सरकार के मत की जानकारी देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों की खराब सेवाएं

1460. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लांग मोहन लाल गंज, गोंडा, उन्नाव और खेरी (लखीमपुर) और मनकापुर दूरभाष केन्द्रों की खराब सेवा से परेशान हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) इन दूरभाष केन्द्रों में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत बंगलादेश संबंध

1461. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश के संबंध में पिछले कुछ महीनों में खराब हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार संबंधों को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं। वस्तुत: हाल ही में अनेक उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं। बंगलादेश के विदेश मंत्री ने 1-16 फरवरी, 2003 के बीच तथा तत्पश्चात बंगलादेश के वित्त मंत्री ने 19 से 22 मई के बीच भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री ने भी हाल ही में संयुक्त अर्थ-व्यवस्था आयोग की छठी बैठक के लिए 14-16 जुलाई के बीच ढाका की यात्रा की।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

'रिषयुग' का परीक्षण

1462. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरुष-गर्भ-निरोधक "रिष युग" के तीसरे और अंतिम चरण के परीक्षण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस गर्भनिरोधक का परीक्षण पूरा करने और इसके व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, एल.एन.जे.पी. अस्पताल, नई दिल्ली, डी.डी.यू. अस्पताल, नई दिल्ली तथा रूरल मेडिकेयर सेन्टर, नई दिल्ली, प्रत्येक में 50 व्यक्तियों पर रिषयुग के सात प्रतिबंधित चरण-III नैदानिक परीक्षण का समन्वय कर रही है। यह परीक्षण का अंतिम चरण नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित मानीटरिंग समिति द्वारा 63 व्यक्तियों के एक अन्तरिम डाटा विश्लेषण से 6 मामलों में मूत्र में एलब्यूमिन तथा कुछ मामलों में दर्द के साथ वृषणकोश (स्क्रोटल) सूजन, वृषणकोश नोड्यूल्स जैसे कुछ प्रतिकूल अनुषंगी प्रभाव तथा चार मामलों जिनमें से एक में गर्भ ठहर गया, में विधि के असफल होने का पता चला है।

उपुर्यक्त प्रेक्षणों के आधार पर, मानीटरिंग समिति, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विषविज्ञानी समीक्षा पैनल (टॉक्सिलॉजीकल-रिव्यू पैनल) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नेफ्रोलॉजिस्टों के एक दल ने नए मामलों को शामिल न करने और दीर्घकालिक निरापदता तथा प्रभावकारिता के लिए दाखिल मामलों का अनुपरीक्षण करने का सुझाव दिया।

(ग) और (घ) सभी 141 व्यक्तियों, जिन पर अब तक परीक्षण किए गए हैं, के आशोधित डाटा के विश्लेषण तथा उत्पाद की निरापदता सुनिश्चित करने के बाद गर्भ निरोधक प्रयोजनों के लिए इसके व्यावहारिक इस्तेमाल से पहले रिषयुग के साथ पूर्ण चरण-III नैदानिक परीक्षण तथा प्रत्यावर्तन अध्ययन का सुझाव दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कोचीन पत्तन पर अमरीकी युद्ध पोत

1463. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक युद्ध से लौटते हुए अमरीकी युद्धपोत को कोचीन पत्तन में जाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कोचीन में इसके रुकने की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस युद्धपोत को कोचीन पत्तन में जाने की अनुमति देना ईराक युद्ध के संबंध में देश की भावना के विरुद्ध था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) दो अमरीकी नौ सेना जहाजों, यू एस एस गैरी और यू एस एस वन्डेग्रिफ्ट ने 19-21 जून, 2003 तक कोचीन का दौरा किया। अमरीकी सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दोनों जहाज, अफगानिस्तान में स्थायी स्वतंत्रता अभियान के अमरीकी अभियानों में सहायता के बाद, सामान्य विश्राम और पुनः पूर्ति के लिए रुके थे। अमरीकी सरकार ने सरकार की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से कैद में रखा जाना

1464. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को अवैध रूप से कैद में रखने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के सुलझने तथा भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए मछुआरों की संख्या 2000 में 25, 2001 में 85, 2002 में 116 और 16, जुलाई, 2003 तक 208 तक बढ़ गई है। भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई सेना अथवा मछुआरों के संगठन द्वारा तब पकड़े जाते हैं जब वे श्रीलंका के अधिकार वाले समुद्र में घूमते पाए जाते हैं। इसलिए उनको बंधक बनाया जाना अवैध नहीं है। पकड़े गए मछुआरों के साथ मानवता का व्यवहार किया जाता है और उन्हें शीघ्र वापिस भेजा जाता है। कोलम्बो में भारतीय उच्चायोग, भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौ सेना और तमिलनाडु सरकार, श्रीलंका सरकार और उसकी एजेंसियों के सहयोग से उनकी वापिसी को सुविधाजनक बनाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-जयपुर तथा दिल्ली-आगरा राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थल

1465. श्री रामजी मांझी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-जयपुर तथा दिल्ली-आगरा राजमार्ग दिल्ली से बाहर जाने वाले पांच राजमार्गों में सर्वाधिक दुर्घटना प्रवण है जैसाकि 2 जून, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तब से इन दो राजमार्गों पर दुर्घटना प्रवण स्थलों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) राजमार्गों के किनारे बसे गांवों से राजमार्गों पर वाहनों के सीधे प्रवेश को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आधार पर सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्गों पर माध्यिका में सभी अनधिकृत खाली जगहों को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बंद कर दिया है और इन दोनों राजमार्गों पर अतिक्रमण हटा लिए गए हैं। जंक्शनों का सुधार और अंडर-पासेस तथा सेवा सड़कों का निर्माण कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

दूरसंचार क्षेत्र में अन्तर्सर्किल विलय एवं अधिग्रहण

1466. श्री अधीर चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में अन्तरसर्किल विलय एवं अधिग्रहण की अनुमति देने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने हेतु कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) हाल ही में सरकार ने जून 2003 में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस करारों में संशोधन किया है ताकि लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति से कतिपय शर्तों के अध्यधीन किसी भी समय लाइसेंस के अंतरण की अनुमति दी जा सके। तथापि, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा बुनियादी टेलीफोन सेवा के लाइसेंसों के मामले में उक्त अंतरण की अनुमति तभी दी जाती है जबकि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में अन्यथा रूप से प्रतिस्पर्धा से कोई समझौता न हो। ऐसा एकाधिकार को रोकने के लिए किया गया है।

देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं (सीएमटीएस) को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवाएं अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्द्धा के लिए खुली हैं। सीएमटीएस में रेडियो स्पेक्ट्रम दबाव के कारण प्रचालकों की संख्या पर प्रतिबंध होता है।

[हिन्दी]

लदाई एवं उतराई की टनीय क्षमता

1467. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वे पत्तन कौन-कौन से हैं जहां 10,000 टन अथवा इससे ज्यादा की क्षमता वाले पोत खड़े किये जा सकते हैं;

(ख) सभी पत्तनों की प्रतिदिन की लदाई और उतराई की टनीय क्षमता कितनी है; और

(ग) प्रतिदिन इन पत्तनों पर औसत कितने टन लदाई और उतराई होती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) सभी महापत्तन 10,000 सकल टन भार (सी डब्ल्यू टी) के जहाजों को हैंडिल कर सकते हैं।

(ख) महापत्तनों की क्षमता वार्षिक आधार पर निकाली जाती है जो 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार महापत्तनों के लिए 363 मिलियन टन है।

(ग) टन भार की दर लदान तथा उतराई जलयान का टाइप, जलयान का पार्सल आकार, कार्गो हैंडल आदि जैसे घटकों पर निर्भर होती है तथा वह प्रत्येक पत्तन में भिन्न-भिन्न होती है। विगत दो वर्षों के दौरान सभी महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कुल टनभार 2002-03 में 313.45 मिलियन टन तथा 2001-02 में 287.58 मिलियन टन है। पत्तन-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन टन में)

पत्तन का नाम	2001-02	2002-03
कोलकाता	30.40	35.75
पारादीप	21.13	23.90
विशाखापत्तनम	44.34	46.01
इन्नौर	3.40	8.49
चेन्नई	36.12	33.69
तूतीकोरिन	13.02	13.29
कोचीन	12.06	13.00
नव मंगलूर	17.50	21.43
मुरगांव	22.93	23.65
जवाहरलाल नेहरू	22.52	26.84
मुम्बई	26.43	26.77
कांडला	37.73	40.63

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास योजनाएं

1468. श्री बसुदेव आचार्य: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में महिला और बाल विकास के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-03 और 2003-04 में राज्यों को स्वीकृत और जारी धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 30 जून 2003 के टाइम्स ऑफ इंडिया में, ''गवर्नमेंट मैप्स इट्स फेलियर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) विभिन्न महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों में परियोजनाएं स्वीकृत करने के मानदण्डों का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट (डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु.डब्ल्यु.सी.डी.एनआईसी.आईएन) में दिया गया है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त समाचार में देश के विभिन्न भागों में परियोजनाओं के असमान वितरण का उल्लेख किया गया है।

(ङ) और अधिक प्रस्तावों की प्रस्तुति को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षमता निर्माण कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि	
		2002-03	2003-04 (अप्रैल-जून, 2003)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14922.85	1862.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	2539.72	512.61
3.	असम	8192.58	1383.99
4.	बिहार	7470.94	3878.22
5.	छत्तीसगढ़	7056.93	2490.87
6.	गोवा	435.75	99.66
7.	गुजरात	7110.28	2063.01
8.	हरियाणा	4567.41	1075.53
9.	हिमाचल प्रदेश	2194.40	655.11
10.	जम्मू व कश्मीर	3761.80	1084.26
11.	झारखण्ड	2607.46	2133.81
12.	कर्नाटक	11259.29	1683.09
13.	केरल	6671.88	1087.89
14.	मध्य प्रदेश	15095.51	5840.75
15.	महाराष्ट्र	18934.92	2325.96
16.	मणिपुर	2364.06	311.64
17.	मेघालय	1181.87	296.55
18.	मिजोरम	1160.44	196.89
19.	नागालैण्ड	2425.47	48[illegible]09
20.	उड़ीसा	8777.42	3818.2
21.	पंजाब	3777.09	1297.77
22.	राजस्थान	11625.33	1779.18
23.	सिक्किम	284.97	45.48
24.	तमिलनाडु	13521.18	4404.14
25.	त्रिपुरा	1407.94	357.45
26.	उत्तर प्रदेश	14052.22	3841.89
27.	उत्तरांचल	4999.32	1000.82
28.	पश्चिम बंगाल	16679.57	3079.98
29.	अण्डमान व निकोबार	172.22	45.48
30.	चण्डीगढ़	122.40	27.42

1	2	3	4
31.	दिल्ली	1022.08	253.83
32.	दादर व नगर हवेली	43.00	9.36
33.	दमन व दीव	43.24	18.39
34.	लक्षद्वीप	31.83	9.36
35.	पाण्डिचेरी	245.05	45.48
	कुल	196758.42	49500.07

संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय सेना की तैनाती

1469. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के हाल के तथ्य पत्र के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या में शांति सेना उपलब्ध कराने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है;

(ख) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने हेतु विश्व के विभिन्न भागों में भारतीय सेना की तैनाती के लिए संयुक्त राष्ट्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) शांति रक्षा मिशनों की स्थिति में आने वाले परिवर्तनों के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिरक्षा कार्यकलापों में हिस्सा लेने वाले शांति रक्षकों की देश वार कुल संख्या लगातार बदलती रहती है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति रक्षा मिशनों में सर्वाधिक योगदान करने वाला प्रथम तीन देशों में भारत अब भी शामिल है।

(ख) और (ग) जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ, समय समय पर सरकार से अनुरोध करता रहा है कि वह चालू एवं नए शांति रक्षा आपरेशनों में अपने कार्मिक भेजने पर विचार करे। हाल ही में किए गए अनुरोध कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य, साइप्रस और लाइबीरिया के लिए शांतिरक्षक बल भेजे जाने से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और विभिन्न पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही हमारी सहभागिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुरोध का सकारात्मक जवाब देते हुए हमने भारतीय वायुसेना की एक हेली-कॉप्टर टुकड़ी, कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य में भेजी है।

मारुति उद्योग लिमिटेड के आईपीओ

1470. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के आईपीओ की प्रथम पेशकश पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी;

(ख) यदि हां, तो इसके निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार का निर्णय लेने की परिस्थितियां और कारण क्या हैं और इश्यू के अंतर्गत कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या इसकी पेशकश आम जनता के लिए या संस्थागत निवेशकों के लिए की गई थी;

(ङ) क्या इससे सरकारी क्षेत्र का अन्य लाभकारी उपक्रमों और उद्यमों में भी विनिवेश हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में लगभग 25 प्रतिशत इक्विटी धारिता की 'बिक्री करने की पेशकश' बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से विधि द्वारा यथा-अनुमत्य भारतीय तथा सार्वभौमिक निवेशकों की भागीदारी के साथ एक घरेलू पेशकश थी।

(ग) प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश, सरकार द्वारा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ सम्पन्न उस संशोधित संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसरण में आरम्भ की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में अपने शेयरों का विनिवेश करने की रूप-रेखा समाविष्ट है। यह निर्गम 10 गुणा से भी अधिक अतिपूर्वक्रीत था।

(घ) 'बिक्री करने की पेशकश' भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थागत तथा गैर-संस्थागत दोनों प्रकार के निवेशकों को की गई थी।

(ङ) जी, नहीं। सरकार एक सुपरिभाषित नीति के अनुसरण में पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करती आ रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि का आबंटन

1471. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में लागू की जा रही विभिन्न वर्तमान परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों राज्यों में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल और बिहार के योजना कार्यक्रमों के लिए परिव्यय एवं व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल		बिहार	
	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
2000-01	5659	5631	3100	1638
2001-02	7186	4595	2644	1471
2002-03	6307	3644	2964	2227

(ग) और (घ) अलग-अलग केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों एवं परियोजनाओं के संवितरण एवं उपयोग के ब्यौरे उनसे संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध हैं। निधियों के कम उपयोग के कुछ कारण इस प्रकार से हैं:

(1) उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब।

(2) निधियां जारी किये जाने में विलम्ब।

(3) राज्य सरकारों की उनके राज्य अनुरूपी हिस्से को प्रदान करने में असमर्थता।

(4) परियोजनाओं के लिए संवैधानिक अनुमति प्राप्त करने में विलंब।

(5) कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं जैसे-भूमि अधिग्रहण, में विलम्ब, पुनर्वास मामले एवं ठेके संबंधी विवाद आदि।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान में मंदिरों का निर्माण

1472. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में हिन्दू मंदिरों के निर्माण और क्षतिग्रस्त मंदिरों की मरम्मत हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है जैसा कि 4 मई, 2003 के राष्ट्रीय सहारा में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की मानवीय, वित्तीय और परियोजना सहायता के एक भाग के रूप में सहयोग के अनेक क्षेत्रों पर चर्चा की है।

इस संबंध में अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त और अफगानिस्तान सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में निर्णय लिया है कि अफगानिस्तान में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक मस्जिद की मरम्मत की जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा-स्थिति

1473. श्री भास्कर राव पाटील:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह बताया है कि राजधानी से निकलने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत असुरक्षित है जिससे यातायात का खतरा होता है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्योरा क्या है;

(ग) देश में दिन-प्रति-दिन घटित हो रही दुर्घटनाओं के बढ़ते प्रतिशत को नियंत्रित करने की क्या योजना है; और

(घ) भारतीय सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सुधार लाने और इन्हें अन्य देशों से स्तर का बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राजधानी से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग चार लेन के विभाजित मार्ग हैं जो अविभाजित मार्ग की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

(ग) देश में प्रति 10,000 वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है जो वर्ष 1996 में 110 से घटकर वर्ष 2001 में लगभग 78 हो गई है।

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा संबंधी उपाय कर रही हैं। इंजीनियरी उपायों में सम्मिलित हैं-सड़क की ऊपरी सतह में सुधार और अत्यधिक यातायात वाले महामार्गों को 4/6 लेन का विभाजित मार्ग बनाना, टेढ़े-मेढ़े और ऊपर-नीचे वाले भागों के संरेखण में सुधार, ग्रेड इंटरसेक्शनों का सुधार और क्रासिंग सुविधाओं के लिए ओवर और अंडर-पासों की व्यवस्था, सेवा सड़कों का प्रावधान करके निर्मित भाग में स्थानीय यातायात को अलग करना, पर्याप्त सड़क संकेतों एवं चिह्नों का प्रावधान, विश्राम क्षेत्र, बस बे और ट्रक पार्किंग जैसी मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान और स्टील बीम सुरक्षा बैरियर्स और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए गार्ड रेल जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान।

खतरनाक स्थलों की पहचान और सुधारात्मक उपाय करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हुए चार लेन वाले खंडों के लिए सड़क सुरक्षा संपरीक्षा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

रा.रा. 8 के 86 कि.मी. लंबे कोटपुतली-आमेर खंड पर उच्च यातायात प्रबंधन प्रणाली (एच टी एम एस) संस्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक दो कि.मी. के अंतर पर आपातकालीन काल बॉक्स, 6 उपयुक्त स्थानों पर परिवर्ती संदेश चिह्न, क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी) मानीटरिंग प्रणाली, चल संचार प्रणाली, राजमार्ग गश्त, क्रेन व एंबुलेंस की सुविधाएं हैं। इन सभी को एक नियंत्रण केन्द्र से नियंत्रित किया जाता है। ऐसा ही अन्य उपर्युक्त खंडों पर किये जाने का विचार है।

गुजरात में दूरभाष केन्द्र

1474. श्री जी.जे. जावीया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित किये गए स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात में स्थापित किये जाने वाले उक्त दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी क्षमता में चालू वित्त वर्ष में विस्तार किया गया है; और

(घ) उन दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची समाप्त कर दी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) गत 3 वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित किए गए स्वचालित व आधुनिक दूरभाष केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	केन्द्रों की संख्या
2000-01	456
2001-02	128
2002-03	28

(ख) 2003-04 के दौरान गुजरात में ऐसे 2 दूरभाष केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 30.6.2003 तक 54 दूरभाष केन्द्रों की क्षमता का विस्तार किया गया है।

(घ) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार 1214 दूरभाष केन्द्रों की प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

1475. श्री रामशकल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने अतिक्रमण को रोकने हेतु और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़कों को चौड़ा करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या क्रमशः 103839, 110508 और 102777 (अनंतिम) थी।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे के बारे में ब्यौरों का संकलन इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) जहां कहीं यातायात संबंधी आवश्यकता होती है सड़कों को चौड़ा किया जाता है। अतिक्रमण अथवा दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों को चौड़ा नहीं किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा

अखिल भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8518	7203	8626
अरुणाचल प्रदेश	53	70	93
असम	1754	1889	1927
बिहार	1899	2127	1167
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल आंकड़े		2096	2597
गोवा	887	1091	1149
गुजरात	7758	1813	6738
हरियाणा	2779	2765	3033
हिमाचल प्रदेश	829	709	898
जम्मू और कश्मीर	2112	2328	526
झारखंड बिहार में शामिल आंकड़े		1419	1392
कर्नाटक	9162	9605	अनुपलब्ध
केरल	7596	8512	10095

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	6783	5611	7164
महाराष्ट्र	15343	16150	14269 (पी)
मणिपुर	214	217	208
मेघालय	159	186	370
मिजोरम	36	31	52
नागालैंड	57	35	54
उड़ीसा	2651	2784	2759
पंजाब	1223	1268	1256
राजस्थान	6778	6718	7465
सिक्किम	33	29	43
तमिलनाडु	16329	18615	19881
त्रिपुरा	242	184	202
उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल आंकड़े	236	469
उत्तर प्रदेश	6442	6198	5790
पश्चिम बंगाल	2615	2443	2791(पी)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चंडीगढ़	56	62	45
दादरा एवं नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दमन और दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली	1153	1277	1123
लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	378	537	595
जोड़	103839	110508	102777 (पी)

पी- अनंतिम

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की लंबित सूची

1476. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या टेलीफोन केबलों की कमी से बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लाखों आवेदक प्रतीक्षा सूची में है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की शीघ्रातिशीघ्र आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार बिहार दूरसंचार सर्किल की कुल प्रतीक्षा सूची 101154 है, जिसमें से 80087 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। बीएसएनएल ने 2003-04 के दौरान 93000 लाइन स्विचन क्षमता और 80000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई है। इससे मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार जो प्रतीक्षा सूची है, उसे निपटा दिया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि बिहार दूरसंचार सर्किल के लिए लाख कण्डक्टर कि.मी. (एलसीकेएम) में टेलीफोन केबलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध केबल	:	1.82800 लाख कंडक्टर किमी
(2) पाइप लाइन में केबल	:	2.96800 लाख कंडक्टर किमी
(3) 2003-04 के दौरान आबंटित की जाने वाले संभावित केबल	:	10.85294 लाख कंडक्टर किमी

[अनुवाद]

नए टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

1477. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के मानदंड में परिवर्तन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानदंड में परिवर्तन की वजह से टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने के कई प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):

एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) से संबंधित उत्तर

(क) केवल एमटीएनएल मुम्बई में दस नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा एमटीएनएल दिल्ली में शून्य एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) से संबंधित उत्तर

(क) से (ङ) सभी क्षेत्रीय इकाईयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लिंग निर्धारण परीक्षण

1478. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्रिनेटल डायग्नोस्टिक टेकनिक्स (रेग्युलेशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मिसयुज्ड) एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से क्रियान्वित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं हैं;

(ग) क्या देश के विभिन्न अस्पतालों में अब भी प्रसवपूर्ण लिंग निर्धारण तथा लिंग चयन परीक्षण किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का है। उनको अधिनियम और नियमों के उपबंधों को उसके व्यापक प्रचार सहित पूरी तरह से कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उसे कार्यान्वित कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 20700 से अधिक क्लीनिकों को पंजीकृत किया गया है, कानून के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय/पुलिस में 397 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 198 अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त/सील किया गया है। तथापि, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की पहचान/उसके बारे में जानकारी और गर्भधारण से पूर्व लिंग का चयन संबंधित लोगों द्वारा एक-दूसरे के साथ सांठ-गांठ करके गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ऐसे मामलों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इस अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिए नकली ग्राहकों (डिक्वाइज) का उपयोग करने सहित इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई हैं ताकि अपराधियों को बुक किया जा सके। इसके फलस्वरूप भ्रूण के लिंग की पहचान/उसके बारे में जानकारी देने से संबंधित कुछ मामलें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का तिरुवनन्तपुरम-नेय्याट्टिंकारा बाई-पास

1479. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग के तिरुवनन्तपुरम-नेय्याट्टिंकारा संयुक्त बाई-पास के दूसरे चरण का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया और इस पर कुल कितना खर्च किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्रमशः इम्प्रुवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम और केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी लंबाई में सड़कों का सुधार किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) तिरुवनन्तपुरम-नेय्याट्टिंकारा संयुक्त बाइपास चरण-2 की कुल लंबाई 21.62 कि.मी. (सीएच 0/00 से 21620 मीटर) है। 3.27 कि.मी. (कोवलम से मक्कोला) की लंबाई में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। अन्य 5.47 कि.मी. (मक्कोला से कंजीराकुलम) में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव की जांच की जा रही है। बाइपास के दूसरे चरण के निर्माण का कार्य पूरी भूमि का अधिग्रहण करने के बाद शुरू किया जा सकेगा।

(ख) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर धनराशि और व्यय के आबंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2000-01	123.18	110.23
2001-02	115.97	113.84
2002-03	99.68	108.83

(ग) केरल में सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 829 कि.मी. की लंबाई में और केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अंतर्गत 114 कि.मी. में सुधार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन

1480. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से वेंकूवर, कनाडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन में भाग लेने हेतु अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी अन्य मंत्री अथवा गैर सरकारी संगठन को उक्त सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा राजनैतिक मंजूरी, अनेक घटकों पर विचार करने के बाद दी जाती है जिनमें इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश; यात्रा का कार्यात्मक औचित्य, आयोजकों की पृष्ठभूमि और उनका पूर्ववृत्त तथा हमारे संबंधित मिशन की ओर से संस्तुति शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन की ओर से भेजा गया आमंत्रण, उपर्युक्त में से किसी भी मापदण्ड को पूरा नहीं करता था।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी संगठनों को आने वाले आमंत्रणों के लिए राजनैतिक मंजूरी देने से सरकार का सरोकार नहीं है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के एक सदस्य ने, जिसे कि आमंत्रण प्राप्त हुआ था, विदेशों में आयोजित सम्मेलन में मंत्रियों की सहभागिता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उक्त आयोजन में हिस्सा नहीं लिया।

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

1481. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं/परियोजनाओं के विकास हेतु विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त कुल वित्तीय सहायता और राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी सहायता को बढ़ाने हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक को कोई नई योजनाएं भेजी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के लिए नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

स्वास्थ्य परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

(यू.एस. मिलियन डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समझौते की तिथि	समाप्ति की तिथि	क्षेत्र (सेक्टर)	कार्यान्वयन का क्षेत्र	ऋण क्रेडिट राशि	दिनांक 31.3.03 को संचित भुगतान	दिनांक 31.6.03 को संचित भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	19.5.2000	31.12.2005	राज्य	उत्तर-प्रदेश और उत्तरांचल	110.00	12.84	14.85
2.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	19.5.2000	30.6.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	142.60	86.22	86.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना	19.7.2001	31.12.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	30.00	18.46	18.46
4.	आर.सी.एच. अनुपूरक	26.3.2003	31.3.2004	तदैव	तदैव	12.00	0.00	0.00

विवरण II

विश्व बैंक को सहायता के लिए निम्नलिखित नौ नई स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं:

(1) राजस्थान राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना।

(2) तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना।

(3) असम राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना।

(4) केरल राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना।

(5) पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना।

(6) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य चरण-II

(7) कर्नाटक स्वास्थ्य पोषण और जनसंख्या परियोजना।

(8) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना।

(9) खाद्य और औषध क्षमता निर्माण परियोजना।

सीबीआई के कार्यकरण के संबंध में अध्ययन

1482. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री चन्द्र नाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण और इसकी जनशक्ति की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार में फंसे होने वाले मामलों में दोषमुक्ति दर काफी ऊंची पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अध्ययन के क्या परिणाम निकले और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस अध्ययन के परिणाम के संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (च) हाल ही में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि,. वित्त मंत्रालय को स्टाफ निरीक्षण एकक ने सीबीआई की जनशक्ति की आवश्यकता के बारे में 1997 में एक अध्ययन करके 12.10.1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तदनुसार, जांच व अभियोजन पदों की स्टाफ क्षमता के लिए संश्लेषित मानदण्ड निर्धारित किए गए। इस अध्ययन के विचारार्थ विषयों में ट्रैप मामलों के विश्लेषण को शामिल नहीं किया गया था। तथापि, जैसी कि सीबीआई द्वारा सूचना दी गई है, 375 ट्रैप मामलों में से, जिनका ट्रायल वर्ष 2001 और 2002 में पूरा हो गया था। 228 मामलों में दोषसिद्ध किए गए तथा 134 मामलों में दोषमुक्ति किए गए। ट्रैप मामलों में दोषमुक्ति के कारण हैं: (क) मुकदमा समाप्त होने में लगने वाला अधिक समय (1) जांच व अभियोजन अधिकारियों के उसी दल को बनाए रखने की कठिनाई, (2) गवाहों की स्मृति तथा वॉइसावॉश नमूनों में इकट्ठा किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता का प्रभावित होना; और (ख) शिकायत करने वालों में से कुछ का, जिन्होंने लिखित शिकायतें दर्ज कराकर कार्रवाई शुरू करवाई, बाद में मुकर जाना।

मुकदमे में विलम्ब को कम करने के लिए, सीबीआई में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित किया गया है ताकि अभियोजन कार्य

का संचालन व पर्यवेक्षण कारगर ढंग से हो सके। पिछले वित्त वर्ष में, सीबीआई को एक प्रशिक्षण स्कीम हेतु योजनागत सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि ट्रैप मामलों के साक्ष्य सहित एकत्र किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता व संभालकर रखने की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।

अग्रिम क्रयादेश

1483. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी सीमित मोबिलिटी वायरलेस इन लोकल लूप वाली सेवा शुरू करने के एक वर्ष से भी कम समय के भीतर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार डब्ल्यू.एल.एल. सीडीएमए हैंडसेट की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम क्रयादेश (एपीजीएस) में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अग्रिम क्रयादेश में कटौती किये जाने तथा बीएसएनएल द्वारा इस स्थिति से बाहर आने और समस्या से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। अग्रिम क्रयादेश (एपीओ) के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड डब्ल्यूएलएलसीडीएमए हैंडसैट का प्रापण कर रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

पर्याप्त उपकरणों वाले नर्सिंग होम की स्थापना करना

1484. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञता वाली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं इस समय केवल देश के बड़े शहरों में ही उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण और अन्य छोटे शहरों में लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव लोगों को अपनी पर्याप्त उपकरणों वाले नर्सिंग होम केवल मैट्रो तथा अन्य शहरों में ही खोलने को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति की समीक्षा करने और लोगों पर अधिक असुविधा के बिना ही परामर्श/उपचार प्रदान करने के लिए ग्रामीण तथा अन्य स्थानों में अपने क्लिनिक खोलने के लिए जोर डालने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव बड़ी कम्पनियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में एक समान नीति बनाने के मद्देनजर ऐसे क्लिनिकों की स्थापना करने के लिए भूमि तथा वित्तीय सहायता इत्यादि और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार अस्पताल में बिस्तरों का अनुपात बढ़ाकर प्रति हजार 302 बिस्तर करने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने का भी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए नर्सिंग होमों और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की स्थापना करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए, अपने-अपने राज्यों में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होमों और अन्य विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की स्थापना करने के लिए भूमि, वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरसंचार और डाक कार्य का विस्तार

1485. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्यत: और चालू वर्ष में विशेषत: बिहार में दूरसंचार और डाक से संबंधित किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किये गये कुछ कार्य अभी भी अधूरे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यों को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):

दूरसंचार विभाग से संबंधित उत्तर

(क) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सम्पूर्ण बीएसएनएल हेतु कुल 367.67 लाख सीधी एक्सचेंज लाइन

(डीईएल) की अनंतिम योजना बनाई गई है परन्तु सर्किल-वार योजना केवल वार्षिक आधार पर बनाई जाती है। बिहार दूरसंचार सर्किल के संबंध में चालू वर्ष 2003-2004 हेतु अनंतिम विकास योजना नीचे दर्शाई गई है:

(1) क्षमता में वृद्धि

वायर्ड लाइन	-	1,30,000 लाइनें
डब्ल्यूएलएल	-	83,000 लाइनें
सीएमटीएस	-	60,000 लाइनें
(2) डी ई एल	-	2,55,000 लाइनें
(3) ओएफसी	-	25,00 रूट कि.मी.
(4) टीएएक्स	-	48,000 सर्किट

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

डाक विभाग से संबंधित उत्तर

(क) 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, विभाग का बिहार में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों को करने का प्रस्ताव है जिनमें निम्नलिखित अंतर्निहित होंगे:

(1) डाक घर, पीएसएसके (पंचायत संचार सेवा केन्द्र) खोल कर डाक नेटवर्क का विस्तार करना।

(2) प्रौद्योगिकी का समावेश करके नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना जिसमें दक्षता में सुधार के लिए कम्प्यूटरीकरण और ई-डाक और ई-बिलपोस्ट, वित्तीय उत्पाद जैसे कि प्री-पेड कार्ड इत्यादि जैसी मूल्य योजित सेवाओं को शुरू करना शामिल है।

(3) डाक टिकट संग्रह और प्रीमियम उत्पादों का संवर्धन जिसमें स्पीड पोस्ट केन्द्रों का उन्नयन और ट्रैक एवं ट्रेस सुविधाओं का उन्नयन करना शामिल है।

(4) स्टाफ को सेवाकालीन कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना।

(5) डाक घरों, डाक कार्यालयों और स्टाफ क्वार्टरों हेतु भवन निर्माण।

(6) डाक घरों, डाक कार्यालयों इत्यादि का आधुनिकीकरण।

चालू वर्ष के दौरान बिहार में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(1) 70 पीएसएसके (पंचायत संचार सेवा केन्द्र) खोलना।

(2) 15 विभागेतर शाखा डाकघर खोलना।

(3) एक विभागीय डाक घर खोलना।

(4) जहानबाद आरएमएस भवन का निर्माण।

(5) कर्मचारयों को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान।

(6) कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रावधान।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में की गई भवन परियोजनाएं, जो अभी अपूर्ण हैं, का ब्यौरा और उन्हें पूरा किये जाने की अनुमानित तारीख नीचे दर्शायी गयी है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य पूरा करने की अनुमानित तारीख
1.	पीओ/एसपीएम क्वार्टर, गुलजार बाग, पटना	31.3.2004
2.	पीओ/डीओ/आईक्यू/एसपीएम क्वार्टर हाजीपुर	31.3.2004
3.	निरीक्षण बंगले के 2 सुईट टैलर रोड, पटना	31.3.2004
4.	छपरा में विभागीय कार्यालय	31.3.2004
5.	सीएसडी/डीएपी, पटना में	31.3.2005
6.	6-टी II एसक्यू, गया में	31.3.2004
7.	1 टीवीएसक्यू, मुजफ्फरपुर	31.3.2004
8.	16 एसक्यू, गरदनी बाग में	31.3.2004
9.	12 टी-1 एसक्यू, मुजफ्फरपुर (वी/ई) में	31.3.2004
10.	8 एसक्यू/लोहिया नगर, पटना में	31.3.2004
11.	6 टी-1 एस क्यू, गया में	31.3.2004

ये परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में शुरू की गई थीं और इन्हें 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा करना तय किया गया है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीय विद्यालय

1486. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी देशों में कितने भारतीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या ये विद्यालय संबंधित भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों/उच्चायोगों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं और क्या विद्यालय चलाने के लिए इन्हें केन्द्र सरकार से अनुदान सहायता भी प्राप्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वहां विद्यालय के कर्मचारियों के स्वदेश वापस भेजने के कुछ मामले हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का विद्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी स्वदेश वापसी को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार खाड़ी देशों में 84 भारतीय विद्यालय हैं।

(ख) इनमें से अधिकांश विद्यालय निजी विद्यालय हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो भारतीय मिशन/दूतावास द्वारा चलाये जाते हैं। संघ सरकार ने इन्हें सहायता अनुदान नहीं दिया जाता है।

(ग) से (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को हाल ही में अल अमाल भारतीय विद्यालय, सलमिया, कुवैत के विरुद्ध श्रीमती रफियाजफर से उनकी सेवा-समाप्ति के संबंध में एक शिकायत मिली है। बोर्ड इस शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है।

ओपन हार्ट सर्जरी

1487. श्री राजो सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इन अस्पतालों में ऐसी शल्य चिकित्साओं से पहले और बाद में रोगियों को रसीद पर और वगैर रसीद के कितना-कितना भुगतान करना पड़ता है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सफदरजंग अस्पताल और एम्स में कितनी ओपन हार्ट सर्जरी की गयी और प्रत्येक वर्ष के दौरान इन अस्पतालों में ऐसी शल्य चिकित्साओं की तुलनात्मक रुग्णता दर और मृत्युदर कितनी थी; और

(ग) सरकार ने इन शल्य चिकित्साओं के दौरान बड़ी संख्या में होने वाली मौतों को कम करने और शल्य चिकित्सा कराने से पहले बिना रसीद के बड़ी धनराशि का भुगतान करने से रोगियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूरभाषों का स्थानांतरण

1488. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जोरबाग दूरभाष केन्द्र से अन्य क्षेत्रों में दूरभाषों के स्थानांतरण के कई मामले काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भीकाजी कामा प्लेस स्थित दूरभाष कार्यालय भी दूरभाषों के स्थानांतरण और स्थापन में काफी समय ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो बेहतर और शीघ्र सेवाएं प्रदान करने हेतु इन दूरभाष केन्द्रों को निदेश देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का निगमित कार्यालय एमटीएनएल, दिल्ली में सभी एक्सचेंजों को समय-समय पर अनुदेश जारी करता है कि वे शीघ्रता से और निर्धारित समय-सीमा के

भीतर टेलीफोन शिफ्ट करें और नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सर्वप्रथम, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): श्री अरुण शौरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बॉमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बॉमेरी लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7836/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7837/2003]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7838/2003]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7839/2003]

(7) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलास्फिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलास्फिकल सिर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7840/2003]

(9) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेकापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7841/2003]

(11) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7842/2003]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री ए. राजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत, गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 2003 जो 13 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7843/2003]

(2) (एक) इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, पटना के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7844/2003]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7845/2003]

(6) (एक) पण्डित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पण्डित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7846/2003]

(8) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7847/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ एम्प्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7848/2003]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2003, जो 5 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 455 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7849/2003]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 659(अ) जो 6 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1099(अ) में संशोधन करना है।

(दो) का.आ. 754(अ) जो 4 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

8क पर चार लेन वाली सड़क के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं अथवा लाभों के लिए शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है।

(तीन) का.आ. 1215(अ) जो 20 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 172(अ) जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 173(अ) जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 174(अ) जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 280(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 281(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 282(अ) जो 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 300(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 301(अ) जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 400(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुडीपाडा से सुवानी खंड) और (ईचापुरम से गंजम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 401(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुडीपाडा से सुवानी खंड) और (ईचापुरम से गंजम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 402(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 5 (गुडीपाडा से सुवानी खंड) और (ईचापुरम से गंजम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 403(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुडीपाडा से सुवानी खंड) और (ईचापुरम से गंजम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 500(अ) जो 6 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (इटावा से सिकन्दरा-कानपुर देहात) के निर्माण, उसके रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 505(अ) जो 7 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 457(अ) जो 22 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) पर इलाहाबाद बाईपास के निर्माण, उसके रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 469(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के बाउंड्री पाटन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर दीसा-राधनपुर खंड के निर्माण, उसके रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 470(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर दीसा-राधनपुर खंड, जिला सीमा बनासकांठा से राधनपुर के निर्माण, उसके रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर जिला सीमा कच्छ को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 471(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क पर जिला सीमा राजकोट से समाखिआली में बामनबोर-समाखिआली खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर पाटन जिला की सीमा से समाखिआली-राधनपुर खंड के निर्माण प्रबंधन और परिचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 478(अ) जो 25 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 480(अ) जो 28 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसुर-कृष्णागिरी खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 541(अ) जो 13 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के बेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 564(अ) जो 21 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर तथा कानपुर देहात जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-कानपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 565(अ) जो 21 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) पर इलाहाबाद बाईपास के निर्माण, रख-रखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 629(अ) जो 29 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 628(अ) जो 28 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम तथा विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 637(अ) जो 30 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 638(अ) जो 30 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 643(अ) जो 2 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) पर इलाहाबाद बाईपास का निर्माण, उसका रख-रखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 647(अ) जो 3 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में. प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरई खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 648(अ) जो 3 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरई खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 670(अ) जो 10 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 557(अ) जो 19 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (मानोर-दहीसर खंड) का उपयोग करने वालों से वसूल किये जाने वाले चुंगी शुल्क की दर के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (तीन से तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 716(अ) जो 19 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 716(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 717(अ) जो 19 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 717(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7850/2003]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद), हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापीरक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश प्राथमिक विद्या परिषद), हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7851/2003]

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 386(ङ) जो 8 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 393(ङ) जो 12 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास गृह निर्माण ऋण (संशोधन) विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 547(ङ) जो 15 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2003 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि 461(ङ) जो 6 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 8 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 757(ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7852/2003]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित प्रचालन का प्रबंधन) संशोधन नियम, 2003 जो 10 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7853/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 9 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 6 मई 2003 को हुई

तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री राजनाथ सिंह वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब हम 'शून्य काल' की कार्यवाही आरंभ करेंगे। चूंकि श्री पासवान ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मैं उन्हें पहले बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* राज्य सभा के एक सांसद के घर पर पंजाब गवर्नमेंट के विजिलेंस आफिशियल्स ने रेड की है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: खुराना जी, जिन लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मैं उसके मुताबिक चलूंगा।

[अनुवाद]

मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। मुझे मालूम है कि आपने भी सूचना दी है। आपको भी मैं अवसर दूंगा। मैं उन्हें पहले बोलने का मौका दूंगा जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ने कल कहा था कि पहले नम्बर पर मुझे बोलने का मौका देंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इम्पोर्टेंट मैटर्स पर जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, वे ज्यादा जरूरी है, मैं आपको भी सुनूंगा। अभी तक यही परम्परा रही है कि जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उन्हें पहले लिया जायेगा।

[अनुवाद]

हमें यहां किसी न किसी पद्धति को मानना ही होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री रामविलास पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जिन्होंने एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस दिया है उन लोगों को पहले मौका मिलेगा, आपने जो नोटिस दिया है, उस पर बोलने का आपको भी मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जिन्होंने एडजर्नमैन्ट नोटिस दिया है उन्हें पहले मौका मिलेगा, यह हाउस की परम्परा रही है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपको मालूम है कि हाउस की परम्परा रही है कि जिन्होंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है उन्हें पहले बोलने का मौका मिलेगा, उसके बाद जीरो ऑवर में सबको मौका मिलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कि शिवसेना और तोगड़िया के वॉलन्टियर पाकिस्तान में भेजे जायेंगे, जो आतंकवाद का सही जवाब देकर हिन्दुस्तान लौटेंगे। मैं उनके जाने की तारीख जानने को बहुत उत्सुक हूं, कृपया बतायें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सदन का समय इसी तरह से बरबाद हो रहा है। मुझे जीरो ऑवर एक घंटे में खत्म करना है, आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। अगर सब थोड़ा शांति से सुनेंगे तो सब लोगों को चान्स मिलेगा। आप ऐसा क्यों करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अभी जो बम विस्फोट हुआ है, उसकी सामग्री लोकल लैवल पर बनाई गई थी, यह फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* आतंकवाद का समर्थन करने वाला पक्ष आज महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रहा है। *...(व्यवधान)* इस पर हमें बोलने की इजाजत दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः रावले जी, जिन्होंने एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस दिया है, उन लोगों को पहले बोलने का मौका मिलेगा।

श्री मोहन रावलेः इस पर पहले हमें बोलने का मौका दीजिए। यह बहुत गंभीर विषय है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप उन्हें थोड़ा शांति से सुनेंगे तो बेहतर होगा।

श्री मोहन रावलेः मुम्बई में अब तक पांच जगह बम विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें 18-19 लोग मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आज मुम्बई बंद है, जिसे वहां के लोगों ने पूरा रिस्पांस दिया है। लेकिन सरकार वहां लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): इन्होंने क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड कर दिया अब जीरो ऑवर की भी जरूरत नहीं है। मुम्बई का प्रश्न बहुत गंभीर है। ...*(व्यवधान)* वहां बम विस्फोट के कारण बहुत से लोग मारे गये हैं। आज पूरा मुम्बई बंद करके लोगों ने इस पर अपना मत प्रकट किया है और इस घटना की निन्दा की है। ...*(व्यवधान)* हम प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करें। वहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिए। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मदन लाल खुराना, मैं खड़ा हो गया हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रासासिंह रावत, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री कृपलानी, इस सभा में यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बंसल, मैं खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बूटा सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः 42 माननीय सदस्यों ने 'शून्य काल' में बोलने के लिए सूचनाएं दी हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप मुझे भी यहां बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुरानाः 15 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मदनलाल खुराना, कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरेः मुम्बई में शिव सैनिकों पर लाठीचार्ज किया गया है। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है।

श्री मोहन रावलेः मुम्बई शहर में पांच बार बम विस्फोट हो चुके हैं। जुहू में हुआ, विले पार्ले में हुआ, घाटकोपर में हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप 'शून्य काल' जारी रखना चाहते हैं? मुझे 'शून्य-काल' को व्यवस्थित रूप से चलाना है। यदि आप सहयोग करेंगे तभी यह संभव होगा। अन्यथा, मुझे 'शून्य काल' छोड़कर दूसरा विषय लेना पड़ेगा। अब मैंने श्री रामविलास पासवान को बोलने का अवसर दिया है क्योंकि छह सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं दी हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हमारे शिव सैनिकों को मुम्बई में पीटा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं श्री रामविलास पासवान, श्री रामजीलाल सुमन, श्री बसुदेव आचार्य, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री अजय चक्रवर्ती, श्री हन्नान मोल्लाह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री नवल किशोर राय और श्री राम दास आठवले ने दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, 1993 में भी मुम्बई में बम ब्लास्ट हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने आलरेडी क्वैश्चन आवर सस्पैन्ड किया था। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सदस्य यहां नियम बनाते हैं वे स्वयं इसका पालन नहीं करते हैं। परंपरा के अनुसार जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना दी है उनकी बात सुनी जाती है। मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने का अवसर दिया है। आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने सूचनाएं दी हैं बोलने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में कांग्रेस सरकार शिव सैनिकों को पीट रही है। आज मुम्बई में शिव सैनिकों पर लाठीचार्ज हुआ है। वहां कांग्रेस की सरकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हमें उन्होंने पुकारा है, हमें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदनलाल खुराना: 15 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इन पंद्रह सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं नहीं दी है, उन्होंने 'शून्य काल' में बोलने की सूचनाएं दी हैं। ऐसी परम्परा है कि जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना दी है मुझे उन्हें बोलने के लिए पहले बुलाना होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप किसी नियम का पालन नहीं करना चाहते?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, उन्हें प्रश्न-काल में ठीक ढंग से व्यवहार करने के लिए कहिए। यह अत्यावश्यक है। वे ही इस सभा में समस्याएं पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. मल्होत्रा, मैंने पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। परंतु सभी सदस्यों की सुविधा के लिए मैं इसे पुन: दोहराता हूं। यह एक सुस्थापित परम्परा है कि जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है 'शून्य-काल' में उनकी बात पहले सुनी जाती है। इसलिए मैंने श्री राम विलास पासवान को पहले बोलने का अवसर दिया है और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार मैं सभा की कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही चलाई जाए हो, तो हम सभा को स्थगित कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमें बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: कोई प्रश्न काल नहीं, कोई शून्य काल नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब पहले उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, तो पहले उनको मौका दिया जाएगा। उनके बोलने के बाद मैं आपको भी मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में वहां के लोगों की भावनाओं को हम सदन में व्यक्त करना चाहते हैं। हमें बोलने का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले (उस्मानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जब सीनियर मैम्बर ऐसा करेंगे, तो हाउस कैसे चलेगा। आज क्वश्चन आवर सस्पेंड करने का कोई इश्यू नहीं था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, हम शून्यकाल के दौरान परम्परा का पालन करते आ रहे हैं। अब इस सभा में 'शून्य काल' की परम्परा का पालन नहीं करने दिया जाता है। मुझे यह टिप्पणी करते हुए खेद है कि सदस्य परम्परा का पालन नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री रामविलास पासवान को बोलने का मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि सदस्यगण परम्पराओं और खुद द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अतः मैं सभा को स्थगित करने के लिए बाध्य हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.21 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब महासचिव संदेशों को सभा पटल पर रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में पांच जगह बम ब्लास्ट हुए हैं। फोरेन्सिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि घाटकोपर में जो बम ब्लास्ट हुआ, वह बम मुम्बई में बनाया गया था। उसमें लोकल मैटीरियल यूज किया गया था। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा

29 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 29 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 29 जुलाई, 2003 को यथापारित विवाह (संशोधन) विधेयक, 2003 सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदया को अब वक्तव्य देना है।

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, मुझे अपनी बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कल रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महाराष्ट्र की सरकार निकम्मी हो गई है, महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, यह 'शून्य काल' नहीं है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। कृपया व्यवधान नहीं डालें। 'शून्य काल' समाप्त हो चुका है। हमें विधायी कार्य करना है। मैं अब माननीय मंत्री महोदया से एक वक्तव्य देने का अनुरोध कर रहा हूं। पूर्वाह्न में उन्हें वक्तव्य देने नहीं दिया गया था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यस्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): हम चाहते हैं कि इस पर गृह मंत्री आकर स्टेटमेंट दें। आप उनसे निवेदन करें कि वे यहां आकर स्टेटमेंट दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक: महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के उच्चाधिकार प्रतिनिधिमंडल से मिलने और अरुणाचल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं, अत: हम लोग जो पूर्वोत्तर से निर्वाचित हुए हैं, इस समय चर्चा किए जाने पर जोर नहीं डाल रहे हैं *...(व्यवधान)* हम लोग इस मामले से संबंधित घटनाओं पर नजर रखेंगे और फिर इस सभा में इस पर चर्चा करेंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में बेकसूर लोग मर रहे हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कीजिए, हम यह मांग कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदया कुछ कहना चाहती हैं। आप किसी को भी इस सभा में बोलने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह फिक्सिंग है। इन्होंने जो सवाल उठाया, वह टी.वी. पर आ गया और अब भी ये सवाल उठा रहे हैं। मैं इनका यहां भण्डाफोड़ करूंगा। यह फिक्सिंग है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री महोदया, कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कोई सदस्य यहां सवाल उठाने के लिए बोलता है तो सरकार की तरफ से कोई सुनता नहीं है और उन्होंने सवाल उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री संसद में खड़ी हो गई, इसका क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू यह बात कहते हैं कि आप ही खड़ी होती हैं। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी ही यह है कि जब विपक्ष या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई महत्वपूर्ण विषय उठाया जाता है और सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही खड़े होते हैं। मेरे खड़े होने पर आपको आश्चर्य और एतराज क्यों हो रहा है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये सवाल उठाएंगे तो मैं भी सवाल उठाऊंगा. ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप भी सवाल उठाइये। रघुवंश बाबू यह सवाल उठायें तो किसने रोका है। आप सवाल उठाएंगे तो भी मैं वही प्रतिक्रिया दूंगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: रोका सत्ता पक्ष के लोगों ने है। मेरा एडजर्नमेंट मोशन था, लेकिन मुझे सवाल नहीं उठाने दिया गया और सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनको तो मजा आ रहा है कि सदन नहीं चल रहा है और यहां ये उपद्रव कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सारा उपद्रव शिवसेना करवा रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज कुछ कहना चाहती हैं ...*(व्यवधान)* हम माननीय मंत्री महोदया के वक्तव्य देने पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यदि वे सुबह से लेकर अब तक उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देने जा रही हैं तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि वह कुछ लोगों के मुद्दों का चुनकर जवाब देगी तो हमें उस पर आपत्ति होगी ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वे इन सभी मुद्दों का जवाब दें ...*(व्यवधान)* मैं पाता हूं कि वे अब मुद्दों का पक्षपातपूर्ण तरीके से जवाब दे रही है। ...*(व्यवधान)*

इसलिए उन्हें उन सभी मुद्दों का जवाब देना चाहिए जो सभा में सुबह से उठाए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मुझे सुनने दें कि वे क्या कहना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जवाब देने जा रही हैं। परंतु मेरा निवेदन यह है कि वे उन सभी मुद्दों का जवाब दें जो सभा में सुबह से अब तक उठाए गए हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: उपाध्यक्ष महोदय, वहां हिन्दू मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, वहां हिन्दू मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: आप हिन्दुओं के बारे में थोड़ी सी इज्जत रखो। ...*(व्यवधान)* यह हिन्दुस्तान है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रकांत खैरे, आप अपने दल के नेता हैं। अब आप अपनी जगह पर क्यों नहीं बैठते हैं? उसके बाद आप मेरी अनुमति मांग सकते हैं और मैं आपको अनुमति दूंगा। अभी मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया, हमारे विषय पर कुछ कहना चाहती हैं। ...*(व्यवधान)* ये लोग भी अपने विषय पर स्टेटमैंट मांग सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में हिन्दू मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मना क्यों किया?...*(व्यवधान)* आज सुबह इन्होंने क्वैश्चन ऑवर स्थगित कराया। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, बिना नोटिस दिए क्या कोई भी बोल सकता है? ...*(व्यवधान)* ऐसा कैसे हो सकता है। ...*(व्यवधान)* सुबह से लेकर अब तक सभा में कई मुद्दे उठाए गए हैं। उन्हें उन सभी मुद्दों का जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में कई बम ब्लास्ट हुए हैं जिसमें अनेक लोग मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कांग्रेस पार्टी इसके बारे में गंभीर क्यों नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, इनको कोई दुख नहीं होता। मुम्बई में पांच बम ब्लास्ट हुए हैं। ...*(व्यवधान)* वहां फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि जो बम ब्लास्ट हुए हैं वे लोकल मेड हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जब तक उप प्रधानमंत्री आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी ...*(व्यवधान)* हम लोग वास्तव में मुम्बई की घटना के बारे में चिंतित हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि आप अभी तक शून्य काल को जारी रखे हुए हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है। अब हमें विधायी कार्य शुरू करना है और उससे पहले मैंने माननीय मंत्री महोदया को वक्तव्य देने के लिए पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): आपने कॉल दिया। ...*(व्यवधान)* आतंकवादियों को आप संरक्षण दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप उनकी मदद कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वह तो डिसकस करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप करने नहीं दे रहे। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों को कांग्रेस सरकार का समर्थन मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: आज उन लोगों ने मुम्बई बंद कर रखा है। ...*(व्यवधान)* मुम्बई में बार-बार बम विस्फोट हो रहे हैं। वहां लोग घबराये हुए हैं। ...*(व्यवधान)* वहां बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि मुम्बई की कांग्रेस सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मम्बई की कांग्रेस सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जब संसद पर हमला हुआ तो प्रधान मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। जब जम्मू की घटना हुई, श्री आडवाणी ने इस्तीफा नहीं दिया। जब अखनूर में घटना हुई, श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने इस्तीफा नहीं दिया पर अब वे घाटकोपर बम विस्फोट के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं। यदि यह उनका संकल्प है तो उन्हें श्री एल.के. आडवाणी का इस्तीफा मांगने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, क्या आप अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजनाथ सिंह, अब आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब उन्हें अपना वक्तव्य देने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री को बोलने का अवसर दिया है। कृपया अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन दिन से किसानों के सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुना जा रहा है। बिना हंगामे के क्या आप कोई बात नहीं सुनेंगे, मान्यवर। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः कृषि मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, इनको कैसे चांस दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी को बोलने का मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री किरीट सोमैय्या, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिये। मैं सभा का यह समय 'शून्य काल' में नहीं बदलूंगा। सुबह जो हो गया, सो हो गया। अब हमने सभा का कार्य नियमित रूप से आरम्भ किया है। मैंने माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उनके बकाया मूल्य का भुगतान नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि यह केन्द्र की जिम्मेदारी है और केन्द्र कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, यह 'शून्य काल' नहीं है। मैं इसे गम्भीरता से लूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, मैं खड़ा हूं। क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः पहले आप मेरी बात सुनिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं आपका नाम लूंगा। कृपया आप यह मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हूं। आपको नियमों की प्रारम्भिक जानकारी होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया एक भी वाक्य न बोलें। अब श्री राजनाथ सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः मुझे आपके व्यवहार पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा। आप ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राजनाथ सिंह क्या आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदयः तो कृपया वक्तव्य दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंहः किसान मर रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह क्या है? क्या इस सभा को चलाना है या नहीं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे पूछा है। वह कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में गपशप कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें वक्तव्य देने दें। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह वक्तव्य दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खैरे, कृपया अब उनके वक्तव्य में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, आज मुंबई बंद है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, मैंने कभी भी किसी वक्तव्य पर आपत्ति नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहती हैं, तो उन्हें छूट है। वह ऐसा कर सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया श्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य में व्यवधान न डालें। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

अपराह्न 2.14 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

खरीफ फसल 2003-2004 के लिए मूल्य नीति

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, सरकार ने 2003-04 मौसम की खरीफ फसलों की औसतन अच्छी किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं। धान सामान्य और धान ग्रेड-ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 20 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और क्रमश: 550 रु. तथा 580 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाकर गया है और गत वर्ष के 485 रु. प्रति क्विंटल की तुलना में 505 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

अरहर (तूर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष के लिए 1320 रु. प्रति क्विंटल की तुलना में 1360 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार 40 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में गत वर्ष की तुलना में 40 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

छिलके वाली मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 45 रु. प्रति क्विंटल अधिक है। इसी प्रकार, सोयाबीन (पीली) और सोयाबीन (काली) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 45 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इसे क्रमश: 930 रु. और 840 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, वे सभा की कार्यवाही को इस तरह से नहीं चला सकते ...*(व्यवधान)* यह सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मुम्बई में लोग मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रावले जी, मैंने कहा कि मैं आपको बोलने के लिए चांस दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। उनके भाषण के बाद, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री राजनाथ सिंह: सूरजमुखी के बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष में 1195 रु. प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 2003-04 मौसम के लिए 1250 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

गत वर्ष की तुलना में, तिल (सेसमम्) रामतिल (निगरसीड) का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 1485 रु. प्रति क्विंटल और 1155 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो 35 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है।

कपास की (एफ-414/एच-777/जे-34) और (एच-4) किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 50 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

ऐसी आशा की जाती है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धि से देश में फसल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही फसलों के विविधीकरण के लिए भी कृषकों को प्रोत्साहन मिले।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7853/ए/2003]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, हमारा आप से निवेदन है कि उप प्रधानमंत्री जी को उनकी सुविधानुसार सभा में वक्तव्य देने दें ...*(व्यवधान)* संसदीय मामलों के मंत्री हमारी भावनाएं उप प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को वह बता दें। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में जो बम विस्फोट हुआ, उसके बारे में आडवाणी साहब को आज यहां स्टेटमेंट करना चाहिए और आज स्टेटमेंट करने के बाद वहां की सरकार की हमने मांग की है कि वहां सरकार भंग कर दो। ...*(व्यवधान)* वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। ...*(व्यवधान)* वहां बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आज सारा मुम्बई बंद है। ...*(व्यवधान)* डेढ़ करोड़ लोगों की बस्तियां बंद हैं। उसके बारे में आज यहां आवाज उठानी चाहिए। सुषमा स्वराज जी को कुछ बोलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह 'शून्य काल नहीं है। 'शून्य-काल' में आप सरकार से जो भी मांग करते हैं सरकार इस पर ध्यान देती हैं और संबंधित मंत्री जी को सूचना दे दी जाती है।

आपने बम्बई में हुए बम विस्फोट जैसे अत्यंत गंभीर मामले को उठाया है। परंतु अन्य मामले भी हैं जिन्हें माननीय सदस्य 'शून्य-काल' में नहीं उठा पा रहे हैं। अब जब आपने अपना मामला उठाया है और मैंने निष्पक्षता से आपको बोलने का अवसर दिया है तो मुझे श्री अखिलेश सिंह, श्री मिस्त्री और अन्यों को भी बोलने का अवसर देना है। सरकार का उत्तर स्वाभाविक रूप से सरकार का विशेषाधिकार है, वे ऐसा कर सकते हैं। मैं सरकार को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए अध्यक्षपीठ से विनिर्णय नहीं दे सकता, आप जानते हैं।

इसी के साथ मान्य मानदंडों से हटना और सरकार से 'शून्य काल' में प्रतिक्रिया देने के लिए कहना, मेरे विचार से एक नया पूर्वोदाहरण स्थापित करेगा। मैं आपसे केवल यही अपील करता हूं कि यह मामला कल उठाएं ताकि सरकार जो भी वक्तव्य देना चाहती है दे सके। वे ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा, यह होगा कि यदि मैं सरकार से प्रतिक्रिया देने के लिए कहता हूं तो मैं एक नया पूर्वोदाहरण स्थापित करूंगा, और मैं इस प्रकार का नया पूर्वोदाहरण स्थापित नहीं करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैंने सभा में खड़े होकर कुछ नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): जो मर गया है, उसे दस लाख रुपया देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम यह जीरो-ऑवर नहीं होने देंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने ठीक कहा है कि जीरो-ऑवर इस समय नहीं है और ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जीरो-ऑवर शिव सेना ने नहीं होने दिया. ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उपाध्यक्ष जी, ये बार-बार बीच में आते हैं। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैंने सभा में खड़े होकर कुछ भी नहीं कहा है, परंतु मुझ पर कुछ आरोप लगाए गये हैं इसलिए यह बताना आवश्यक है कि बंद का आह्वान शिव सेना द्वारा किया गया था। इसका रिकार्ड है कि बंद का आह्वान शिव सेना द्वारा किया गया है, कानून और व्यवस्था की समस्या शिव-सेना द्वारा पैदा की गयी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब डा. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): हमने बंद किया तो ला एंड आर्डर की बात आ गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आरोप और प्रत्यारोप लगा कर हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि हम अपने विधायी कार्य आरंभ करें, हमें यह करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, मैंने डा. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, क्या आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हिन्दू मरे हैं इसलिए कोई दुख नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: पांच आदमी मारे गये तो ला एंड आर्डर नहीं है और हमने बंद किया तो ला एंड आर्डर की बात आ गई। ...*(व्यवधान)* यह कैसा जस्टिफिकेशन है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि चुने हुए सदस्य इस सभा में यह सब कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वे मुंबई में क्या कर रहे होंगे ...*(व्यवधान)* जो भाषा वे इस्तेमाल करते हैं, जिन विचारों को वे फैलाते हैं ...*(व्यवधान)* यह हमारे समक्ष एक स्पष्ट प्रमाण है कि वे मुंबई में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे होंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: जैसे 1993 में बम विस्फोट हुए थे, उसी तरह की यह घटना है। ...*(व्यवधान)* जो लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों को पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस पर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं सभा के कार्य का संचालन कैसे करूंगा? आपके अपने सदस्य ही ऐसा कर रहे हैं, यदि विपक्ष ऐसा कुछ करता तो मैं समझ सकता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आज का शिवसेना बंद और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध राजग की साझी नीति के खिलाफ समाज को बांटना है। वे समाज को विभाजित करने पर तुले हुए हैं। मुंबई की समस्या उन्हीं के द्वारा पैदा की हुई है। ये शिव सैनिक ही हैं जिन्होंने मुंबई में उपद्रव मचाया है और वे फिर से ये कार्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* वे इस देश के विभाजन का प्रतीक हैं, जीवन्त प्रतीक हैं। मुझे बताया गया कि वे पाकिस्तान में अपने स्वयंसेवक भेजेंगे। वे उन्हें कब भेजेंगे ...*(व्यवधान)*।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले@

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जावीया द्वारा उठाये गये मामले के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी.जे. जावीया (पोरबंदर): उपाध्यक्ष जी, अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया है। ये लोग शांत होंगे तभी तो बोलूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जायेंगे।

[हिन्दी]

(एक) पाकिस्तानी जेलों में कैद गुजरात के मछुआरों सहित भारतीय नागरिकों को छोड़े जाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ मामला उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.जे. जावीया (पोरबंदर): महोदय, अभी भी पाकिस्तानी जेलों में भारत के कई नागरिक जिसमें पोरबंदर, जामनगर एवं गुजरात के कुछ मछुआरे भी हैं, को पाकिस्तान की जेलों से रिहा नहीं किया गया। इन सबको वार्ता के नये वातावरण को देखते हुए तुरंत छुड़ाया जाना चाहिए एवं भारत को तुरंत इस मामले को पाकिस्तान से बातचीत के जरिए मामला उठाकर निपटाया जाना चाहिए। अभी कितने भारतीय नागरिक एवं मछुआरे पाक जेलों में हैं, उनका लिस्ट भारत को पाकिस्तान से मांगना चाहिए।

(दो) गुजरात के बलसाड़ जिले में और अधिक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (बलसाड): महोदय, हमारी सरकार जहां टेलीफोन तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में जितना ध्यान दे रही है उतना ध्यान डाकघर खोलने की ओर नहीं दे रही है जबकि आज भी गरीबों और आदिवासियों तथा मजदूरों को समाचार आदि भेजने के लिए डाकघर का ही सहारा लेना पड़ता है। सरकार ने कुछ समय पहले डाकघर खोलने के मामले में एक मापदण्ड भी निर्धारित किया था, किंतु उसका भी पालन बड़ी शिथिलता से किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र गुजरात राज्य के बलसाड़ जिले में डाकघरों की संख्या बहुत ही कम है जबकि मेरे जनपद में आदिवासियों की संख्या बहुत ही अधिक है और ये लोग छोटे-छोटे गांवों में दूर-दूर रहते हैं। परिणाम यह होता है कि यदि इनको एक पोस्टकार्ड भी खरीदना होता है तो इनको काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है।

अत: मेरा माननीय संचार मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड़ जिले में यदि अधिक न हो सके तो सरकारी मापदण्ड के अनुसार अविलम्ब डाकघर उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर खोलने के लिए आवश्यक आदेश निर्गत करने की कृपा करें ताकि वहां पर मांग के अनुसार डाकघर खोले जा सकें और वहां के लोगों की परेशानी समाप्त हो सके।

(तीन) सेना में 'अहीर रेजीमेन्ट' स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, पिछले काफी सालों से सेना में एक अहीर रेजीमेंट बनाने की मांग की जा रही है। चीन के साथ लड़ाई के समय रेजांगला दर्रे के ऊपर 13वीं कुमांउनी रेजिमेंट की चार्ली कम्पनी, जो अहीरों की थी, ने बहुत योगदान दिया था, को आज भी याद किया जाता है। इसी प्रकार कारगिल के समय और स्वतंत्रता संग्राम के समय अहीरों का योगदान बहुत रहा है। जिस प्रकार जाट, गोरखा, कुमांउनी एवं अन्य रेजीमेंट सेना में कार्यरत है, और गुर्जर रेजिमेंट की बात रक्षा मंत्री ने कही है उसी प्रकार से अहीरों की भी एक रेजीमेंट बनाने की मांग पिछले काफी सालों से हो रही है और समय-समय पर सरकारों से आश्वासन भी मिले हैं।

मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकार एक अहीर रेजीमेंट बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करे ताकि अहीरों की महत्वपूर्ण मांग पूरी हो सके, जिन्होंने समय-समय पर देश के गौरव को बढ़ाने में अपना बलिदान और सहयोग दिया है।

@सभा पटल पर रखे माने गये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में संदल, उदंती और तेल बैराज परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सीडब्ल्यूसी द्वारा कालाहांडी जिले में संडल, उदंती और तेल बराज परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाये, क्योंकि इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने से उड़ीसा में केबीके क्षेत्र में सूखे की स्थिति को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

[हिन्दी]

(पांच) हरियाणा के यमुनानगर जिले में ताप विद्युत केन्द्र का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, आज से लगभग 12 वर्ष पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री (श्री नरसिम्हा राव) ने दिल्ली से रिमोट कंट्रोल बटन दबा कर हरियाणा के यमुनानगर जिले में 1000 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया था, परन्तु आज तक यह थर्मल पॉवर प्लान्ट बन नहीं पाया है। 15 वर्ष पहले क्षेत्र की 1500 एकड़ बहुत ही उपजाऊ भूमि अधिग्रहण की गयी थी, जो कि आज तक खाली पड़ी है। इस थर्मल प्लांट के न बनने से राज्य के उद्योग जगत व कृषि क्षेत्र में निराशा का वातावरण बना है।

मैं मांग करता हूं कि इस बारे में ऊर्जा मंत्री एक वक्तव्य दें व राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में भूमिका की जानकारी भी प्रदान करायी जाये।

[अनुवाद]

(छह) नागपुर में नाग नदी और पीली नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): नागपुर शहर से होकर गुजरने वाली नाग नदी और पीली नदी से शहर के लोगों के स्वास्थ्य को अत्यधिक खतरा है। औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट, जोकि इन नदियों में इकट्ठा हो जाता है, के परिणामस्वरूप अत्यधिक गन्दगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के मौसम के दौरान पानी के तीव्र प्रवाह के कारण यह अपशिष्ट बह जाता है परन्तु, अन्य समय में यह अपशिष्ट इन नदियों में इकट्ठा हो जाता है और इससे यहां की अधिकांश जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरी संस्थान ने शहर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इन नदियों का पुनरुद्धार करने हेतु एक गहन अध्ययन कराया था, परन्तु इस संस्थान की रिपोर्टों का सरकार द्वारा अभी कार्यान्वयन किया जाना है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कृपया एनईईआरआई की रिपोर्टों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को वित्तीय अथवा अन्य सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए ताकि नागपुर के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से इनका पुनरुद्धार हो सके।

(सात) प्रवर्तन के तटीय विनियमन जोन क्षेत्र को तट रेखा से 200 मीटर तक सीमित करते हुए कर्नाटक की तट रेखा को तटीय विनियमन जोन श्रेणी-2 के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): केन्द्र सरकार ने तटसीमा के पारिस्थितिकीय संतुलन की सुरक्षा के लिए सभी तटीय राज्यों में तटीय क्षेत्र विनियमन योजना लागू की है। वर्तमान में कर्नाटक तट सीमा में दक्षिण कन्नड़ शामिल है। उदुपी और उत्तर कन्नड जिलों को तटीय विनियमन क्षेत्र के श्रेणी-तीन के अंतर्गत लाया गया है और यहां पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के विकास और तटसीमा के 500 मीटर के भीतर मछुआरे समुदाय के पुनर्वास पर रोक लगा दी गयी है।

कर्नाटक की पर्यटन क्षमता तट सीमा के साथ विशेषकर गोकर्ण, मारावन्थे और मालपे और तटसीमा में स्थित कई मंदिरों के साथ-साथ काफी हद तक वर्तमान पर्यटन अवसंरचना पर निर्भर करती है। तटीय विनियमन क्षेत्र के कारण विकास कार्य के साथ-साथ मछुआरे समुदाय के लिए समूह आवास निर्माण करने हेतु राज्य सरकार की योजना भी प्रभावित हो रही है।

पारिस्थितिकीय पहलुओं के साथ समझौता किए बिना पर्यटन और मछुआरे समुदाय दोनों के हितों की रक्षा की जाये। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह तट क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र श्रेणी-2 के अंतर्गत लाएं, जिसके अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र को तट सीमा से 200 मीटर तक सीमित रहे।

(आठ) सीमा विकास योजना के अंतर्गत पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): केन्द्र सरकार ने देश में सीमा क्षेत्रों/जिलों को, वहां रहने वाले लोगों का जीवनस्तर सुधारने हेतु, समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है।

[श्री जे.एस. बराड़]

यह योजना अभी पंजाब में कार्यान्वित नहीं की गयी है जबकि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ उत्तरी राज्यों को यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। पंजाब के तीन सीमावर्ती जिलों अर्थात् फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर को तत्काल इस योजना के अंतर्गत लाया जाये।

(नौ) केरल में रेल उपरिपुलों के निर्माण के लिए केरल सड़क और पुल विकास निगम को आवश्यक मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बड़ागरा): रेलवे ने केरल राज्य में 20 रेल उपरिपुलों (आरओबी) के निर्माण का कार्य रोड एंड ब्रिजस डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ केरल (आरबीडीसी के) को दिया है। दक्षिण रेलवे ने आरबीडीसी के, जिसे आरओबी के निर्माण का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है, द्वारा की गयी अच्छी प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया है। महा प्रबंधक, दक्षिण रेल ने अपने पत्र सं. डब्ल्यू 35311/आरबीडीसीजे/जन/सी दिनांक 10.10.2002 के माध्यम से 20 और अधिक आरओबी को आरबीडीसी को अंतरित कर दिया है। माननीय रेल मंत्री के कार्यालय में दिनांक 20.12.2002 को दिल्ली में हुई बैठक में सदस्य (अभि.) ने आवश्यक आदेश जारी करने के बारे में सहमति प्रकट की है।

हालांकि, रेल बोर्ड ने इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है और इससे राज्य में शेष बचे आरओबी के कार्य की प्रगति धीमी हो गई है। अगस्त 2001 के बाद, आरबीडीसी के द्वारा कोई भी आरओबी का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए आवश्यक बजटीय आवंटन होने के बावजूद रेल बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। इन परिस्थितियों में मेरा माननीय रेल मंत्री से यह आग्रह है कि वे इस पर तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(दस) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकरराव (पार्वतीपुरम): इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आंटन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गरीबी अनुपात और ग्रामीण आवास में कमी के आधार पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम देश का सर्वाधिक पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र है जहां निर्धन लोगों को आवास जैसी मूल समस्या का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश लोग झोपड़ियों में रहते हैं जिनमें प्राय: दुर्घटनावश आग लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धनतम और आवास कार्यकलापों के बीच कोई स्पष्ट सह-संबंध नहीं है।

आवास की भारी कमी की समस्या की गम्भीरता को देखते हुए मैं सरकार से आंध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम में अधिकांशत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता के लिए ग्रामीण आवास के निर्माण हेतु ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को दूरसंचार जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) टेलीकोम जिले की दृष्टि से दो जिलों में विभक्त है, जिससे उपभोक्ताओं को अत्यधिक परेशानी होती है, आगरा जनपद में 6 वी.टी.एस. (बेसिक ट्रांसमिशन सिस्टम) हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कागारौल में 500 लाइन का वी.टी.एस. लगा हुआ है, जिसके लिए 500 और अतिरिक्त लाइन का विस्तार होना था, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी। जगनेर में वी.टी.एस. की अत्यधिक आवश्यकता है लेकिन यह स्वीकृत ही नहीं हुआ। जगनेर में 300 टेलीफोन उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची है, जिसमें और वृद्धि की संभावना है। ग्रामीण अंचल में पंचायतों को जो टेलीफोन दिए गए थे, वे अर्थहीन हो गए हैं, एम.ए.आर.आर. टेलीफोन खराब पड़े हैं। डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन लगाए जाने हेतु एंटीना की अत्यधिक कमी है और यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिरोजाबाद में भी टेलीफोन प्रतीक्षा सूची लम्बी है, आगरा जनपद के खेरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव नौनी, डाडकी, इरादतनगर, मूसलपुरं, हंसपुरा, लालपुर, कटूमरी, चाचौंद एवं अन्य गांवों के लोगों ने सन् 2000 में ही टेलीफोन कनैक्शन हेतु पैसा जमा कर दिया था लेकिन वे अभी तक इस सेवा से वंचित हैं, यही स्थिति फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के कांकरपुरा, जगराजपुर, सलेमपुर, धंनगर गांवों की है, वाह विधान सभा क्षेत्र के महुआ-शाला एवं अन्य गांवों के लोग भी दूरभाष से वंचित हैं। सरकार अविलम्ब फिरोजाबाद को टेलीफोन जिला घोषित करे एवं आगरा जनपद में दूरभाष सेवा से वंचित लोगों को टेलीफोन कनैक्शन मुहैया कराये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये।

[अनुवाद]

(बारह) तमिल को भारत संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय द्र.मु.क. दल के संसद सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों में बार-बार यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि तमिल को इसके प्राचीनतम व्याकरण साहित्य के महत्व को संजोए रखने और इसकी प्राचीन सभ्यता को

सम्मान दिए जाने को ध्यान में रखते हुए इसे एक राजभाषा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

यह भाषा विश्व भर में 100 मिलियन से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और यह सिंगापुर, श्रीलंका की राजभाषाओं में से एक है और मलेशिया तथा मॉरीशस में व्यापक रूप से बोली जाती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते समय तमिल जानने वाले विद्यार्थियों और हिन्दी बोलने वाले विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए तमिल को एक राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए।

इससे भी बढ़कर, तमिल भाषा में वह प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जोकि इसे राजभाषा बनाए जाने के लिए पर्याप्त है।

यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हमारे नेता डा. कलाइगनार करुणानिधि ने तमिल को देश की प्राचीन उत्कृष्ट भाषाओं में से एक घोषित करने के लिए 22 अप्रैल, 2003 को प्रधानमंत्री को लिखा है जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट भाषा बनने के लिए तमिल भाषा में निहित विभिन्न गुणों को उद्धृत किया है।

मैं सरकार से इस बात को सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि तमिल को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया जाए और बिना किसी विलम्ब के एक उत्कृष्ट भाषा के रूप में भी घोषित किया जाए।

(तेरह) उड़ीसा में पारादीप तेल रिफाइनरी परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): यह उड़ीसा के लोगों के लिए गंभीर चिंता की बात हो गयी है कि वर्ष 2000 में माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य मंत्रियों के साथ पुरजोर तरीके से यह घोषणा की थी कि पारादीप तेल रिफाइनरी दिसम्बर, 2003 तक उत्पादन करना आरंभ कर देगी परंतु पिछले छह महीनों से भी अधिक समय से यह कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है।

पारादीप तेल रिफाइनरी की स्थापना का विचार 1990 में आया था और इसे कुवैत की सहायता से स्थापित किये जाने की योजना थी। परंतु खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत ने इस परियोजना से अपना हाथ खींच लिया और उसके उपरांत इंडियन ऑयल कंपनी ने इसे अकेले ही पूरा करने का निर्णय लिया। इस संबंध में भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और इसकी आधारशिला रखी गयी, भूमि का अर्जन किया गया और कुछ अवसंरचना का विकास भी किया गया। परंतु छह माह पहले अचानक ही यह कार्य रोक दिया गया।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस कार्य की नींव डाली गयी थी उसे फिर से आरंभ किया जाए ताकि यह परियोजना एक वर्ष के भीतर पूरी की जाए।

(चौदह) राजापलयम और तेनकासी के बीच बड़ी रेल लाइन का विस्तार तमिलनाडु में सेनगोत्ता तक किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मुरूगेसन (तेनकासी): मैं इस मौके का उपयोग राजापलयम और तेनकासी के बीच बड़ी लाइन की मंजूरी दिए जाने के लिए सराहना करने के लिए करना चाहता हूं। परंतु सेनगौत्ता तेनकासी से केवल 5 कि.मी. दूर है। सेनगोत्ता एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और पर्यटक स्थल है। इससे एक महत्वपूर्ण सम्पर्क स्थापित होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि बड़ी लाइन का कार्य सेनगोत्ता तक बढ़ाया जाए।

इसके अतिरिक्त तेनकासी-सेनगोत्ता लाइन पर रेल उपरिपुल बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। नए बस अड्डे के पास भारी यातायात है और नजदीक ही एक अस्पताल है। उपरिपुल का निर्माण होने से यातायात की भीड़-भाड़ कम हो जाएगी। वास्तव में यह परियोजना काफी अधिक समय से लंबित है, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देकर आरम्भ करें और परियोजना के लिए अपेक्षित पूरी धनराशि मंजूर करें।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण सियालदह खंड में केनिंग रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्र सहित यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर): मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण सियालदाह खण्ड में केनिंग रेलवे स्टेशन की बुरी स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

केनिंग सुन्दरबन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। केनिंग रेलवे स्टेशन पर, दैनिक यात्रियों को मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति नहीं है। इसके अभाव में यात्रियों को बहुत-सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

एक अन्य समस्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण की कमी है। इससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। मैंने सरकार को इस मामले की जानकारी दी है। हाल ही में इस उद्देश्य हेतु दो अधिकारियों ने दौरा किया था। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अन्ततः केनिंग स्टेशन पर कोई प्रतीक्षालय नहीं है। चूंकि प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं, अतः

[श्री सनत कुमार मण्डल]

प्रतीक्षालय न होने के कारण, उनके आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मांगों की पूर्ति के लिए कदम उठाये।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे इस बात की रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आपने कहा था कि जीरो-आवर जब हो तब यह सवाल उठाया जाए। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, शिवराज पाटिल जी अगर यह बात नहीं कहते ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। ...*(व्यवधान)* यह मामला बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर मामले पर अगर आप अभी नहीं चाहते तो डिप्टी प्राइम-मिनिस्टर साहब कल सुबह स्टेटमेंट दें और उसके बाद बहस हो। ...*(व्यवधान)* शिवराज पाटिल जी ने खड़े होकर यह बात क्यों कही ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में लाठी चार्ज हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं और इतने गंभीर मामले को कांग्रेस पार्टी वाले लोग मजाक बना रहे हैं कि सवाल क्यों उठाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* ये लोग मुम्बई के खिलाफ हैं। ...*(व्यवधान)* वहां पर जो घटनाएं हुई हैं अगर आप जीरो-आवर नहीं लेना चाहते तो जैसा मैंने कहा कल इसे ले लें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं नहीं जानता कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, क्या आपको वह समझ में आया। मैंने कहा, "जब हम 2 बजे पुन: समवेत होते हैं, तो हम सभा को कभी भी 'शून्य काल' में परिवर्तित नहीं कर सकते। वास्तव में, पीठासीन अधिकारी सरकार को यहां जो हो रहा है, उस पर ध्यान देने का निदेश नहीं दे सकता। अत: इस संबंध में मैं असमर्थ हूं। मैंने उन्हें जो कुछ जानकारी देने के लिए कहा है, उन्होंने दी है और मैं सरकार का निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, उप-प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य को हमें सही जानकारी देनी चाहिए। इस संबंध में आज अथवा कल वक्तव्य दिया जाये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई में पांच बम ब्लास्ट हुए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपने सुबह स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। मैं आपको अपनी बात कहने के लिए एक मिनट दूंगा। यह शून्य काल नहीं है। श्री चन्द्रकांत खैरे भी कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): उन्होंने स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है। हमें भी कुछ कहना है। हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए हैं, उनमें तीन लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत सीरियस है। मुम्बई में लॉ-एंड-आर्डर खराब होता जा रहा है। मुम्बई की स्थिति कैपिटल होने के कारण चिन्ताजनक है। घाटकोपर में जो बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें 25-30 लोग मारे गए हैं।

मैं माननीय उप प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि वह मुम्बई की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लें। मुम्बई में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार की एक टीम वहां भेजी जाए। हमारी मांग है कि ऐसी घटनाएं होने के कारण वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। उनके कारण वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। रावले जी ने आरडीएक्स के बारे में बताया। इतना कुछ होने के बाद भी वहां की राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकी। वहां यह पांचवां विस्फोट है। इस बारे में यहां होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यदि कोई दल मुम्बई जा रहा है, तो एक दल को अखनूर भी जाना चाहिए। संसद सदस्यों

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को अखनूर जाने दें ...*(व्यवधान)* यह किस प्रकार का तर्क है? संसद पर हमला हुआ था। यह पहला हमला नहीं था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सब बातें सुनी हैं। अब मैं उन्हें निर्देश देने अथवा उन्हें यह नोट करने को कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह 'शून्य काल' नहीं है। आप कल सुबह 10 बजे से पहले सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): जब संसद पर हमला हुआ तो क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यहां पर जो भी असंसदीय वक्तव्य हैं और यहां जो भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, मैं उन्हें हटा दूंगा। मेरी सहमति लेने के बाद, मैंने श्री शिवराज वि. पाटील को अपनी बात कहने की अनुमति दी है। यहां जो भी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दूंगा। अन्यथा मेरा सुझाव है कि कल सुबह 10 बजे से पहले आप आ सकते हैं और कोई समुचित सूचना दे सकते हैं, ताकि आप इसे या तो स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत अथवा प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए ले सकते हैं, जैसाकि आप आजकल सामान्यत: कर रहे हैं अथवा आप इसे चर्चा के किसी अन्य रूप में ले सकते हैं, माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, और वे भी जवाब दे सकते हैं। अब यहां इसे समाप्त कर दें तथा मैं माननीय विधि मंत्री से आगे बढ़ने को कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस्तीफे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप भी इस मामले को कल उठा सकते हैं। कुंवर अखिलेश सिंह भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। वह भी कल बात उठायेंगे। मैं आप दोनों से कहूंगा कि कृपया मेरे साथ सहयोग करें। श्री रामदास आठवले, यदि आप कल मेरा सहयोग चाहते हैं, तो अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपको कल मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हम आतंकवाद की निन्दा करते हैं और इसे खत्म करने की आवश्यकता है। यदि यह राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं तो हम भारत सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ कर इसका खात्मा करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम इस घटना की निन्दा करते हैं।

अपराह्न 2.38 बजे

निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 14 को लेगी। इस मद के लिए आबंटित समय दो घण्टा है।

विधि और कानून मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह संशोधन विधेयक, जिसका आशय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है, लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति तथा विभिन्न राजनीतिक दलों, दोनों में यह आम राय बनी कि स्वतंत्रता के 56 वर्षों बाद भी हम ऐसा पारदर्शी तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं, जिसके द्वारा देश में राजनीति, राजनैतिक गतिविधियों तथा राजनैतिक दलों का वित्तपोषण किया जा सके। स्व. श्री इन्द्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में समिति ने वर्ष 1999 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किये जाने के बारे में कई मूल्यवान सुझाव दिए गए थे।

इस बात पर बल दिया गया था कि वित्तपोषण जुटाई गई समग्र निधि के आधार पर किया जायेगा और समग्र निधि में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जायेगा। अधिकतर राज्य सरकारों ने स्वयं उनके ऊपर विभिन्न वित्तीय दबावों के कारण इसमें धनराशि का अंशदान करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त

[श्री अरुण जेटली]

की हैं। अत: सरकार ने इस प्रश्न पर तथा कई अन्य सुझावों, जो विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संसदीय क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा भी दिये गये हैं कि भारतीय राजनीति के वित्तपोषण के लिए एक पारदर्शी तंत्र कैसे बनाया तथा विकसित किया जाये, विचार किया है। मुझे अभी भी याद है कि लगभग एक अथवा डेढ़ वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने भी डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक आन्तरिक समिति का गठन किया था। समिति ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के संबंध में कई सुझाव दिये थे। अत: इस (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य वास्तव में उस प्रणाली, जिसे कई लोग मानते हैं कि यहां कोई प्रणाली नहीं है, जिसके द्वारा राजनीति का वित्तपोषण किया जा रहा है अथवा कोई अदृश्य प्रणाली, जिसके द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है, के विकल्प के रूप में यह पारदर्शी प्रणाली विकसित करना है।

महोदय, इस विधेयक की विषय-वस्तु ऐसी है कि 'कोई भी व्यक्ति', जिसमें व्यक्ति विशेष ही नहीं, साझेदारी, संयुक्त हिन्दु परिवार भी शामिल हैं, तथा सरकारी कंपनी को छोड़कर कोई भी कंपनी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को अंशदान देने के पात्र हैं। चैक द्वारा अंशदान दिये जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस विधेयक में एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि जहां तक व्यक्ति विशेष, साझेदारी अथवा संयुक्त हिन्दु परिवार का प्रश्न है, वे चैक द्वारा अंशदान कर सकते हैं। यह व्यक्ति विशेष की निजी धनराशि है। इसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। किन्तु जहां तक सरकारी कंपनियों से इतर अन्य कंपनियों का संबंध है, क्योंकि यह भी शेयरहोल्डरों की धनराशि है, अत: इसके लिए कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक अंशदान नहीं दिया जा सकता। जितनी भी धनराशि अंशदान में दी जाती है, चैक से दान देने की प्रेरणा देने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंशदान की गई धनराशि का एक उपयुक्त भाग अथवा स्वीकार्य व्यय दानकर्त्ता को आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर छूट के लिए उपलब्ध होगा। इसका आशय लोगों को चैक द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने के लिए प्रेरित करना है। इस उद्देश्य से संशोधित की जा रही वित्तीय व्यवस्था के संबंध में प्रोत्साहन दिया जायेगा। राजनैतिक दलों पर भी अपने खातों को सख्ती से कायम रखने के लिए अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाने का दायित्व होगा। उनसे दिये गये वित्तीय वर्ष के दौरान 20,000 रु. से अधिक दान देने वाले सभी दानकर्त्ताओं की एक सूची बनाने की आशा की जायेगी। राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित समस्त खातों का विवरण प्रतिवर्ष चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अत: इस विधेयक का दोहरा उद्देश्य है। एक वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहां बहुत-से लोगों का मानना है कि राजनैतिक दलों को जुटाये गये काले धन में से अंशदान दिया जाता है।

इस अंशदान, जिसके लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है और जो चेक द्वारा दिया जा सकता है, के प्रतिस्थापन के रूप में राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी उपयुक्त आयकर प्राधिकारियों के समक्ष विवरणी दायर करने के अतिरिक्त अपने लेखे रखने, अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा कराने और निर्वाचन आयोग के समक्ष नियमित रूप से अपनी विवरणी दायर करने के संबंध में होगी। इसके अतिरिक्त, समिति ने स्वर्गीय श्री इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में राज्य निधीयन के संबंध में कतिपय सुझाव दिए थे। हम समिति द्वारा दिए गए सभी सुझावों को कार्यान्वित नहीं कर सके क्योंकि राज्य उन निधियों का अंशदान करने के इच्छुक नहीं थे जिनका सृजन राज्य निधीयन के लिए किया जाना था। परंतु हमने इस मामले में कुछ पहल करने का निर्णय किया और इस विशेष विधेयक में जिस शुरुआत का सुझाव दिया गया है, वह यह है कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है जिसमें सरकारी प्रसारक और साथ ही निजी इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबिल चैनल दोनों शामिल हैं, निर्वाचन आयोग को चुनावों के समय उनके लिए एक कोड तैयार करने का अधिकार दिया जाएगा ताकि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, सभी राजनीतिक दलों के लिए समय का न्यायसंगत और निष्पक्ष बंटवारा हो। पूर्ववर्ती चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किए गए मतों के आधार पर समय का नियतन किया जाएगा। इसके अलावा, मतदाता सूचियां राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस विधेयक में एक ठोस उपबंध भी है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर निर्भर करता है। किसी चुनाव में उम्मीदवारों को ऐसी अन्य सुविधाएं राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने और साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की क्षमता में सुधार आने पर राज्य के व्यय पर ही की जा सकती हैं। चुनावों में उम्मीदवारों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत भी दी जा सकती हैं।

चुनावों के समय किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय के संबंध में भविष्य में किसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए धारा 77 में एक स्पष्टीकरण जोड़ने का भी प्रस्ताव है। उम्मीदवार अपनी ओर से व्यय करते हैं चूंकि, कभी-कभी, जब राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हैं अथवा राज्य स्तर के नेता निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो इन राष्ट्रीय नेताओं या राज्य नेताओं के दौरे विशेषकर वायुयानों या निजी विमानों या हेलीकॉप्टरों से उनके आने-जाने के संबंध में जो व्यय किया जाता है, उसे अब यदि प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले व्यय में जोड़ा जाता है तो संभवत: अपने दल के किसी राज्य स्तर के नेता या राष्ट्रीय नेता को आमंत्रित करने पर उम्मीदवार का अधिकांश व्यय उस एक दौरे से ही जुड़ जाएगा। इसलिए, इस विधेयक से यह बात स्पष्ट हो गयी है क्योंकि विगत में ऐसी

अस्पष्टता नजर आई है कि इस व्यय का भार किसी विशेष उम्मीदवार पर नहीं डाला जाएगा जो व्यय उस विशेष दल के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के संबंध में है किया जाता है। कतिपय ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके संबंध में सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण सरकार की कुछ जिम्मेवारी सुरक्षा या ऐसी किसी अन्य सुविधा के संबंध में कोई तंत्र की व्यवस्था करना है जैसाकि प्रधानमंत्री या अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मामले में किया गया है। अब, सुरक्षा कार्मिकों सहित अनेक सरकारी कर्मचारियों को ऐसे व्यक्तियों के लिए तैनात किया गया है जिन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी है या जिनके लिए अन्य व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन पर व्यय की गई राशि के लिए भी किसी विशेष उम्मीदवार को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसे व्यय से वास्तव में उसके चुनाव की संभावनाओं में वृद्धि नहीं होगी।

महोदय, हम कम-से-कम राजनीति की प्रक्रिया को स्वच्छ करने के लिए यह विनम्र शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि भारतीय राजनीति में पारदर्शी वित्तपोषण तंत्र की व्यवस्था हो सके। संसद, संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के अंतर्निहित पहलू और घटक हैं। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों का वित्तपोषण तंत्र क्या होना चाहिए, यह जनता के समक्ष एक बड़ा प्रश्न रहा है जिसके परिणामस्वरूप राजनीति और राजनीतिक दलों की साख से संबंधित अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

जिन संशोधनो का प्रस्ताव किया गया है, उनमें स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझाव तथा विभिन्न दलों और विभिन्न अन्य समझदार व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हैं ताकि भारतीय राजनीति के संदर्भ में वित्तपोषण तंत्र को स्वच्छ किया जा सके।

महोदय, मैं इन्हीं थोड़ी-सी टिप्पणियों के साथ इस सम्माननीय सभा से यह सिफारिश करता हूं कि इस संबंध में यह एक विनम्र शुरुआत है कि इस विधेयक पर चर्चा की जाए और अंततः इस सम्माननीय सभा द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो समय की मांग है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि आजकल मीडिया में रानीतिक दल और राजनीतिज्ञ चर्चा के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। अब, देश और साथ ही राज्यों का शासन चलाने में राजनीतिज्ञों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने त्रिस्तरीय प्रणाली तैयार की है जिसमें स्थानीय प्रशासन भी लोक प्रतिनिधित्व के अधीन आता है। ऐसी स्थिति में हमें चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जनता तक पहुंचने और अपने विचार उनके समक्ष रखने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। किसी राजनीतिक दल को चलाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसी स्थिति में भ्रष्ट प्रथाओं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने और साथ ही विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करने के संबंध में अनेक आरोप लगेंगे।

मीडिया द्वारा लगाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप यह है कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए काले धन का परिचालन किया जाता है। अतः, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अब संपूर्ण देश में वाद-विवाद हो रहा है परंतु सरकार गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिए गए कतिपय सुझावों को सामने ला रही है। परंतु इसके साथ-साथ ही जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, डा. मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अनेक सुझाव दिए हैं और हम समुचित ढंग से उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ, 10,000 रुपये के अंशदान स्तर को अब बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है जिसका स्पष्ट रूप से हिसाब-किताब रखा जाना है और जो रिपोर्टें कोषाध्यक्ष या दल के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन आयोग को दी जानी हैं, उन्हें भी इस विधेयक में किए गए नये संशोधनों के अनुसार तैयार करना होगा। इसलिए, इस विधेयक द्वारा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आने वाले धन पर अंकुश लग जाएगा। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां अंशदान नहीं कर सकती हैं किन्तु इसके साथ-साथ ही व्यक्तिगत और निजी कंपनियां ही अंशदान कर सकती हैं। इन अंशदानों को राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग को दिए जाने वाले लेखाओं में दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार, जो दल अंशदान कर रहे हैं वे इसे अपने लेखाओं में भी दिखा सकते हैं।

अब अनेक राजनैतिक दल बन रहे हैं। इसी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधेयक में व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दिये जाने वाले अंशदान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह विधेयक किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए नहीं है अपितु यह राजनैतिक दलों तक ही सीमित है। इसलिए उम्मीदवारों को राजनैतिक दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा और यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है। एक उम्मीदवार को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि किसी एक विशेष उम्मीदवार के समक्ष ही वित्तीय संकट है। अब राजनैतिक दल भिन्न-भिन्न रूपों में गठित होकर भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता। उनके बचने के लिए बहुत सारे आसान रास्ते हैं परंतु व्यक्तिगत

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

उम्मीदवार को विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप तमिलनाडु का उदाहरण लें। यह उन स्थानों में से एक है जहां निर्वाचन पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हेतु 1.5 लाख रु. की व्यय सीमा का पालन किया जाता है। हम देख सकते हैं कि व्यय 1 करोड़ रु. या 2 करोड़ रु. तक हो जाता है। लोग आसानी से देख सकते हैं कि जबकि व्यय की सीमा 15 लाख रु. है। वास्तविक व्यय 2 करोड़ रु. है। वे अपने विज्ञापनों, दीवारों पर इश्तहार लगाने पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंग और कट-आऊट तथा यातायात की सुविधाओं और अन्य पर बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में और जब श्री टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे हर कार्य व्यवस्थित तरीके से हुआ था और व्यय भी निर्धारित सीमा तक ही किया गया था। यदि किसी का खर्च सीमा से अधिक होता था तो उसका तुरंत पता चल जाता था और उस पर जुर्माना लगाया जाता था। अभी भी चुनाव आयोग नियम बना रहा है और प्रेक्षक इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। हम लोगों को यह कह कर धोखा नहीं दे सकते कि प्रत्येक कार्य बनाए गए कानूनों के अंतर्गत ही हो रहा है। इस दोहरी नीति पर मीडिया भी प्रश्न उठा रही है और साथ ही वे लोग भी जो हमारे लोकतंत्र के घटनाक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए यह उचित समय है कि हम इन सभी बातों को कानून के दायरे में लाये हैं।

यदि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी व्यक्तिगत उम्मीदवारों को यदि धनराशि देते हैं तो उसे ऐसे अंशदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए और धनराशि के अंशदान की प्राप्ति की स्वतंत्रता केवल राजनैतिक दलों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे यहां बहुदलीय प्रणाली है और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति है, किन्तु निर्दलीय उम्मीदवार अंशदान नहीं ले सकता जबकि राजनैतिक दल अंशदान ले सकते हैं।

मैं सरकार का ध्यान एक और पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां अप्रवासी भारतीय भी हैं जो केन्द्र तथा साथ ही राज्यों में अच्छे शासन के लिए इच्छुक हैं। वे राजनैतिक दलों को अंशदान देना चाहते हैं परन्तु उनका अंशदान कानूनी तरीके से नहीं होता। इसलिए हमारे यहां एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जहां इस अंशदान का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता। अब, ऐसा कानून बनेगा जहां राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग को अपने लेखाओं को उचित रूप से दिखाने की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि कोई भी अप्रवासी भारतीय या विदेश में रहने वाले भारतीय किसी विशेष पार्टी को या किसी विशेष सिद्धान्त के लिए अंशदान देने के लिए तैयार है तो वह अंशदान कानूनी तरीके से आना चाहिए। पैसा तो आ रहा है परंतु वह कानूनी तरीके से नहीं आ रहा है। इसलिए भविष्य में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और तद्नुसार इसमें संशोधन करना चाहिए।

इस विधेयक के संबंध में, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो प्रणाली अभी इस संशोधन द्वारा बनाई जा रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं।

इसी के साथ मैं केबल टी वी और इलेक्ट्रानिक मीडिया में समय के समान आवंटन पर भी कुछ कहना चाहता हूं। अब समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है। समाचार-पत्रों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों के बहुत सारे विज्ञापन छपते हैं। कुछ दल ऐसे हैं, जो इस प्रकार का खर्च नहीं कर सकते हम किस प्रकार अपना काम चलाएं? यह सरकारी विज्ञापन जैसा ही है। इसलिए आप मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को समाचार पत्रों में भी विज्ञापन छापने के लिए सरकार द्वारा कुछ धनराशि खर्च करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? इस प्रकार सरकार आसानी से निगरानी भी रख सकती है और तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकती है। इसलिए विभिन्न राजनैतिक स्रोतों से अंशदान लेने के बजाए, सरकार को इसे एक सरकारी विज्ञापन की तरह मानने की अनुमति दी जानी चाहिए और मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव अवधि के दौरान विज्ञापनों में समान रूप से भागीदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में चुनाव का संपूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। हम इस सीमा तक तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा राजकोष इसकी अनुमति नहीं दे सकता, परंतु इसी के साथ हमें इस पर भी विचार करना चाहिए, कम से कम हमें इस स्थिति तक पहुंचना ही चाहिए।

पोस्टरों पर भी बहुत पैसा खर्च होता है। इस पर रोक लगानी होगी। कुछ प्रतिबंधित भी हैं, परंतु उसी के साथ उम्मीदवारों को पोस्टर लगाने की अनुमति के द्वारा सरकार की ओर से भी एक प्रकार का अंशदान मिलना चाहिए। तथापि यह सीमित रूप में होना चाहिए। किसी निर्वचन क्षेत्र विशेष में उम्मीदवारों के अनुचित पोस्टर नहीं लगने चाहिए। दलों के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सरकार को इस अंशदान पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक मीडिया है जिसका संचालन स्थानीय केबल टी.वी. द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण या क्षेत्रीय प्रसारण की अपेक्षा घरों में उनकी पहुंच अधिक मजबूत है। हमारे पास दूरदर्शन या अन्य केबल टी.वी. हैं तो हमें या कुछ राजनैतिक दलों को चुनाव के समय किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने का कुछ अवसर दे सकते हैं।

इसी प्रकार, सरकार को स्थानीय टी.वी. की सहायता करनी चाहिए जिससे वे उम्मीदवारों, विशेष रूप से चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान रूप से अपने विचार प्रकट करने का अवसर दे सकेंगे।

अब, नई धाराएं 78क और 78ख अंतर्विष्ट करके कार्यपालिका को कार्यक्षेत्र व्यापक बनाया गया है। इसी दौरान जब भी किसी सरकार या किसी विशेष, राज्य सरकार की आवश्यकता पर कार्यपालिका कतिपय सामग्रियों का, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है निशुल्क वितरण करके अपने अधिकारों का विस्तार कर सकती है। परंतु सांविधिक संभाव्यता कार्यपालिका को दी गई है ताकि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सके और इसका निशुल्क वितरण कर सके। दलों को दी गयी निशुल्क सामग्रियों में से एक सामग्री के रूप में मतदाता सूची का उल्लेख किया गया है।

उम्मीदवारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि निर्दलीय उम्मीदवार और गैर-मान्यताप्राप्त दल भी चुनाव में खड़े होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भी मतदाता सूची के नि:शुल्क वितरण के रूप में सहायता दी जाएगी या नहीं। क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार को मतदाता सूची नहीं दी जाती है केवल मान्यताप्राप्त दलों को ही मतदाता सूची दी जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सुझाव पर विचार किया जाएगा या नहीं। इसका उत्तर सरकार को देना है।

वाहनों का उपयोग, ईंधन और अन्य ऐसी ही बातें भी अति महत्वपूर्ण हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह उन राजनैतिक दलों के नेताओं के लिए संभावनाएं सृजित करेगा जिनकी संख्या करीब 31 से 41 है। इस प्रकार उनको निधि दी जाएगी और जब वे चुनाव के उद्देश्य से भारत का दौरा करेंगे तो उन्हें अपना पैसा खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। परंतु उम्मीदवारों का क्या होगा? अनेक उम्मीदवारों के पास खर्च करने के लिए अपार धनराशि है। वे बहुत से वाहन किराये पर ले सकते हैं। परंतु व्यक्तिगत उम्मीदवारों का क्या होगा? क्या उन्हें पर्याप्त संख्या में वाहन मुहैया कराए जाएंगे क्योंकि भारत में मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी संख्या 10 से 50 लाख तक है। अकेले उम्मीदवार इन वाहनों के इस्तेमाल द्वारा कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार, ईंधन की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। एक बार कुछ वर्षों तक इसकी राशनिंग की गयी थी परंतु अब कम से कम कुछ ईंधन खर्च थोड़ा-बहुत वहन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इन कुछ उपायों से भ्रष्ट तरीकों और काले धन के उपयोग की संभावनाएं कम होने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकारें वित्तीय संकट के कारण प्रभावित हो रही हैं। जब विधान सभा के चुनाव हों तो उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद की जानी चाहिए। हमें उन निधियों का पता लगाना है जिनका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किया जाए।

इसी प्रकार, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्थानीय बोर्डों और जिला परिषदों में लगभग 50,000 या इससे अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

उन लोगों को भी काफी अधिक धन की आवश्यकता होती है। वहां कोई भी साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है और वे सरकारी सहायता के बिना 50,000 लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। अत:, राज्य सरकारों को जिला परिषद चुनाव और स्थानीय बोर्ड चुनाव कराते समय उम्मीदवारों की सहायता करनी चाहिए ताकि केवल सही उम्मीदवार, जो लोगों की सहायता के लिए तत्पर हों और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं, को धनाभाव की स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्हें यह महसूस न हो कि वे गरीबी वे और धनाभाव के कारण जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के उपबंधों पर विचार करने से पहले मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने गृह कार्य समिति की सिफारिशों को उदारतापूर्वक अक्षरश: स्वीकार कर लिया है और एक नया और नये सिरे से तैयार किया गया प्रारूप विधेयक सभा को प्रस्तुत किया है।

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, इस मामले में उन कारकों का आंकलन भी किया जाना अपेक्षित है जो किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये कारक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू से संबद्ध हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करते हुए एनडीए सरकार ने उन सभी पहलुओं पर विचार किया है जिनसे पिछले 52 वर्षों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और संसद को जूझना पड़ता था। इसके आडम्बरपूर्ण हिस्सों को धीरे-धीरे, तत्परता से बल्कि प्रभावी ढंग से हटाया जा रहा है। हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पहले ही कई संशोधन कर चुके हैं

[श्री अनादि साहू]

और मेरे विचार से यह चौथा संशोधन है जिसे आज प्रस्तुत किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे दो अन्य संशोधन हैं जो विचाराधीन हैं और ये शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाएंगे।

हम श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने चुनाव के लिए सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराने हेतु व्यापक नीति बनाने के संबंध में बातचीत शुरू की है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार द्वारा आंशिक निधियां उपलब्ध कराना है -सरकार द्वारा सम्पूर्ण निधियां उपलब्ध कराना नहीं है परन्तु आर्थिक निधियां उपलब्ध कराना है और इस विधेयक का उद्देश्य सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाना भी है। इसका एक उद्देश्य जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार तथा विधि और न्याय मंत्री बधाई के पात्र हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है। जैसाकि मैंने कहा है कि इस मामले में आडम्बरता को दूर किया जा रहा है और सभी यह बात जानते हैं तथा सभी लोग इसी परम्परा को अपनाते हैं कि रिकार्ड में किस प्रकार से फेरबदल किया जाये ताकि चुनाव आयोग संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कोई कार्यवाही न कर सके।

यह भी सच है कि जब विभिन्न राजनीतिक दलों के कई अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) किसी इलाके का दौरा करने जाते हैं, तो उस समय काफी बंदोबस्त, व्यवस्था करनी पड़ती है। चूंकि अधिकांश वीआईपी अथवा महत्वपूर्ण लोगों को अपनी जान का खतरा होता है अत: उनके लिए व्यापक व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे वह हवाई यात्रा अथवा सड़क द्वारा अथवा अन्य मार्ग से जाते हों, और साथ ही साथ इसमें बहुत अधिक खर्चा भी अंतर्ग्रस्त होता है। खंड 4 में उपबंध के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों के व्यय को बहुत ही सही ढंग से स्पष्ट किया गया है ताकि किसी उम्मीदवार को कोई कठिनाई न हो। वह अन्य मामले में कार्य कर सके और उनके व्यय के संबंध में उन्हें जवाबदेही से मुक्त किया जा सके। विशिष्ट व्यक्तियों को खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथी समूह विभिन्न स्थानों पर लोगों पर हमला कर रहे हैं। अभी कल ही मुम्बई में बम विस्फोट हुआ था जिसमें कल ही मुम्बई में बम विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए। जैसाकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन औसतन दस लोग मारे जा रहे हैं और इसका परिणाम पूरे देश भर में देखा जा सकता है जहां सीमापार के कट्टरपंथी समूह के लोग समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। चुनाव के समय भी ऐसी गम्भीर समस्याएं उत्पन्न होंगी।

अत:, प्रधान अधिनियम की धारा 77 में यह संशोधन लाकर सरकार ने इस देश में चल रही वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखा है। जैसाकि मैंने कहा है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया और केबल टेलीविजन नेटवर्क के इस्तेमाल के बारे में निष्पक्ष रूप से बातें हो रही हैं। इस उचित ढंग से स्पष्ट किया गया है और इस अधिनियम के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 39क में ही संशोधन किया जा रहा है।

मैं एक बात जानना चाहूंगा। उन लोगों के बारे में मेरे मन में यह आशंका होती है, जिन्होंने प्रिंट मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं किया है और इस पर नियंत्रण नहीं रखा है। हमने इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा केबल नेटवर्क पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया है और इस प्रकार से केबल नेटवर्क के माध्यम से विशिष्ट उम्मीदवार के लिए प्रचार करने का प्रावधान हो सकता है। इस पर रोक लगना चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे विभिन्न नियम निर्धारित करने हेतु निर्धारित करने का प्रश्न भी है। चुनाव आयोग को मार्गनिर्देश स्वयं दें ताकि इसका विज्ञापन का एक हिस्सा इलेक्ट्रानिक मीडिया और केबल नेटवर्क संचार मीडिया के नियंत्रण का एक हिस्सा हों, इस पर रोक लगा सकें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अलग-अलग तरह के लोगों को इस विधान का विरोध करने की अनुमति न मिल सके।

तीसरी बात यह है, जिस पर थोड़ा विचार किया जाना अपेक्षित भी है, कि स्पष्टीकरण 1 के अनुसार एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टी में वीआईपी श्रेणी के 40 सदस्यों और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के लिए 20 सदस्यों को ऐसी सुविधा प्रदान की जाये। मेरे विचार से इसमें थोड़ी उदारता दिखाई गई है क्योंकि, जहां तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के स्पष्टीकरण-1 का संबंध है, कुछ हद तक कई गैर-राजनीतिक पार्टियां बनती जा रही हैं और भारी संख्या में क्षेत्रीय पार्टियां भी पनप रही हैं जिसके परिणामस्वरूप यह 20 सदस्यों की जो संख्या दर्शायी गई है, बहुत अधिक होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे निर्वाचन आयोग के साथ बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि जिन राजनीतिक पार्टियों को कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, पर कोई न कोई प्रतिबंध जरूर लगे। यदि ये पार्टियां चुनाव के समय बनती हैं, तो ऐसी पार्टियों के गठन और चुनाव के बीच कोई अवधि अंतराल नियत किया जाये क्योंकि यदि कोई राजनैतिक पार्टी ऐन चुनाव के वक्त गठित होती है और अपने 10 सदस्यों के अतिविशिष्ट श्रेणी (वी.आई.पी.) का होने की मांग करती है तो मेरे विचार से यह ज्यादती होगी।

सभापति महोदय, प्रशासन अथवा किसी राज्य में शासन चलाना एक बहुत ही जटिल समस्या है और जो भी व्यक्ति प्रशासन का और स्वयं सरकार बनाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का अंग बनना चाहता है तो इसे खर्च उठाना पड़ता है। मैं भर्तृहरि के नीतिशतकम् में उद्धृत सुन्दर प्रस्तुतीकरण रख रहा हूं जो कि इस प्रकार है:

"नित्यव्यया: प्रचुर नित्य धनागमा च:, बारांगनैव नृपनिति अनेक रूपा:।"

नित्यव्यया इसका तात्पर्य है कि प्रतिदिन बहुत राशि खर्च करनी पड़ती है। जब तक किसी सम्भव स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं होगी। तब तक व्यय कैसे किया जा सकेगा? प्रचुर नित्य धनगमा-अर्थात् धनराशि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए। नृपनीति कैसे बनती है? और प्रशासन कैसे चलता है? यह गणिका की तरह होती है, एक गणिका अपने ग्राहकों के समक्ष स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करके उन्हें लुभाती है और विविध प्रकार से धनराशि जुटाती है और इस प्रकार प्रशासन चलता है। अत: हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए भी धनराशि अपेक्षित है, और वह भी अधिक मात्रा में अपेक्षित है परन्तु, यह सही तरीके से हो ताकि इस संबंध में कोई भी किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर सके। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं विधेयक के चुनावों के लिए वित्त पोषण से संबंधित उपबंध का जोरदार विरोध करता हूं और कुछ अन्य उपबंधों का समर्थन करता हूं। अब मैं इन दोनों पहलुओं पर अलग-अलग चर्चा करूंगा।

मैं पचास वर्षों से अधिक समय से भारत में चुनावों की प्रक्रिया से अवगत हूं। मैंने सात विधान सभा चुनावों और तीन संसदीय चुनावों में हिस्सा लिया जिसमें मुझे क्रमश: लगातार चार बार और दो बार सफलता मिली। मैं इस सम्माननीय सभा में अब तक के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन तरीकों के बारे में बता रहा हूं जिसमें पैसे की ताकत हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है।

पिछले 50 वर्षों के अपने अनुभव के बाद अब हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं जिसमें भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में धन बल और बाहु बल सबसे महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं।

अब हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि चुनाव सभी बाहरी प्रभावों से मुक्त रहें चाहे वह धन के रूप में हो या बाहुबल के रूप में हो। बाहुबल को लोगों के सामूहिक कार्रवाई से रोका जा सकता है। परंतु धनबल ऐसी किसी कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता।

मैं आश्चर्यचकित हूं और मैं बहुत दु:खी हूं कि सरकार ने कामरेड इन्द्रजीत गुप्त के साथ न्याय नहीं किया जिनके नाम पर समिति का नाम रखा गया है। यदि इन्द्रजीत गुप्त जीवित होते तो वे संशोधित विधेयक में उपबंधित चुनाव के लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति होते। संशोधित विधेयक में यह उपबंधित है कि गैर-सरकारी कंपनियां चुनावी प्रक्रिया में योगदान कर सकती हैं, राजनीतिक दलों को धन दे सकती हैं। मैं कहूंगा कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के युग में जी रहे हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित रूप से राष्ट्रीय कंपनियों के दायरे में कार्य कर रही हैं। इस विधेयक में भी एक उपबंध है जिसमें विदेशी अंशदान का निषेध किया गया है, परंतु भारत में चुनावों की प्रक्रिया में विदेशी अंशदान अप्रत्यक्ष रास्ता है।

मैं कहना चाहता हूं कि उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त की जा सकती है और भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रक्रिया को मजाक बना सकती हैं। अंतिम रूप से विश्लेषण करते हुए मुझे इस बात का डर है कि हम देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे होंगे। हमारी नीतियां हमारे राजनीतिक निर्णय और इसी प्रकार के अन्य विधायी कार्य के संबंध में निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निदेशक मंडलों द्वारा तय किये जायेंगे और जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते और परिणाम यह होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास भारतीय संसदीय लोकतंत्र का रिमोट कंट्रोल होगा। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आप कुछ ही दिनों बाद इसे महसूस करेंगे। यदि मैं जीवित रहा तो मैं भी इसे महसूस कर सकूंगा। परंतु प्रश्न यह है कि धनबल को किस प्रकार रोका जाए, चुनावी प्रक्रियाओं में धन के प्रभाव को कैसे रोका जाए। गुप्ता समिति भी राज्य द्वारा चुनाव के निधीयन की पक्षधर थी।

अब इस संबंध में जो तर्क दिया गया है वह युक्तिसंगत नहीं है कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की राज्य की समग्र चुनाव निधियों में अंशदान करने के लिए वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। हमें यह पता करना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए यह निधि बनायी गयी है। हमें निश्चित रूप से एक समग्र निधि बनानी चाहिए ताकि धन बल को हमारी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोका जा सके। चुनावों को बहुत खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। हमें इससे बाहर निकलना होगा, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढ़ना पड़ेगा जिससे कि चुनाव के लिए निधीयन राज्य द्वारा स्वयं की जा सके।

स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष का हमारा क्या मकसद था? हम एक लोकतांत्रिक भारत के लिए लड़ रहे थे और हम व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन के द्वारा हम धनबल के चंगुल में आ जायेंगे और न केवल भारत में ही धन बल का अपितु विदेशों से भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे डर है कि हम लोग गुप्ता समिति के साथ भी अन्याय कर रहे हैं।

इसलिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राज्य निधीयन को फिर से शुरू करना होगा ताकि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसदीय लोकतंत्र को बचाया जा सके जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे पास एक स्वतंत्र और

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। यह सभी तुरंत खतरे में पड़ जाएगा यदि इन कंपनियों को राजनीतिक दलों को धन देने की अनुमति दी जाती है जो उम्मीदवारों के नाम का समर्थन कर रही हैं।

भद्रजनों, आप कृपया मेरी बात सुनें और उसे समझें। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं जिसे दस चुनावों का अनुभव है।

प्रत्येक वर्ष चुनावों का खर्चा बढ़ता जाएगा। उम्मीदवारों को धनराशि जुटानी होगी-उन्हें चुनावों का खर्चा उठाने के लिए या तो अपनी पारिवारिक सम्पत्ति बेचनी पड़ेगी या अपनी निजी सम्पत्ति को बेचना पड़ेगा जो कि बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे रोका जा सकता है। गरीब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि तब वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निदेशक मंडलों के आदेशों को मानने के लिए कर्त्तव्यबद्ध होंगे।

भारत में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मतदाताओं के बीच धन के एक समान वितरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पूरे जीवनकाल के दौरान, मैं इस बात के लिए जोर डालता रहा हूं कि धन कुछ ही हाथों में और कुछ ही कंपनियों के पास केन्द्रित नहीं होनी चाहिए। हम लोग भारत भर में धन के एक-समान वितरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों को धन अर्जित करने का मौका मिलना चाहिए। इसे निश्चित रूप से एक समान तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। क्या आप किसी विशेष कंपनी द्वारा धन एकत्र किए जाने के लिए तर्क दे रहे हैं? उनकी रुचि उन उम्मीदवारों में होगी जो उनके विचारों का समर्थन करेंगे वह यह कि धन उनके पास संकेन्द्रित होना चाहिए। वे उन्हें उदारतापूर्वक योगदान देंगे पर उन उम्मीदवारों को पैसा नहीं देंगे जो उनके हितों के विरुद्ध होंगे। यहां पर समाजवादी दल है, साम्यवादी दल है और यहां पर किसानों और कामगारों को पार्टियां हैं जो बहुसंख्यक जनता और मतदाताओं के बीच एकसमान वितरण हेतु संघर्ष कर रहे हैं। ये पार्टियां कभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में बने रहने का समर्थन नहीं करेंगे और वे कभी भी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए कार्य नहीं करेंगे जो भारत के धन को अपने पास जमा करना चाहते हैं। इस कंपनी में कार्य कर रहे लोग जो राजनीतिक दल को अंशदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उनका धन सत्ता में आने वाले लोगों के हाथ में सुरक्षित रहे। वे दलों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर क्या स्थिति होगी? क्या वह दल जो मतदाता के बीच धन के एक समान वितरण की वकालत करता है, इन कंपनियों से कोई चेक प्राप्त करेगी? वे ऐसा नहीं कर पायेंगे। वह राजनीतिक दल जो उनके हितों का समर्थन करेगा बिना किसी कठिनाई के उनसे चेक प्राप्त कर लेगा।

हमारे विद्वान दोस्त ने पारदर्शिता की बात की है। वह चुनाव वित्तपोषण में पारदर्शिता के लिए तर्क-वितर्क कर रहे थे। क्या भारत में कार्य में पारदर्शिता है? आयकर अधिनियम, कम्पनी अधिनियम और अन्य सभी विधानों के बावजूद हमारे चुनावों में काले-धन का वर्चस्व है। काला धन आज की वास्तविक चुनौती है और हम काले धन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अब तक तर्क-वितर्क कर रहे हैं, कि इन कम्पनियों को निर्वाचकों को प्रभावित और इस संसद को प्रभावित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा में जो कुछ भी कहा जाएगा वह उस कम्पनी के कहने पर किया जाएगा जिसने उनके दल का वित्तपोषण किया है। कम्पनी सभा में एक विशेष मुद्दा उठाने के लिए सभा के सदस्य को निदेश देगी, और वह कर्त्तव्यबद्ध है क्योंकि उसने पारदर्शी तरीके से बहुत बड़ी धनराशि स्वीकार की है। श्री अरुण जेटली के अनुसार, यह पारदर्शिता है। यह पारदर्शिता नहीं है यह राजनैतिक घूसखोरी है। हम भारत में राजनैतिक घूसखोरी को लाइसेंस दे रहे हैं। इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एकतरह से अथवा किसी अन्य तरीके से चैक जारी करके घूस खिलाने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। केवल यही नहीं, बल्कि सरकार भी आयकर में छूट देकर उनकी सहायता कर रही है। राजनैतिक दलों को दी गई धनराशि पर कोई आयकर नहीं दिया जाएगा। इसे आयकर से छूट दी गई है। सरकार बड़ी कम्पनियों को राजनैतिक दलों, जो उन पर प्रभाव डाल सकते हैं, को दान देने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

मुझे विश्वास है कि इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र एक मजाक बन कर रह जायेगा। भारतीय लोकतंत्र भीड़तंत्र बन जायेगा। दूसरे शब्दों में, अमीर आदमी अथवा एक पूंजीवादी भारतीय संसदीय प्रणाली पर नियंत्रण रख सकेगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, बंगाल की सभी कम्पनियां भा.क.पा.(मा.) को ही चंदा देंगी। यह उनका एकाधिपत्य है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि कोई राजनैतिक दल चाहे वह भा.क.पा.(मा.) हो अथवा भा.क.पा. अथवा अन्य कोई-किसी कम्पनी से चंदा प्राप्त कर रहा है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या भा.क.पा.(मा.) ने ऐसा चंदा स्वीकार किया है अथवा नहीं। किसी कम्पनी से चंदा प्राप्त करने वाला कोई भी दल स्वीकार्य नहीं है। अन्यथा लोकतंत्र की हमारी प्रक्रिया रुक जायेगी। अतः मैं पूरी तरह से इस प्रावधान का विरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि अगले दशक में, हम एक संशोधन लाने के लिए बाध्य हो जायेंगे क्योंकि तब तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय संसद को प्रभावित करना आरम्भ कर देंगी। मुझे यकीन है कि

भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। सरकार इस संशोधनकारी विधेयक को पारित कर सकेगी किन्तु इस बीच भारतीय लोकतंत्र संकट में आ जायेगा। उस संकट को दूर करने के लिए सरकार को इसमें एक ओर संशोधन करना पड़ेगा।

मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर समय के बंटवारे के उपबंध का समर्थन करता हूं। समय का बराबर बंटवारा होना चाहिए। मैं उस उपबंध का समर्थन करता हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि समय का बंटवारा सत्ता दल का कार्य नहीं होना चाहिए। सभी दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान समय मिलना चाहिए। न्याय किया जाना चाहिए। इस समय के बंटवारे के लिए विस्तृत कार्यविधि बनाई जानी चाहिए। मैं इस उपबंध का समर्थन करता हूं। मैं सरकार द्वारा दलों को मतदाता सूची की प्रतियों और अन्य चुनाव सामग्री की आपूर्ति संबंधी उपबंध का समर्थन करता हूं। मैं उन मुद्दों का समर्थन करता हूं क्योंकि वे न्यायसंगत हैं।

मेरा विरोध नेताओं के व्यय संबंधी मुद्दे पर है। वह विपक्षी दलों के लिए हानिकारक होगा। सत्ता पक्ष के सदस्य, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री अथवा मंत्री सम्पूर्ण भारत में यात्रा कर सकते हैं। वे कितनी भी धनराशि व्यय कर सकते हैं। यदि यह धनराशि चुनाव व्यय में शामिल नहीं की जाती है तो इससे विपक्षी दल के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यदि सत्ता पक्ष को यह शक्ति दी जाती है तो वह परमाधिकार अथवा राज्य तंत्र को प्रयोग करने का वह विशेषाधिकार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए हानिकारक होगा क्योंकि उनके पास वह क्षमता नहीं है। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार के प्रचार तंत्र और अन्य समस्त सरकारी तंत्र का सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव उद्देश्य हेतु दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान संशोधन चुनाव प्रचार में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने का सत्ता पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। इसीलिए मैं उस प्रावधान का विरोध करता हूं।

पुन: एक ओर उपबंध है, जो कहता है कि 20,000 रु. तक के स्वैच्छिक अंशदान के संबंध में राजनीतिक दलों को कोई रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। इस सीमा से कम धनराशि को राजनैतिक दल बिना रिकॉर्ड के रख सकते हैं, उसके लिए कोई लेखा रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई लेखा-परीक्षा नहीं की जाती; और खातों की चुनाव आयोग के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। उन राजनैतिक दलों को, जो कुछ कम्पनियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भारत में आवधिक रूप से चुनाव होने के कारण चुनावों के संबंध में धन-सम्पत्ति एकत्र करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस उपबंध का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं पहले ही तीन बार घण्टी बजा चुकी हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह अपेक्षाकृत अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बात है। इसे हटाया जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

हमने इन्द्रजीत गुप्त समिति के साथ न्याय नहीं किया है।

अत: पहली बात यह है कि हमें पैसे की ताकत का शिकार नहीं होना चाहिए। भारतीय संसदीय लोकतंत्र को पैसे की ताकत अर्थात् वह ताकत जो भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के और एकाधिकार वाली कम्पनियों के द्वारा प्रभावित होती है, का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। वह भारतीय लोकतंत्र के विनाश का सूचक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, विधेयक के कुछ उपबंधों का समर्थन करते हुए, मैं विधेयक में अंतर्विष्ट वित्तपोषण प्रक्रिया संबधी संशोधनों का जोरदार विरोध कर रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और मेरा विचार है कि सभी राजनैतिक दलों ने इस विधेयक पर हुए वाद-विवाद में भाग लिया होगा। किंतु मैंने कुछ ही मिनट पहले पाया कि सभी की इस विधेयक पर चर्चा करने के बजाय अपने मुद्दों को उठाने में ज्यादा रुचि थी। किन्तु मेरे विचार से यह विधेयक किसी अन्य विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

महोदय, एक राजनैतिक दल के रूप में, मुझे यह कहने में शर्म महसूस होती है कि आजकल किसी के लिए यह कहना बहुत कठिन है कि वह एक राजनैतिक दल से संबंधित है। आजकल लोग एक राजनैतिक दल की अत्यधिक आलोचना करते हैं। हम नई पीढ़ी को आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि यहां कई खामियां हैं और हमारी छवि उनके समक्ष धूमिल हो रही है। किन्तु यह भी सत्य है कि राजनैतिक दल ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा, दूरदर्शिता, लक्ष्य और कार्यवाही से पूर्णत: मुक्त नहीं है।

महोदय, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन के विचारों और आवाज को सुनकर वास्तव में अत्यन्त प्रसन्न हूं, किन्तु क्या मैं उन्हें एक बात बता सकती हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन जी अपने पश्चिमी बंगाल दल एकक से पूछें कि जब वे सत्ता में नहीं थे तो उनके दल का वित्तपोषण

[कुमारी ममता बनर्जी]

कितना था? अब वह भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़ी एकाधिकार वाली कम्पनियों के प्रभाव की बात कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, आप उनके दल के कार्यालय के भवन के बारे में जानकर आश्चर्यचकित होंगे। यह एक 10-स्टार होटल की इमारत जैसी है, जोकि उन्होंने अपने दल के कार्यालय के लिए निर्मित की है। उस पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं ...*(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है, किन्तु यह सच है ...*(व्यवधान)* यह केवल एक मुद्दा है। मेरे पास बहुत से मुद्दे हैं। महोदय, मैं विधि मंत्री जी को उनकी मंशाओं के लिए बधाई देती हूं ...*(व्यवधान)* इसी कारण बहुत-से राजनैतिक दलों के साथ आप यहां है ...*(व्यवधान)* आप लोगों में इस विधेयक पर बोलने का साहस नहीं है। आप सभी विधेयक की आलोचना करते हैं किन्तु आप हमेशा हर प्रकार के लाभ उठाते हैं। जब संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी विधेयक पर चर्चा की जाती है, आप अन्य की तरह इसकी अत्यन्त आलोचना करते हैं किन्तु जब यह पारित हो जाता है, तो आप इसका लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। यह दोहरा मानदण्ड है। आप दोहरी बात करते हैं। बहानेबाज मत बनिये। मुझे यह कहते हुए वास्तव में खेद हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं। उनके इरादे बहुत स्पष्ट हैं। कम-से-कम उन्होंने ऐसा विधेयक लाने का प्रयास किया जिसका स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन और अनुशंसा की गई थी। मुझे माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से इसकी जानकारी मिली।

मैंने मतदाता सूचियों के संबंध में उल्लेख देखा है। यह उल्लेख किया गया है। सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल सहज ढंग से मतदाता सूचियां प्राप्त करते हैं। हम भी मतदाता सूचियां प्राप्त करते हैं। मैं टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के संबंध में समय के बंटवारे हेतु माननीय विधि मंत्री को भी बधाई देना चाहती हूं। इसकी भी व्यवस्था है। यद्यपि मैंने पूरा स्पष्टीकरण नहीं देखा है, मैं समझती हूं कि यहां केवल एक नये मुद्दे को शामिल किया जा रहा है। उम्मीदवारों को दी जाने वाली निःशुल्क मतदाता पर्चियों का मुद्दा भी है। यदि ऐसा है तो मैं मानती हूं कि उम्मीदवारों की एक-चौथाई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। छोटे निर्वाचन क्षेत्र, मध्यम प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र और बड़े निर्वाचन क्षेत्र हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 10 लाख से लेकर 15 लाख तक है और कुछ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच है। इसलिए, निःशुल्क मतदाता पर्ची का वितरण निस्संदेह उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अतः, सार्थक उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक का लाया जाना विधेयक का एक भाग है।

परंतु महोदय, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। सरकार को यह विधेयक व्यापक रूप में लाना चाहिए था। यहां मुझे श्री इंद्रजीत गुप्त, हालांकि, वे आज जीवित नहीं हैं, को अवश्य बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने उस समिति में रहते हुए अत्यंत बहुमूल्य सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उस समय भी, मुझे ठीक से याद है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इस बार वाजपेयी जी की सरकार स्थायी है। परंतु उससे पहले हमने अनेक कठिनाइयों का सामना किया जब तीन से चार वर्ष के अंदर हमें हर वर्ष आम चुनावों का सामना करना पड़ा था। मुझे याद है कि 1998 की सरकार के सत्ता से हटने के बाद मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा था और माननीय राष्ट्रपति ने मेरा पत्र माननीय प्रधान मंत्री को भेज दिया था। हमारा दल सबसे छोटा है और हम प्रत्येक वर्ष चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमें निधियां कहां से प्राप्त होंगी? निधियां आकाश से नहीं आएंगी। सरकार हमारे दल की लेखा-परीक्षा करा सकती है। मैं चुनौती देती हूं कि उन्हें हमारे लेखाओं में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहां मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने आद्यतन लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करते हैं। परंतु सबसे छोटे मान्यताप्राप्त राज्य-स्तरीय राजनीतिक दल के लिए हरेक वर्ष चुनाव लड़ना अत्यंत कठिन है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केन्द्र या राज्यों में सत्ता में हैं। मेरा दल केन्द्र या राज्य में सत्ता में नहीं है। परंतु हमारा दल एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और हमें लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। ...*(व्यवधान)* यह मेरा अवसर है। मुझे बोलने दें। आपको जब बोलने का अवसर मिले, तब आप जो चाहें बोल सकते हैं। मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं। परंतु मुझे यहां इस सभा में अपनी भावनाएं व्यक्त करने दीजिए। यदि मुझे इस सभा में अपनी भावनाएं व्यक्त करने नहीं दिया जाता है तो क्या आप मुझे आगामी चुनाव लड़ने के लिए धन देंगे?

महोदय, विपक्ष बहुत अधिक मुद्दे उठा रहा है। मैं इतनी बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि सीपीएम पार्टी चुनाव के लिए किस प्रकार धन खर्च कर रही है। हम जानते हैं कि धन के बिना चुनाव लड़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए मैं कह रही हूं कि सरकार संसद में एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक अवश्य लाए।

श्री राधाकृष्णन ने राज्य निधीयन के बारे में एक ठोस प्रश्न उठाया है। आपने कहा: "जी हां, एक प्रस्ताव था जिसके अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से दलों का वित्तपोषण करेंगी।" क्या यह सत्य है? पश्चिम बंगाल सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने राज्य निधीयन का विरोध किया था। वस्तुतः मैंने इस बात की निन्दा की थी। ऐसा इस कारण से था क्योंकि हम उसके पक्ष में थे। यदि राज्य निधीयन की व्यवस्था हो तो अच्छे व्यक्ति और

निचले स्तर के कार्यकर्त्ता कम से कम तथा जनसाधारण राजनीति में आएंगे जिनके पास धन तो नहीं होगा किन्तु जो देश की सेवा करने का नेक इरादा रखते हों। वे संसद में नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि धन, बाहुबल और माफिया की ताकत के कारण हम यहां हैं। अनेक अच्छे और बुरे लोग सभी जगह हैं। आलू और आलू के चिप्स एक और समान वस्तु नहीं है। मैं यह विधेयक लाने के लिए मंत्री महोदय की शालीनता की सराहना करती हूं। निस्संदेह, यह सहायक सिद्ध होगा। मैं यह नहीं मानती कि इस विधेयक से लोगों की प्रतिबद्धता पूरी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह न तो व्यापक है और न ही प्रभावशाली है। मैं नहीं जानती कि यह विनम्र शुरुआत है या अंत है।

महोदय, मुझे राजनीतिक दलों के लिए बहुत खेद महसूस हो रहा है। मेरा विचार है कि सरकार को इस बात की जांच-पड़ताल अवश्य करनी चाहिए कि राजनीतिक दलों को निधियां कहां से प्राप्त हो रही हैं; कितनी धनराशि मिल रही है; अब तक उनकी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है, आदि। मैं सरकार से ये बातें जानना चाहती हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में इतने अधिक राजनीतिक दल हैं। लेखा-परीक्षा कर ली गई है। परंतु उनके लेखाओं से स्पष्ट होता है कि उनके पास काफी कम धनराशि है। अब आप यूटीआई और अन्य घोटालों का उदाहरण लीजिए। आप देखेंगे कि लोगों ने अनेक योजनाओं के माध्यम से अपने धन का निवेश कैसे किया है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस सभा में सभी राजनीतिक दलों की परिसम्पत्तियों का उल्लेख करें ताकि कम-से-कम इस देश के लोगों को यह मालूम हो जाए कि किन राजनीतिक दलों के पास परिसम्पत्तियां हैं ...*(व्यवधान)* तभी लोगों को इसका पता चलेगा।

महोदय, मुझे मालूम है कि वे मेरे भाषण के बीच में व्यवधान उत्पन्न करेंगे किन्तु वे लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। महोदय, मुझे गैर-सरकारी संगठनों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। मैं यह नहीं जानती हूं कि हम कंपनियों को प्रोत्साहन क्यों देते हैं। वे काफी काला धन सृजित करते हैं। यह मेरा मानना है। कुछ मतभेद हो सकते हैं किन्तु व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है और मेरे दल का भी यही मानना है अर्थात् हम कंपनियों को अनावश्यक रूप से प्रोत्साहन क्यों देते हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो जवाबदेही, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण आदि के पक्षधर हैं किन्तु ऐसे दल भी होंगे जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। परंतु आज हम पिछड़ रहे हैं और हमें तत्काल चार या पांच सुधारों की आवश्यकता है।

हमें चुनाव सुधारों और राजनीतिक सुधारों के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक दल अधिकार का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। वे उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। अतः, यदि आप युवा पीढ़ी को आकर्षित करना चाहते हैं तो राजनीतिक सुधार करना जरूरी है। हमें प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार करने की भी आवश्यकता है। मैं नहीं समझती कि इन सुधारों के बिना देश अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

इस विधेयक को पहले भी पुरःस्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। मैंने स्थायी समिति के सदस्यों से पूछा था कि क्या किसी ने विमत टिप्पण दिया था। हमारे दल के सदस्य श्री बिक्रम सरकार ने मुझे बताया था कि कोई विमत टिप्पण नहीं था तथा समिति ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया था। माननीय मंत्री महोदय ने लोगों को कम-से-कम कुछ सहायता प्रदान करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है। मैं सचमुच महसूस करती हूं कि चुनाव सुधार और राज्य निधीयन आवश्यक हैं।

वर्ष 1998 में मैंने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे राज्य निधीयन के संबंध में कुछ करें अन्यथा हमारे दल जैसे किसी दल के लिए चुनाव लड़ना और इस सदन में आना अत्यंत कठिन होगा। मैं यह अवश्य स्वीकार करती हूं कि माननीय राष्ट्रपति ने माननीय प्रधानमंत्री को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रवेश पत्र भेजा था। आज, मैं उनकी आभारी हूं और मैं कहना चाहती हूं कि हमारे दल जैसे एक मान्यताप्राप्त छोटे राजनीतिक दल के लिए चुनाव लड़ना अत्यंत कठिन है क्योंकि हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। हम धन के लिए उद्योगपतियों के पास भी नहीं जाते हैं। अतः, मैं आपसे अपील करती हूं कि यदि आपको अच्छे संसदविदों की आवश्यकता हो तो धन कोई मानदंड नहीं होना चाहिए। आपको उनका इरादा, अनुभव, दूरदर्शिता और उनकी कार्य क्षमताओं को देखना चाहिए। मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने भरसक प्रयास किया है किन्तु उन्हें अगली बार एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाना चाहिए। हमें उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

[हिन्दी]

कोई भी पोलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती है। लिस्ट सब बनाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): क्या तृणमूल कांग्रेस देती है? ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: इस बारे में एन्क्वायरी कीजिए। हमारे से ही कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या आप इसे चुनौती दे सकते हैं? मैं आपको सभा के अंदर चुनौती दे सकती हूं।

[हिन्दी]

हमारे पास जो भी इनकम है, वह हमारे वर्कर्स के डेडिकेशन की वजह से हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धन ले रहे हैं। आप अपने दल के उद्देश्य हेतु संपूर्ण सरकारी निधि व्यय कर रहे हैं। आप लोगों की हत्या करने के लिए बन्दूकें खरीद रहे हैं। आप लोगों को मतदान नहीं करने दे रहे हैं। यह आपका स्वभाव है, हमारा नहीं। यह एक अत्यंत अस्वाभाविक बात है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उनके भाषण में बार-बार व्यवधान न डालें।

कुमारी ममता बनर्जी: क्या आप समझते हैं कि भाजपा हमें पैसे देती है? क्या आप मोर्चा को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वह आपको पैसा देती है? यह विचारधारा से संबंधित प्रश्न है। हम उन्हें नैतिक आधार पर समर्थन दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदया, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। कृपया उनकी ओर मत देखिए।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: बात यह है कि वे यहां स्वयं बोल नहीं सकते हैं और जब हम बोलना चाहते हैं तो वे हो हल्ला मचाते हैं। क्योंकि हम राजग का समर्थन कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा हमको पैसा देगी या हम कोई खरीदने वाली वस्तु बन गये हैं। यह हमारा उनको नैतिक और वैचारिक समर्थन है यह वित्तीय समर्थन नहीं है ...*(व्यवधान)*

उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें भी गठबंधन करना पड़ेगा। प्रत्येक राजनैतिक दल को गठबंधन की राजनीति ही अपनानी पड़ सकती है। वे किसी विशेष राजनैतिक दल का समर्थन करने वाले राजनैतिक दल पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं और यह नहीं कह सकते हैं कि उनका समर्थन केवल पैसे के कारण है। उन्हें पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन करना पड़ सकता है ...*(व्यवधान)* वाम मोर्चा, फारवर्ड ब्लाक, भाकपा (मार्क्सवादी) इत्यादि के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चूंकि उनको खरीदा गया है इसलिए वे मोर्चे में हैं ...*(व्यवधान)* बोलते समय, कृपया याद रखिए कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। वे इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं। आम आदमी की ओर से मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सभा सर्वोच्च है। यह जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष गुण सम्पन्न सिद्धांतवादी और नीति-सम्पन्न व्यक्ति है। वे एक वरिष्ठ व्यक्ति तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करती हूं कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण ही एकमात्र उपाय है। सरकार द्वारा वित्तपोषण ही लोकतंत्र और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को बचा सकता है। अन्यथा यह सभा उपहास का पात्र बन जाएगी।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने आलू और आलू चिप्स दोनों का स्वाद चखा है?

सभापति महोदय: कृपया कोई स्पष्टीकरण नहीं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के संदर्भ में एआईएडीएमके की ओर से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें राजनैतिक दलों को चंदा प्राप्त करने की अनुमति को वैध और विधिसम्मत बनाया गया है। मैं उस विचारधारा को मानता हूं जो निर्वाचन सुधारों पर संपूर्ण और व्यापक पैकेज को उचित ठहराती है। एक कालावधि में यह देखने के बाद कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या है इसका कार्यकरण और इसका प्रभुत्व क्या है, मैं महसूस करता हूं कि निर्वाचन सुधारों के लिए हमें एक व्यापक पैकेज की आवश्यकता है जैसाकि पूर्व वक्ताओं द्वारा भी भली प्रकार कहा गया है। परंतु मंत्री जी ने संपूर्ण शालीनता के साथ यह ठीक ही कहा है कि यह तो केवल शुरुआत है और उन्होंने समस्या के थोड़े से अंश को छूने की हल्की सी कोशिश भर की है।

जहां तक मेरा प्रश्न है प्रबंधन का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह समझता हूं कि किसी भी समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं। अब अनेक समस्याएं हैं और उनके अनेक विकल्प भी मौजूद हैं। यह अब संबंधितों पर निर्भर है कि वे समस्याओं की बाध्यताओं और विवशताओं को देखते हुए इन विकल्पों का किस प्रकार उपयोग करें। इस प्रक्रिया में मंत्री जी ने शुरुआत कर दी है। इस मामले में हम उनका समर्थन कर रहे हैं।

इससे पहले कि मैं विधेयक की खूबियों की बात करूं मैं संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया, जिसका अस्तित्व हमारे देश में रहा है, की पृष्ठभूमि में जाने के लिए क्षमा चाहता हूं। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और वह भी विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के नागरिक होने पर सचमुच गर्व है। हमारे लोकतंत्र में लोगों को हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्ति दी गयी हैं। भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तम्भ पर हैं-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसका संचालन नौकरशाही के माध्यम से होता है और जिसे प्रचार माध्यमों द्वारा सहायता मिलती है। इसी प्रकार कहा गया है। भारतीय लोकतंत्र का अस्तित्व मात्र एक या दो वर्षों से ही नहीं रहा है। यह साढ़े पांच दशकों से चलता आ रहा है। इन सभी वर्षों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। यह लोकतंत्र संपूर्ण देश में 29 राज्यों और छह संघ राज्य क्षेत्रों में 500 मिलियन निर्वाचकों के साथ कायम है।

एक बहुत बड़ी और वृहत् कवायद चल रही है। इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र न केवल एक महान् सफलता है। अपितु यह बहुत बड़ी सफलता है। यह हमारे लोकतंत्र का सबसे अच्छा पहलू है।

दूसरी ओर इस प्रणाली में बुराईयां और खामियां भी हैं। किसी भी व्यक्ति ने यह देखा होगा कि यह प्रणाली किस प्रकार चलती आ रही है। आरंभ में पहले दो दशकों तक इस देश के लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रही थी। इसके पश्चात, एक अवधि में ये सभी बुराईयां आ गयी। कदाचार, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और ऐसी ही बातें अब प्रमुख हो गयी हैं। वास्तव में नैतिकता का ह्रास हो गया है और जीवन-मूल्य तो गायब ही हो गये हैं। यही नहीं सम्पूर्ण व्यवस्था ही अब गड़बड़ा गयी है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण हमारा अपनी निर्वाचन प्रणाली है। इस निर्वाचन प्रणाली को संपूर्ण सुधारों के पैकेज की आवश्यकता है। इसी के कारण से जैसाकि मैडम ममता बनर्जी और अन्यों ने ठीक ही कहा है, हमें सही काम के लिए सही आदमी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे पुराने नेताओं की तीन विशेषता-सेवा, त्याग और स्व-अनुशासन के विरुद्ध अब बाहुबल, धन की शक्ति, माफिया राज और मंत्री पद की ताकत और मीडिया की ताकत प्रमुख हो गये हैं। हमारी निर्वाचन प्रणाली को अपने आप में सुधार लाते रहने के लक्ष्य को सामने रखते हुए इन अवांछित तत्वों से दूर रहना चाहिए।

सभापति महोदय: जब आप राज्य चुनाव आयुक्त थे, उस समय आपने ये सारी शक्तियां देखी हैं।

श्री के. मलयसामी: महोदय, उस पद पर रहने के बाद मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि निर्वाचन प्रणाली को भिन्न दृष्टिकोण से किस प्रकार सीमित किया जाना चाहिए। नि:संदेह माननीय मंत्री ने शुरुआत की है। इसका व्यापक अर्थ और व्यापक प्रभाव है। आज हमारे देश को ऐसे नेता, संसदविद, विधायक की जरूरत है जो हमें सही दिशा दे सकें, दूरदर्शी हों, कृतसंकल्प हों और साथ ही साथ निष्ठापूर्वक सेवा की सच्ची भावना और लोक कार्य के प्रति नि:स्वार्थ समर्पण रखने वाले व्यक्ति हैं। उसके लिए एक उचित चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में एक उचित वातावरण भी होना चाहिए और यही मेरा मानना है।

इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम माननीय मंत्री महोदय द्वारा लाए गए विधेयक पर वाद-विवाद कर रहे हैं। उन्होंने चन्दा राशि प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों की पात्रता को ठीक ही तर्कसंगत और वैध ठहराया है। परंतु यहां मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा। 'राजनीतिक दल' से उनका क्या अभिप्राय है? मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल, पंजीकृत राजनीतिक दल और अपंजीकृत राजनीतिक दल। विधेयक में दो बार मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया है। पहले, यह कहा गया है कि जहां तक टी.वी. नेटवर्क का संबंध है, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को समान समय दिया जाएगा। दूसरे, मतदाता सूचियों की आपूर्ति के संदर्भ में यह बताया गया है कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। परंतु चन्दा प्राप्त करने के बारे में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? केवल "राजनीतिक दल" कहा गया है। राजनीतिक दलों का अर्थ पंजीकृत, अपंजीकृत और मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल। यदि कोई केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों की कुल संख्या पर ध्यान दे, तो यह संख्या लगभग 500 हो सकती है। अपंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या और अधिक हो सकती है। इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक दिन न केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों की बढ़ोत्तरी होती रही है बल्कि अन्य दलों की भी वृद्धि हो रही है। यहां तक कि जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उनमें से कुछ दलों का केवल नाम ही रह गया है और वे वस्तुत: समाप्त हो गए हैं। क्या वे चन्दा प्राप्त करने के भी योग्य हैं? मैं इस बात के संबंध में एक विशिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा चन्दा प्राप्त करने का अधिकार केवल मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों तक ही सीमित है या यह सभी राजनीतिक दलों के लिए है। यहां मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों तक सीमित रहना ही वांछनीय होगा।

महोदय, जब किसी व्यापारिक घराने से प्राप्त होने वाले चन्दे की राशि के इस पहलू को तर्कसंगत और वैध ठहराया जा रहा है जैसाकि किसी ने यहां ठीक ही कहा है, उस स्थिति में क्या राजनीतिक दल के रूप में या किसी सत्ताधारी दल के रूप में दल द्वारा ऐसे सभी प्रकार के निर्णयों के संदर्भ में उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा वे उनसे संबंधित नहीं होंगे? यदि कोई विशेष कंपनी एक बड़ी धनराशि का चन्दा देने में समर्थ है, तो क्या उनका कोई

[श्री के. मलयसामी]

प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह सुनिश्चित करने के लिए आप कौन-सा सुरक्षोपाय करने जा रहे हैं ताकि उस व्यापारिक घराने विशेष के दुरुपयोग की संभावना या उसके प्रभाव को रोका जा सके? इसी एक पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरे, जैसाकि श्री वरकला राधाकृष्णन ने भी ध्यान दिलाया है और जैसाकि आपने अपने विधेयक में ठीक ही कहा है, राजनीतिक दल किसी विदेशी स्रोत या किसी सरकारी कंपनी के अलावा धन प्राप्त कर सकते हैं। वे कार्पोरेट क्षेत्र या किसी भी व्यक्ति से चन्दा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री महोदय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन प्राप्ति के विदेशी स्रोत को रोका जाए। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति में धन के इस प्रकार के विदेशी स्रोत को रोकने के लिए मंत्रियों का क्या तरीका होगा? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे रोका जाना चाहिए।

अंततः, महोदय, उद्देश्य में, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, काले धन की भूमिका को रोकने और चन्दे की राशि की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरल एवं कारगर बनाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस प्रकार के किसी विधान से वास्तव में उद्देश्य पूरा होगा। मेरे विचार में काले धन की भूमिका अब भी बनी रहेगी। अच्छे सुरक्षोपाय कर विधेयक को अंतिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मैं निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं। इस विधान के माध्यम से हम उस चन्दे की राशि को मान्यता देने जा रहे हैं जो वैध तरीके से राजनीतिक दलों को दी जा रही है। विगत में, हमने इस चन्दे को मान्यता नहीं दी है।

आपने जो सीमा बताई है वह यह है कि 20,000 रुपए तक के चन्दे को बताए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उससे अधिक राशि के चन्दे को दर्ज किए जाने की जरूरत है। 20,000 रुपये की राशि एक अत्यंत छोटी राशि है जिसे बढ़ाकर कम से कम 99,000 रुपये तक किया जाना चाहिए। आज धन का क्या मूल्य है? दूसरी दृष्टि से, लेखा प्रक्रिया बहुत लंबी होने जा रही है और जो लोग चन्दा दे रहे हैं, वे भी ऐसा करने से डरेंगे जैसाकि अब हो रहा है। यदि आप 20,000 रुपये से अधिक की राशि को लेखादाय बनाते हैं तो आप उन्हें केवल 20,000 रुपये देने तक सीमित कर रहे हैं और आपको उससे अधिक राशि प्राप्त नहीं होगी। अतः, मैं नहीं समझता कि इससे उद्देश्य पूरा होगा। केवल 99,000 रुपये से अधिक के चन्दे को लेखादाय बनाया जाना चाहिए ताकि परेशानियां कम हों। अन्यथा, सभी राजनीतिक दलों को समय बीतने के साथ कठिनाइयां पेश आएंगी। संभवतः, इस पहलू को नहीं देखा गया है। इस पहलू को देखना होगा।

विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल टी.वी., रेडियो आदि के इस्तेमाल के संबंध में एक संशोधन है। मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा इस संबंध में समय का बंटवारा किया जा सकता है। ''मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल'' शब्द चन्दा और किसी भी अन्य बात के लिए भी लागू होता है। गैर-मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा टी.वी.पर समय का बंटवारा किये जाने और चन्दा प्राप्त करने के बाद रिकार्ड न रखे जाने का प्रश्न ही कहां उठता है? इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से ''मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों'' की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। अन्यथा, राजनीतिक दलों का तेजी से गठन होता रहेगा तथा सभी तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मतदाता सूचियों की प्रतियों की आपूर्ति, मीडिया के इस्तेमाल के लिए समय के बंटवारे या चन्दा की राशि की प्राप्ति जैसी सभी बातें केवल मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के संबंध में ही हैं।

हमारे देश में लोकतंत्रीय प्रणाली चला रहे होंगे। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अपने दल को राजनीतिक दल कहेगा और प्रत्येक को मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनावों के समय प्रतियों की आपूर्ति करना ही एक बड़ी प्रक्रिया बन जाएगी।

जहां तक मीडिया का संबंध है, इसे ''मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों'' के रूप में परिभाषित किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि निर्वाचक विधियों के लिए भी ''मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल'' की परिभाषा लागू होती हो।

यदि ऐसा संभव है तो कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि 99,000 रुपये तक की जो चन्दा राशि प्राप्त हो, उसे लेखादाय न बनाया जो ताकि यह पद्धति सरल बन जाए। अन्यथा, जब भी आप किसी के पास जाएंगे, तो धन प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। कोई भी कंपनी आपको उससे अधिक की राशि का चन्दा देने की इच्छुक नहीं होगी। दूसरी दृष्टि से, यदि कोई कंपनी किसी एक राजनीतिक दल को चन्दा देती है, तब उस कंपनी को अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी उतनी ही राशि का चन्दा देना होगा। वह समस्या भी उत्पन्न होगी।

मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। कृपया इन बातों पर ध्यान दीजिए। यह केवल एक शुरुआत है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि समस्त निर्वाचन प्रक्रिया के सरलीकरण पर विचार करते हुए एक व्यापक संशोधन लाया जाए। मैं एक बार फिर इस संशोधन का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरुखाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

मेरी एक-दो सबमिशन्स हैं। सर्वप्रथम जो डोनर चैक से पेमेन्ट करेगा, उसको इनकम टैक्स में क्या रिलीफ मिलेगी और अगर उसको इनकम टैक्स में रिलीफ नहीं मिलेगी तो हमें नहीं लगता कि आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। सर्वप्रथम सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो डोनर चैक द्वारा भुगतान कर रहा है, उसे आप क्या रिलीफ देने वाले हैं।

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी यह शुरुआती दौर है, इसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं जिसका शनैः-शनैः निराकरण होता रहेगा। एक बात सही है जो सभी वक्ताओं ने कही कि मसल पावर और मनी पावर के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। जो पैसा चैक के अलावा, डोनर्स के अलावा पार्टी द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, यानी बैकडोर से नंबर दो का जो पैसा आएगा, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ताकि पैसे का बेतहाशा खर्च उन पार्टियों को न मिल सके जिसका वे दुरुपयोग करते हैं। इस बारे में भी माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिए ताकि पैसे के आधार पर इलैक्शन में किसी किस्म की गड़बड़ी न हो पाए। यदि संभव हो सके तो जो ब्लैक मनी बैकडोर से आए, उस पर रुकावट के लिए भी आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कौन कौन सी हैं। बहुत सी रीजनल पार्टीज होती हैं, क्या वे भी उस रिकाग्निशन में आएंगी या नहीं, वह भी एक मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण हो जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बात और जो मेरी समझ में आई है कि क्या इसमें इनडिविजुअल कैन्डीडेट को भी रुपये लेने का कोई प्रोविजन किया गया है या पार्टी के स्तर पर ही रुपया आएगा और वह रुपया जो आएगा, वह इनडिविजुअल पार्टी के कैन्डीडेट को मिलेगा या जिलाध्यक्ष को मिलेगा, इस बारे में भी मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिनिधियों और अध्यक्षों में अमूमन गड़बड़ियां होती हैं। क्या संगठन और जो प्रतिनिधि लड़ने जा रहा है, उनमें आपस में झगड़ा कराने का आपका इरादा है, इस बारे में भी मंत्री जी सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि हमें लगता है कि यह विषय इनके विभाग का नहीं है, फिर भी यदि इसमें कुछ सोच है तो वह बताएं। अंत में मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने निश्चित ही बड़ा अच्छा काम किया है। किसी काम को शुरू करना जरा दिक्कत वाला होता है। मैं जेटली जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 04.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रक्रिया केवल चुनाव कराने के लिए नियमावली उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका, अच्छे जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन से हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र, केवल निर्वाचन के माध्यम से सरकार का चयन करना ही नहीं है बल्कि राजनीतिक संस्कृति में लोकतंत्रात्मक भावना का संचार करना भी है।

गत पांच दशकों में हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण के दौरान हमने निर्वाचन में बाहुबल और धनशक्ति की तेजी से बढ़ती हुई भूमिका को देखा है। राजनीति के अपराधीकरण के अलावा हमारी राजनीति में, साम्प्रदायिकता और जातिवाद की मजबूत पकड़ बन गई है। इसके परिणामस्वरूप लोगों का हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान और उनकी विश्वसनीयता में कमी आई है। निर्वाचन प्रक्रिया को सदैव बाहुबल और धनशक्ति के प्रभाव से अलग स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र करने की आवश्यकता सदैव महसूस की गई परन्तु हम इस संबंध में अत्यल्प प्रयास कर पाए हैं।

समय-समय पर सभ्य समाज, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और विधि आयोग ने देश की इस स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। कानून में कभी-कभी किए जाने वाले संशोधनों से वास्तव में वांछित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। ऐसी स्थिति में जहां कोई भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, तो निर्वाचित होकर किसी पद विशेष को पाने वाला व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि उस व्यक्ति का पूर्ववृत्त और चरित्र संदिग्ध ही क्यों न हो, वह प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को भी कमजोर बना देता है।

महोदय, 1964 में संथानम समिति ने चुनाव में धन की नकारात्मक भूमिका का खुलासा किया। लगभग दस वर्ष पहले की वोरा समिति की रिपोर्ट में भी इस तथ्य को नोट किया गया और यह बताया गया कि समस्त भारत में आपराधिक गिरोह अपने आप में कानून लागू करने वाली संस्था बन गए हैं और देश के विभिन्न भागों में आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाह और राजनेताओं के बीच सांठगांठ खुलकर देखी गई है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

एक रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने इस पर खेद व्यक्त किया और मैं इसका उद्धरण देता हूं:

"राजनीतिक पार्टियां आपराधिक और भ्रष्ट तत्वों के कब्जे से निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अपना प्रयास करना चाहती हैं।"

महोदय, इन दोनों में, मूल समस्या, जिसका समाधान करना ही स्वयं एक चुनौती है, हमारी प्रणाली को भी नियंत्रित करती है, और जिससे राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा है, में धनबल की अहम भूमिका है। इस विधेयक में उस स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि इसमें निर्वाचन हेतु निधियों में थोड़ी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था है और उस सीमा तक यह उपाय निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं यद्यपि यह अधूरा है। मैं यही कहूंगा।

अन्य सदस्यों ने यह बताया है कि भले ही हम इस विधेयक को पारित कर दें, हम अपने लोकतंत्र को कमजोर करने में काले धन की भूमिका, कालेधन के प्रभाव को रोकने की स्थिति में नहीं है। यह हमारी चिंता का मूल कारण है जिसके बारे में इस विधेयक में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

हमारे पास एक तंत्र पहले से विद्यमान है जिसमें उम्मीदवार द्वारा चुनाव में किये जाने वाले व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, यह तो प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है कि वास्तविक व्यय निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक है। सचमुच में यह कहा जा सकता है। वास्तविक व्यय इतना अधिक है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही गलत विवरणियां भरने के लिए बाध्य है। यहीं से उस व्यक्ति के खोखले भविष्य की शुरुआत हो जाती है। एक बार राजनीति में अपना स्थान बना लेने के बाद निधियों का स्रोत और धन का स्वरूप उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसका हमें समाधान खोजना होगा। चुनाव की उच्च लागत के कारण न केवल कई योग्य उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाते हैं बल्कि इससे भ्रष्टाचार, गैर-निष्पादन में बढ़ोत्तरी होती है बल्कि इससे सिद्धान्तों के साथ समझौता भी होता है। वस्तुतः, निर्वाचन निधि की अनिवार्यता से एक ऐसी भ्रष्ट प्रणाली, व्यवस्था की नींव पड़ेगी जो लोकतांत्रिक भावना के निर्माण को बाधित करता हो अथवा रोकता हो। महोदय, निर्वाचन में अत्यधिक मात्रा में और बेहिसाब धनराशि लगाने, मैं अत्यधिक यात्रा में और बेहिसाब दोनों शब्दों को रेखांकित करना चाहूंगा, पर रोक लगाना आवश्यक है और यह एक ऐसी समस्या है जिसका हमें स्वयं समाधान करना होगा।

महोदय, उम्मीदवारों और पार्टियों को थोड़ी धनराशि दान करने हेतु कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने हेतु कम्पनी अधिनियम, में 1969 में संशोधन किया गया था; और इस प्रश्न का उतार-चढ़ाव वाला अनोखा इतिहास रहा है कि क्या राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों को दान देने हेतु कम्पनियों को अनुमति दी जाये अथवा नहीं। हमने इस संबंध में कानून बनाया, इसमें संशोधन किया, इसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया, और तत्पश्चात इसे पुनः लागू किया। दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा की गई थी परन्तु समिति के विचारों का सम्मान करते हुए मेरा निवेदन है कि इस संबंध में मेरी अलग राय है। इसी वजह से निधियां प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के चैनल बन गए हैं जोकि चिंता का विषय है और इस पर बल देने के लिए मैं इसे बार-बार कह रहा हूं। परन्तु आज, सार्वजनिक ठेकों और खरीद में दलाली और घोटाले और विचार हेतु सरकारी निर्णय ऐसे स्रोत (चैनल) हैं जो निर्वाचन में सहायक हैं। इन्हें रोके जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक में जिन मामलों के बारे में वास्तव में विचार किया गया है, वे इससे संबंधित हैं जिनके बारे में मैंने कहा है कि "मैं स्वागत करता हूं।" परन्तु यह एक अधूरा प्रयास है। हमें अक्सर यह बताया जाता है कि चुनाव सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। हम सम्भवतः उसमें ही उलझकर रह गए हैं परन्तु, आज हमें समग्र मामले पर व्यापक दृष्टि रखने की आवश्यकता है। यदि हम इस मामले में वास्तव में गम्भीर हैं, यदि हम सचमुच उन परम्पराओं पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जिनका इस प्रणाली पर पूरा नियंत्रण है, तो हमें धन बल की भूमिका पर भी गौर करना होगा। ...*(व्यवधान)* मैं यह स्वीकार करता हूं कि चुनाव के लिए निधियां अपेक्षित हैं। अतः महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हम यह कैसे करें?

इन संदर्भ में लोगों ने समय-समय पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की सिफारिश की है। मैं ईमानदारी से बता दूं कि मैं कभी-भी इस विचार का समर्थक नहीं था क्योंकि यदि सरकार निर्वाचन के लिए निधियां उपलब्ध करायेगी तो इससे किसी उम्मीदवार के पास उपलब्ध राशि और बढ़ेगी ही और इससे वास्तव में प्रतिबंधित होने वाली मद पर उम्मीदवार द्वारा व्यय की संभावना भी बढ़ जायेगी। परन्तु महोदय, समय के साथ मैंने अपने विचारों को भी उसी सीमा तक बदला है और मैं पार्टी, के अलावा उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची प्रदान करने संबंधी उपबंध के बारे में इस विधेयक में किए गए उपबंध का समर्थन करता हूं। परन्तु, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदाता सूची के अलावा, आज जो फ्लापी डिस्क और सीडी तैयार किए गए हैं, उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मैं, अपनी ओर से, इस बात का समर्थन भी करूंगा कि मतदाताओं को निर्वाचन में खड़े उम्मीदवारों की पहचान पर्चियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य मित्रों की भांति मेरा भी यह अनुभव रहा है कि एक ऐसी मद जिस पर अत्यधिक लागत आती है और वह है पहचान

पर्चियों का वितरण। और चूंकि चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवार परिवार के सभी सदस्यों को पहचान पर्चियां देते हैं और इस प्रकार अंततः प्रत्येक परिवार में 5, 6 अथवा 10 पहचान पर्चियां पहुंच जाती हैं। अतः इस व्यय को कम करने के लिए, मेरे विचार से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार इस कार्य को स्वयं कराये।

परन्तु, मैंने स्थायी समिति के प्रतिवेदन में यह देखा कि इसमें कुल मिलाकर इस बात पर बल नहीं दिया गया है और निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श करके इस पर निर्णय करने का कार्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। मैं केवल यह आशा करता हूं कि हम इस मामले पर एक दिन पुनः चर्चा करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उम्मीदवारों की पहचान पर्चियां सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएं क्योंकि कुछ समयपूर्व मैंने यूनाइटेड किंगडम में यह देखा था कि वहां ऐसी पर्चियां सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। वे घर-घर में सुन्दर-सी पर्चियां उपलब्ध करते हैं जिसमें निर्वाचन बूथ आदि का ब्यौरा दिया गया होता है। ...*(व्यवधान)* आज भी जो पहचान पर्चियां, हम वितरित करते हैं, उसमें पार्टी का चिन्ह अंकित नहीं किया जा सकता है। अतः, यदि हमें प्रचार करना है तो हम पहचान पर्चियों के बिना प्रचार कर सकते हैं। हम घर-घर जाकर पार्टी का साहित्य बांटते हुए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बता सकते हैं। परन्तु, यदि सरकार द्वारा पहचान पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी तो सभी उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय को रोका जा सकता है।

महोदय, इस नई धारा 29 ख, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक द्वारा अंतर्विष्ट किए जाने का प्रस्ताव है, जो आज हमारे समक्ष है, के अधीन व्यक्तियों और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति प्रदान की गई है। अब इसमें वैचारिक मतभेद है। मैं उनका संदर्भ देना नहीं चाहूंगा, अपितु जहां तक मेरे विचार का संबंध है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि यह एक वांछनीय कदम है, चूंकि इसमें राज्य द्वारा वित्तपोषण कराने का अंतर्निहित तत्व भी अंतर्विष्ट है और यह इसलिए है क्योंकि इसमें यह अवस्था है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को दिये गये अंशदान को आयकर हेतु संगठित उसकी अथवा कम्पनी की कुल आय से घटा दिया जायेगा। इसका यह मतलब है कि इस प्रक्रिया में, यहां तक राज्य सरकार भी थोड़ा अंशदान करेगा और व राज्य द्वारा वित्तपोषण का एक हिस्सा होगा। अतः, इससे दोहरा प्रयोजन सिद्ध होगा। निगमित क्षेत्र निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत निर्वाचन में अपनी वैध भूमिका निभा सकता है और इसके साथ ही चूंकि इसमें आयकर की कटौती की जाती है राज्य सरकार भी एक तरह से थोड़ी निधियां प्रदान करती है।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी आयकर विवरणियां करने में विफलता को इंगित करना चाहूंगा। यह एक स्वागत योग्य उपबंध है, जोकि होना चाहिए था, परन्तु मैं यह देखता हूं कि संभवतः इसमें पुनरावृत्ति हुई है। यदि आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 29ग की उपधारा 4 और आयकर अधिनियम की धारा 13क में प्रस्तावित नए परन्तुक को देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह तो लगभग समनुरूप है और यदि आप यह कहते हैं यदि कोई राजनीतिक दल अपने कोषाध्यक्ष अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आयकर विवरणियां दाखिल नहीं कर पाता है तो राजनीतिक दल आयकर के उपबंध का लाभ उठाने हेतु अर्ह नहीं होगी; मेरे विचार से यह तो पुनरावृत्ति है। जहां तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ग का संबंध है, वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में जब राजनीतिक दल निर्धारित मानदंडों के अनुसार, अपनी आयकर विवरणी निर्वाचन आयोग को नहीं भेजता है तो ऐसे दलों को अलग-अलग ढंग से दंडित किया जाये। तत्पश्चात् ऐसा भी एक उपबंध होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति-यद्यपि हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर विवरणी आयकर प्राधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं—आयकर प्राधिकारियों को भी भेजी जाये।

महोदय, इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी सीमा तक समय का आवंटन, पहले से ही विद्यमान है, परन्तु चूंकि आज ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में की जा रही है अतः मेरे विचार से यह एक स्वागत योग्य कदम है।

श्री अरुण जेटली: इस समय निजी इलेक्ट्रानिक मीडिया में समय का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल: जी हां, माननीय मंत्री सही कह रहे हैं कि निजी इलेक्ट्रानिक मीडिया में समय का नियतन इस समय नहीं किया जा रहा है और निजी इलेक्ट्रानिक मीडिया में उम्मीदवारों राजनैतिक दलों को समय देने के लिए नियम बनाए जाने होंगे। यह बात तो सही है, परन्तु, मुझे विश्वास है और माननीय मंत्री भी जानते हैं कि आज बुद्धिमान लोगों द्वारा कई अविवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं जिसके कारण उम्मीदवार विज्ञापनों और समाचार कवरेज पर बहुत अधिक राशि व्यय करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः, मुद्दा यह है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। यदि आप पार्टी को आबंटित समय को देखते हुए कह रहे हैं तो हमारी पार्टी ने अधिक समय नहीं लिया है। कृपया इस पर विचार करें और मेरी पार्टी की ओर से बोलने के लिए केवल एक वक्ता शेष बच गए हैं।

सभापति महोदय: आपको, अब, बोनस और प्रीमियम मिल रहा है। आपकी पार्टी का समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, क्या ऐसी बात है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, आप हमेशा ही उदार रहे हैं। अत: कृपया उन्हें थोड़ा और समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ज) के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के उपबंधों को समन्वित करने के प्रयत्न का भी स्वागत करता हूं। अब से राजनैतिक दलों के नेताओं के होने वाले यात्रा व्यय को उस उम्मीदवार विशेष के खर्चे से निकाल दिया जाना चाहिए जब वे नेता उस उम्मीदवार के प्रचार अभियान हेतु उसके क्षेत्र में जाएं।

मैं केवल एक ही बात उसमें जोड़ना चाहता हूं। आप यात्रा का उल्लेख करते हैं? खर्चा सिर्फ यात्रा पर ही नहीं होना चाहिए। वास्तव में इसमें चुनाव प्रचार पर राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा किया गया संपूर्ण व्यय शामिल होना चाहिए क्योंकि यदि एक नेता दिल्ली से किसी अन्य राज्य में जाता है तो केवल यात्रा पर ही खर्चा नहीं होता है। भोजन तथा आवास पर भी पैसा व्यय होता है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किये गये व्यय को मान्यता प्राप्त दलों के मामले में '40' और गैर-मान्यताप्राप्त दलों के मामले में '20'—उस खर्च का भाग नहीं होंगे जिसकी गणना उम्मीदवार द्वारा किये गये खर्चे में की गयी है।

मैं केवल एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। इस विधेयक में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पहले भी इसका उल्लेख किया जा चुका है। चुनाव आयोग का मत इस बारे में स्पष्ट है और इसके बारे में चिंतित भी है। जब हम बहुत अधिक पैसे की बात करते हैं तो स्वयं में इसका अंत नहीं है। प्रश्न यह है कि पैसा किस पर खर्च किया जाता है। जाली मतदान भी इनमें से एक है और जाली मतदाता सूची बनाना दूसरी बात है। हम यह बात बार-बार करते आ रहे हैं। दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी जब मतदाता सूची बनाई जाती है तो वहां सत्तारूढ़ दल बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। समूची गली से मतदाताओं के नाम काट दिये जाते हैं और फर्जी मतदाताओं के नाम इस हद तक सूची में डाले जाते हैं कि आप पाएंगे कि एक ही घर से 190 मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया है। क्या यह संभव है कि एक ही घर में 190 लोग रह रहे हैं? ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं नहीं जानता कि आप पिछले कई वर्षों से यह काम क्यों नहीं कर पाए हैं। कई वर्ष पूर्व आपने यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक मतदाता को मतदाता पहचान पत्र मिलेगा। वास्तव में आप यह सुनिश्चित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते कि लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र हो? क्या आप उन्हें ऐसी एकमात्र संख्या नहीं दे सकते हैं जिसके साथ किसी भी प्रकार से हेरा-फेरी न की जा सके? अब ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति के पास मतदाता पहचान-पत्र होता है परंतु उसका नाम मतदाता सूची से गायब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम मतदाता सूची के बारे में चिन्तित हैं या हम बिना कारण हो-हल्ला मचाने में लिप्त हैं कि ये सुधार हैं जिन्हें हम ला रहे हैं? इस प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो कृपया सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा कि साधन, कहां से जुटाये जाते हैं और ऐसे कौन से दूषित कारण हैं जो सचमुच व्यवस्था को दूषित करते हैं। कृपया समक्ष आने वाली उन समस्याओं को सुलझाइए, तभी आपको इन सब मामलों में हमारा समर्थन मिलेगा।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, डीएमके पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 का उद्देश्य राज्य द्वारा अन्य मद के रूप में चुनाव में वित्तपोषण करना है। इसका अर्थ है उम्मीदवारों को मतदाता सूची और मतदाताओं की पहचान पर्चियों की आपूर्ति। इसका उद्देश्य राजनैतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना भी है। ये दोनों बातें अर्थात् चुनावों में राज्य द्वारा तत्काल वित्तपोषण और राजनैतिक चन्दे के संबंध में प्रणाली में पारदर्शिता लाना बहुत अच्छी बात हैं। डीएमके पार्टी की ओर से हम इन उपायों का स्वागत करते हैं।

जहां तक विश्व में दलों के वित्तपोषण की प्रथा का संबंध है, आस्ट्रेलिया और कनाडा में राजनैतिक दलों को चुनाव के बाद वित्तपोषण की प्रथा है। इज्राइल में केवल चुनाव के दौरान ही चुनाव का वित्तपोषण होता है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक दलों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में ही वित्तपोषण किया जाता है। भारत में सभी राजनैतिक दल न केवल चुनाव के बाद और चुनाव अवधि के दौरान चन्दा एकत्रित करते हैं अपितु सभी राजनैतिक दल हर वक्त चन्दा एकत्रित करते रहते हैं।

सभापति महोदय: आप अपने नेता के सामने असुविधाजनक प्रश्न मत रखिए।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, हमें इस पर आपत्ति है।

श्री आदि शंकर: ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान विधेयक चुनाव में धन की शक्ति और बाहुबल की बढ़ती हुई भूमिका पर अंकुश लगाने की दिशा में निर्वाचन सुधारों की शुरुआत है। इसी के साथ, यदि यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होता है तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और इससे मामले और उलझ जाएंगे इससे राजनैतिक दलों का कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनियां भी राजनैतिक दलों को चन्दा देने में हिचकिचाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था में छोटे दानकर्ताओं की सूची बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के चन्दे की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सभी दानकर्त्ताओं की ऐसी सूची बनाना असंभव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चन्दे की लेखा परीक्षा कैसे की जा सकती है और दल द्वारा प्राप्त अन्य प्रकार के आय की नहीं।

महोदय, डीएमके पार्टी भारत के सर्वाधिक लोकतांत्रिक दलों में से एक दल है।

श्री के. मलयसामी: ऐसा कौन कहता है?

श्री आदि शंकर: हमने ऐसा कहा है। हालांकि डीएमके एक क्षेत्रीय दल है परन्तु इसके करीब एक करोड़ सदस्य है। सदस्यता शुल्क के रूप में डीएमके प्रति व्यक्ति 3 रु. एकत्रित करता है। हमारे दल ने स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चुनाव का संचालन किया है। खातों के रखरखाव के लिए चन्दे की सीमा 20,000 रु. तक बढ़ा दी गई है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

यहां मैं माननीय मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में एक उपबंध किया जाए कि मतदाताओं के लिए मतदान करना अनिवार्य हो जाए ताकि जाली मतदान रोका जा सके। मैं तमिलनाडु राज्य का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वहां दो उपचुनाव हुए और आंडीपट्टी विधानसभा उपचुनाव में, तकरीबन 25 प्रतिशत जाली मतदान हुआ* ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यह विधेयक है और विधेयक पर चर्चा के दौरान आप दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकते।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय: मैं उस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिये गये हैं।

श्री आदि शंकर: इसलिए अनिवार्य मतदान प्रणाली का प्रावधान विधेयक में समाहित किया जाना चाहिए।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया में समय के बंटवारे का सवाल है यह सुविधा केवल राष्ट्रीय दलों को प्राप्त है क्षेत्रीय दलों को नहीं। आजकल केन्द्र में सरकार के गठन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है ...*(व्यवधान)*। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय चैनल और निजी चैनलों पर सभी राजनैतिक दलों को अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा निर्वाचन तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 जो लाया गया है, यह एक प्रशंसनीय कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रजातंत्र में हम इलैक्टोरल सिस्टम को जितना पवित्र बनाएंगे, उतना ही बढ़िया इसका रिजल्ट निकलेगा। एक लम्बे काल से आजादी के बाद हमारा जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत और पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो स्थिति बनी है, वह निश्चित तौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने संस्था को मजबूती दिलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है।

हम एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं कि जब देश के प्रथम प्रधान मंत्री से मिलने के लिए उनके किसी पदाधिकारी ने माननीय तत्कालीन स्पीकर मावलंकर साहब को समय दे दिया। अब इसकी जानकारी प्रधान मंत्री जी को नहीं थी। जब लिस्ट में उनका नाम आया और नाम देखने के बाद प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू बड़े गुस्से में आये और उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्पीकर साहब को यहां समय दिया गया है और तुरंत उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर साहब के घर पर चलूंगा और वह मावलंकर साहब के घर पर चले गये। उन्होंने माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्पीकर सबसे सर्वोपरि पद है और यदि इनका सम्मान

[श्री अरुण कुमार]

नहीं होगा तो निश्चित तौर से संसदीय व्यवस्था में मजबूती नहीं मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से एक-एक कदम आगे चलकर संसदीय परम्परा को मजबूत किया, आज जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि हम पराभव की ओर बढ़ रहे हैं और इसका कारण सिर्फ राजनीतिक दल और राजनीतकि पार्टीज नहीं है, जनता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मात्र यह संशोधन विधेयक लाने से और मात्र कुछ परिवर्तन करने से यह एक सतही कार्य होगा। इसलिए हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। सभी राजनीतकि दलों को, सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोगों को बुलाकर इस पर विस्तार से चिंतन करना चाहिए। यदि हम विस्तार से चिन्तन नहीं करेंगे तो हम सिर्फ कालाधन एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ मनी पॉवर और मसल पॉवर फैक्टर नहीं है। इसमें कई सारे तथ्य हैं जो सामूहिक रूप से प्रजातंत्र के स्वस्थ आयामों को ग्रसने में लगे हुए हैं। इसलिए आज कोई व्यक्ति जिसके पास धन न हो, जिसके पास अपार साधन न हो, वह यदि चुनाव में जाता है तो जनता की प्रतिक्रिया होती है कि यह चुनाव क्या लड़ेगा। बल्कि हमारे यहां देहात में एक शब्द 'झुल्टन' कहा जाता है यानी लोगों से जब बाहु-बल से लड़ने की इसमें क्षमता नहीं है, यानी जनता अल्टीमेट पॉवर अपने अंदर महसूस नहीं करती है, इसका कारण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा में है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जितनी मजबूती दिला सकें, उतना राष्ट्र हित में अच्छा होगा। यह अलग बात है कि इतनी विविध समस्याओं के बीच भी भारत का लोकतंत्र आज भी मजबूती से दुनिया में स्थान बनाये हुए हैं। हमारे बगल में पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल सारी जगहों में जिस तरीके से लोकतांत्रिक परम्पराएं ध्वस्त हुई हैं और हमारे यहां मजबूती है तो इसका कारण है कि आज भी हमारे पूर्वजों ने जो बुनियाद रखी है, उसमें दम है और कुछ लोगों में इच्छा-शक्ति है। इसलिए उस इच्छा शक्ति का यदि सही प्रयोग सही दिशा में करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जैसे अभी माननीय सदस्य बंसल साहब कह रहे थे कि इलैक्टोरल लिस्ट में एक-एक घर में 190 लोग हो जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है। आपको इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। बिहार में जिस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट दोगुनी-तिगनी बढ़ रही है, यह भी ध्यान देने योग्य है। मैं किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बंगाल में भी यही स्थिति है। तमाम जगहों पर हमें देखना चाहिए कि मतदाता सूची में कैसे सुधार लाया जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): आपको सुदीप जी ने कहा इसलिए आपने वैस्ट बंगाल का नाम लिया।

श्री अरुण कुमार: मेरी ऐसी मंशा नहीं है। चाहे मेरी पार्टी भी क्यों न हो, उसको भी यह देखना चाहिए। यदि हम किसी इंस्टीट्यूशन को या सिस्टम को पवित्र करना चाहते हैं तो हर राजनीतिक दल और राजनेता को इस पर चिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। जब हम सरकार में होते हैं तो जिन पदाधिकारियों का उपयोग करते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, पनिशमेंट नहीं देते। हम किस तरह के वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह की हमारी मंशा है, इसका प्रतिबिम्ब जनता के सामने आता है। लेकिन आज समाज कई धाराओं में बंटा हुआ है। उसका कारण बेकारी, गरीबी और अशिक्षा है। अगर हम सही मायनों में इलेक्टोरेल लिस्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अशिक्षा, बेकारी और गरीबी जो बुनियादी सवाल हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए कि कुछ घरानों में कैसे सेंट्रेलाइजेशन आफ इकोनॉमी हो रहा है। आज अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। यदि इस तरह की प्रक्रिया रही तो हम इलेक्टोरेल लिस्ट में कितना भी सुधार कर लें, वोट खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जाते रहेंगे। जिनके मन में असुरक्षा की भावना है, जो लोग आशंकित रहते हैं, उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे। जो लोग यहां आना चाहते हैं, वे तरकीब निकाल कर आते रहेंगे। इसलिए निश्चित तौर से इन बुनियादी सवालों पर हमें चिंतनशील होना चाहिए कि कैसे गांवों में इकोनॉमी का इनफलो हो और कैसे बेरोजगारी दूर हो।

अभी बिहार में चुनाव हुए थे। वहां जनप्रतिनिधियों को खरीदा गया। वहां पर 24 विधान परिषदों की सीट्स का चुनाव हुआ था। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हम लोग पार्टी आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को पैसा देकर 1000-5000 रुपए देकर उनके वोट खरीदे गए, उससे पता चल सकता है कि कैसे तत्व अपर हाउस में चुनकर आए हैं। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब ये चुनाव हो रहे थे, हमारी मशनरी भी देख रही थी। उसी ब्लाक पर जहां चुनाव हुए हैं, पैसा दिया गया, सौदेबाजी हुई, सबने देखा। इसको रोकने के लिए कानून बना हुआ है, दंड की प्रक्रिया है, लेकिन वह मूक दर्शक साबित हुआ। इसलिए जब तक हमारी मंशा साफ नहीं होगी, इच्छाशक्ति नहीं होगी, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जबकि ज्यूडिशरी बराबर संकेत दे रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को उसकी कोई चिंता नहीं है। जिस तरीके राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है, ब्लैकमनी जिनके पास है, जो किडनैपर्स हैं, वे राजनीति में आ रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए, इस पर सभी राजनीतिक दलों को एक होकर निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने मात्र से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। हमें मकैनिकल सिस्टम ठीक हो, यदि हम इच्छाशक्ति रखते हैं कि कैसे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, तो हम यह काम

कर पाएंगे। इससे जनता के मन में भी यह विश्वास पैदा होगा कि आखिरकार पावर हमारे पास है। इसलिए यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देनी है, पवित्रता को बनाए रखना है तो इसके लिए इन बुनियादी सवालों पर यदि हम तवज्जोह नहीं दे पाएंगे तो हम इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते।

हिन्दी भाषा राज्यों में किसानों के एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती है। आजादी के समय उनकी जो भूमिका रही है, उन्होंने कहा था कि जो अन्न-वस्त्र उपजाएगा, वही शासन चलाएगा। लेकिन वैसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है।

गांव, खेत-खलिहान आज भी उपेक्षित पड़े हुए हैं और लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन सारी चीजों पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विधान का समर्थन करता हूं, किन्तु हमारा विचार है कि यह सुस्पष्ट विधान नहीं है। यह आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक या दो कदम है।

चुनाव सुधार संबंधी व्यापक अवधारणा इस संसद के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष अभी प्रस्तुत की जानी है। मैं इस बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि सरकार अपनी पारदर्शिता को उचित ठहराने के लिए इस देश की चुनाव प्रथा में पूर्ण सुधार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव लाए। उस संबंध में यदि सरकार एक बार पुन: दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट देखें तो मैं इसके लिए सरकार का आभारी रहूंगा और सरकार द्वारा व्यापक विधान लाए जाने पर हम इस कार्य में सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे।

दो या तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिसके संबंध में सरकार द्वारा कम-से-कम प्रारंभिक कदम उठाए जाने का मैं समर्थन करता हूं। पहला कदम मान्यता प्राप्त दलों को कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा चन्दा दिए जाने, मान्यताप्राप्त दलों और उम्मीदवारों को समय पर मतदाता सूची उपलब्ध कराने और, निस्संदेह, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लेखाओं और रिकार्डों जिसकी व्यवस्था पहले से ही है, के संबंध में कानून के दायरे को व्यवस्थित करने के बारे में है। हम सब इस संसद में निर्वाचित होकर आए हैं। नामांकन की तारीख से लेकर परिणाम निकलने की तारीख तक हम सभी को वैसा करना पड़ा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। केवल समावेशन किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन सब प्रक्रियाओं के संबंध में मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सकता है। जहां तक कंपनी के चन्दे का संबंध है, आपने आंशिक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष वित्तपोषण सुनिश्चित किया है। जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, आपने मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आंशिक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया है। परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे राज्य में केवल एक महीने पहले नवद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव हुआ था। इस बात को अन्यथा न लें। मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे पश्चिम बंगाल में भा.क.पा. के सचिव श्री मंजू मजूमदार के उस वक्तव्य को देखकर प्रसन्नता हुई कि पूरे चुनाव में धांधली हुई है और इतनी अधिक धांधली हुई है कि अब से पहले इतनी धांधली कभी नहीं हुई। चाहे यह मेरे दल द्वारा की जाए अथवा किसी अन्य दल द्वारा की जाए, चाहे यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में की जाए, अब समय आ गया है इस बात पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाए कि मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

यह बात कहते वक्त मैं हमेशा अपने भाग्य के बारे में सोचता हूं। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई, 1991 को हुई थी। अगले ही दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा सहित सभी जगह संपूर्ण मतगणना रोक दी गई। कतिपय शिकायतों के कारण 29 या 30 मतदान केन्द्रों पर पुन: मतदान कराया गया। आपको यह जानकर धक्का पहुंचेगा कि यदि एक महीने पहले दो उम्मीदवारों ने बूथ सं. 20 पर 300 या 400 या 500 मत प्राप्त किए तो सभी निकटवर्ती बूथों, जहां बाद में एक महीने के अंदर हुए मतदान में विजयी उम्मीदवारों को 900 या 920 मत प्राप्त हुए जबकि हारने वाले उम्मीदवारों को पांच या तीन या दो या एक अथवा यहां तक कि शून्य मत प्राप्त हुए। अब यदि ये स्थितियां आपकी चुनाव प्रणाली में बनी रहती हैं-मैं इस संबंध में किसी भी दल को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं चाहे यह कार्य हमारे सत्ताधारी दल द्वारा किया जाए या दूसरे सत्ताधारी दल द्वारा किया जाए या अन्य राज्यों में दल द्वारा किया जाए-तो इसके लिए आप कौन-सा तंत्र विकसित कर सकते हैं? मैं विधि मंत्री को एक ही बात का सुझाव दूंगा। मैं इस मामले में तकनीकी रूप से कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु अपने ज्ञान से मैं यह बात कहूंगा। मैं एक घटना का उद्धरण दूंगा।

पिछले लोक सभा चुनावों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चाकुलिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पोअर स्थित एक मतदान केन्द्र के बारे में मुझे यह संदेश मिला कि लोग पंक्ति में खड़े थे तथा कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सका, परंतु कुछ लोगों ने अंदर जाकर मतदान करना आरंभ कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तब स्थिति इतनी नाजुक थी कि कोई कार भी नहीं चल सकती

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की परंतु मेरा घेराव किया गया। पीठासीन अधिकारी एक बहुत ही सूझबूझ वाले शिक्षक थे। उन्होंने मेरी जिन्दगी बचाने के लिए एकमात्र उपलब्ध पुलिस कांस्टेबल को भीड़ को तितर-बितर करने हेतु बंदूक का प्रयोग करने का आदेश दिया। अन्यथा, वे और कुछ नहीं कर सकते थे। एक मामला दायर किया गया, अभियुक्त को रंगे-हाथों पकड़ा गया किन्तु आज तक किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। ऐसा दिल्ली, राजस्थान और बिहार में भी हो सकता है। मैंने पाया कि अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मार्गनिर्देश है कि यदि स्थानीय पुलिस या स्थानीय पुलिस अधीक्षक निदेश न दें, अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की जाएगी। इस संबंध में विधि मंत्री से मेरा यही निवेदन है कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आगे चलकर कोई व्यापक विधेयक लाया जा सकता है।

जिस दिन चुनाव की घोषणा की जाती है उसी दिन सरकार को विधानसभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य सरकार के अधिकारियों सहित निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारियों के नामों को अधिसूचित करना होगा चाहे वह पुलिस (एसपी) हो या कोई अन्य प्रभारी अधिकारी हो। उन्हें राज्य सरकार के बजाय निर्वाचन आयोग या उसके प्रतिनिधि के अधीन कार्य करना चाहिए। वे अन्य किसी के बजाय निर्वाचन आयोग के निदेशों का पालन करेंगे। यदि ऐसे निदेश की अवज्ञा की जाती है, तो निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने संबंधी अधिकार प्राप्त होने चाहिए चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का कलक्टर हो या भारतीय पुलिस सेवा का पुलिस-अधीक्षक हो। जब कोई चुनाव होता है तो सामान्यत: जिला कलक्टर या पुलिस अधीक्षक उस दिन राज्य में केवल सत्ताधारी दल, अर्थात् मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठावान रहते हैं जोकि उनके स्थानांतरण, पदोन्नति या यहां तक कि पदावनति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, अवश्य ही, चाहे राज्य में मेरे दल का शासन हो या किसी अन्य दल का शासन हो, यदि वह मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों का दल कुछ नहीं कर सकता। अत: क्या हम ऐसा कानून ला सकते हैं कि जिस दिन चुनाव की घोषणा की जाती है, उसी दिन 24 घंटे के अंदर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की सूची इस स्पष्ट निदेश के साथ अधिसूचित की जाए कि उस दिन से आगे वे निर्वाचन आयोग के अधीन हैं तथा राज्य के कानून और व्यवस्था संबंधी अन्य कार्यों की देखरेख राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों की सहायता से की जाएगी?

दूसरी समस्या यह है कि जब कभी किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तब अर्ध-सैनिक बल स्थानीय प्राधिकारियों का निर्देश प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि यह निर्देश दिया जाता है कि: "आप यहां ठहरिए", तब वे स्थिर हो जाते हैं और मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है। वे अपनी आंखों के सामने होने वाली घटनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संबंध में मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकार से, यदि संभव हो, तो परामर्श करें और एक व्यापक विधान, निर्वाचन परबंधन विधि या जो भी नाम वे रखना चाहें लाएं। अंतत:, लोक सभा चुनाव में जिला के पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा विधान सभा चुनाव में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे राज्य में सत्ताधारी दल के दबाव में रहते हैं। अत: माननीय मंत्री जी को यह विचार करना पड़ेगा कि वह ऐसा कौन-सा तंत्र बनायें जो उनमें विश्वास पैदा करे तथा यह डर बैठाये कि यदि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के न्यायालय का सामना करना होगा न कि राज्य सचिवालय के न्यायालय था। जब तक ऐसा नहीं होता है, मुझे खेद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा-आप कानून में कुछ भी करें-कभी भी एक वास्तविकता नहीं बन पायेगी।

भारतीय लोकतंत्र समृद्ध है और हमें इस पर गर्व है। हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और यही कारण है कि हमारी मतदाता सूची भी बहुत-बड़ी है। अब हमारे राज्य में, गत 15 दिनों से, मतदाता सूची में संशोधन का कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान के साथ अब एक मतदान केन्द्र दो केन्द्रों की जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करेगा और उनकी चौकसी बांस की लाठी लिये होमगार्ड करेंगे। समस्त भीड़ इलेक्ट्रॉनिक मतदान केन्द्रों पर आयेगी और यदि वहां कुछ गलत होता है, तो हमारे बचाव के लिए कोई नहीं आयेगा। अत: जब आप मतदान पर्ची से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तक और नाम के साथ मतदान सूचियों से मतदाता पहचान पत्रों तक चुनाव प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो यह चुनाव प्रबंधन है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। यदि उस क्षेत्र में कानून मौन है, तो यह समस्त मेहनत दाव पर लग जायेगी। अत: मेरी विधि मंत्री से विनम्र अपील है कि उन्हें राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए तथा कम से कम निर्वाचकगण तथा उम्मीदवारों की निष्पक्षता तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रबंधन से संबंधित एक अन्य विधान लायें।

आज मेरा केवल यही निवेदन है। मैं यह सब चीजें अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इस संबंध में मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। हम गलती कर सकते हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वाद-विवाद में मैं पक्षपाती हो जाऊं। वास्तव में इससे समस्या पैदा होती है।

मैं एक उम्मीदवार को जानता हूं। मैं उन महिला का नाम नहीं लेना चाहता। यह घटना पश्चिम बंगाल राज्य में घटी। उम्मीदवार ने स्वयं पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क नहीं किया। उन्हें चुनाव के दिन केन्द्र पर जाने से रोका गया। वह मतगणना हॉल में तीन दौर की मतगणना पूरी होने के बाद ही जा सकीं। इस विधेयक को पारित करके हम दावा कर सकते हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ गये हैं किन्तु आज की वास्तविकता वही रहेगी।

अत: कृपया सम्पूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अंतिम कदम हेतु एक अन्य विधान लायें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि यह कठोर हो, कोई भी पार्टी हो, किन्तु जब तक यह संसद द्वारा नहीं किया जाता, मेरे विचार से तब तक हम न तो लोकतंत्र को सुदृढ़ कर पायेंगे और न ही स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान कर पायेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, लोकतंत्र का मोटा-मोटा मतलब वोट के राज से है। वोट प्रणाली जितनी दुरुस्त होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र और वोट प्रणाली को दरुस्त करने के लिए विभिन्न आयोग, कमेटियां बनी और विभिन्न विद्वान लोगों के मत भी आए। इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी और इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी का गठन हुआ लेकिन उन रिपोर्टों को माननीय मंत्री जी ने ताक पर रख दिया। अब माननीय मंत्री जी यहां एक विधेयक लेकर आए हैं। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी की एक-दो सिफारिशों को इस विधेयक में सम्मिलित किया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इस विधेयक में दावा किया है कि इलेक्टोरल रोल्स और वोटर लिस्ट देंगे। हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि रिकोग्नाइज्ड पार्टियों को ही वोटर लिस्ट मिल रही है। आपने गलत दावा किया है कि इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी की एक-आध सिफारिशों को इसमें लागू किया है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उसमें स्टेट फंडिंग की बात थी। इस विधेयक का बैकग्राउंड क्या है? माननीय मंत्री ने इस विधेयक के बैकग्राउंड को छिपा लिया है। बैकग्राउंड यह है कि सत्तारूढ़ दल में दो पार्टियों के अध्यक्षों ने पैसे लिए। दुनिया जान गई कि ब्राइबरी हुई। इस ब्राइबरी को डोनेशन में परिणत करने के लिए ये उपाय किए गए। असली बात यही है। मैं यहां एक भेद खोल रहा हूं। आप इस बारे में हमें बताइए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो हवाला कांड में आरोपी थे, कोर्ट से दोषमुक्त हुए। इस काम के लिए कैबिनेट की एक कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी ने कहा कि यह बड़ा झंझट है, पहले घूस ले ली और बाद में कह दिया कि पार्टी के काम के लिए वह पैसा लिया गया। इनकी पार्टी का एक अध्यक्ष घूस लेते हुए तहलका कांड में पकड़ा गया। उसने बाद में कहा कि वह पैसा पार्टी के लिए लिया गया। वह नोट लेकर दराज में रख रहे थे और कह रहे थे कि डॉलर्स में दीजिए। मैं कोई गुप्त भेद नहीं खोल रहा हूं। यह दुनिया के लोगों ने देखा लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्टी के अध्यक्ष के घर में घूसखोरी पकड़ी गई। उस ब्राइबरी को डोनेशन में परिवर्तित करने के लिए और उसे लीगलाइज करने के लिए यह विधेयक आया है। यही इस विधेयक का असली भेद है। हम सभी लोग कहते हैं कि मसल पावर और मनी पावर से देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और लोकतंत्र को मजबूत करो। मनी पावर, कैश कार्ड और क्रिमिनल्स ये सभी तीन एविल्स हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि तीन नहीं पांच एविल्स हैं।

अपराह्न 4.50 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: स्थायी समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: स्टैंडिंग कमेटी में विधेयक गया था, उसकी रिपोर्ट आई है लेकिन यह विधेयक वापस किया था। मैं सरकार का भेद खोल रहा हूं कि यह विधेयक यहां क्यों आया है?

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को मजबूत किये जाने की चिन्ता सबको है। सन् 1954-55 में एक जांच कमेटी बनी जिसके लिए पं. जवाहर लाल नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री श्री आई.एन. कांडर को यहां बुलवाया था। उन्होंने कहा था कि 400-500 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी है जो आज बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपये तक हो गई है। यदि यह विधेयक आ गया तो वह 8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर हजारों-हजार करोड़ रुपये हो जायेगी। यह क्यों बढ़ेगी यह कहा गया कि पार्टी चन्दा लेगी-कोई दूसरी पार्टियों को चन्दा क्यों देंगे, वे रूलिंग पार्टी को ही चन्दा देंगे क्योंकि वे उससे लाभ उठायेंगे। ...*(व्यवधान)* हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। यदि हम आपको नहीं बतायेंगे तो कौन समझायेगा। सरकार कहती है कि हम ट्रांसपेरिंसी ला रहे हैं। दान वह होता है जो गरीब, साधू या मन्दिर में दिया जाता है ताकि पुण्य मिले। क्या मल्टी नैशनिलिस्ट्स, ब्लैक मार्केटिर्स पुण्य करने के लिए पार्टी को दान देंगे? उससे क्या उनके धर्म में बढ़ोत्तरी होगी? वे रूलिंग पार्टी से लाभ उठाने के लिए ही चन्दा देंगे।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अध्यक्ष महोदय, हम संक्षेप में महाभारत का एक प्रसंग बताना चाहते हैं। महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह बाण शय्या पर पड़े थे तो सब लोग उनसे उपदेश सुनने के लिए जाते थे। भीष्म पितामह ने ज्ञान का उपदेश देना शुरु किया तभी द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह ने पूछा कि बेटी तुम क्यों हंसती हो। द्रौपदी ने कहा कि जब चीर-हरण हो रहा था, उस समय आपकी आवाज नहीं निकली, आज आप ज्ञान का उपदेश बांट रहे हैं और हम लोगो को उच्च दर्शन का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा चूंकि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था, उसके दरबार में था, मेरा खून गन्दा हो गया था, इसलिए मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। आज बाण शैय्या पर पड़ने के बाद वह गन्दा खून निकल गया है और स्वच्छ खून शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं। जब भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का खून दुर्योधन के अनाज खाने से गन्दा हो गया, ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, भरी सभा में सही बात नहीं कर सके, उसी प्रकार जब मल्टी नेशनलिस्ट्स, ब्लैक मार्किटर्स से पैसा चन्दे में पौलिटिकल पार्टीज लेंगी तो वही हाल होगा। मैं कैसे मानूं कि जो पार्टीज चन्दा लेंगी, वे उनके मुताबिक काम नहीं करेगी? जो गरीब आदमी गांव में बैठा है, उसे डैमोक्रेसी का कैसे लाभ मिलेगा, कैसे समाज उसे न्याय दे सकता है, मैं यह सवाल सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बतायें कि क्या सरकार मल्टी नैशनलिस्ट्स से चन्दा लेगी, क्या सरकार उससे प्रभावित नहीं होगी, उनका चन्दा खाकर गरीब लोगों के साथ कैसे न्याय करेगी, जैसा भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अनाज खाकर अपना खून गन्दा किया, भरी सभा में ज्ञान की बात नहीं कर सके, अन्याय की बात नहीं उठा सके, सरकार के पास ऐसा क्या उपाय है? मेरा ऐसा मानना है कि यह कानून एक धोखा-धड़ी है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि चुनाव में 15 लाख रुपये का खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा खर्चा अवैध है, लेकिन कोई बताये कि 15 लाख रुपये में कौन चुनाव लड़ रहा है। दो करोड़, तीन करोड़, पांच करोड़, दस करोड़, करोड़ों-करोड़ रुपये का खर्चा सबकी आंखों के सामने होता है। जनता को धोखा देने के लिए कागज बनाकर भेजते हैं और लिखकर देते हैं कि 15 लाख रुपये के अंदर खर्चा हुआ है। लेकिन और रुपया कहां से आता है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि इसकी जांच हो जाए, छानबीन हो जाए कि असलियत क्या है। इसमें भेद क्या है कि करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च करने वाले कौन लोग हैं, 15 लाख रुपये के अंदर खर्चा करने वाले कौन लोग हैं और जनता की ताकत से कौन लोग जीतते हैं और मनी, मसल पावर आदि या कैश, कास्ट और क्रिमिनल के बल पर जीतने वाले कौन लोग हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा। इसमें रिफॉर्म्स का कोई काम्प्रिहैंसिव बिल, चुनाव सुधार, इलैक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल जब तक नहीं आयेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): बिहार में व्यापारियों से कैसे रुपया वसूल हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सब खोलकर बताता हूं। मैं सब भेद खोल दूंगा। यह आप नहीं बोल रहे हैं, यह ब्लैकमार्केटियर्स का पैसा बोल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसे आप रोक नहीं पा रहे हैं और यहां बाणशैय्या पर उपदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह आप नहीं बोल रहे हैं, यह ब्लैकमार्केटियर्स का पैसा बोल रहा है। मैं यहां सब भंडाफोड़ कर दूंगा। कानून मंत्री जी सही विधेयक लाये हैं जिससे हम लोगों को सही बात बताने का मौका मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार: सबको पता है कि चारा कांड में बिहार के मुख्य मंत्री जेल गये हैं, आपका भांडा पहले ही फूट चुका है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): काम करने वालों और बिजनेस करने वालों को नहीं बख्शा जाता है। उनसे भी ऐसे ही पार्टी के नाम पर चंदा लिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुद्दे पर बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा, आप एक बात का जवाब दे दें। आर.एस.एस. पोलिटिकल पार्टी है या क्या है, उसके चंदे का हिसाब-वह विदेश से आता है या कहां से आता है। विश्व हिन्दू परिषद का इन लोगों को मैं इतिहास बताता हूं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आर.एस.एस. का यहां क्या लेना-देना है। जब विधेयक में उसका जिक्र नहीं है तो उनका नाम लेने का क्या मतलब है। आर.एस.एस. का यहां कोई मतलब नहीं है ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। यहां विधेयक आया है कि चंदा लेंगे और हिसाब देंगे। जब आर.एस.एस. को इंकम टैक्स लगा तो उसने कहा कि हम पोलिटिकल पार्टी हैं।

वह पोलिटिकल पार्टी है या नहीं है, सही बतायें। उन्हें कागज में आमदनी होती है, विश्व हिन्दू परिषद जो ठग-ठग कर रुपया जमा कर रहा है, वह पोलिटिकल पार्टी है या क्या है, उन पर इंकम टैक्स क्यों नहीं लगता है। उनकी पारदर्शिता क्या होगी। इसलिए जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं, वह लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कहते हैं कि हम साफ करने के लिए लाये हैं, पारदर्शिता होगा, सब पार्टियों के लोग कमीशन को आमदनी की रिटर्न देंगे, कमीशन को सब हिसाब-किताब देंगे, क्या इसमें पारदर्शिता होगी, यह सब धोखा है। यह कागज में है, कुछ, असल में है कुछ, खर्चा है कुछ, लिखा-पढ़ी है कुछ, इस सबको ढकने के लिए और अमली-जामा पहनाने के लिए यह विधेयक आया है। इसके असली जनक हवाला कांड और तहलका कांड हैं, इनके मंत्री उसमें आरोपित हैं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष उसमें आरोपित हैं, उन्हें बचाने, साफ करने और ब्राइबरी को डोनेशन में परिणित करने के लिए यह विधेयक लाये हैं। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री द्वारा सभा के समक्ष लाये गये इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। इस विधेयक में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण संशोधन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 29'ख' को जोड़ना है। यह धारा मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों को किसी भारतीय कम्पनी और व्यक्तियों से चन्दा अथवा अंशदान स्वीकार करने की अनुमति देता है इस संबंध में अलग-अलग लोगों, अलग-अलग राजनीतिक दलों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कुछ बड़ी कम्पनियां और अमीर व्यक्ति अपने काले धन को सफेद धन में बदलना चाहते हैं। महोदय, सभी को यह पता है कि हमारे देश की पुरानी रीति है कि सभी बड़ी कम्पनियां प्रमुख राजनीतिक दलों को अंशदान और चन्दा दे रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

चुनाव प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही यह हमारे देश की स्वीकृत रीति भी है। यदि हम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं माननीय विधि मंत्री से मतगणना प्रक्रिया के सभी पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करूंगा।

महोदय, मतगणना प्रक्रिया मतगणना सूची तैयार करने से आरम्भ होती है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि विभिन्न राज्यों में—मैं उन राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं चाहता—मतदाताओं की जाली सूची तैयार की जा रही है। उन मतदाता सूचियों में उन व्यक्तियों के नाम हैं, जो उस स्थान के वास्तविक निवासी नहीं हैं और मतदाता सूचियों में जाली नाम शामिल किये जाते हैं। महोदय, हालांकि आजकल हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे महान और बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं, फिर भी हमारी चुनाव प्रक्रिया में धन और बाहुबल का वर्चस्व है। हर बार, हम इस संबंध में जायजा ले रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में-मैं उन राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता-धन शक्ति और बाहुबल मतगणना प्रक्रियाओं में छाया रहता है। वे व्यक्ति, जिन्हें समुचित सुरक्षा प्राप्त होती है, वे व्यक्ति, जिनके पास हथियार होते हैं, राजनीतिक दल, जिनके पास गुण्डे, लाठियां और हथियार होते हैं, वे मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लेते हैं और वास्तविक मतदाताओं को मतगणना केन्द्रों में प्रवेश करने से रोकते हैं। जाली मतदाता जाली मतदान करने के लिए स्वयं इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को दबाते हैं।

माननीय विधि मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि उन्होंने इन्द्रजीत गुप्त समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। महोदय, मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की इस बात से भी सहमत हूं कि समिति द्वारा की गई दो या तीन सिफारिशों को प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जाए। परंतु मुझे माननीय विधि मंत्री और इस सरकार से यह आशा थी कि अधिकतर सिफारिशों को प्रस्तावित विधेयक में अंतर्विष्ट किया जाएगा। मैं न केवल इन्द्रजीत गुप्त समिति की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं बल्कि मैं यह भी जानता हूं कि हमारे माननीय प्रतिष्ठित सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी भी उस समिति के एक सदस्य हैं। अतः की गई अधिकतर सिफारिशें इस प्रस्तावित विधेयक में अंतर्विष्ट की जानी चाहिए।

महोदय, न केवल यह बात है बल्कि अत्यंत विद्वान संसदीय श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा एक अन्य समिति अर्थात् दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया और इस प्रस्तावित विधेयक में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था।

महोदय, यदि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रणाली लाना चाहते हैं, तो यह बात किसी विधेयक या कानून पर निर्भर नहीं है बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों की स्वेच्छा और विवेक पर आधारित है।

महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि एक ऐसी सिफारिश होनी चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। महोदय, उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और इसे उसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग उस उम्मीदवार की संपत्ति के बारे में

[श्री अजय चक्रवर्ती]

जानकारी प्राप्त कर सकें। महोदय, हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ प्रश्न ऐसी गैर-अनुबंधित रकम के बारे में हैं जिसे मतदान के बाद खर्च किया गया है। अतः, हारने वाले उम्मीदवार और विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।

परंतु यह एक तथ्य है कि हमारे समय में चुनाव लड़ना अत्यंत कठिन है। कोई ऐसा उम्मीदवार जिसके पास धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है वह बहुत अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी चुनाव का खर्च उठा नहीं सकता है और इसी कारण से वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

जिस राजनीतिक दल के पास धन और बाहुबल है, वह दल चुनाव लड़ सकता है किन्तु जिस राजनीतिक दल के पास कोई धन या बाहुबल नहीं है, वह दल चुनाव नहीं लड़ सकता है या हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों का यह परमाप्रिय और उदात्त कर्त्तव्य है कि वे हमारे देश की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है।

इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे यथासंभव सभी पक्ष और विपक्ष तथा सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक व्यापक विधेयक लाएं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके जो धन बल और बाहुबल तथा जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता से मुक्त हो।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री एस.के. बैसीमुथियारी को बोलने का अवसर देता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं इस विषय पर नहीं बल्कि संविधान (संशोधन) विधेयक की छठी अनुसूची के बारे में बात करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस विधेयक के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदय, अनेक सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में अपनी राय व्यक्त की है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है क्योंकि राजनीतिक वित्तपोषण को वैध ठहराने और उसे पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के संबंध में उनके मौलिक मतभेद हैं। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें और अधिक व्यापक विधान लाने का प्रयास करना चाहिए जिससे चुनाव प्रक्रिया की सभी बुराइयों पर वस्तुतः ध्यान दिया जा सके।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि वे इस बारे में गंभीरतापूर्वक आत्मविश्लेषण करें कि हमारी राजनीतिक वित्तपोषण की वर्तमान प्रणाली वस्तुतः क्या है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके नेता विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रहे हैं और इन सब कार्यों में धन खर्च होता है। राजनीतिक दल केवल लोगों की इच्छाशक्ति से ही नहीं चल रहे हैं। उन्हें बने रहने के लिए भौतिक साधनों की भी आवश्यकता है। यदि हम ईमानदारीपूर्वक अपना आत्मविश्लेषण करें कि ये भौतिक साधन कहां से आ रहे हैं तो स्पष्ट होगा कि ये साधन प्रभावी ढंग से उन स्रोतों से आ रहे हैं जहां साधन वास्तव में उपलब्ध हैं। छोटे-छोटे चन्दे सदस्यता शुल्क के रूप में राजनीतिक दलों के सदस्यों के पास उपलब्ध हो सकते हैं। हमने अपने राजनीतिक दल में एक विशेष निधि की व्यवस्था की है जिसमें अनेक सक्रिय लोग और समर्थक हरेक वर्ष 10,000 रुपये जमा करते हैं तथा हम एक बड़ी धनराशि एकत्र करते हैं। परंतु तब राजनीतिक दल चन्दे एकत्र करने के लिए सभी प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपके आंतरिक वित्तपोषण के बारे में जानना अच्छा लग रहा है।

श्री अरुण जेटली: श्री सोमनाथ चटर्जी, भा.ज.पा. में हम न केवल इसे एकत्र करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं "छिपा लेना" नहीं कह रहा हूं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके पास ऐसे समर्थक हैं।

श्री अरुण जेटली: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम न केवल इसे एकत्र करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 'विमानों' का उपयोग किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस बात की समीक्षा की जाए।

श्री अरुण जेटली: हम अपने दल में न केवल इसे एकत्र करते हैं, बल्कि मेरे दल के प्रत्येक संसद सदस्य को मेरे संसदीय दल को हरेक महीने एक निश्चित राशि देने के अलावा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये भी अदा करने होते हैं। 10,000 रुपये की यह राशि चेक द्वारा वसूल की जाती है। हम अपने दल की पत्रिका (जर्नल) में सभी दानकर्त्ताओं की सूची प्रकाशित करते हैं। तथापि, जैसाकि

मैंने कहा राजनीतिक दल विभिन्न स्रोतों जहां भी धन के ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं से धन एकत्र कर रहे हैं।

एक लोकप्रिय अवबोधन यह भी है कि राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से काफी धनराशि का प्रवेश होता है। यह विधेयक उस रोग के एक हिस्से को ठीक करने का प्रयास है। जब हम व्यापक सुधार की बात करते हैं तो इस संबंध में मैं ईमानदारीपूर्वक यह स्वीकार करता हूं कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक बन सके।

स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि "नकद" सहायता की बजाय "माल के रूप में" सहायता की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सर्वसम्मत रिपोर्ट थी।

श्री अरुण जेटली: यह सर्वसम्मत रिपोर्ट थी और बहुत अच्छी रिपोर्ट थी।

मुझे केवल दो प्रश्न ही उठाने हैं, हालांकि मैं स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा संस्तुत अधिकतर बातों से सहमत हूं। जब हमने उस रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों के पास भेजा और उनसे यह दर्शाने को कहा कि उनका अंशदान क्या होगा क्योंकि जिस निधि का सृजन किया जाना था उसके एक भाग का अंशदान केन्द्र सरकार और दूसरे भाग का अंशदान राज्य सरकार को करना था, तो लगभग सभी राज्य सरकारों ने पलटकर कहा कि वे इस विशेष निधि में अंशदान नहीं कर पाएंगे। जबकि हम समिति के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे थे, हमने कहा, "राज्य सरकारें अंशदान करें, केन्द्र सरकार अंशदान करे।" जब हमने राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा तो यह उत्तर मिला, "हम इस विशेष निधि में अंशदान करने की स्थिति में नहीं है।"

एक प्रश्न जो कुछ सदस्यों ने उठाया है, और वह दूसरा प्रश्न है जो हमें पूछना है और वह इस प्रकार है कि यदि हम उस रिपोर्ट को अक्षरश: कार्यान्वित कर देंगे तो क्या उससे उम्मीदवारों, राजनीतकि दलों द्वारा ऐसे कार्यकलापों पर व्यय करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों के लिए अन्य स्रोतों को अपनाने पर रोक लग जाएगी जिसके बारे में श्री पवन कुमार बंसल ने अपने भाषण में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। सुधार का एक भाग केवल विधिक प्रयासों से पूरा नहीं होगा बल्कि यह उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनाए जाने वाले आचरण से होगा। यदि हम बूथ पर कब्जा करने जैसे कार्यकलापों में शामिल होंगे; यदि हम निर्वाचन पत्रों में घपलेबाजी जैसे कार्यकलाप करेंगे; यदि हम मत के लिए धनराशि बांटने और अन्य ऐसे अवैध प्रोत्साहन में जैसे कार्यकलाप करेंगे; यदि राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह करेंगे; और यह अपेक्षा की जायेगी कि एक व्यापक कानून होगा जो इस विशिष्ट कानून के समग्र अवधारणा को बदल सकता है, जो व्यवहार पद्धति में समग्र परिवर्तन ला सकता है, यह अपने-आप में आसान नहीं होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है, ने बहुत सही बात कही है कि अधिकांश उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राशि दर्शायी गयी हो जो कि वास्तव में निर्वाचन में व्यय हुआ हो। यदि हम ईमानदारी से यह देखेंगे कि निर्वाचन में राशि किस प्रकार से लगायी जाती है, राजनीति में कालाधन किस प्रकार से लगाया जाता है, यदि आप अपनी घोषणा से अधिक व्यय करते हैं, हमें यह विश्लेषण करना चाहिए इस राशि किस प्रकार लगायी जाती है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा कालाधन लगाया जाता है तो उस पार्टी का व्यय उसी अदृश्य तरीके से होता है। जब राजनीतिक पार्टी अपने सभी बिल चुकाती है-चाहे वह प्रिंटरों अथवा विज्ञापनों, अथवा वाहनों को भाड़े पर लेने, अथवा यात्रा अथवा धन जुटाने का हो-तो इसके सभी व्यय समानान्तर रूप से चलते हैं और ये कर के दायरे में नहीं आते हैं। किसी भी स्तर पर यह व्यय कराधान के दायरे में नहीं आता है। किसी भी स्तर पर यह राशि हमारे कराधान कानून के उपबंधों के अधीन नहीं आता है। इसके परिणामस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया में व्यय की जाने वाली राशि से भारत सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इससे राजस्व प्राप्त नहीं होता है क्योंकि यह प्रत्येक स्तर पर, जहां कर योग्य व्यय किया जाता अथवा कर योग्य आय होती है, कर के दायरे से बाहर होता है। अत:, यदि कोई राजनीतिक पार्टी प्रिंटर को, ट्रांसपोर्टर को, विभिन्न अन्य स्रोतों से भुगतान करता है तो उसका स्वरूप वैसा ही होता है जैसाकि धन प्राप्ति का स्वरूप होता है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर कर का भुगतान नहीं होता है-चाहे वह इस्तेमाल किए गए कागज पर उत्पाद शुल्क हो, चाहे कतिपय वस्तुओं की खरीद का वह बिक्री कर हो अथवा चाहे वह अर्जित आय पर आयकर हो-और इस प्रकार समानान्तर अर्थव्यवस्था चलती है।

अत:, यह विधेयक अत्यधिक राहत नहीं देता है क्योंकि यह राशि पहले से ही कर के दायरे से बाहर है। इसमें समग्र राशि को, यदि समग्र राशि सम्भव नहीं है तो पहली बार में कम से कम थोड़ी राशि को, जहां से सुधार शुरू किया जा सकता है, कर के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। अत:, यदि व्यापारियों, व्यक्तिगत नागरिकों को किसी का योग्य निकाय-चाहे वह कोई व्यक्ति हो और हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) हो अथवा कोई सहयोगी फर्म हो अथवा कम्पनी हो-को चेक द्वारा भुगतान की सुविधा दी जाती है तो भारत सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं होगी क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमें राजनीतिक

[श्री अरुण जेटली]

कार्यकलाप पर व्यय की गई राशि पर कोई राजस्व की हानि नहीं हो रही है जैसाकि वर्तमान स्थिति है। यदि आप पहले स्तर पर यह प्रोत्साहन देते हैं तो प्रत्येक उत्तरवर्ती स्तर पर यह राशि कर के दायरे में आ जायेगी। अत:, प्रत्येक स्तर पर जहां व्यय किया जाता है, पहले राजनीतिक पार्टी द्वारा, तत्पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा व्यय किया जाना है, चाहे वह ट्रांसपोर्टर हो अथवा एक प्रिंटर हो-और यह राशि कर के दायरे में जाती है और इसलिए कर का भुगतान उस स्तर पर किया जायेगा। वस्तुत: हम इस राशि को कराधान के दायरे में लाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वास्तव में, लम्बे समय के दौरान, इस प्रकार से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

यह आशंका व्यक्त की गई है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में आकर राजनीतिक प्रक्रिया में वित्त पोषण करना आरम्भ कर देंगी।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा-जब वे इन बातों को उठाने के लिए सभा का काफी समय लगा देते हैं-वे कृपया कम से कम इस अधिनियम के मूल उपबंधों को पढ़ें।

महोदय, पहले पृष्ठ में ही यह कहा गया है:

"बशर्ते कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (ङ) के अंतर्गत परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से किसी प्रकार का अभिदाय स्वीकार करने की हकदार नहीं होगी।"

धारा 2(ङ) में विदेशी स्रोत के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। विदेशी स्रोत में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी शामिल है; इसमें एक ऐसी कम्पनी शामिल है जो बहुराष्ट्रीय कम्पनी की अनुषंगी इकाई है; इसमें एक ऐसी कम्पनी शामिल है जिसमें विदेशी नागरिकों की अंशधारिता है। इस परिभाषा में अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं क्योंकि वे भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने के लिए भारत के बाहर से धन भेजना शुरू नहीं कर सकते। अत:, इस प्रकार की जो आशंका व्यक्त की गई है, इस अधिनियम के उपबंधों में विहित है।

महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि यह छूट व्यापारी को भी नहीं दी गयी है क्योंकि छूट यही है कि "कृपया कारबार से धन अंतरित करके राजनीतिक पार्टियों को देना बंद कीजिए, आपको अब धनराशि केवल चेक से देने की सुविधा प्रदान की गई है ताकि लोगों को चेक द्वारा धन प्राप्त करने की आदत भी पड़ जाये।"

ईमानदारी से लेखे रखना राजनीतिक पार्टी का दायित्व है। ऐसे लेखे का अंकेक्षण किया जाता है। वर्तमान उपबंध आयकर अधिनियम के अंतर्गत है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पार्टी अपने लेखे का अंकेक्षण कराती है, तो वह आयकर प्राधिकारियों को प्रत्येक वर्ष अपनी विवरणियां भरती है और ऐसे दाताओं की सूची उपलब्ध कराती है जिन्होंने वर्ष के दौरान 10,000 से अधिक राशि दान की है। तो ऐसी पार्टी से कोई कर नहीं लिया जाता है। हमने इस 10,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है क्योंकि स्थायी समिति ने यह महसूस किया कि 10,000 रुपये पर्याप्त नहीं हैं और इसमें वृद्धि की गई है, अब इसके अतिरिक्त आपको निर्वाचन आयोग को अपने विवरण प्रस्तुत करने होंगे। विवरणियों को न भरने के अपने अलग परिणाम होंगे। आयकर अधिनियम के अधीन यह उपबंध पहले से ही मौजूद है। अब यदि आप, आपको दिए गए इन लाभों के पश्चात् आयकर विभाग को अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके कारण आपको आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कर राहत से वंचित होना पड़ेगा।

महोदय, एक प्रश्न उठा है कि कौन-कौन सी राजनीतिक पार्टियां लाभ की हकदार हैं। स्थायी समिति ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से जांच की है। कुछ स्थानों पर शब्द 'एक राजनीति पार्टी' और कुछ स्थानों पर 'एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी' शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

'राजनीतिक दल' एक शब्दबन्ध है, जिसका धारा 29(ख) में प्रयोग किया गया है तथा जिसे कम्पनी अधिनियम में संशोधन करके स्पष्ट किया गया है कि इसका तात्पर्य ऐसे दलों से है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(क) के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

महोदय, हमें याद है कि जब स्व. श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनीतकि दलों के पंजीकरण का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था। अत: सभी राजनीतिक दलों का पंजीकृत होना आवश्यक है। एक विशेष घोषणा है, जो उन्हें चुनाव आयोग में दायर करनी पड़ती है। अत: उन राजनीतिक दलों को चन्दे लाभ प्राप्त हैं, जो "चुनाव आयोग के साथ धारा 29(क) के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हुई हैं" के रूप में परिभाषित हैं।

सर्वप्रथम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर समय के समान बंटवारे संबंधी लाभ का मामला लें। ये सभी लाभ मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध है। एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल पंजीकृत राजनीतिक दल से भिन्न है, जबकि कोई भी दल, जो पंजीकरण की मांग करता है, एक पंजीकृत राजनीतिक दल हो सकता है। एक मान्यताप्राप्त दल वह है, जिसे चिह्न आबंटन आदेश के अंतर्गत प्राप्त मतदान के न्यूनतम प्रतिशतता के आधार पर चिह्न आबंटित किया जाता है। अत: ये भेद किये गये हैं।

महोदय, एक प्रश्न उठाया गया है कि चैक से चंदा देने को प्रोत्साहित करने तथा राजनीतिक वित्तपोषण की प्रक्रिया को वैध बनाने के लाभों के अतिरिक्त कौन-से अन्य लाभ सामने आयेंगे।

महोदय, हमने प्रारम्भ में सिफारिश की थी कि टेलीविजन समय के समान बंटवारे के अतिरिक्त यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोगों के मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव होता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किसी एक राजनीतिक दल की तुलना में किसी अन्य के पक्ष में उपयोग होता है अथवा यहां तक कि एक केबल टेलीविजन क्या एक उम्मीदवार की तुलना में दूसरे के पक्ष में प्रयोग होता है, तो यह एक उम्मीदवार अथवा एक दल की तुलना में दूसरे को अनुचित लाभ प्रदान कर सकता है। अत: हमने कहा है कि जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है-चुनाव अवधि के दौरान चुनाव आयोग टेलीविजन और रेडियो दोनों पर हर प्रकार के समय को नियमित करेगा, जो केबल टेलीविजन, निजी टेलीविजन चैनल और प्रसार भारती देंगे। जहां तक प्रसार भारती का संबंध है, जो एक सार्वजनिक प्रसारणकर्त्ता है, वह एक कदम आगे है, क्योंकि वह केवल आबंटित किये जाने वाले समय को ही नियमित नहीं करेगा अपितु वह निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय को भी नियमित करेगा।

इसी प्रकार, हमने उपबंध भी किये हैं। प्रारम्भ में, हमने इरादा था कि आपके द्वारा भेजी गई पर्चियां उम्मीदवारों को राज्य के व्यय पर नि:शुल्क दी जा सकती हैं। किन्तु स्थायी समिति ने अनुभव किया कि प्रत्येक चुनाव के स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का वास्तव में पता लगाया जाना चाहिए और जो कुछ भी अतिरिक्त दिया जाना है-यही नहीं-प्रत्येक चुनाव से पहले केन्द्र सरकार उपलब्ध संस्थानों के आधार पर चुनाव आयोग के परामर्श से प्रचार के रूप में दी जा सकने वाली सामग्री अथवा उम्मीदवारों को दिये जा सकने वाले अन्य लाभों की घोषणा करेगी।

जैसाकि मैंने संकेत दिया था, यह आगे बढ़ने की दिशा में एक छोटा सा कदम। मुझे इस व्यय की जानकारी है कि केवल इस कारण से कि हम इन प्रोत्साहनों को देकर निधियों को वैध बनाने अथवा प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, रातों रात इसमें परिवर्तन नहीं होंगे। परिवर्तन तभी होंगे जब धन चंदा देने वाले, चाहे वे व्यक्ति हों अथवा अन्य और चंदा लेने वाले भी यह अनुभव करेंगे कि संभवत: यह एक रीति है, जो वैद्यता ही नहीं जोड़ेगा अपितु राजनीतिक निधीयन की पूर्ण प्रक्रिया के प्रति विश्वसनीयता भी जोड़ेगा। जब आपके पास विश्वसनीय राजनीतिक निधीयन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या सरकार द्वारा लिये गये किसी अधिकारिक निर्णय और दानकर्त्ता के बीच कोई सांठ-गांठ है। वास्तव में, जब तक यह अदृश्य रहता है, सांठ-गांठ का कभी पता नहीं चलेगा। उस सांठ-गांठ की जानकारी जहां तक जनता का संबध है कम से कम कुछ और पारदर्शिता और जानकारी बढ़ायेगी कि क्या चंदा हरजाने के लिए दिया जा रहा है अथवा यह सामान्य चंदे का एक हिस्सा है, जो बड़े-बड़े व्यवसाय अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी के रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इशारा किया है कि चुनाव लोकतंत्र का एक भाग हैं। राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र का एक अन्तर्निहित भाग है। राजनीति का निधीयन गुपचुप तरीके से नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ईमानदारी से और पारदर्शिता से होनी चाहिए। इससे ज्यादा हम यह कर सकते हैं कि हम जो संशोधन करना चाहते हैं, वे निमित्त इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर बनायें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सभा को इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.24 बजे

बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 15 लेंगे। श्री आई.डी. स्वामी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये और उसे पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: इसे लोक सभा में मई में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। किन्तु यह विधेयक मानवीयता के आधार पर और अन्य आधारों पर भी, चूंकि देश विभिन्न संधियां और समझौते कर रहा है, अधिकतर बंदियों के लिए अत्यन्त लाभकारी है। भारत ने भी तीन देशों के साथ संधियां और समझौते किये हैं तथा कुछ और प्रक्रियाधीन है। बातचीत चल रही है। किन्तु कठिनाई यह है कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा अन्य देशों, जिनके साथ हमने संधियां की हैं अथवा भविष्य में संधियां करेंगे, की जेलों में कैद हमारे बंदियों को भारत में संप्रत्यावर्तित किया जा सके ताकि वे अपनी कैद का शेष समय बेहतर सामाजिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने घरों के पास जेलों में बिता सकें। इसी प्रकार, भारत में कैद अन्य देशों के बंदी संप्रत्यावर्तन पर अपने देश में, अपने क्षेत्र में वापस जाना चाहेंगे।

इसी उद्देश्य के लिए, हमें एक अनुज्ञात्मक विधेयक की आवश्यकता थी। हमने प्रयास किये हैं। इस विधेयक पर स्थायी समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और समिति विधेयक के लगभग सभी खण्डों पर पहले ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुकी है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाये और उसे पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इसका समर्थन करते हैं। अब तक संप्रत्यावर्तन के लिए कोई सांविधिक उपबंध नहीं था। इसके साथ-साथ ही उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है:

"यदि सिद्धदोष विदेशी राष्ट्रिकों को उनकी शेष जल-अवधि काटने के लिए उनके अपने देशों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उससे मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखा जा सकेगा क्योंकि उक्त सिद्धदोष व्यक्ति अपने परिवारों के निकट रहेंगे और उनके सामाजिक पुनर्वास के अधिक अवसर होंगे। इसके अतिरिक्त, इससे उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा जिनका भारतीय जेल प्राधिकारियों को उन बंदियों को रखने में सामना करना पड़ता है।"

अत: विधेयक में इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और खंड 2 से 11 तक में प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

अनेक ऐसे लोग जो इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं और नौकरी में प्रवेश करने की प्रक्रिया की जानकारी के बिना नौकरी की तलाश में विदेश जाते हैं, उन्हें दोषी ठहराकर कारागार में डाला जा रहा है। मालदीव, अफ्रीका और अन्य अरब देशों में अनेक भारतीयों को विभिन्न कारणों से बन्दी बनाया जा रहा है। मालदीव की जेलों में अनेक भारतीय बंद हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही लगभग 20 लोगों को बिना किसी कारण के वहां की जेलों में बन्द किया गया है। चूंकि वीजा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। लोग इन देशों में नौकरी की खोज में जाते हैं। परंतु मालदीव पहुंचने पर पुलिस उन्हें जेल में डाल रही है। ये लोग अपने परिवारों को पत्र भी नहीं भेज सकते हैं। संप्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया नहीं है।

पहले भी हमने इस संबंध में विदेश मंत्री से अनुरोध किया था किन्तु उन्होंने इसके उत्तर में यह कहा कि वे उस देश के साथ किसी समझौते के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमें यह जानकारी प्राप्त

हुई है कि उनमें से अनेक लोग पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान मारे गए हैं। हमने अपने लोगों को दी जा रही इस यंत्रणा के संबंध में मानवाधिकार आयोग से भी बातचीत की थी। परंतु आयोग ने भी कहा है कि वे मानवाधिकार आयोग के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, इसलिए, उनका संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सका या उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सका। मलेशिया और सिंगापुर के साथ भी यही बात है हालांकि उनके साथ हमारा कुछ करार है।

अनेक भारतीय अरब देशों की जेलों में भी बंद हैं। उनके हाथ काट दिये जाने के उदाहरण हैं। उनका जबर्दस्त उत्पीड़न किया जाता है। परंतु उनका संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सका।

प्राय: हम विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित उच्चायोगों और राजदूतावासों को पत्र भेजते रहे हैं किन्तु हमें कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसलिए, खंड 12 में शामिल भाग पर अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिए क्योंकि अनेक अनभिज्ञ भारतीय जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, पूरे विश्व में विभिन्न कारागारों में दु:ख भोग रहे हैं। हम अपराधियों के लिए कुछ करने की बात नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में वे यहदेखेंगे कि कानून क्या कहता है। हम अनभिज्ञ लोगों के संबंध में बात कर रहे हैं।

अत:, यह विशेषकर देश के दक्षिणी भाग, जहां से बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग रोजगार के उद्देश्य से विदेश गए हैं, के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को ऐसी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और उसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से कुछ पत्र-व्यवहार करना चाहिए था। उच्चायोग स्तर पर, इकरारनामा करने वाले और न करने वाले राज्यों को कुछ समझ होनी चाहिए थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं भारतीय बन्दी हैं, उसकी सूचना भारतीय राजदूतावास और संबंधित राज्य को दी जाए ताकि हम उनकी सहायता करने के साथ-साथ उनके संप्रत्यावर्तन की कोशिश कर सकें।

ऐसा इस कारण से है कि इस प्रावधान में उस कार्य के लिए बहुत गुंजाइश है। जो व्यक्ति दु:खी है, उसे संबंधित राज्य या संबंधित राष्ट्र के माध्यम से याचिका प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में इसी गुंजाइश को स्पष्ट किया गया है। परंतु इसके साथ-साथ मेरा यह अनुरोध है कि अनेक लोग इस कानून से ही अनभिज्ञ हैं। अब केवल यह प्रावधान किया जा रहा है। परंतु इस अधिनियम को कानून बनाए जाने के बाद राजदूतावासों और उच्चायोगों से यह कहा जाना चाहिए कि वे प्रत्येक देश के आंकड़े देखकर यह पता लगाएं कि वहां भारतीय कैदी हैं या नहीं। उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि हम कितने अच्छे ढंग से उनका संप्रत्यावर्तन कर सकते हैं और कितने अच्छे ढंग से उन्हें उनके परिवारों से जुड़ने की अनुमति दी जा सकती है। विदेशी कैदियों के संबंध में उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार द्वारा इसी उद्देश्य को दर्शाया गया है। कारागारों में दु:ख भोग रहे भारतीय कैदियों के लिए भी यही बात लागू होनी चाहिए।

अंतत:, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। जब-जब वे देश से बाहर जाएं उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि वहां किस प्रकार का कानून है ताकि वे विषम परिस्थितियों में फंसने पर उसका इस्तेमाल कर सकें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह विधेयक किसी विदेशी राष्ट्र से भारत और भारत से किसी विदेशी राष्ट्र में बंदियों को स्थानांतरित करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को संशोधित करने के लिए पुर:स्थापित किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक ऐसा राष्ट्र हो जो बंदियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब आवश्यक शर्त यह है कि शेष सजा उस राष्ट्र में काटनी होगी जहां बंदियों को स्थानांतरित किया गया है। परंतु दोनों राष्ट्रों में व्याप्त कानून हरेक प्रकार से समान होना चाहिए।

अब इस मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भारत में कुछ बंदियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वे वस्तुत: भारतीय हैं। वे सब मलयाली हैं जो केरल के उत्तर में स्थित कालीकट के हैं और जो विभाजन के समय पाकिस्तान प्रवास कर गए थे। वे वहां रह रहे थे। वे वहां व्यापार कार्य से जुड़े हैं। वस्तुत: वे भारत के जन्मजात नागरिक हैं परंतु विभाजन के कारण वे पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे। उनकी मां यहां है और पिता पाकिस्तान में है। उनका पुत्र यहां है और पुत्री पाकिस्तान में है। वे एक ही परिवार से संबंधित हैं। एक ही परिवार के सदस्य दो भिन्न राष्ट्रों में रहते हैं। इसलिए, जब भी पति केरल में रहने वाली अपनी पत्नी से मिलने आता है और यदि वह कुछ समय तक यहां रहता है तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। वहां ऐसी स्थिति है। वे किसी भी रूप में भारत की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। वस्तुत: वे मलयाली हैं और वे मलयालम बोलते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म भारत में काफी पहले हुआ था। ऐसा हुआ कि अपनी व्यापार संबंधी विवशताओं के कारण उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा था और उन्हें कई वर्षों तक वहां रहना पड़ा था। कुछ समय बाद वे केरल में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने वापस आ सकते हैं। यदि वे यहां आते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है। प्रव्रजन संबंधी कानूनों के कारण ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए, इस मामले पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर विचार किया जाए। हम सब यह जानते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ था किन्तु परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने के कारण वे पाकिस्तान प्रवास कर गए। तथ्यपूर्ण बात यह है कि वे सदा के लिए

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

पाकिस्तान में रहने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है। वे भारत में अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ ही रहना चाहते है। यही स्थिति है। अत:, यद्यपि वह भारत में एक बंदी है, उसे पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सत्य बात यह है कि उसे वहां जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। उनको पाकिस्तान वापस भेजना मानवीय भावनाओं के प्रतिकूल होगा। उनका जन्म यहां हुआ और उनका शेष परिवार केरल में है। अत:, इस स्थिति की जांच किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से वर्तमान संशोधन से सरकार इन बंदियों की सहायता कर पायेगी जिनका यहां जन्म हुआ है परन्तु उन्हें किसी कारणवश पाकिस्तान जाना पड़ा है। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए कोई उपबंध नहीं है। परन्तु, सरकार इस संशोधन से उनकी सहायता कर सकती है। यदि पाकिस्तान सरकार इससे सहमत है तो हम उन्हें यहीं रहने की अनुमति दे सकते हैं। यदि कोई वहां जाना चाहता है तो ऐसा भी किया जा सकता है।

महोदय, अन्य बातें भी हैं। भारत में निरुद्ध बंदियों को मुक्त करने के लिए जिन्हें देश में अपराध के लिए दोषी पाया गया है, अन्य देशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम से पश्चिम बंगाल सरकार को एक ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें बंदियों को उस देश में सम्प्रत्ययन की मांग की गई थी। मैं यह नहीं जानता कि यह हो पाया अथवा नहीं। परन्तु, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अधिनियम के इस उपबंध का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम के इस संशोधित उपबंध से सरकार को ऐसे दुरुपयोग की शक्ति मिल जाएगी। जब कोई व्यक्ति इस देश में अपराध करता है तो इस उपबंध का दुरुपयोग करते हुए उस व्यक्ति को उसके मूलदेश को वापस नहीं भेजना चाहिए। इस उपबंध का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब से देश के विरुद्ध कथित अपराध होगा तो इस उपबंध का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। इसे स्पष्ट किया जाये क्योंकि इस उपबंध का स्वरूप ही अस्पष्ट है और इस उपबंध के दुरुपयोग की बिल्कुल संभावना है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि इस उपबंध का भारत में आकर देश में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि भारत में दौरे पर आने वाला कोई विदेशी नागरिक, यहां बम विस्फोट करता है, तो ऐसे मामले मैं वह आरोपी और सिद्ध दोषी हो जाता है और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बचने का मौका नहीं देना चाहिए। इसे आम मामले की तरह न लिया जाये। सरकार इस अधिनियम के संशोधित उपबंध के संबंध में कार्यवाही करते समय पूरी एहतियात बरते।

महोदय, मैं यह आशा करता हूं कि सरकार इस विधान के संबंध में बंदियों के सर्वोत्तम हित में, पर्याप्त सावधानी और एहतियात बरतेगी। हमने मानवाधिकार आयोग की शर्तों पर हस्ताक्षर किये हैं और उसके अंतर्गत सभी बंदियों के साथ उचित मान सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। हमें बंदियों के साथ उचित सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। परन्तु, ऐसा उन बंदियों के मामले में नहीं होना चाहिए जिन्होंने देश में आतंकवाद जैसे घोर अपराध किये हों। उनके साथ ऐसे व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।

सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करे। मैं इन बातों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रिपैट्रिएशन आफ परिजनर्स बिल आठ बातों के लिए सदन में पेश किया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न देशों में जहां हमारे लोग अपराधी हैं और जेल में हैं, उनको वापस देश बुलाया जाए। दो तरह के अपराधी होते हैं। एक वे जो सजायाफ्ता हैं, सजा पा चुके हैं, कंवीक्टिड हैं, दूसरे वे जो अंडर ट्रायल हैं, गिरफ्तार हो गए हैं तथा जेल में हैं। जो कंवीक्टिड हैं, जब हमारे देश का कोई आदमी वहां पकड़ा जाए, सजावार हो जाए या दूसरे देश का कोई आदमी यहां पकड़ा जाए और सजावार होगा तो उसके प्रत्यार्पण के लिए विभिन्न देशों से हमारी संधि है। अभी हमारे देखने में और सुनने में आया कि अबू सलेम और मोनिका बेदी पुर्तगाल में पकड़े गए। सरकार ने बड़ा दावा किया कि उस देश के साथ हमारी संधि है इसलिए हम उनको यहां ला रहे हैं। लेकिन पुर्तगाल ने कहा कि हम इनको यही सजा देंगे और बाद में इन्हें आपको देंगे। हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में अद्यतन स्थिति क्या है?

इस देश के 20 अपराधी पाकिस्तान में हैं। बार-बार सरकार की ओर से दावा किया गया और लिखा-पढ़ी भी की गई कि उनको यहां भेजा जाए। अमेरिका का भी दबाव पाकिस्तान पर पड़ा कि ये जो 20 नामी अपराधी हैं, जो भारत में उथल-पुथल मचाकर वहां चले गए, उनको वापस भारत भेजा जाए। हमारे देश के अपराधियों की प्रवृत्ति है कि वे यहां किसी न किसी रूप में अपराध करके दूसरे देश में चले जाते हैं। उसके लिए क्या उपचार किया जाए, इसलिए सरकार ने यह बिल यहां पेश किया है। जो लोग अपराध करके यहां से चले गए, वहां सजावार बंदी हैं, उनको आप अभी तक दूसरे देश से यहां नहीं ला सके हैं। विदेश मंत्री जी का बयान आया कि सात देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि वे देश कौन-कौन से हैं?

पाकिस्तान में जो हमारे देश में अपराध करके लोग चले जाते हैं वे कैसे आयेंगे, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कोशिश करें।

पुरुलिया में विभिन्न किस्म के हथियार विदेशियों द्वारा गिराये गये और एक विदेशी पकड़ा भी गया। अब वह छोड़ दिया गया या शायद जेल में है, इसको भी स्पष्ट करें। एके-47 से लेकर विभिन्न प्रकार के हथियार पुरुलिया में गिराये गये और कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये। सरकार बताए कि उनकी स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी सभी बातों को खोलकर स्पष्ट करेंगे, तभी हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। बगैर इसके हम कैसे इसको पास करा दें। सारी बातों को खोलकर बताएंगे तभी हम इसे पास करायेंगे।

मछेरे लोग समुद्र में मछली मारते हैं और पाकिस्तान उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लेता है। ऐसे बहुतेरे लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान की जेलों में हमारे नागरिकों की क्या स्थिति है सरकार बताए। वहां से कुछ लोग जो आये हैं उनके साथ हुए व्यवहार को सुनकर माथा खराब हो जाता है। महोदय, कहते हैं कि परिवार की संस्कृति जानी जाती है उसके पाखाने से और सरकार की संस्कृति जानी जाती है उसके पागलखाने से। किसी भी सरकार की सभ्यता और संस्कृति की पहचान बंदियों के साथ वह कैसा व्यवहार करती है उससे जानी जाती है। पड़ोसी मुल्कों की जेलों में हमारे देश के नागरिकों की क्या स्थिति है सरकार वह बताए। इस बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक-2003 के लाने से क्या होगा? विभिन्न देशों की जेलों में हमारे नागरिकों की क्या स्थिति है वह बताएं, तभी विधेयक पास होगा, नहीं तो रुक जाएगा।

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 एक स्वागत योग्य कदम है विशेषकर यह भारत जैसे देश के लिए तो है ही क्योंकि भारी संख्या में भारतीय अन्य देशों में कार्यरत हैं और छोटे-छोटे आरोपों पर बंदी बनाये जा रहे हैं। हाल ही में हमने आईटी सेवाओं के लोगों की नागरिकता संबंधी रिकार्ड जब्त किये जाने के कई मामले देखे हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि उनको भविष्य में कैसी सजा मिलेगी और इसका हमारे भारतीय नागरिकों पर जो अन्यत्र कार्यरत हैं बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अन्य देशों के लोग भी यहां कार्यरत हैं। वे यहां काम के लिए नहीं आते हैं; परन्तु, अन्य कारणों से भी आते हैं। अतः, हम आसपास के देशों के लोगों, जो मछली पकड़ने आते हैं, के मामलों को छोड़कर विदेशी लोगों अथवा विदेशी पर्यटकों को बहुत सीमित सजा देते हैं। उन्हें बंदी बना लिया जाता है अथवा सजा दी जाती है और भारत में रखा जाता है। ऐसे मामलों में यह कदम स्वागत योग्य है।

अपराह्न 5.44 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* **हुए)**

तथापि, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रत्यावर्तन करने वाला देश जो इसकी अनुमति प्रदान करता है, को सजा पर पुनर्विचार करने का अधिकार होगा। यह बिल्कुल स्पष्टतया बताया जाये क्योंकि अन्य देश में सम्प्रत्यावर्तन के बाद बंदी को उस देश के कानून के अनुसार सजा से मुक्त न रखा जाए। आपने यह कहा है कि बंदियों पर सम्प्रत्यावर्तन वाले देश का कानून लागू होगा। इसका यह मतलब है कि सजा कम की जा सकती है और उन्हें उस देश के कानून के अनुसार मुक्त भी किया जा सकता है। इस पहलू पर ध्यान रखा जाये।

अन्य बात यह है कि सिद्ध दोषी, जिसका अन्य देश में सम्प्रत्यावर्तन किया जा रहा है, उस देश का नैसर्गिक नागरिक हो। वह दो देशों का नागरिक हो सकता है। आपने अभी-अभी कहा है कि वह उस देश का नागरिक हो, परन्तु आपने यह नहीं कहा है कि वह उस देश का नैसर्गिक नागरिक हो। यदि उसने नागरिकता प्राप्त की है तो उसे उस देश में भेजा जा सकता है और वहां से आसानी से बचकर निकल सकता है। यह कैसे किया जा सकता है? जहां दोहरी नागरिकता है, वहां सिद्ध दोषी को उस देश में भेजा जाए जहां उसकी नैसर्गिक नागरिकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा सिद्ध दोषी, विशेषकर जो सफेद पोश हैं, मुक्त होकर घूमने लगेंगे। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि सम्प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध उस देश की ओर से स्वीकार किया जाये जहां का बंदी नैसर्गिक नागरिक हो और न कि दोहरी नागरिकता वाला देश हो। माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें। निस्संदेह, ये कानून उन देशों में लागू होते हैं जिनके साथ आपसी समझौता हुआ हो। अतः, इस पर ऐसे देशों को सिद्धदोषियों के सम्प्रत्यावर्तन से पहले ही उनसे बातचीत कर ली जाएगी कि क्या वे वास्तव में ऐसी वचनबद्धता का पालन करेंगे। अन्यथा हमारे पास निगरानी प्रणाली नहीं होगी। निगरानी प्रणाली कहां है? यदि उस देश से अनुरोध प्राप्त होता है जिसका वह नैसर्गिक नागरिक हो तो उसे उस देश में भेज दिया जायेगा। हमें यह देखना होगा कि क्या सिद्ध दोष बंदी को वही सजा दी जाती है जैसाकि भारत में दिया गया है और हमें यह देखना होगा कि क्या वह देश भारत में दी गई सजा को मानते हुए उसे बंदी बनाकर रखता है। वर्तमान में कोई निगरानी प्रणाली नहीं है। परन्तु आपको उन देशों का भरोसा और विश्वास करना होगा। सिद्धदोषियों के सम्प्रत्यवर्तन में भी सावधानी बरतनी होगी। ऐसे सिद्ध दोषियों को, जिन्होंने गम्भीर परिणाम वाले अपराध किए हों, इस देश में ही रखना चाहिए। समझौते में यह अलग-अलग सुस्पष्ट होना चाहिए कि किन सिद्ध दोषियों का सम्प्रत्यावर्तन किया जा सकता और किन सिद्धदोषियों

[डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

का सम्प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। सम्प्रत्यावर्तन वाले देश के सिद्धदोषी केवल वहां के नैसर्गिक नागरिक ही होने चाहिए।

मेरा यह विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरी टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस स्तर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को स्वीकार करता हूं जिन्हें मुझसे पहले बोलने वाले मेरे मित्रों ने उठाए हैं।

हमें सक्षम न्यायालय द्वारा भारत में सजा सुनाने तक प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? यह इसलिए है क्योंकि दोषसिद्ध होने के बाद, इस विधेयक के अनुसार, सभी स्तर पर अपील हो जाने के बाद उस दोषसिद्ध व्यक्ति को उसके देश में सम्प्रत्यावर्तन करना होगा। इसमें अभियोजन के लिए धन, समय जज और राजस्व की बर्बादी ही है। मामला दर्ज होने के तत्काल बाद आप ऐसे मामलों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसका अब गठन किया गया है। सीधे स्थानान्तरित क्यों नहीं कर सकते? इसका हाल ही में गठन किया गया है। हम इनका सीधे वहां सम्प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। यह तो किसी देश में किया गया अपराध है। यदि ऐसे व्यक्ति ने संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के खिलाफ अपराध किया है तो उसे यह सरकार स्वयं दंडित करे। यदि हम ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाकर उसे सजा नहीं दे सकते तो आपको इस पर यहां मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उसे सजा अपने देश में काटनी हैं तो उसके खिलाफ अभियोजन भारत में क्यों चलाया जाएं। विभिन्न देशों में सजा देने की अनेक प्रकार की नीतियां हैं। विदेशी नागरिकों के संबंध में ऐसे सभी सम्प्रत्यावर्तन करने होंगे। सामान्यतया, स्वापक पदार्थ निवारण अधिनियम के संबंध में भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में जो व्यवस्था है उसमें ऐसे अपराध के दोहराए जाने की स्थिति में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा है। यदि यह अपराध पहली बार हुआ हो तो इसके लिए आजीवन कारावास की सजा है। यदि यह पुन: करता है तो इसके लिए मृत्युदंड की सजा है।

संयुक्त राज्य अमरीका में सजा निर्धारण नीति की आवधिक समीक्षा, अर्थात् आनुपातिक समीक्षा की जाती है। एक बार मृत्यु दंड की सजा सुनाने के बाद, पांच-छह वर्ष के बाद वे सभी मृत्युदंड की सजा की समीक्षा करते हैं। यदि कोई नए तथ्य सामने आते हैं, यदि तथ्य कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं, तो वे तत्काल सजा को कम कर देते हैं। वे पुन: सुनवाई का आदेश भी देते हैं और आरोपी को मुक्त भी कर देते हैं। काफी पहले 1922 में भारत में यह नीति प्रचलित थी। हमारे यहां दंड विधि (संशोधन) (1955 का अधिनियम 2) विद्यमान था जबकि हमारे भारतीय न्यायालयों को अपने खुद के निर्णय के लिए विटो करने का अधिकार निहित था। परंतु विटो के उस अधिकार को 1955 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त अध्यादेश से पूर्व, जो केवल तीन वर्षों के लिए ही प्रचलन में था ...*(व्यवधान)* वह दंड विधि भारत में केवल तीन वर्ष तक ही प्रचलन में था। निर्णय दिए जाने के बाद यदि यह मुकदमा अमान्यकरणीय है यदि निर्णय को रद्द करने का कोई प्रभाव होता है तो अपराधी को छोड़ दिया जाता था। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अंतिम धारा 167 में यह व्यवस्था है कि मामले के निपटान के बाद किसी साक्ष्य की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बाबत विचार नहीं किया जाता है। यदि कोई नया तथ्य सामने आता है, यदि साक्ष्य का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है तो उसे सामने रखना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभियुक्त को संदेह के घेरे तक ही अपराधी सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि यदि कोई असली अभियुक्त कहीं फरार है तो उसे अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उस मामले को निपटाने के बाद न्यायालय 'पदकार्य-निवृत्त' बन जाता है। इसलिए, इस परिप्रेक्ष्य में, मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और पुरानी पड़ चुकी दंड विधि (1955 का अधिनियम 8) के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 और धारा 57 में संशोधन करें ताकि मुकदमे को अमान्यकरणीय बनाया जा सके। दंड देने वाले न्यायाधीश को अपने खुद के निर्णय को विटो करने का अधिकार दिया जाना चाहिए था।

अब प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्णायक होता है। यदि कोई मजिस्ट्रेट निर्णय देता है तो वह अंतिम होता है। वे स्वयं के निर्णय की पुनरीक्षा नहीं कर सकते। वह निर्णय को सिवाय लिपिक द्वारा की गयी भूल के अलावा बदल नहीं सकते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 में इसका प्रावधान है। इसलिए, जब इन मामलों की जांच की जा रही है तो हमें और सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि दोषी को अपने देश में सजा भोगनी है। अत: जब उसे अपने देश जाने की अनुमति है तो हमारे नागरिकों जो विदेश में जेलों में बंद है पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें वहां जाने की अनुमति मिली होती तो उन्होंने अपने दंडादेशों की आवधिक समीक्षा कर ली होती। ग्रीस जैसे कुछ देशों में व्यक्ति सजा खरीद सकता है। यदि आप किसी कैदी को भारत से उक्त देश में प्रत्यावर्तित करते हैं तो वह व्यक्ति उस सजा को खरीद सकता है। उसे वहां वापस जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सजा खरीदने का प्रावधान नहीं है। कम से कम, सरकार उस प्रावधान को यहां शायद ही समाविष्ट

करें क्योंकि यह खर्चीला है। किसी व्यक्ति को जेल में रखने पर राज्य को भुगतना पड़ता है। न केवल वह व्यक्ति कष्ट उठा रहा है बल्कि वह राष्ट्र को भी भुगतने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए, राष्ट्र सजा नीति सजा खरीदने की नई सजा नीति बना सकती है। जैसाकि ग्रीस जैसे देश में प्रचलित है। इस तरह से आप काम के बोझ को कम कर सकते हैं। यदि किसी विदेशी को यहां सजा दी जाती है तो, आप उसे पैसे का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं और उसे छोड़ सकते है। हमारे राष्ट्र में कष्ट झेलने के बाद उसे वे उसके देश वापस भेजने की बजाय उसे केवल यहां ही सजा दी जानी होती है। क्योंकि उसने हमारे देश के कानून को तोड़ा है, क्योंकि उसने हमारे देश के खिलाफ अपराध किया है और हमारे देश को आहत किया है इसलिए उसे यहीं सजा मिलनी चाहिए।

परंतु संप्रत्यावर्तन के लिए आप उसे सजा के बदले जुर्माना देने के लिए कह सकते हैं और वह यहां सजा के बदले जुर्माना दे सकता है। उसे इतनी छूट दी जा सकती है। उसे उसकी सजा खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वह आजीवन कारावास की सजा को चार वर्ष, तीन वर्ष के लिए बदलना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यहां भारत में सुनवाई पूरी होने में कम से कम दस वर्ष लग जाते हैं। मृत्युदंड के मामलों में दस से बारह वर्ष लग जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 के अंतर्गत बहुत सारी समीक्षाएं दी गई हैं। अत: इस प्रकार यह प्रावधान ऐसे किसी विदेशी के लिए उपयोगी नहीं होगा जो यहां हमारे देश में दोषी के रूप में निरुद्ध है। इस प्रकार सरकार इस मामले में ध्यान दे सकती है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इस मामले पर उस तरह से गौर करे।

महोदय, कानून के पहले प्रावधान अब कानूनी पुस्तकों में आ गये हैं। 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 का खंड 2 अब दंड प्रक्रिया संहिता की वर्तमान धारा 354 के खंड 3 की सहायता के लिए मौजूद है। तहां मृत्युदंड अपवादात्मक मामले में दिया जाता है और आजीवन कारावास सामान्य नियम है। 1898 के अधिनियम की धारा 367 के खंड 2 में आम तौर पर कहा जाता है कि यदि मृत्युदंड दिया जाना होता है तो इसके लिए अब विशेष कारण दिये जाने होते हैं। वहां मृत्युदंड दिया गया या नहीं इसके लिए विशेष कारण देने होते हैं। दो धाराओं को पढ़िए क्या धारा 367का खंड 2 वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के खंड 3 का पर्यायवाची है और साथ ही संसद ने सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों को दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। जैसाकि आप जानते हैं। महोदय, करीब 25 वर्ष पूर्व भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 नामक एक विधेयक राज्य सभा में पुर: स्थापित किया गया था। यह घटना 25 वर्ष पहले की है। परंतु लोक सभा भंग होने के कारण विधेयक वहां पुर:स्थापित नहीं हो सका। अब तक हमारी संसद इसे पारित नहीं कर पाई है। बार-बार उच्चतम न्यायालय ने संसद को यह कहते हुए स्मरण कराया है कि आप हमें यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश भेजें कि वे कौन से मामले हैं जो आजीवन कारावास के सामान्य नियमों के अंतर्गत आने चाहिए। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 उच्चतम न्यायालय एआईआर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिफारिश की गयी थी कि संसद को दिशानिर्देश भेजने चाहिए। अब, हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिशाहीन, अन्यायपूर्ण और विधि विरुद्ध कार्य की मनमानी और अजीव दंड नीति अपनाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने भिन्न तरीके से यह बात कही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को याद दिलाता हूं कि 1980 में तीन लोगों अर्थात कश्मीरा सिंह, चेता सिंह और हरबंस सिंह ने एक व्यक्ति की हत्या की थी। उन तीनों पर पंजाब में एक साथ मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। जब उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की तो प्रत्येक मामले में एक अलग खंडपीठ ने सुनवायी की। सौभाग्य से दो लोगों की सजा आजीवन कारावास में बदल गयी। यह बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले का एक बहुत विख्यात निर्णय है। जब तक पंजी कार्यालय एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए दूसरी फाईल न्यायालय में प्रस्तुत करता उसको फांसी दे दी गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बात कही गयी कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है। यह न्यायिक अनिश्चितता न्यायिक विवेक के उपयोग के द्वारा की गयी है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, तमिलनाडु में 1930 के दशक में एन.एस. कृष्णन के नाम से एक विख्यात अभिनेता हुए थे जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध स्वीकृति बयान की ग्राह्यता के आधार पर अथप्पा गाऊण्डर, जिसे तमिलनाडु के सेलम जिले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी थी, के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने त्यागराज भागवाधार के साथ दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी थी। अथवा गाऊण्डर मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने 1937 में उक्त निर्णय दिया था और उसे मृत्युदंड दिया गया था। उसे फांसी हुई और इस निर्णय से दस सालों तक प्रभाव डालता रहा था। उस निर्णय के आधार पर एन.एस. कृष्णन तथा त्यगराज भागवाधार को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसी प्रकार की न्यायिक व्याख्या के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उसके बाद मामले को प्रीवी काउंसिल में ले जाया गया था। प्रीवी काउन्सिल ने इस निर्णय को यह कहते हुए रद्द किया कि अथप्पा गाऊण्डर मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था और

[श्री पी.एच. पांडियन]

लोग जिन्हें फांसी दी गई थी दुर्भाग्यशाली थे। अत: न्यायिक चूक की संभावना रहती है। न्यायाधीशों के दिमागों में कम्प्यूटर और उनके दिल में फ्लापियां नहीं लगी हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री न्यायाधीशों की दण्ड देने संबंधी नीति के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह स्वागत योग्य कदम है। इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। तथापि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या हमारे नागरिकों का विदेशों से भारत में प्रत्यार्पण अधिक होगा या बहुत अधिक जनसंख्या वाले विदेशी अपराधी जो भारत में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं उन्हें अधिक फायदा पहुंचने वाला है। सरकार को यह प्रावधान लागू करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी क्योंकि प्रत्येक देश में दण्ड देने संबंधी नीतियां भिन्न-भिन्न है। संपूर्ण विश्व में दंड देने संबंधी नीति एक समान नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में मृत्युदंड के लिए साक्ष्य की पहचान बहुत आसान है परंतु भारत में हत्या के अपराध में हम बहुत बड़े-बड़े मानदंड लागू करते हैं।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 जुलाई, 2003/9 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.35.8/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।